बाल–अपराध का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उभरती प्रवृत्तियाँ

(कोटा शहर के विशेष सन्दर्भ में)

Sociological Perspective of Juvenile Delinquency and it's Emerging Trends

(With Special Reference to Kota City)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

पी.एच.डी.उपाधि हेतु

शोध-प्रबन्ध

(सामाजिक विज्ञान संकाय)

शोध– निर्देशक

प्रो.एस.सी.राजौरा,

विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र–विभाग

कोटाविश्वविद्यालय,कोटा

शोधकर्त्ता

शर्मिला कुमारी

समाजशास्त्र–विभाग

कोटाविश्वविद्यालय,कोटा(राजस्थान)

CERTIFICATE TO ACCOMPANY THE THESIS

It is certified that the -

1. Thesis entitled "**SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE OF JUVENILE DELINQUENCY AND IT'S EMERGING TRENDS'' (WITH SPECIAL REFERNCE To KOTA CITY)** Submitted by **SHARMILA KUMARI** is an original piece of research work Carried out by the candidate under my supervision.
2. Literary presentation is satisfactory and the thesis is in a form suitable for publication .
3. Work enhances the capacity of candidate for critical examination and independent judgment.
4. Candidate has put in at least 200 days of attendance every year.

Signature of supervisor withdate

प्रस्तावना

वर्त्तमान समय में बाल–अपराध की समस्या विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के समाजों में एक चुनौती बन कर उभरी है। आज विश्व के समस्त देश अपने यहाँ बढ़ रहे बाल–अपराध से परेशान हैं। यही वजह है कि अक्सर माता–पिता, शिक्षक–समुदाय, पुलिस–प्रशासन, मनोचिकित्सक, सामाजिक–कार्यकर्ता, अपराधशास्त्री, समाजशास्त्री, सरकार, मिडिया आदि, विभिन्न परिचर्चाओं के दौरान बाल–अपराध पर चिन्तन–मनन करते पाये जाते हैं। किशोरों में असामाजिक और विचलनकारी व्यवहार का बढ़ना किसी भी स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। यह समाज के सुख–शान्ति और समृद्धि के लिये खतरे का घंटी के समान है, जो अन्ततोगत्वा देश के विकास की गति को भी अवरूद्ध करती है। अतः बाल–अपराध के लिये उतरदायी कारकों की तलाश कर, इसके रोकथाम का उपाय करना समाज और राष्ट्र का कर्तव्य बनता है। प्रस्तुत शोघ प्रबन्ध भी इसी दिशा में एक प्रयास है।

प्रस्तुत अध्ययन बाल–अपराध के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन से प्राप्त तथ्य और निष्कर्ष, बाल–पर्यवेक्षण गृह, कोटा में रिमाण्ड के दौरान रह रहे बाल–अपराधियों के अध्ययन पर आधारित हैं। अध्ययन के द्वारा बाल–अपराध के लिये उतरदायी कारकों को तलाशने का प्रयास किया गया है। पूरे अध्ययन को आठ खण्डों में विभक्त किया गया है।

प्रथम अध्याय– प्रस्तुत अध्याय विषय–प्रवेश का है। इसमें बाल–अपराध विषय का सामान्य परिचय, इसकी परिभाषा और अवधारण, आयु एवं व्यवहार की दृष्टि से बाल–अपराध तथा भारत में बाल–अपराध और इसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अन्त में, अध्ययन के महत्व को भी स्पष्ट किया गया है।

द्वितीय अध्याय–प्रस्तुत अध्याय अध्ययन में प्रयुक्त शोध–प्रविधि और तथ्य–संकलन के लिये उपयोग में लिये गये उपकरणों के वर्णन पर आधारित है। इसमें अध्ययन के उद्देश्य और सीमाओं को भी स्पष्ट किया गया है।

तृतीय अध्याय– प्रस्तुत अध्याय सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इसमें बाल–अपराध की व्याख्या में प्रयुक्त विभिन्न परिप्रेक्ष्यों–शरीरशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक ,समाजशास्त्रीय एवंकानूनी परिप्रेक्ष्यों का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय – प्रस्तुत अध्याय में सरकार एवं विभिन्न समाज–सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल–सुधार गृहों की कार्य–प्रणाली, कुसमायोजित बच्चों का समायोजन, बाल सुधार गृहों में उपलब्ध सुविधाओं, बाल–सुधार गृहों की कमियाँ, बाल–सुधार गृहों द्वारा बच्चों के समायोजन के लिए प्रयुक्त रचनात्मक गतिविधियों इत्यादि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

पँचम अध्याय – प्रस्तुत अध्यायमें बाल–अपराधियों के सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें बाल अपराधियों के परिवार का आय–स्तर, निवास–स्थान, पड़ौस,

पिता का व्यवसाय, माता–पिता एवं भाई–बहनों का शैक्षणिक स्तर आदि तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा तथा यह जानने का प्रयास किया गया है कि बाल अपराधियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि उनके बाल–अपराधी बनने में क्या भूमिका निभाती है।

छठें अध्याय – प्रस्तुत अध्याय में बाल–अपराधी बनने में सहायक कारकों और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा। प्रमुख रूप से मित्र–मण्डली, पड़ोस, स्कूल एवं मनोरंजन के साधनों के दुष्प्रभावों को देखने का प्रयास किया गया है।

सप्तम अध्याय – प्रस्तुत अध्याय में बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से बाल–अपराध की वर्तमान प्रकृत्ति, अपराधों का प्रकार, आधुनिक जीवन–शैली से जुड़े अपराध, बाल–अपराधियों के भविष्य जैसे मुद्दों पर विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अष्टम अध्याय –अन्त में, आँठवे अध्याय में अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं साथ ही कुछ महत्पूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि बाल–अपराध की समस्या के निवारण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराध की उत्पति में सहायक समस्त कारकों का विश्लेषण किया गया है, जो कि बालक के सामाजिक पर्यावरण में मौजूद होते हैं, और उसे विचलनकारी गतिविधियों में संलग्न होने को प्रेरित करते हे। उम्मीद है, यह शोध–प्रबन्ध बाल–अपराध जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध होगी।

शर्मिला कुमारी

आभार

प्रस्तुत अध्ययन के लिये सर्वप्रथम मैं अपने शोध–निर्देशक प्रो.एस.सी.राजौरा, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग एवं शोध निर्देशक कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की विशेष रूप से आभारी हूँ। जिनके कुशल निर्देशन, महत्वपूर्ण सुझावों एवं निरन्तर प्रेरणादायी मधुर व्यवहार के चलते यह शोध–कार्य संभव हो पाया है। इस पूरे अध्ययन में आपने मेरी हर संभव मदद की । साथ ही अध्ययन के सफलतापुर्वक सम्पादन में हर कदम पर मेरा उत्साहवर्द्धन किया।

मैं मुख्य न्यायिक माजिस्ट्रेट कोटा, का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने बाल–पर्यवेक्षण गृह, कोटा के बाल–अपराधियों पर अध्ययन करने की आज्ञा प्रदान की।बाल–पर्यवेक्षण गृह, कोटा के वर्तमान अधीक्षक श्री भगवान सहाय जी और नारी निकेतन कीवर्तमान अधीक्षक श्रीमती कृष्णैया, जिला पुनर्वास केन्द्र के अधीक्षक एवं बाल पर्यवेक्षण गृह,कोटा में कार्यरत सभी कर्मचारियों की मैं कृतज्ञ हूँ, जिन्होने न सिर्फ बाल–अपराध से सम्बन्धिततथ्यात्मक जानकारी हासिल करने में मेरी मदद की, अपितु समय–समय पर आवश्यकतानुसारबाल–अपराधियों से सम्पर्क स्थापित करने में भी मेरी मदद की।

मैं बाल–पर्यवेक्षण गृह, कोटा में रह रहे उन बाल–अपराधियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके सयोग से ही मैं इस विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्र कर पायी ।

मैं आभार प्रकट करती हूँ सवेदना सेवा एवं रिसर्च फाउण्डेशन समिति, खिलती कलियॉ संस्था ,करणी नगर विकास समिति, एवं कोटा शहर में कार्य कर रही अन्य स्वंय सेवी संस्थाओं का जिन्होने अपनी संस्था के द्वारा बाल–अपराधियों के सुधार हेतु किये गये प्रयासों एवं उनसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यों से मुझे अवगत कराया।

मैं डॉ. आर.एस. अग्रवाल, डॉ. लेखा रानी अग्रवाल, डॉ. राजबाला वशिष्ठ, डॉ. अनिता तम्बोली, सुश्री अर्चना सहारे एवं राजकीय महाविद्यालय कोटा और जे. डी. बी. कन्या महाविद्यालय, कोटा समाजशास्त्र विभाग के व्याख्याताओं की भी आभारी हूँ, जिन्होने समय–समय पर महत्वपूर्ण सुझावों द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया ।

मैं अपने पति (सुबोध कुमार) व्याख्याता, समाज–शास्त्र विभाग,जे. डी. कॉलेज, एवं पुत्र (कुमार शिवम) और डॉ.वीणा छंगाणी (प्रार्चाय जैन दिवाकर कमला महाविद्यालय, कोटा) की भी विशेष कृतज्ञ हूँ, जिनके निरन्तर सहयोग और प्रेरणा के आभाव में यह दुष्कर कार्य को पूरा करना संभव नहीं था।

मैं अपने माता–पिता, सासु–मॉ भाई–बहन एवं अन्य सभी रिश्तेदारों की भी आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से यह कार्य पूरा हो पाया।

मैं शोध प्रबन्ध की कम्प्यूटर टाइपिंग के लिए श्रीमान दिनेश गोड का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होने अत्यन्त सहयोगपूर्ण तरीके से समय पर मुद्रण कार्य को पूर्णता प्रदान की ।

अन्त में मैं उस परमपिता परमेश्वर एवं मेरे स्वर्गीय ससुर (श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह) का आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी प्रेरणा और आर्शीवाद से यह अध्ययन वर्तमान रूप में सम्पन्न हो पाया।

आभार सहित।

शोधकर्त्ता

शर्मिला कुमारी

अनुक्रमणिका

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
प्रथम अध्याय	विषय–प्रवेश	1–19
	1.1 अध्ययन का विषय	1–4
	1.2 बाल–अपराध : परिभाषा और अवधारणा	4–7
	1.3 बाल–अपराध : आयु एंव व्यवहार	7–10
	1.4 भारत में बाल–अपराध	10–12
	1.5 भारत में बाल–अपराध की विशेषताॅए	12–14
	1.6 अध्ययन का महत्व	15
	सन्दर्भ	16–19
अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
द्वितीय अध्याय	शोध.प्रविधि एवं तथ्य संकलन के उपकरण	20–38
	2.1 अध्ययन के उद्देश्य	20–21
	2.2 प्रस्तावित अनुसंधानकार्य का महत्व	21–22
	2.3 अनुसंधानप्रश्न	22
	2.4 अनुसंधान अन्तराल	23
	2.5 उपकलपना	23
	2.6 समग्र	24
	2.7 तथ्यों का विश्लेषण	24–25
	2.8 अध्ययन का क्षेत्र	25
	2.9 निदेशन	25–26

	2.10 अनुसंधान तकनीक एवं उपकरण	26–28
	2.11 साहित्य समीक्षा	28–32
	2.12 अध्ययन की सीमायें	32–33
	सन्दर्भ	34 –35
अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
तृतीय अध्याय	सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य	36–60
	3.1 शरीरशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य	36–37
	3.2 मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य	38–39
	3.3 समाजशास्त्रिय परिप्रेक्ष्य	40–53
	3.4 कानूनी परिप्रेक्ष्य	54–58
	सन्दर्भ	59–60
अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
चतुर्थ अध्याय	बाल–अपराध एवं बाल सुधार संस्थाएँ	61–88
	4.1 बाल– न्यायालय	63–69
	4.2 किशोर न्याय कानून	69–73
	4.3 बाल–अपराधियों का सुधार और संस्थापक उपचार	73–79
	4.4 सुधारात्मक–संस्थाओं की परिवर्तित प्रवृत्तियॉ	79–81
	4.5प्रभावशाली सुधारात्मक सुधार में बाधाएँ	81–83
	4.6 संस्थागत सुधार प्रणाली का मुल्याकंन	83–84
	4.7 पुलिस और बाल अपराध	84–87
	सन्दर्भ	88

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
पँचम अध्याय	सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि	89–126
	5.1 परिवारिक शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि	90–109
	5.2 आयु एवं बाल–अपराध	110–111
	5.3 बाल–अपराध एवं लिगं –भेद	111–113
	5.4 धर्म और बाल–अपराध	113–115
	5.5 जाति और बाल–अपराध	115–116
	5.6 ग्रामीण एवं नगरीय पृष्ठभूमि	117–119
	5.7 आर्थिक पृष्ठभूमि	119–123
	सन्दर्भ	124–126
अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
षष्टम अध्याय	बाल– अपराधी बनने में सहयोगी कारक	127–164
	6.1 मित्र मण्डली या साथी–समूह	128–135
	6.2 पड़ोस और बाल–अपराधी	135–143
	6.3 शैक्षणिक संस्थाओं का प्रभाव	143–151
	6.4 सूचना तकनीक एवं मीडिया का प्रभाव	151–158
	6.5 उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव	158–162
	सन्दर्भ	163–164
अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
सप्तम अध्याय	बाल– अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ एवं प्रकृति	165–187
	7.1 बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ	165–168

	7.2 बाल– अपराध की प्रकृति और मात्रा	168–170
	7.3 बाल– अपराध के प्रकार	170–178
	7.4 बाल–अपराध के कारण	178–182
	7.5 बाल–अपराध निरोधक कार्यक्रम	182–185
	सन्दर्भ	186
8.	निष्कर्ष एवं सुझाव	188–202
1.	परिशिष्ट – राजस्थान का कोटा शहर	203
2.	परिशिष्ट – बाल पर्वेक्षण गृह – कोटा	204–206
3.	परिशिष्ट – साक्षात्कार – अनुसूचि	207–212
4.	परिशिष्ट – सारणी	213–218
5.	सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि	219–229

प्रथम अध्याय : विषय–प्रवेश

1.1 अध्ययन का विषय

1.2 बाल–अपराध : परिभाषा और अवधारणा

1.3 बाल अपराध : आयु एवं व्यवहार

1.4 भारत में बाल अपराध

1.5 भारत में बाल–अपराध की विशेषताएँ

1.6 अध्ययन का महत्व

प्रथम अध्याय

विषय-प्रवेश
(Introduction)

1.1 अध्ययन का विषयः

आधुनिक समय मे बाल–अपराधियों की बढती संख्या चिन्ता का विषय है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के समाजों में इनकी बढती संख्या वहाँ की सरकार और समाज दोनो के लिये विचारणीय विषय है। यही कारण है कि विभिन्न विषयों के विद्वान भी इस समस्या को अपने–अपने दृष्टिकोण से समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि बाल–अपराध केवल आधुनिक समाज की देन है। बाल–अपराधी हर काल और हर प्रकार के समाजों में मौजूद रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हैं कि आधुनिक परिवर्तनशील समाजों में बाल–अपराधियों की संख्या बढ रहीहैं। साथ ही बदलते समय के साथ–साथ बाल–अपराध की प्रकृति में तेजी से बदलाव आया है। साथ ही बाल–अपराधियों के प्रति सरकार और समाज के दृष्टिकोण में समय–समय पर बदलाव आते रहे हैं। बाल–अपराध की समस्या इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि अगर समाज में बाल–अपराधियों की संख्या बढती है तो यह वैयक्तिक विघटन के साथ–साथ सामाजिक विघटन का भी सूचक है। इससे न सिर्फ समाज की शान्ति भंग होती है, बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास का मार्ग भी अवरूद्ध होता है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयत्न किया है कि आधुनिक सूचना तकनीक का फैला जाल, कम्प्युटर, इन्टरनेट, मीडिया, मोबाईल–बाइक संस्कृति आदि का प्रभाव बाल–अपराध की उत्पति पर किस प्रकार पड़ा है तथा वे कौन से कारक है जो एक बालक को बाल–अपराधी बना देते हैं। हमनें अपने अध्ययन में बाल–अपराध को रोकने के उपाय, सरकारी नीतियों तथा बाल–सुधार कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने तथा बाल–अपराध जैसी गंभीर समस्या के समाधान हेतु ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत अध्ययन बाल–अपराध के कारणों एंव निदान के ऊपर प्रकाश डालने का एक प्रयास है, जिससे इस समस्या को समझने और उसका हल ढूँढने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है।

बाल–अपराध विषय की गंभीरता देखते हुए इसे एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी चल रहा है। इसे समाज–विज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बच्चों के समाज विरोधी व्यवहार का अध्ययन करती है।[1] हालाँकि बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है, किन्तु जब यह नटखपन समाज की मान्यताओं को भंग करने लगता है तो वह बाल–अपराध के नाम से जाना जाता है।[2]("Crime may be rare but naughtiness is universal.")

बाल–अपराध की समस्या कोई पृथक समस्या नहीं है वरन् यह सामाजिक परिवर्तन और समाज में असामंजस्य से अभिन्न रूप से जुड़ा है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक उपलब्धियों ने हर क्षेत्र में विकास को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है। फलतः समाज की संरचना और उसके प्रकार्यो में भी काफी तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं। तीव्र गति से हो रहे औधोगीकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विकसित और विकासशील देशों की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों को भी काफी तेजी से बदला है। परम्परागत जीवन–मूल्यों में भी काफी तेजी से बदलाव आया है। भौतिकवादी संस्कृति और उपभोक्तावाद ने स्वच्छन्द विचारधारा और आचरण को बढावा दिया है। तीव्र गति से बढ रही जनसंख्या, नगरों की संख्या में वृद्धि, निर्बाध गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता, सांस्कृतिक परिवर्तन, गंन्दी बस्तियों के विकास और भीड़–भाड़ की स्थिति में रहने से नए प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। गरीबी, बेरोजगारी और महँगाई ने भी सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को बढाया है। आधुनिक युग की इन तेजी से बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने किशोरावस्था के बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। उचित देखभाल और सामाजीकरण के अभाव में बच्चों में असंतुलन की समस्या बढ़ रही है, जिससे व समाज–विरोधी कार्यो की ओर प्रवृत्त हो

जाते हैं। बच्चे कोमल पौधे की तरह होते हैं जिनका सफलतापूर्वक फलना एंव फूलना नाजुक पालन–पोषण पर निर्भर करता है।[3] (Children are as tender plants whose successful blooming depends on delicate cultivation.")

केवल विकसित समाजों में ही नहीं अपितु विकासशील समाजों में भी परम्परागत पारिवारिक ढाँचा बिखर रहा है। जिससे बच्चे माता–पिता और अन्य रिश्तेदारों के स्नेह से वंचित रह जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर पहले जैसा परिवार और पड़ोस (Neighbourhood) का नियंत्रण नहीं रह गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की समस्या के लिये किसी एक कारक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल बहुत सारे कारकों के सम्मिलित प्रभाव ने इस समस्या को गभीर रूप प्रदान किया है। यह किसी समाज के रोगग्रस्त होने का लक्षण मात्र है। अन्य शब्दों मे बाल–अपराध सिर्फ इस बात को सूचित करता है कि समाज और इसके संगठन में कहीं न कहीं कोई खराबी या गड़बड़ी आ गयी है।

कुछ दशक पूर्व तक युवा–अपराधियों [प]और बाल–अपराधियों में कोई भेद नहीं किया जाता था। बाल–अपराधियों को भी युवा–अपराधियों की तरह सख्त से सख्त दण्ड दिया जाता था। प्राचीन मोजाइक नियमों (Mosaic Laws) में ऐसे पुत्र को जो माता–पिता का कहना नहीं मानता था या अनादर करता था, मौत की सजा दी गयी थी। सन् 1883 में इंग्लैण्ड में एक बच्चे को दो पेन्स की चित्रकारी चुराने के अपराध में फांसी की सजा दी गयी।[4] इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून

बाल–अपराधियों के प्रति भी बर्बरतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाता था। उस समय के कानून के संरक्षक व निर्माता समाज की रक्षा और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिये इसे आवश्यक मानते थे। परन्तु, समय के साथ–साथ बाल–अपराधियों के प्रति कानून के दृष्टिकोण में काफी फर्क आ

गया है। आज अपराधी बच्चे को व्यस्क अपराधियों से अलग रखकर देखा जाता है। उन्हें कुसमायोजित (Maladjusted) और कुनिर्देशित (Misguided) बच्चों के रूप में देखा जाता है, जिन्हें सुधारने और सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी सरकार और समाज की है। आज बाल–अपराधियों को दण्ड न देकर उनका सुधार एंव पुनर्वास किया जाता है, ताकि वे आगे चलकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें तथा अपराध के दलदल में फँसने से बच सकें। इसके अभाव में उनके व्यस्क अपराधी के रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है, क्योंकि बाल–अपराध वह दरवाजा है जिसके रास्ते से चलकर व्यस्क–अपराध की दुनिया में कदम रखना बहुत आसान हो जाता है।

1.2 बाल–अपराध : परिभाषा और अवधारणा

बाल–अपराध की परिभाषा तथा वैधानिक अवधारणाः (Definition and Legal Concept of Juvenile Delinquency)

बाल–अपराध शब्द की व्याख्या विविध दृष्टिकोणों के आधार पर की जाती रही है जिनमें प्रमुख हैं : वैधानिक दृष्टिकोण, सामाजिक कार्य दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैव–वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि। वैधानिक दृष्टिकोण, जो कि मानदण्डीय औपचारिकतावाद (Normative Formalism) पर आधारित है,बाल अपराध की विशिष्ट आधार पर व्याख्या करता है, ताकि पुलिस और न्यायालयों के अन्यायपूर्ण कृत्यों से बाल अपराधी की रक्षा हो सके तथा खतरनाक व्यवहार से भी जनता को बचाया जा सके। सामाजिक कार्य दृष्टिकोण अनौपचारिक तथा चिकित्सकीय (Therapeutic) अवधारणा पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक अवधारणा पर आधारित है। सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मुख्यतः वैयक्तिक अपराधी (Indivdual Delinquent) के कल्याण से जुड़ी हैं और सामाजिक समूह को द्वैतीयक महत्व देती है, जिसमें अपराधी कार्य किया गया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपराधी को उसके सामाजिक समूह का सदस्य मानती है और अपराध को समूह मानदण्डों से विचलन और संगठित जीवन को सरलता से चलाने में बाधक शाक्ति के रूप में देखती है।[5] (Knudten & Schafter,1970.)

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की परिभाषाओं या वैधानिक विश्लेषणों के आधार पर इसके विषय में कोई स्पष्ट एंव सर्वमान्य अभिमत का निमार्ण नहीं किया जा सकता है। फिर भी वैधानिक रूप में बाल–अपराध उसे कह सकते हैं। जिसकी व्याख्या विधि में निहित है। अन्य शब्दों में, अल्पव्यस्कों, जिनकी आयु निर्धारित विधि सीमा में आती है, के द्वारा किये गये दण्डनीय कृत्य जो कि राज्य या स्थानीय प्रशासन के विधानों का उल्लंघन करते हैं, बाल–अपराध कहलाते हैं। अन्य शब्दों में जब किसी बच्चे के द्वारा कोई कानून–विरोधी कार्य या समाज विरोधी कार्य किया जाता है, तो इसे बाल–अपराध कहा जाता है।

बाल–अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषा :

(Sociological Definition of Juvenile Delinquency)

समाजशास्त्रीयदृष्टि से बाल–अपराध का अर्थ है– वे कार्य जो बालकों द्वारा समाज के नियमों व मान्यताओं के विरूद्ध किये गये हों। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ विद्वानों, जैसे सिरिल बर्ट (1955), गिलिन और गिलिन (1945), क्लिनार्ड (1957), हेकरवाल (1939) आदि ने बाल–अपराध को परिभाषित करने की कोशिश की है। उनके अनुसार एक बालक को अपराधी तभी माना जायेगा जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर रूप धारण लेती है कि उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है।

गिलिन एंव गिलिन के अनुसार, ''समाजशास्त्र की दृष्टि से बाल–अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है,जिसके व्यवहार को समाज अपने लिये हानिकारक समझता है और वह उसके द्वारा निषिद्ध है।''[6]

न्यूमेयर के अनुसार, ''एक बाल–अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज–विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लघंन है।''[7]

मोवरर के अनुसार, ''वह व्यक्ति जो जान–बूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है, जिससे उसका सम्बन्ध है,बाल–अपराधी कहलाता है।''[8]

प्रो.शेल्डन के अनुसार, ''बालक द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिक गम्भीर अपराध करना ही बाल–अपराध है।''[9]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बाल–अपराध के अन्तर्गत बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है। बालकों व किशारों के ऐसे व्यवहार जो लोक–कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं, जिससे समाज के व्यवहार नियामक आदेशों एवं आदर्शो का उल्लंघन होता है। और जिससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुँचती है, इन व्यवहारों को बाल–अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिये ऐसे बालक जो स्कूल से भाग जाते हैं, निरूद्देश्य इधर–उधर घूमते रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, आवारा लड़को के साथ रहते हैं, गलत आचरण करते हैं, किसी की सम्पति या जान–माल को क्षति पहुँचाते हैं, बाल–अपराधी की श्रेणी मे आते हैं। **रोबिनसन** के मत में आवारागर्दी, भीख माँगना, दुर्व्यहार, बुरे इरादे से शैतानी करना और उद्दण्डता बाल–अपराधी के लक्षण है।[10]

बाल–अपराध की कानूनी अवधारणाः (Legal Conception of Juvenile Delinquency)

वैधानिक दृष्टि से वे सभी बालक जो कानून का उल्लंघन करते हैं बाल–अपराधी माने जाते है। इस प्रकार कानूनी दृष्टिकोण से कुछ लेखको जैसेः रेकलेस (1970), एच.एच.लाऊ (1930), शेल्डन तथा ग्लूक (1957), शेफर तथा न्यूडेन (1970) आदि ने बाल–अपराध के कानूनी पक्ष अर्थात् किसी बालक द्वारा अपराधी कानून का उल्लघंन, पूलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी तथा बाल–न्यायालयों द्वारा उस बालक की दोष–सिद्धि की प्रमाणिकता को इस शब्द की उचित वैधानिक परिभाषा करने में महत्वपूर्ण समझते हैं।

सेठना के अनुसार, ''किसी बालक या तरूण के द्वारा किये गये गलत या अनुचित कार्य जो कि सम्बन्धित स्थान के कानून (जो उस समय लागू हो) के द्वारा निर्दिष्ट आयु–सीमा के अन्दर आते हो, बाल–अपराधी की श्रेणी में आते है।[11]

न्यूमेयर का कहना है कि बाल–अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यहार कानून को तोड़ने वाला है।[12]

सिरिल बर्ट का कहना है कि, ''तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज–विरोधी पृवत्तियाँ इतनी गम्भीर दिखायी दें उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है या की जानी चाहिये।[13]

सोल रूविन ने (1949:1) बाल–अपराध के कानूनी अर्थ को एक पंक्ति में व्यक्त करते हुए लिखा है कि, ''कानून जिस कार्य को बाल–अपराध मानता है वही बाल–अपराध है।''[14]

बाल–अपराधी के गलत व्यवहार (Misconduct) के प्रति वैधानिक धारणा में निम्नलिखित आवश्यकताओं पर बल दिया जाता हैः (1) प्रतिवादी (Defendent) के विरूद्ध एक विशेष आरोप लगाया जायेः (2) कानून में इसकी निश्चित परिभाषा दी जायेः (3) अपराध अनितम रूप से (Conclusively) सिद्ध हो जायेः (4) आरोपी (Accused) को मुकदमे की अवधि में झूठी, बहकाने वाली, असंगत और सार रहित गवाही द्वारा अभियुक्त ठहराया जाने से बचाया जाये।[15]

संक्षेप में कानूनी दृष्टिकोण में बालकों या किशोरों के वही आचरण बाल–अपराध की श्रेणी में आते है जो कानून द्वारा निषिद्ध हैं तथा जिनका आरोप वास्तव में सिद्ध हो जाये।

1.3बाल अपराधः आयु एंव व्यवहार (Juvenile Delinquency: Age & Behaviour)

बाल–अपराधियों के निर्धारण में आयु एंव व्यवहार को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किस आयु–समूह (Age Group) के बच्चे को बाल–अपराधी की श्रेणी में रखा जाये, इस विषय पर अलग–अलग देशों में अलग–अलग मत है।अमेरिका जैसे देश में जहाँ 7 वर्ष की उम्र का बालक अपराधी माना जा सकता है, वहाँ भारत के सन्दर्भ में किसी बालक को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता ,जब तक कि बालक इतना न समझे ले कि (1) वह जो कार्य कर रहा है वह क्या है, और (2) उस कार्य के क्या परिणाम हो सकते है? इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केन्द्रिय बाल अधिनियम, 1960 जो सभी केन्द्रशासित प्रदेशों पर लागू है, उसके अनुसार बाल–अपराधी 14 से 18 वर्ष की उम्र का हो सकता है, या माना जायेगा।[16]

प्रत्येक देश में बाल–अपराध की आयु–सीमा भिन्न–भिन्न होने के कारण बाल–अपराधियों की संख्या में भी अन्तर पाया जाता है।हालाँकि बाल–अपराध की निम्नतम आयु–सीमा अधिकांश देशों एंव भारतवर्ष में भी लगभग 7 वर्ष ही माना गया है।परन्तु,अधिकतम आयु–सीमा विभिन्न देशों में अलग–अलग है। उदाहरण के लिये अमेरिका के अधिकतर राज्यों में यह 18वर्ष है, किन्तु इंगलैण्ड में 17 वर्ष और जापान में 20 वर्ष है। भारत में बाल–अपराध के निर्धारण में निम्नांकित तथ्य महत्वपूर्ण है।:

(i) भारत में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कानून–विरोधी व्यवहार बाल–अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

(ii) भारत में बाल न्याय अधिनियम,1986 (Juvenile Justice Act,1986) जो कि अक्टूबर 1987 से लागू किया गया, के अनुसार 16 वर्ष तक के आयु के लड़कों एंव 18वर्ष तक की आयु की लड़कियों को अपराध करने करने पर बाल–अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।[17] बाद में बाल न्याय अधिनियम,2000 (Juvenile Justice Act, 2000) के लागू हो जाने से लड़के और लड़कियों दोनों के लिये यह उम्र–सीमा 18 वर्ष तय कर दी गयी है।[18]

(iii) केवल आयु ही नही बल्कि बाल–अपराध के निर्धारण में अपराध की गम्भीरता को भी महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। जैसे–7 से 18 वर्ष के लड़के एंव लड़कियों द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिये राज्य मृत्यु–दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता हो,जैसे–हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह बाल–अपराधी की श्रेणी में आयेगा।

व्यवहार(Behaviour) : बाल–अपराध के निर्धारण में आयु के साथ–साथ व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

सिरिल बर्ट ने व्यवहार की दृष्टि से उन बालको को बाल–अपराधी माना है जिनका आचरण समाज द्वारा इसलिये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वही दुर्व्यवहार उसे उपराध करने के लिये उत्तेजित कर सकता है।[19]

उदाहरण के लिये,ऐसे बच्चों को भी बाल–अपराधी माना जाता है,जो घर से भागकर आवारागर्दी करते हैं, स्कूल से बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहते हैं, माता–पिता अथवा संरक्षकों की आज्ञा का पालन नहीं करते, अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं।

वाल्टर रेक्लेस भी बाल–अपराध को व्यवहार के आधार पर इस प्रकार परिभाषित करते है, ''बाल–अपराध शब्द अपराधी विधि के उल्लघंन पर तथा उस व्यवहार पर लागू होता है जिसे बच्चों तथा किशोरों में समाज द्वारा अच्छा नहीं माना जाता।[20]

इसी प्रकार **पावर्स** तथा **विटमर** ने अपने अध्ययन में पाया कि बाल–अपराध को परिभाषित करने के लिये, तीन अवधारणाओं या प्रतिमानों पर विचार करना आवश्यक है–

(i) व्यवहार की गंभीरता या संघातकता

(ii) उसकी पुनरावृत्ति, तथा

(iii) अपराधी का वैधानिक समाज के प्रति दृष्टिकोण।

इन तीनों प्रतिमानों के आधार पर इन्होने बाल–अपराधियों को पाँच प्रमुख वर्गो में विभक्त किया है–

(1) अत्यधिक, (2) सामान्य, (3) अवसरयिक, (4) यदा–कदा, (5) अति–न्यून बाल–अपराधी।[21]

सुसमैनने बाल–अपराधियों के व्यवहारों की एक लम्बी समीक्षात्मक सूचि प्रस्तुत की है। इनमें प्रमुख हैः जो

कानून का उल्लघंन करेः

जो आदतन स्कूल से भागता होः

जो चोरो, दुष्चरित्र व अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता होः

जो सुधार से परे होः

जो माता–पिता व संरक्षको के नियंत्रण से बाहर होः

जिसका आचरण अनैतिक व अशोभनीय होः

जो ऐसे घरो में जान –बूझकर जाता हो

जो दुराचरण के लिये कुख्यात है,

जो सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार करता हो

जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता होः

जो अवैध व्यवसायो में रत हो;

जो कानून का उल्लंघन करने वाले स्थानों (मदिरालयों, जुआघरों, वैश्यालयों आदि) में जाता हो;

जो शिक्षालय या सार्वजनिक स्थलों पर दुराचरण का दोषी होः

जो भीख माँगता हो व शराब पीता हो मादक द्रव्यों व नशा लाने वाले पेय–पदार्थों का सेवन करता हो; आवारागर्दी करता हो;

जिसका आचरण स्वंय या अन्य किसी के लिये हानिकारक हो; आदि।

सुसमैन के अनुसार उपरोक्त विशेषताओ को प्रदर्शित करने वाले व्यहार जो कानून की अवज्ञा करने वाले व समाज–विरोधी होते है, बाल–विरोधी होते है,बाल–अपराध की श्रेणी में रखे जा सकते है।[22]

सार रूप में यही कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा निर्धारित आयु–सीमा में आने वाला बालक जो अपने व्यवहार के द्वारा कानून का उल्लंघन करता है और यह उल्लंघन उसकी आदत सी बन गई, बाल–अपराधी माना जायेगा।

1.4 भारत में बाल अपराधः

भारत में बाल–अपराध से सम्बन्धित आँकड़े स्पष्ट नहीं है।भारत में सन् 2000 तक बाल–अपराध से सम्बन्धित आँकड़े बाल–अपराध न्याय अधिनियम (juvenile Justice Act,1986)अनुसार एकत्र किये गये,जिसके अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियो को बाल–अपराधी की श्रेणी में रखा गया था। सन् 2000 में बाल–अपराध न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया और लडके तथा लडकियो दोनो के उम्र 18 वर्ष कर दिया गया। इससे बाल–अपराध से सम्बन्धित ऑकडे काफी कुछ बदल गये। साथ ही बाल–अपराध से सम्बन्धित बहुत सारे मामले पुलिस में विभिन्न कारणों से दर्ज ही नहीं कराये जाते है। बाल–अपराध से सम्बन्धित अनुपयुक्त आँकडो के लिये पुलिस द्वारा बाल–अपराधियों को पकड़ने में अरूचि, उनका अनुपयुक्त प्रशिक्षण, अक्षमता एंव जनता के द्वारा सहयोग का अभाव भी उत्तरदायी है। अतः प्रतिवर्ष भारत में बाल–अपराध से सम्बन्धित जितने मुकदमे दर्ज किये जाते है, बाल–अपराधियों की वास्तविक संख्या साधारणतः उनसे कई गुणा अधिक होती है।

भारत में बाल–अपराध का प्रतिशतः

भारतीय दण्ड संहित (Indian Penal Code) के अन्तर्गत दर्ज अपराधों में 1997से 2000 तक, बाल–अपराधियों का प्रतिशत लगभग 0.5 प्रतिशत ही पाया गया। बाल–अपराध का प्रतिशत सन् 2001 में बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गया। सन् 2002 में इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई यह बढ़कर 1.0 प्रतिशत हो गया। परन्तु, सन् 2003, 2004 और 2005 में लगभग 1.0 प्रतिशत पर ही स्थिर रहा।[23] बाल–अपराध के प्रतिशत में दर्ज वृद्धि के लिये बहुत हद तक जिम्मेदार बाल–अपराध न्याय अधिनियम, 2000 का वह प्रावधान है जिसमें बाल–अपराध की परिभाषा में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़को को शामिल कर लिया गया है। जबकि पहले लड़को के लिये आयु सीमा 16 वर्ष ही थी। जहाँ तक अपराध दर का सवाल है, बाल– अपराध की दर 1999 और 2000 तक लगभग 0.9 प्रतिशत रहा। सन् 2001 से 2005 तक यह क्रमशः 1.6, 1.8, 1.7, 1.8 और 1.7 के दर से घटते–बढते रहा।[24]

भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित आँकडों के अनुसार जहाँ सन् 1995 में भारतीय दंड संहिता के तहत बाल–अपराध के 9,766 मामले दर्ज हुए,वहीं सन् 2005 में बाल–अपराध के 18,939 मामले दर्ज हुए जो कुल दर्ज अपराध (18, 22, 602) का लगभग एक प्रतिशत है। वहीं सन् 2012 में बाल–अपराध के 27936 मामले दर्ज हुए जो कुल दर्ज अपराध (2387188) का लगभग एक प्रतिशत है।[25]

बाल अपराध में विभिन्न राज्यों की स्थितिः (2012)

जहाँ तक भारत के विभिन्न राज्यों में दर्ज बाल–अपराधियों की संख्या को देखें तो, मध्य–प्रदेश (6,488), महाराष्ट्र (6,630), छत्तीसगढ़ (2,502), गुजरात (2,406), राजस्थान (2,551) और आँध्र–प्रदेश (1,186), का स्थान ऊपर आता है। सन् 2012 में केवल इन छः राज्यों में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत 74.8 प्रतिशत बाल–अपराध दर्ज किये गये है। इन दर्ज अपराधों में ज्यादातर मामले चोरी (4,846), चोट या क्षति पहुँचाना (2,979), सेंधमारी (2,270), और दंगा–फर्साद (934), के थे, जो कि कुल मिलाकर भारतीय दंड संहिता के अन्तगर्त दर्ज समस्त बाल–अपराधों का लगभग 58.2प्रतिशत है।[26]

जहाँ तक बाल–अपराधियों द्वारा बलात्कार के अपराध का मामला है, सन् 2012 में कुल 586 मामले भारत वर्ष में दर्ज किये गये। इसमें सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश (145) में दर्ज हुए। इसके बाद छत्तीसगढ़ (86) का स्थान रहा। ये कुल बलात्कार के मामलों का क्रमशः लगभग 24.7 प्रतिशत तथा 14.7 प्रतिशत है। उसी प्रकार चोरी के अधिकांश मामले महाराष्ट्र (1251) में दर्ज हुए जो कि पूरे भारत में दर्ज चोरी के मामले (4846) का 25.8 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मध्य–प्रदेश (564) तथा आँध्रप्रदेश (517) का स्थान है और इनका प्रतिशत क्रमशः 11.6 प्रतिशत तथा 10.7 प्रतिशत है।

जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, सन् 2005 में 1,324 बाल–अपराध के मामले यहाँ दर्ज हुए, जो कि भारत में दर्ज कुल बाल–अपराध (18,939) का 7.0 प्रतिशत है। इनमें हत्या (Murder) के 33, हत्या के प्रयास (Attempt to murder) के 56, अपहरण (Kidnapping) के 14, जुआ (Gambling) के 21, उत्पाद अधिनियम (Excise Act) के 27,अवैध हथियार रखने (Arms Act) के 09, नारकोटिक ड्रग्स (Narocotic Drugs & Psychotropic Substances Act) के 07 मामले दर्ज हुए। हालाँकि ज्यादातर मामले चोरी (Theft), चोट या क्षति पहुँचाने (Hurt), सेंधमारी (Burglary) और दंगा–फसाद (Riot) आदि के ही दर्ज किये गये।

1.5 भारत में बाल–अपराध की विशेषताएँ :

वैसे तो दुनिया के हर देश में बाल–अपराध की कुछ सामान्य विशेषताएँ देखने को मिलती है, परन्तु साथ ही उनमें विभिन्नता भी पायी जाती है। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारे यहाँ बाल–अपराध की निम्नलिखित विशेषताएँ देखने को मिलती हैं :

(1) हमारे देश मे कस्बों और ग्रामों की तुलना में नगरों और महानगरों में बाल–अपराध अधिक होते है। बड़े– शहरों और महानगरों जैसेदिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, चण्डीगढ़, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, हैदराबाद आदि में बाल–अपराध अधिक होते है। शहरों और महानगरों का भीड़–भाड युक्त वातावरण, गन्दी बस्तियाँ, अश्लील एंव अपराधी चलचित्र, मादक द्रव्यों एंव नारकोटिक ड्रग्स की उपलब्धता, विलासपूर्ण जीवन, बेकारी, एंव नितान्त गरीबी, अपराधी उप–संस्कृति आदि बाल–अपराध को प्रोत्साहित करते हैं।

(2) लड़को में लड़कियों की तुलना में बाल–अपराध अधिक पाये जाते हैं। भारत के रजिस्ट्रार–जनरल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1995 में बाल–अपराध के कुल 14,542 मामले दर्ज हुए, जिनमें लडकियों के द्वारा किये गये बाल–अपराध (4,251) का प्रतिशत 22.6 रहा। हालाँकि सन् 2005 में कुल 30,606 बाल–अपराध दर्ज हुए जिनमें लड़कियों द्वारा किये गये बाल–अपराध (2,075) का प्रतिशत घटकर 6.3 पर आ गया। वहीं सन् 2012 में कुल 35,465 बाल–अपराध दर्ज हुए जिनमें लड़कियों द्वारा किये गये बाल–अपराध (1672) का प्रतिशत घटकर 2.3 पर आ गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत में ज्यादातर बाल–अपराधी लड़के ही होते है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि हमारे देश में लड़कियों पर सामाजिक नियन्त्रण अधिक होता है, उन्हें घर से बाहर जाने की और उन्मुक्त जीवन जीने की स्वतन्त्रता कम मिलती हैं, अपनी दिनचर्या घर तक ही सीमित रखनी पड़ती है। जबकि लड़कों पर इस तरह की पांबदियाँ कम लगी होती है, वे बाह्य जीवन में अधिक भाग लेते हैं, मुक्त वातावरण में रहते है, शारीरिक दम–खम भी ज्यादा होता है, और गलत संगति का ज्यादा शिकार भी वही होते हैं।

(3) भारत में अधिकतर बाल–अपराध आर्थिक प्रकृति के होते है। उदाहरण के लिये बाल–अपराध के ज्यादातर मामले चोरी, सेंधमारी, झगड़े–फसाद, लूट–मार, हत्या एंव राहजनी आदि के दर्ज होते है। 1995 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों (9,766) में से सबसे अधिक सम्पति सम्बन्धी थे – जैसे : चोरी – 29.0 प्रतिशत, सेंधमारी 13.2 प्रतिशत, लूटमार 0.8 प्रतिशत और डकैती 0.6 प्रतिशत।[27] इसका मुख्य कारण हमारे यहाँ पायी जाने वाली गरीबी, बेकारी, परिवार की छिन्न–भिन्न अवस्था, गन्दी बस्तियाँ, अकाल, बाढ़, महँगाई आदि के है।

(4) बाल–अपराध व्यक्तिगत रूप से कम किये जाते है। ज्यादातर बाल–अपराध गिरोह (Gang) के साथ मिलकर किये जाते हैं। गिरोह द्वारा उन्हें संरक्षण एंव प्रशिक्षण दोनों प्राप्त होता है।

(5) शिक्षित बालकों की तुलना में अशिक्षित बालकों द्वारा अधिक अपराध किये जाते है। भारत में पकड़े जाने वाले बाल–अपराधियों में औसत रूप से 42 प्रतिशत अशिक्षित तथा 52 प्रतिशत प्राथमिक,माध्यमिक एंव सैकण्ड्री तक शिक्षित होते हैं। ।[28]

(6) अधिकांश बाल–अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु में ही किये जाते है। हालाँकि सन् 2000 में पारित बाल–अपराध न्याय अधिनियम में बाल–अपराधियों की उच्च सीमा 18 वर्ष कर देने से 16 से 18 वर्ष तक के बालकों द्वारा किये गये बाल–अपराधों का प्रतिशत (54–9) प्रतिशत सबसे ज्यादा हो गया है (सन् 2012की गणना के अनुसार)। 12–16 वर्ष के आयु–समूह में सन् में 2012 में 40.1 प्रतिशत तथा 7–12 वर्ष के आयु–समूह में 5.0 प्रतिशत बाल–अपराधी दर्ज किये गये हैं।

(7) बाल–अपराध ज्यादातर निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों में पाये जाते हैं। एस. सी.वर्मा[29], सुशील कुमार, हन्सा सेठ[30] और रतन शा[31]के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बाल–अपराधियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा निम्न स्तर के या गरीब परिवारों में पाया जाता है।

(8) भारत में लगभग 81.1 प्रतिशत बाल–अपराधी पहली बार अपराध करने वाले होते है और केवल 10 प्रतिशत ही आदतन अपराधी होते हैं। पिछले दशक में लगभग 87 प्रतिशत बाल–अपराध पहली बार ही अपराध करने वालों का था।

(9) कुल बाल–अपराधियों में से लगभग आधे अनुसूचित जाति एंव जनजाति के पाये गये। उच्च या सवर्ण जाति के बालकों में बाल–अपराध की प्रवृति कम पायी गयी।

1.6 अध्ययन का महत्व :

प्रस्तुत अध्ययन बाल–अपराध जैसे समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विगत वर्षो में बाल–अपराध की घटनाएँ जटिल औद्योगिक समाजों में तेजी से बढी हैं। कम उम्र के बालक–बालिकाओं में विभिन्न तरह के अपराधों के प्रति बढता रूझान शोध का विषय है।बार्नस (Barnes, 1939)[32] के अनुसार, ''आवश्यकता और लालच अधिकतर अपराधों की व्याख्या करते हैं।'' विभिन्न देशों की सरकारें और स्वयसेवी संस्थाएँ बालकों में अपराध की बढती घटनाओं को रोकने का भरसक प्रयत्न समय–समय पर करती रही है। परन्तु, इन तमाम कोशिशों के बावजूद

बाल–अपराध की समस्या गंभीर बनी हुयी है और इसके समाधान के लिये तरह–तरह के प्रयोग जारी है। हमारे देश में भी बाल–अपराध की समस्या निरन्तर ज्यों की त्यों बनी हुयी हैं। यहाँ तक की 14 वर्ष तक के बालकों के लिये अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर देने और बालको के हित में तरह–तरह के कानून बना देने के बाद भी बाल–अपराध की दर स्थिर बनी हुयी है। साथ ही बालकों में गंभीर अपराधों, जैसे–हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, मादक–द्रव्यों का सेवन आदि के प्रति रूझान बढ़ा है, जो हमारे समाज और सरकार के लिये चिन्ता का विषय है।

इस प्रकार हम देखते है कि बाल–अपराध आधुनिक जटिल और औधोगिक समाजों के लिये एक चुनौती बनकर उभरी है। हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक ताना–बाना बच्चों को सही संस्कार दे पाने में असफल हो रहा है। अतः आज के जटिल और तीव्र गति से परिवर्तनशील समाजों में बाल–अपराध जैसी समस्या का गहन विश्लेषण काफी प्रासंगिक हो जाता है। इस समस्या का वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हमें इसकी जड़ों तक पहुँचने में मदद कर सकता है।इस प्रकार हम देखते है कि प्रस्तुत अध्ययन बहुत हद तक समसामयिक और प्रासंगिक है।

References

सन्दर्भ

1. **Chandra,Sushil.**1967.'Sociology of Deviation in India',Allied Publisher,Bombay, p.1.
2. **Burt,Cyril**.1944. 'The Young Deliquent', University of London Press, London.
3. **Jones** 'Juevenile Delinquency' and Law, P.9
4. Quoted by **Calvert**, 'Capital Punishment in the 20th Century', P.5
5. **Knudten and Schafter**.1970. 'Juvenile Delinquency'; An Introduction, Random House, New York, P.29.
6. **Gillin & Gillin**.1945.'Criminology and Penology' (3rd Ed.) New York: Appleton Century.
7. **Neumayer, Martin H.**1961. 'Juvenile Delinqueny in Modern Society', New York.

8. **Mowrer.**1969. 'Disorganization: Social and Personal'.

9. **Sheldon and Glueck**.1950. 'Unravelling Juvenile Delinquency', Cambridge,

10. **Sharma,Virendra Prakash**. 2006. 'Social Problems in Contemporary India', Panchsheel Prakashan, Jaipur, , P.254

11. **Sethna,M.J.**1952. 'Society and the Criminal Leaders,' Press Ltd., Bombay, P.315.

12. **Neumeyer.**1961. 'Juvenile Delinquency in Modern Society'.

13. **Burt,Cyril**.1944.'The Young Delinquent', London, P.15.

14. **Kumari,Manju**. 2000.'भारत में बाल अपराध', Printwell Publishers, Jaipur, P.4.

15. **Ahuja, Ram & Ahuja, Mukesh.**2006. 'विवेचनात्मक अपराधशास्त्र', Rawat publications, Jaipur, P.116.

16. **Sharma,Virendra Prakashan**.2006. 'समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएँ', पंचशील प्रकाशन, जयपुर, P.59.

17. Juvenile Justice Act, 1986.

18. Juvenile Justice Act, 2000.

19. **Burt,Cyril**.1955. 'The Young Delinquent', London, P.15.

20. **Reckless, Water C**.1956. 'Handbook of Practical Suggestions for the Adult and Juvenile offender', Govt. of India, P.3.

21. **Powers, Edwin and Helen, Witmer** .1951.'An Experiment in the Prevention of Delinquency', New York,

22. **Sussman, F.B.** 1959. 'Law of Juvenile Delinquency', The Laws of the Forty Eight States, New York.

23. Report on 'Juvenile Delinquency', Published by the Registrar General of India.

24. Ibid

25. Ibid

26. Ibid

27. **Gupta, M.l. & Sharma, D.D.** 2005.'भारतीय सामाजिक समस्याएँ', साहित्य भवन पब्लिकेशनए आगरा, P.75

28. Ibid, P.76

29. **Verma, S. C.** 1969. 'The Young Delinquent', A Sociological Enquiry, Lucknow, Pustak Kendra.

30. **Hansa Sheth.** 'Juvenile Delinquency', PP. 132-133.

31. **Ruttonshah. G.N.** 'Juvenile Delinquency and Destitution in Poona', P. 47.

32. **Barnes, H.E.** 1939. 'Society in Transition', New York.

==========

द्वितीय अध्याय

शोध– प्रविधि एवं तथ्य – संकलन के उपकरण

2.1 अध्ययन के उद्देश्य

2.2 प्रस्तावित अनुसंधान कार्य का महत्व

2.3 अनुसंधान प्रश्न

2.4 अनुसंधान अन्तराल

2.5 उपकल्पना

2.6 समग्र

2.7 तथ्यों का विश्लेषण

2.8 अध्ययन का क्षेत्र

2.9 निदर्शन

2.10 अनुसंधान तकनीक एवं उपकरण

2.11 साहित्य समीक्षा

2.12 अध्ययन की सीमायें

द्वितीय अध्याय

शोध– प्रविधि एवं तथ्य – संकलन के उपकरण
Research Method and Tools of Data Collection

प्रस्तुत अध्ययन बाल अपराध की समस्या का अन्वेषणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल अपराध की समस्या अति प्राचीन काल से ही हर समाज में विद्यमान रही हैं, परन्तु उसकी परिभाषा और स्वरूप में समय समय पर बदलाव आते रहे हैं। बालकों द्वारा समाज– विरोधी कार्य सदा से ही चले आ रहें हैं,किन्तु वर्तमान समय की भॉति यह समस्या इतने गंभीर रूप में मौजूद नहीं थी । वर्तमान समय में किशोरों में अपराधी प्रवृत्ति का पाया जाना एक आम बात हैं। आज का समाज बहुत ही व्रीव गति से असंतुलित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इससे समाज में व्याप्त सांमजस्य कमजोर हुआ हैं। वर्तमान समाज संक्रमण के दौर से भी गुजर रहा है। ऐसी स्थिति मे बालकों और युवकों के व्यक्तित्व में भी असांमजस्य व्यापक रूप से पाया जाने लगा हैं। ऐसी स्थिति मे आज की युवा और किशोर आसानी से अपराध की ओर प्रवृत्त होने लगे हैं इनसे बढ रहे अपराधी –प्रवृत्ति को रोकना वर्तमान समय की एक बडी चुनौती हैं। प्रस्तुत अध्ययन बाल अपराध की समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने का एक प्रयास हैं।

2.1अध्ययन के उद्देश्य

(Objectives of the study)

प्रस्तुत अध्ययन निम्न उद्देश्य को ध्यान में रखकर सम्पन्न किया गया हैंः–

1.बाल–अपराधियों की सामाजिक –आर्थिक पृष्ठभूमि किस प्रकार उन्हें अपराध कीओर प्रवृत्त होने में सहायक या बाधक होती हैं उस बात का पता लगाना इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

2.बाल–अपराध की उत्पत्ति में आधुनिक सूचना – तकनीक का फैला जाल प्रवृत्ति, कम्प्यूटर ,इन्टरनेट ,मीडिया मोबाईल बाइक संस्कृति आदि के प्रभावों का मूल्याकंन करना भी इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य हैं।

3.बाल– अपराध के उत्तरदायी कारकों की खोज करना एंव उनका विश्लेषण करना ।

4.बाल सुधार गृहों की सुधार–व्यवस्थाका मूल्याकंन करना एवं बाल–सुधार गृहों में बाल–अपराधियों का संस्थागत जीवन से समायोजन–असमायोजन का अध्ययन करना ।

5. बाल–अपराध और सामुदायिक कारकों के अन्तः संबंध का पता लगाना ।

6. बाल–अपराध में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए,सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने एंव समस्या के समाधान हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत करना।

7. बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियों को समझना।

2.2प्रस्तावित अनुसंधान कार्य का महत्व : (Importance of Proposed Research Work.)

प्रस्तावित शोध कार्य निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैंः–

1. प्रस्तुत अध्ययन अपराधशास्त्र (Criminology) विषय के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बाल – अपराध की उभरती प्रवृत्तियों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से किया गया अध्ययन अपराधशास्त्र विषय के लिए बाल–अपराधियों से जुड़े विभिन्न पक्षों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने में महत्वपूर्ण होगा।

2. प्रस्तुत अध्ययन बाल– अपराध से जुड़े नीति – निर्धारकों और कानून–निर्माताओं के लिए भी सहायक हैं,क्योंकिवर्तमान परिस्थितियों में बाल–अपराध की प्रकृति और प्रवृत्तियों मे काफी

बदलाव आया है, जिसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों और सुक्षावों के रूप मे प्रस्तुत किया गया हैं।

3. बाल –अपराध के ऊपर किया गया यह शोध – कार्य भविष्य में इस विषय पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

4. बाल – अपराध की उभरती प्रवृत्तियों की जॉच पड़ताल कर बाल– अपराध की रोकथाम और बाल – अपराधियों का समाज से पुर्नसमायोजन के संदर्भ में कुछ ठोस रचनात्मक सुक्षाव प्रस्तुत किये गये हैं।

2.3अनुसंधान प्रश्न (Research Questions)

1. प्रस्तुत शोध – कार्य में इस प्रश्न की पड़ताल की गई हैं कि आधुनिक जीवन – शैली में कम्प्युटर मीडिया , इन्टरनेट , मोबाइल और बाइक संस्कृति आदि ने बाल – अपराध की उभरती प्रवृतियों कों किस हद तक प्रभावित किया हैं।

2. वर्तमान सन्दर्भ में बाल – अपराध की प्रकृति भी काफी हद तक बदली हैं। प्रस्तुत शोध में बाल – अपराध की प्रकृति में क्या बदलाव आये हैं और उनके लिए जिम्मेदार कौन है ? इस प्रश्न कों भी जॉचने का प्रयास किया गया हैं।

3. सामाजिक आर्थिक प्रष्ठभूमि तथा अन्य सामुदायिक कारक ,जैसेः परिवार पड़ौस , स्कूल कोचिगं संस्थान आदि बाल – अपराध को किस हद तक प्रभावित करतें हैं। इस प्रश्न को भी जॉचने का प्रयास किया गया हैं।

4. बाल– सुधार गृहों की कार्य प्रणाली किस हद तक बाल–अपराधियों के सुधार और भविष्य में संस्थागत समायोजन में सहायक है, इस प्रश्न का भी पड़ताल किया गया हैं।

2.4अनुसंधान अन्तराल ;(Research Gap):

(i) बाल–अपराध सम्बन्धी अब तक किये गये अधिकांशतः अध्ययन सामाजिक-आर्थिक , पारिवारिक या सामुदायिक कारकों पर केन्द्रित रहे है। सूचना- तकनीक क्रांति, मीडिया, आधुनिक जीवन शैली, भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी संस्कृति इत्यादि आज बाल–अपराध में वृद्धि के लिए भी बहुत हद तक उत्तरदायी/सहायक है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराध के लिए जिम्मेदार इन कारकों का विश्लेषण भी विशेष रूप से किया जायेगा।

(ii) पूर्व में किए गए अध्ययन तत्कालीन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में उपलब्ध है, लेकिन सूचना प्रोद्योगिक क्रान्ति, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रभावों के फलस्वरूप होने वाले बाल–अपराध की प्रकृति पर अध्ययन प्रकाश में नहीं आये हैं।

(iii) मोबाइल एवं बाइक के प्रति विशेष आकर्षण युवाओं में बढ़ता जा रहा है। इसके दुष्परिणाम को बाल–अपराध के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में अब तक कोई भी अध्ययन नहीं हुआ है।

2.5 उपकल्पना (Hypotheses)

1. आधुनिक जीवन – शैली में कम्प्यूटर मीडिया , इन्टरनेट , मोबाइल और बाइक इत्यादि का व्यापक प्रसार बाल– अपराध की प्रकृति और उभरती प्रवृतियों को प्रभावित करते हैं।
2. समाजिक–आर्थिकपृष्ठभूमि तथा अन्य सामुदायिक कारक बाल–अपराध को प्रभावित करते हैं।

2.6समग्र (Universe)

विगत वर्षों में कोटा शहर के अन्दर काफी परिर्वतन आये हैं। शहर का परिदृश्य काफी बदल गया है तथा यह भारत के बड़े नगरों की श्रेणी में आ गया हैं। शहर में लाखों की संख्या में छात्र – छात्राएँ विभिन्न स्कूलों एंव कोचिंग संस्थाओं में पढ रहे हैं। सैकडों की संख्या में यहॉ स्कूल तथा कोचिंग संस्थाएँ खुली हुई हैं। प्रस्तुत शोध में कोटा शहर में रह रहे सम्पूर्ण किशोरों को एक समग्र के रूप में लिया गया हैं।

2.7तथ्योंका विश्लेषणAnalysis of Data):

प्रस्तुत अध्ययन में200 बाल– अपराधी जिनमें कोटा, नयागाँव स्थित बाल–पर्यवेक्षण गृह के150 लड़के बाल–अपराधी तथा कोटा, नान्ता स्थित किशोरियों के बाल–पर्यवेक्षण गृह के 10 बाल–अपराधियों और कोटाके40 विभिन्नकच्ची-बस्तियों और कोचिंग संस्थाओंसे भी विचलनकारी गतिविधियों में संलग्न बालकों सेसूचनाएँ ली गईहैं। बाल–अपराधियों से प्राप्त तथ्यों को विश्लेषण का आधार बनाया गया है । अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार विशिष्ट वर्गों में रखा गया है । शोध के ऑकडों को प्रस्तुत करने में समाज वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण प्रणालियों जैसे– वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकीय विश्लेषण आदि का प्रयोग किया गया है। शोध के उद्देश्य के अनुकूल तथ्यों को वर्गीकृत करते हुए उन्हें सरल एवं सह–सम्बन्धात्मक सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है । सम्पूर्ण तथ्यों को प्रतिशत के आधार पर विवेचित करते हुए सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। विभिन्न स्वतंत्र चरों जैसे आयु, शिक्षा, जाति, धर्म, लिंग, परिवार का प्रकार आदि को अन्य चरों के साथ सह–सम्बन्धात्मक रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया गया है।

इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण के द्वारा विभिन्न सैद्धान्तिक अभिनामों एवम् अवधारणाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करने तथा शोध के निष्कर्षों को व्यापक और विश्वशनीय बनाने का प्रयास किया गया है।

2.8अध्ययन का क्षेत्र (Area of the study):

कोटा शहर में बाल अपराधियों के लिए नयागॉव (रावतभाटा रोड़) में बाल –पर्यवेक्षण गृह खुला हुआ है, जहॉ विभिन्न तरह के अपराधों में संलिप्त – बाल – अपराधी रखे जाते हैं। साथ ही लडकियों के लिए नान्ता (कुन्हाडी) में स्थित नारी –निकेतन में पृथक बाल– पर्यवेक्षण – गृह खोला गया है, जहॉ विभिन्न अपराधों में संलिप्त किशोरियाँ रखी जाती हैं। शहर में खिलती कलियाँ जैसी सामाजिक संस्थाऐं भी कार्य कर रही हैं जो अनाथ , घर से भागे हुए एवं समाज द्वारा उपेक्षित बच्चों की देखभाल में संलग्न हैं। साथ ही शहर के विभिन्न थानो में समय–समय पर दर्ज बाल–अपराध के मामले सम्बन्धित बाल– अपराधियों के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएँ प्राप्त की गई हैं। साथ ही शहर के विभिन्न स्कूलों एंव कोचिंग संस्थाओं से भी विचलनकारी गतिविधियों में संलग्न बालकों की सूचनाएँ ली गई हैं। शहर में स्थित कच्ची बस्तियों , जैसे –बापू नगर हरिजन बस्ती , संतोषी नगर , दुर्गा नगर , उड़िया बस्ती आदि से भी विचलनकारी गतिविधियों में संलग्न किशोरों के बारे में भी सूचनाएँ एकत्रित की गयी हैं।

2.9निदर्शन (Sample)

शोध कार्य के लिए दो सौ बाल–अपराधी बच्चों का दैव निदर्शन (Randam Sample) के अकंन प्रणाली विधि का प्रयोग करते हुए चयन किया गया हैं। चयन में कोटा शहर के बाल– पर्यवेक्षण गृहों , स्कुलों , कोचिंग संस्थाओं ,कच्चाी बस्तियों आदि से विभिन्न बाल–अपराधियों का चयन किया गया है। इसमें उन विचलनकारी गतिविधियों में संलग्न बालकों को भी लिया गया है जो समाज की दृष्टि से विचलनकारी गतिविधियों में संलग्न है।

2.10अनुसंधान तकनीक एवं उपकरण(Methodology & Tool of Research)

प्रस्तुत अध्ययन अन्वेषणात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार और कुछ हद तक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति (Case Study Method) का इस्तेमाल किया गया है साथ ही पर्यवेक्षण गृह में जाकर बाल– अपराधियों के क्रिया–कलाप और अन्य गतिविधियों का सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग करते हूए अध्ययन किया गया है।

अन्वेषणात्मक शोध (Exploratory Research)

अन्वेषणात्मक शोध को निरूपतामक (Formulative) शोध भी कहते है। इसका उद्धेश्य किसी समस्या के सम्बन्ध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राक्कलपना (Hypothesis) का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना है। ऐसे शोध के लिए कुछ अनिवार्य दशाएँ – सम्बद्ध साहित्य का अघ्ययन , अनुभव सर्वेक्षण, सही सुचनादाताओं का चुनाव आदि महत्वपूर्ण हैं।

साक्षात्कार (Interview)

साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारो , विश्वासो , मूल्यों , भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य को ज्ञात करना होता हैं। प्रस्तुत अध्ययन मे साक्षात्कार विधि का प्रयोग अनुसूचि की सहायता से किया गया है।

अनुसूचि (Schedule)

अनुसूचि से द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया गया है। इसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एंव सारणीयन बहुत – आसान हो जाता है , साथ ही विश्वसनीय एंव प्रमाणिक सूचनाओं के प्राप्त होने की संभावना बढ जाती है।

अवलोकन (Observation)

प्रस्तुत अध्ययन में बाल– अपराधियों के दिन– प्रतिदिन के क्रिया –कलापों और गतिविधियों वर्ग अध्ययन पर्यवेक्षण गृह के अन्दर सहभागी अवलोकन पद्धति के द्वारा भी किया गया । इससे उनके व्यवहारिक समायोजन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियॉ प्राप्त की गयी ।

कार्य –कारण अथवा पारस्परिक संबधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से धटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है।

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति (Case Study Method):

प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन के अलावा कुछ बाल–अपराधियों का व्यक्तिक अध्ययन पद्धित के द्वारा व्यापक, सूक्ष्म एंव गहन अध्ययन भी किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में कुछ बाल– अपराधियों का वैयक्तिक अध्ययन पद्धति (Case Study Method) से भी अध्ययन किया गया है, जो कि अपराध मे मूल कारणों और परिस्थितियों का आकंलन करने मे काफी सहायक रहा।

इस प्रकार निम्नलिखित अनुसंधान तकनीकों के द्वारा प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित किया

गया । फिर भी अपराध जैसे विषय पर बाल– अपराधी सही –सही सूचना देने में काफी संकोच और भय का अनुभव करते है। अतः द्वैतीयक तथ्यों के सकंलन का प्रयास भी विश्वशनीय सूत्रों के द्वारा किया गया है। बाल– अपराधियों के पुलिस – रिकार्ड , बाल –न्यायालय की सुनवाई और निर्णय द्वारा तथा विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के बाल–सुधार गतिविधियों और सुचनाओं के माध्यम से भी द्वैतीयक तथ्यों की जानकारी ली गयी है। बाल–पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक से भी बाल – अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने का प्रयास किया गया है।

उपकल्पना (Hypotheses)

समाजशास्त्रीय शोधों में उपकल्पना का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी समाजिक स्थिति या घटना के बारे में अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि समस्या की उत्पत्ति ,विकास और स्थायित्व के लिए कुछ उत्तरदायी कारकों को कल्पित कर दिया जाये, जिसके आधार पर अध्ययन को एक सुचारू दिया प्रदान किया जा सके । गुडे एवं हार ने लिखा है कि ,''उपकल्पना अनुसंधान और सिद्धान्त के बीच एक आवश्यक कडी है जो ज्ञान – वृद्धि की खोज में सहायक होती है।''

प्रस्तुत अध्ययन में भी कुछ अपकल्पनाओं का निमार्ण विभिन्न चरों के बीच संबंधो की जाचँ करने के लिये किया गया है, जो कि इस प्रकार हैः

2.11साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

भारत में और विदेशों में बाल–अपराध विषय पर अनेक अध्ययन किये गये है। अपराध में बालकों की सहभागिता के बारे में अनेक निष्कर्ष निकाले गये है। इन देश–विदेश में हुए अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

बाल–अपराध अध्ययन के क्षेत्र में **हीले एण्ड ब्रोनर** ;(1926,1915)**सिरिल बर्ट** ;(1955), **ग्लूक एण्ड ग्लूक** ;(1950,1934) का विशेष योगदान रहा है। इन विद्वानों ने बाल–अपराध की समस्या पर विशेष प्रकार डाला है तथा निर्धनता और भग्न–परिवार को बाल अपराध का मुख्यकारण माना।

दुर्खीम (1893) पहले समाजशास्त्री थी, जिन्होंने समाज में विसंगति तथा आदर्शविहीनता को अपराधी व्यवहार का महत्वपूर्ण कारक माना है। दुर्खीम की एनोमी की अवधारणा को **मर्टन**;(1938) ने आगे बढ़ाया। मर्टन का कहना है कि कुछ सामाजिक संरचनायें समाज में कुछ बालकों पर अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा प्रतिकूल व्यवहार करने के लिए निश्चित दबाव डालती है।

क्लिनार्ड[1]ने दुर्खीम, मर्टन तथा पाटसंस की तरह "एनोमी" की अवधारणा के आधार पर बाल–अपराध को समझाने का प्रयत्न किया। क्लिनार्ड ;(1975) ने विचलित व्यवहार के सन्दर्भ में बाल–अपराध को समझाया और यह दिखाने का प्रयास किया कि बालक विचलित व्यवहार क्यों करता है? आपके अनुसार प्रत्येक समाज में बालके के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए कुछ मूल्य विद्यमान होते है और उन्हीं मूल्यों के अनुसार बालक को व्यवहार करना होता है, किन्तु बालक के सामने अनेक ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि वह समाज द्वारा स्वीकृत मूल्य प्रतिमानों के अनुरूप अपनेव्यवहार को एक अपेक्षित ढाँचे में ढालने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में अपेक्षा के विरू(उसका व्यवहार विचलित व्यवहार कहलाता है और यही विचलित व्यवहार जब आदत का रूप ले लेता है तो यह अपराध कहलाता है।

सदरलोड[2];(1965) का विभिन्न–विसर का सिद्धान्त तथा **शॉ मेक्के**;(1942) का सांस्कृतिक–स्थानान्तरण का सिद्धान्त अपराधी व्यवहार में पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है। इन दोनों ही विद्वानों क अनुसार बाल–अपराधिता एक समूह से दूसरे समूह को हस्तान्तरित होती रहती है तथा बालक किस प्रकार एक दूसरे के सम्पर्क में आकर अपराध करना सीखता है।

क्लोवार्ड और **ओहलिन**[3];(1960) ने अपराधी–उपसंस्कृति के सम्बन्ध में विभिन्न–अवसर का सिद्धान्त दिया। विभिन्न अवसर का सिद्धान्त बड़े–बड़े नगरों में निम्नवर्गीय क्षेत्रों में किशोरों के अपराधी व्यवहार को लेकर विकसित किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार हर व्यक्ति की समाज के वैध और अवैध अवसर व्यवस्था में एक स्थिति

होती है। इसी स्थिति के आधार पर वह अपनी अभिलाषाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा अपने को समाज में समायेाजित करता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों और अभिलाषाओं को वैध अवसरों द्वारा प्राप्त नहीं कर पाता तो उसमें निराशा उत्पन्न हो जाती है। यह निराशा ही उसके विचलित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है।

भारत में बाल–अपराध विषय पर किये गये शोध कार्य :–

एस.पी.श्रीवास्तव ;(1953) बाल–आवारागर्दी ;जूवेनाइल वैग्रेन्सीद्ध के सामाजिक पर्यावरणीय पक्ष को लेकर उत्तर–प्रदेश के कानपुर एवं लखनऊ नगर का अध्ययन किया। आपने बालकों की विषम आदतों एवं व्यवहारों का सामाजिक–मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि किस प्रकार नगरीय संरचना, व्यापार प्रकृति एवं अन्य सामाजिक पर्यावरण बाल–अपराध को संचालित करते हैं एवं किस प्रकार आखथक उतार–चढ़ाव विचलित व्यवहार को प्रभावित करते है। डॉ. श्रीवास्तव ने अपने अध्ययन में बाल–आवारापन कोस्थानीयता के आधार पर वर्गीकृत किया है, उनके अनुसार बाल–आवारापन उच्च अपराधी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है।

सी.पी. गोयल[4] ;(1967) नेबाल–अपराध का अध्ययन पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में उत्तरप्रदेश के पाँच नगरों को लेकर किया, जो भिन्ना–भिन्ना सामाजिक सांस्कृति पृष्ठभूमि से है। यह अध्ययन बाल–अपराध के सन्दर्भ में घर–परिवार, शिक्षा, पड़ौस एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है।

हंसा सेठ[5];(1961) ने बाल–अपराधियों के सम्बन्ध में बम्बई, पूना और अहमदाबाद का अध्ययन किया, इसी प्रकार लखनऊ और कानपुर में **एस.सी. वर्मा** ;(1959) द्वारा किया गया अध्ययन तथा **जी.एन. रटनशॉ** ;(1947) द्वारा किया अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बाल–अपराध अधिकतर 13–16 वर्ष की आयु के बालकों में

अधिक मिलता है तथा इन्होंने निर्धनता तथा भग्न परिवार को बाल–अपराध का प्रमुख कारण माना है।

वेनू गोपाल राव[6]ने अपनी पुस्तक "फेसटस इन क्राइम इन इण्डिया;(1961) में बाल–अपराध की रोकथाम, बाल–अपराधियों के सुधार तथा उनके अपराध का बड़ा ही विषद वर्णन किया है।

सुशीलचन्द्रा[7] ;(1967) ने सामाजिक विचलन के सन्दर्भ में बाल–अपराध की समस्या का अध्ययन किया है। आपके अनुसार औद्योगिकृत और उच्च मशीनीकृत समाजों में, जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिशीलताएँ और भिन्नताएँ पायी जाती है, सामाजिक विचलन की समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है और यही सामाजिक विचलन बालक को विचलित व्यवहार करने को प्रोत्साहन देते हैं।

इसी तरह **शुक्ला**[8]द्वारा प्रकाशित शोध पत्र "जूविनाइल डेलिक्वेंसी इन इण्डिया : रिसर्च ट्रेडर्स एण्ड प्रियोरिटीज" ;(1982) विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने बाल–अपराधिता के अर्थ, कारण, रोकथाम का वर्णन किया है। साथ ही विभिन्न शोध कार्यों के बीच पाये जाने वाले अन्तरालों तथा आगामी शोध कार्यो के लिए आवश्यक आवश्यकताओं से हमें पूर्ण परिचित कराया।

डी.डी.शर्मा[9];(1996) ने राजस्थान के तीन पर्यवेक्षण गृहों ;अजमेर, उदयपुर एवं जयपुर का अध्ययन किया, जिसमें राजस्थान में बाल–अपराध की प्रकृति, उत्तरदायी कारकों एवं बाल न्यायालय तथासुधार प्रणाली की व्याख्या की है।

इसी तरह **मंजू कुमारी**[10];(2000) ने वाराणसी शहर के रामनगर तथा 'बाल–पर्यवेक्षण गृह' औसानगंज नामक दो बाल–सुधार गृहों का अध्ययन कर बाल–अपराध के उत्तरदायी कारकों की खोज तथा बाल–सुधार गृहों की सुधार प्रणाली का मूल्यांकन किया।

ममता मयी मिश्रा[11];(2002) ने उड़ीसा के नगरीय समाजों में बाल–अपराध और बाल–सुधार गृहों से जुड़े विभिन्न पक्षों का अध्ययन प्रस्तुत किया है।

एस.के. भट्टाचार्य[12];(2004) ने बाल–न्याय व्यवस्था और बाल–अपराधियों के सुधार एवं अधिकारों की व्याख्या भारत के सन्दर्भ में की है।

शेषा कीथियानी एवं **ट्रिशिया क्लॉस्की**[13];(2005) में बाल न्याय व्यवस्था उसकी कार्यप्रणाली और बाल–अपराधियों के अधिकारों का अध्ययन भारत के सन्दर्भ में किया है।

के.पी. पद्मजा[14];(2008) ने भारत में बाल–अपराध से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे बाल–अपराध के कारण, बाल सुधार गृहों की कार्यप्रणाली, बाल न्यायालय जैसे विषयों की व्याख्या की है।

बेबी कुमारी 15 ने ;(2012)जनजातीय एवं गैर जनजातीय अनुसूचित जाति किशोरों में बाल अपराध की प्रवृति कातुलनात्मक अध्ययन झारखंड के देवघर जिले के संदर्भ में किया है

उपरोक्तप्रस्तुत साहित्य अध्ययनों में हमने पाया कि बाल–अपराध के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हुए हैं, जिनमें बाल–अपराध के कारण, परिणाम, बाल न्याय व्यवस्था और बाल–सुधार गृहों की कार्य प्रणाली को अध्ययन का विषय बनाया गया है, परन्तु सूचना प्रोद्योगिकी क्रांति, वैश्वीकरण, मीडिया और उपभोक्तावादी जीवन–शैली का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में बाल अपराध का अध्ययन

अब तक नहीं हुआ है। अतः यह शोध बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियों को एक नये दृष्टिकोण से समझने में सहायक होगा।

2.12अध्ययन की सीमायें:(Limitations of the study.)

बाल–अपराध सम्बंधी अध्ययन को पुरा करने के दौरान कई सीमाओं का भी सामना करना पड़ा जो कि निम्न् प्रकार से है :

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल कोटा के बाल–अपराधियों पर किया गया है। बाल–पर्यवेक्षण गृहों में अध्ययन के दौरान मौजूद बाल–अपराधियों से प्राप्त तथ्यों पर निर्भर रहना पड़ा।
2. शोध कार्य में अध्ययन काल के दौरान बार–बार बाल–सम्प्रेक्षण गृह जाना और उन से सम्बधिंत सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती थी, क्योकि कभी भी एक साथ अधिक संख्या में बाल–अपराधी वहाँ नहीं होते थे।
3. यह अध्ययन केवल 2012 से 2014 तक के दौरान बाल–अपराध में संलग्न बाल–अपराधियों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है।
4. बाल–अपराधियों से सूचना एकत्र करना भी कोई आसान नहीं रहा, क्योकि बाल–अपचारी अनुसंधान कर्त्ता को संदेह की दृष्टि से देखते है तथा सही तथ्यों को छुपा जाते है। साक्षात्कार के दौरान पर्यवेक्षण गृह के अधिकारी और कर्मचारी भी उनके आस–पास होते है जिससे भी वे कुछ जो बोलना चाहते है वे नहीं बोल पाते । जिससे हमें अध्ययन से सम्बंधिंत प्राथमिक तथ्यों के एकत्रिकरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
5. बाल–अपराधियों के पारिवारिक वातावरण और पड़ोस मित्र–मण्डली की गतिविधियों से अवगत होने के लिए बार–बार उनेक निवास स्थान , मित्र मण्डली पड़ोसियों से सम्पर्क करना पड़ा।
6. बाल–अपराधियों से सम्बन्धित रिकार्ड बहुत सतही तौर पर बाल–पर्यवेक्षण गृह से मिल पाये।

References

सन्दर्भ

1. **Clinard, Marshall B.S. Deniel, J. Abbott** .1973. "Crime in Developing Countries", New York.
2. **Sutherland, E.H.**1966. "Principle of Criminology", New York, J.B. Lippincott Co.
3. **Cloward, R. and Ohlin, L.** 1960. "Delinquency and Opportunity", New York, Free Press
4. **Goyel, C.P.** 1965. "A Study of Five Hundred Delinquents in relation to Home and Social Situation", Unpublished Ph.D. Thysis, Agra.
5. **Seth, Hansa.**1961. "Juvenile Delinquency in an Indian Settings", Popular Book Depot, Bombay.
6. **Rao, S. Venugopal .**1967. "Facts of Crime in India", Allied Publisher Pvt. Ltd., New Delhi.
7. **Chandra, Sushil .**1967. "Sociology of Deviation in India", Allied Publisher Pvt. Ltd., New Delhi.
8. **Shukla, K.S.** 1982. "Delinquency Control": The Institutional Strategy", the Indian Journal of Social work, 43
9. **Sharma, D.D.** 1996. " Young Delinquents in India", Rupa Books Pvt. Ltd., , Jaipur

10. **कुमारी, मंजू.** 2000 . "भारत में बाल अपराध", प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर
11. **Mishra, Mamta May.** 2002. "Juvenile Delinquency and the Urban Society", Merut : Anu Books .
12. **Bhattacharya, S.K.** 2004. "The Juvenile Justice System in India from welfare to rights", Oxford University Press.
13. **Kethineni, Sesha & Tricia, Klosky.**2005."International Criminal Justic Review", Vol. 15, No. 2, 131-146.
14. **Padmaga, K.P.** 2008."Juvenile Delinquency", ICFAI University Press.
15. **कुमारी,बेबी .**2012."**किशोरों में बाल अपराध**",**आयुष्मान पब्लिकेशन हाउस,नई दिल्ली** |

तृतीय अध्याय

बाल–अपराध से सम्बन्धित सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

3.1 शरीरशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

3.2 मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य

3.3 समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

3.4 कानूनी परिप्रेक्ष्य

तृतीय अध्याय

सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य
(Theoretical Perspective)

बाल–अपराध की व्याख्या विभिन्न विषयों के विद्वानों ने अलग–अलग तरीके से की है। सामाजिक मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अपराधशास्त्र आदि विषय के विद्वानों ने अपराधी व्यवहार एंव गतिविधियों को अपने–अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालाँकि बाल–अपराध से सम्बन्धित ज्यादातर सिद्धान्त किसी एक विशेष कारक पर ज्यादा जोर देते हैं। प्रत्येक सिद्धान्त अपने–आप में बाल–अपराध का विश्लेषण नये रूप में करता है, फिर भी बहुत हद तक यह पहले प्रस्तुत किये गये सिद्धान्तों से कुछ–न– कुछ ग्रहण अवश्य करता है। बाल–अपराध से सम्बन्धित जितने भी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं, उन्हें मुख्य रूप से तीन विस्तृत वर्गो में रखा जा सकता है। यहाँ हम संक्षेप में इन तीनों वर्गो के योगदान की चर्चा करेंगें।

3.1 शरीरशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (The Biogenic Perspective):

शरीरशास्त्रीय दृष्टिकोण के अन्तगर्त बाल–अपराध को व्यक्ति की शारीरिक कमियों के परिणाम के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सिद्धान्त व्यक्ति के आनुवंशिकता (Genetic Makeup) को भी बाल–अपराध के लिये जिम्मदार मानता है। व्यक्ति द्वारा आनुवंशिक रूप में ग्रहण किये गये गुण या लक्षण भी उसे अपराध या विचलन की ओर प्रवृत्त करते है।

लोम्ब्रोसो ने 1876 में जन्मजात अपराधी प्रकार (Born Criminal Type) का वर्णन किया। उन्होंने अपराधियों में पाये जाने वाले आनुवंशिक रू‍प से निर्धारित कुछ खास लक्षणों की पहचान की। उन्होंने, अपराधियों के शारीरिक विकृत्तियों से ग्रस्त होने की बात भी की।[1]

अर्नेस्ट ए. हूट्टन, जो कि भौतिक मानवशास्त्री थे, उन्होंने भी 1939 मे अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि अपराधी व्यक्ति आम तौर पर शारिरिक रूप से कमजोर और विकृति लिये होते हैं। उनका यह मानना था कि अपराध का उन्मूलन तभी संभव है, जबकि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ्य लोगों का बंध्याकरण कर दिया जाये।

विलियम एच. शेल्डन ने 1940 में मानव व्यवहार को शारीरिक बनावट से जोड़ते हुए अपराध की व्याख्या की। शेल्डन ने 15 से 20 वर्ष के बीच के 200 बच्चों का अध्ययन किया और उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उन्हें तीन वर्गो में बाँटा। ये वर्ग थे : (i) एण्डोमौर्फिक, (ii) एक्टोमौर्फिक और (iii) मेसोमौर्फिक। शेल्डन का मानना था कि अपराधियों में ज्यादातर की शारीरिक बनावट मेसोमौर्फिक प्रकार की थी।[2]

सिरिल बर्ट ने अपने अध्ययन में पाया कि बाल–अपराध के उनके प्रतिदर्श के 70 प्रतिशत बच्चे, शारीरिक कमियाँ एंव बुरे स्वास्थ का शिकार थे। इस प्रकार बर्ट ने शारीरिक विशेषताओं को बाल–अपराध के संदर्भ में महत्वपूर्ण ठहराया।

इसी प्रकार ग्रिमबर्ग के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बाल–अपराधी व्यवहार को जन्म देने में , अन्तःस्त्रावी ग्रन्थियों की दूषित कार्य–प्रणाली भी महत्वपूर्ण है।[3]

हालाँकि आनुवंशिक और शरीरशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधुनिक समर्थक इस बात से सहमत हैं कि अपराध को जन्म देने में अन्य कारण और परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार है। फिर भी अपराध की व्याख्या में अभी भी उनका मुख्य जोर शारीरिक और आनुवंशिक कारणों पर ही रहा है।

3.2 मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य(Psychogenic Perspective):

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की केन्द्रीय धारणा यह है कि बाल–अपराध या तो बालक के मनोवैज्ञानिक संरचना में कमियों का परिणाम है या फिर व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं की दोषपूर्ण कार्य–प्रणाली की उपज है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और शरीरशास्त्रीय दृष्टिकोण में कुछ समानताएँ माजूद है। पहली बात तो यह कि दोनों प्रकार के सिद्धान्तों में अपराधियों को सामान्य जन से अलग कर के देखा गया है। दूसरा यह कि दोनों सिद्धान्तों में अपराधी को सामान्य जनसंख्या में असामान्य लोंगो के रूप में देखा गया है। तीसरी समानता यह है कि दोनों परिप्रेक्ष्यों में यह बताया गया है कि व्यक्ति की असामान्यता ही उसे अपराध की ओर जाने को अग्रसर करती है। परन्तु, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शरीरशास्त्रीय दृष्टिकोण के इस बात से असहमत है कि अपराधी असमान्यता आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है। उनका मानना है कि अपराध के लिये असामान्य अनुभव न कि असामान्य जीन (आनुवंशिक रचना) जिम्मेदार होते है। असामान्य अनुभव से ही 'चारित्रिक दोष' और 'कुसमायोजित व्यक्तित्व' जन्म लेते हैं, जो कि अपराध के लिये उत्तरदायी होते है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अपराध को अपराधी के व्यक्तित्व की विकृतियों में तलाशने की कोशिश की जाती है। मनोवैज्ञानिक कारणों में मन्दबुद्धिता (Low I.Q), मानसिक असंतुलन, अविकसित अहम्, मानसिक अस्थिरता एंव आवेग, अपराध–बोध और हीनता–ग्रन्थि जैसे मानसिक दोषों को अपराध का मुख्य कारण बताया गया है।

हेनरी गोडार्ड ने 1919 में यह प्रतिपादित किया कि मन्दबुद्धिता (Low I.Q) ही अपराध का सबसे बड़ा कारण है। मन्दबुद्धिता आनुवंशिक होती है और यह जीवन की घटनाओं से बहुत कम प्रभावित होती है। उनका कथन है कि सभी बाल–अपराधी निम्न मानसिकता के होते हैं और उनमें से अधिकांश मंद–बुद्धिता की सीमा में आते हैं। टर्मन ने भी ऐसी ही विवेचना के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है।

विलियम हीली ने अपराध का मूल–कारण विकृत्त व्यक्तित्व तथा मानसिक एंव संवेगात्मक असंतुलन को माना है। उनके अनुसार संवेगात्मक अस्थिरता, कैशोर्य अस्थिरता तथा आवेग, सीमातीत सामाजिक सुझाव ग्रहणशीलता एंव मानसिक संघर्ष आदि बाल–अपराध के प्रमुख कारक हैं। हीली तथा ब्रोनर ने अपने अध्ययन में 15 से 21 प्रतिशत बाल–अपराधियों में कैशोर्य–अस्थिरता को अपराध का मुख्य कारण पाया। जबकि उनके अनुसार केवल 14 प्रतिशत बालक ही मन्दबुद्धिता से ग्रस्त पाये गये।[4]

अल्फ्रेड एडलर ने बाल–अपराध के लिये मुख्य रूप से हीनता–ग्रन्थि को जिम्मेदार बताया। उनके अनुसार हीनता ग्रन्थि (Inferiority Complex) से ग्रस्त बालक ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु अपराधी गतिविधियों में संलग्न होते है।

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि बाल–अपराध की उत्पत्ति में समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान आयी गड़बड़ियाँ मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। खासकर के माता और बच्चे तथा पिता और बच्चे के संबधो में अगर सही सांमजस्य नही हो पाता तो बच्चों में संवेगात्मक विकृत्तियाँ जन्म ले लेती है।

जॉल बॉल्वी ने 44 बाल–अपराधियों के अध्ययन के दौरान यह पाया कि जो बच्चे आदतन बाल–अपराधी थे, उनमें से ज्यादातर मातृ–स्नेह से किसी न किसी कारण से वंचित रहे बच्चे थे।[5] **राबर्ट एण्ड्री** ने भी अपने अध्ययन मे पाया कि जिन बच्चों का अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थें, वे आगे चलकर समाज के अन्य लोगों के प्रति कठोर या गलत आचरण करते पाये गये। उनके अनुसार पिता और बच्चे के बीच का असंतोषजनक संबंध ही बाल–अपराध में परिणत हो जाता है।[6]

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त बाल–अपराध या अन्य अपराधों की व्याख्या में मानसिक कारकों को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार बाल–अपराधी या अन्य अपराधी मूल रूप से विकृत मानसिक अवस्था और विकृत व्यक्तित्व की उपज होते हैं।

3.3 समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य (**Socilogical Perspective**):

समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों में अपराध को सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से जोड़कर देखा गया है। शरीरशास्त्रीय और मनोवैज्ञानकि परिप्रेक्ष्य के विपरीत समाजशास्त्री अपराध को पर्यावरण में परिचालन करने वाले सामाजिक तत्वों की उपज के संदर्भ में देखते हैं। उनका मानना है कि अपराधी व्यवहार सीखा जाता है ओर यह सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। वे अपराधियों को सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण से पृथक असामान्य व्यक्तियों को समूह न मानकर सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की उपज मानते हैं। । दूसरे शब्दों में, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार, अपराध सामाजिक पर्यावरण की उपज है तथा यह सीखा हुआ व्यवहार है। **काल्डवेल** ने समाजशास्त्रीय विचारधारा के निम्नलिखित आठ आधार बताये हैं :

(1) संस्कृति,

(2) सामाजिक नियन्त्रण,

(3) प्राथमिक व दैतीयक समूह,

(4) सामाजिक प्रक्रियाएँ,

(5) सामाजिक परिवर्तन,

(6) सीखने की प्रक्रिया,

(7) परिस्थिति एंव भूमिका,

(8) उप–सांस्कृतिक अन्तर।

इन तत्वों के आधार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपराध को परिस्थितियों तथा उपार्जित जीवन के अनुभवों की उपज के रूप में समझाया है।[7] मुख्य रूप से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों को दो समूहों में बाँटा जा सकता हैः

(1) पहले परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपराध और सामाजिक संरचना एक दूसरे से जूड़े हुए हैं।

(2) दूसरा परिप्रेक्ष्य उन प्रक्रियाओं पर जोर देता है जिससे गुजरकर एक व्यक्ति अपराधी बनता है।

यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों की संक्षेप मे चर्चा करेंगे जो कि अपराध की व्याख्या के लिये प्रयुक्त किये गये हैं :

(1) सदरलैण्ड का विभिन्न सम्पर्क सिद्धान्त(Sutherland's Theory of Differential Association):

सदरलैण्ड ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 1939 में किया । उनके इस सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार है :

उनका मानना है कि अपराधी व्यवहार भी सामाजिक व्यवहारों की तरह सामाजिक अन्तःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान सीखा जाता है। उनका मानना है कि मुख्य रूप से छोटे और अन्तरंग समूहों में एक–दूसरे के सम्पर्क में आने पर, अपराधी व्यवहार के सीखने की संभावना बढ़ जाती है। इस सिद्धान्त की प्रमुख अवधारणाएँ (Propositions) निम्नलिखित है :[8]

1. अपराधी व्यवहार सीखा जाता है।
2. अपराध, संचार (Communication) की प्रक्रिया में दूसरे लोगो से अन्तःक्रिया के दौरान सीखा जाता है।
3. अपराधी व्यवहार मुख्य रूप से घनिष्ठ प्राथमिक समूहों में सीखा जाता है।
4. सीखने की प्रक्रिया में अपराध करने के तरीके और मनोवृत्तियों, प्रेरणाओं, प्रेरक शाक्तियों और तर्क–वितर्को की विशेष दिशा सम्मिलित है।
5. विशेष प्रेरणाओं एवं प्रेरक शक्तियों को कानूनी संहिताओं की स्वीकृत या तिरस्कृत परिभाषाओं द्वारा सीखा जाता है।
6. व्यक्ति अपराधी इस कारण बनता है कि वह कानून के उल्लंघन के अनुकूल परिभाषाओं को कानून के उल्लंघन के प्रतिकूल परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक अपनाता है।
7. सम्पर्को की विभिन्नता, अवधि, तीव्रता, प्राथमिकता और पुनरावृत्ति के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है।

संक्षेप में, सदरलैण्ड के अनुसार '' विभिन्न सम्पर्क'' का सिद्धान्त यही है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के अपराधी बनने का कारण उसका अपराधी प्रतिमानों के सम्पर्क में अधिक आना तथा अनपराधी प्रतिमानों से पृथक रहना है। सदरलैण्ड के ''विभिन्न सम्पर्क'' सिद्धान्त से बहुत सारे समाजशास्त्रीय सहमति नहीं रखते हैं।

क्लोरेन्स रे जेफरी का मानना है कि सदरलैण्ड का सिद्धान्त अपराध की उत्पति को स्पष्ट नहीं करता। इसके पहले कि कोई व्यक्ति अन्य अपराधी संसर्गो के सम्पर्क में आकर अपराध करना सीखे, अपराधी धारणाओं व मनोवृत्तियों का अस्तित्व आवश्यक है। साथ ही जेफरी का यह भी कहना कि यह सिद्धान्त आय, लिंग,अल्पसंख्यक समूह व नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न दर का भी विश्लेषण नही करता है।

काल्डवेल और **क्रीसे** का कहना है कि यह सिद्धान्त हर प्रकार के अपराध के कारणों की व्याख्या नहीं करता तथा केवल व्यवस्थित अपराधों को ही समझाता है।

एस.ए. इलियट का कहना है कि प्रथम बार अपराध करने वाले तथा आकस्मिक अपराधियों में सदरलैण्ड द्वारा अनुमानित कानून की प्रतिकूल परिभाषा देने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से अपराध सीखने की प्रक्रिया नही पायी जाती।[9]

जार्ज वोल्ड का कहना है कि सदरलैण्ड ने यह नहीं समझाया कि एक व्यक्ति अन्य लोगों से अन्तःक्रिया द्वारा कुछ धारणाओं व प्रेरकों को क्यों अपना लेता है और कुछ को क्यों अप्रयोजनीय ठहराता है, तथा हर वह व्यक्ति जो अपराधियों के सर्म्पक में रहता है, अपराधी क्यों नहीं बन जाता।

डेनियल ग्लेजर ने विभिन्न सम्पर्क के स्थान पर ''विभिन्न अभिज्ञान'' (Differential Identification) की अवधारणा का प्रयोग कर सदरलैण्ड के सिद्धान्त को संशोधित किया है तथा इसके आधार पर उसने यह समझाने का प्रयास किया है सभी व्यक्ति अपराधियों के सम्पर्क में आने के उपरान्त भी क्यों अपराधी नही बनते। उसका कहना है कि व्यक्ति उसी

सीमा तक अपराधी व्यवहार अपनाता है जिस सीमा तक "वह स्वयं का उस वास्तविक या काल्पनिक व्यक्तियों से तालमेल करता है जिनकी दृष्टि से उसका अपराधी व्यवहार स्वीकृत होता है। ''[10]

डोनाल्ड क्रोसे के अनुसार सदरलैण्ड ने सीखने की प्रक्रिया के निहितार्थ (implication) को पूर्णरूप से खोजने का प्रयत्न नहीं किया कि किस प्रकार यह (प्रक्रिया) विभिन्न व्यक्तियों को प्रभावित करती है।[11]

दुर्खीम का अप्रतिमानता सिद्धान्त (Durkneim's Anomie Theory):

सन् 1893 में दुर्खीम ने यह प्रतिपादित किया कि विचलित व्यवहार समाज में रहने का एक सामान्य अनुकूलन (adaptation) है जो उच्च प्रकार के श्रम–विभाजन के ढ़ाचे से संरचित है और स्पर्द्धात्मक व्यक्तिवाद (Competitive Individualism) के मूल्यों पर आधारित होता है। दुर्खीम ने इस विचलित व्यवहार के लिये एनॉमी (Anomie) या अप्रतिमानता की स्थिति को जिम्मेदार माना है। उनके अनुसार एनॉमी की परिस्थिति लक्ष्यों पर नियन्त्रण टूट जाने के कारण उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति की आकांक्षायें असीमित हो जाती है। ये असीमित आकांक्षाएँ विचलित अथवा सामाजिक नियमों से सामूहिक विगत व्यवहार के लिये निरन्तर दबाव उत्पन्न करती है। दुर्खीम ने असीमित आकांक्षाओं की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण दिये हैं –

(i) आर्थिक संकट तथा (ii) उद्योगवाद।

अपराध के बारे में दुर्खीम का विचार था कि अपराध समाज में सामान्य भी हैं और साथ ही प्रकार्यवादी भी है। अपराध के सामान्य पहलू से दूर्खीम का तात्पर्य यह है कि कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि यह सोंचा भी नही जा सकता कि कोई भी व्यक्ति प्रतिमानों (Norms) या आदर्शो (Ideals) से विचलित नहीं होता। इसके अतिरिक्त

विचलन न केवल अपरिहार्य (Inevitable) है बल्कि समाज की प्रगति के लिये आवश्यक भी है। अपराध के प्रकार्यवादी पहलू को समझाते हुए उन्होने कहा कि अपराध सामाजिक परिवर्तन के लिये आवश्यक पूर्वापेक्षित दशा है। सामूहिक मनोवृत्ति को यदि सकारात्मक – विचलन की अनुमति देने के लिये लचीला होना चाहिए तो नकारात्मक – विचलन की भी अनुमति देनी चाहिए। अगर विचलन की अनुमति नही दी गयी तो समाज गतिहीन (Static) हो जायेगा। अपराध भी समाज के अन्दर घटित होने वाला एक ऐसा ही नकारात्मक विचलन है जो समाज के अन्दर परिवर्तन लाता है। अपराध समाज को भावी परिवर्तनों के लिये तैयार करता है। लेकिन विचलन के सन्दर्भ में दुर्खीम ने अपने विचार केवल आत्महत्या पर ही केन्द्रित रखा।

मर्टन का अप्रतिमानता सिद्धान्त (Merton's Theory Of Anomie):

मर्टन ने जैविकीय तथा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विरूद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रथम बार 1938 में प्रकाशित अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू (American Sociological Review) नामक पत्रिका में विचलित व्यवहार को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने 1949 और 1957 में अपने थीसिस का विस्तार करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में भेद किया। उनके अनुसार सांस्कृतिक संरचना उन लक्ष्यों और हितों का समर्थन करती है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य लगा रहता है, जबकि सामाजिक सरंचना उन विधियों या साधनों को सन्दर्भित करती है जो लक्ष्यों और हितों की उपलब्धि के प्रयत्न को नियमित करते हैं। समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था सभी व्यक्तियों को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है, जो व्यवहार के मान्य तरीकों से प्राप्त किए जा सकते हो। परन्तु, इन उद्देश्यों तक सामाजिक रूप से मान्य साधनों के माध्यम से पहुँचने के अवसर समान रूप से वितरित नहीं होते है। विचलित व्यवहार या अपराध तब प्रारम्भ होता है जब सामाजिक संरचना इन लक्ष्यों तक मान्य तरीकों द्वारा पहुँचने के सभी द्वारा बन्द कर देती है। दूसरे शब्दों में लक्ष्यों और साधनों के

बीच विषमता (Disjunction) तनावों को उत्पन्न करती है, जो व्यक्ति की सांस्कृतिक रूप से निर्धारित किये गये लक्ष्यों अथवा संस्थात्मक सांधनों के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करती है अर्थात अप्रतिमानता (Anomie) की स्थिति पैदा करती है। इस प्रकार मर्टन यह कहना चाहते हैं कि कुछ सामाजिक संरचनाएँ कुछ व्यक्तियों पर व्यवहार में अनुपालक (Conformist) होने के बजाय गैर अनुपालक (Non-Conformist) होने के लिये दबाव डालती है।

मर्टन ने (Social Theory and Social Structure) समाज में लक्ष्यों और साधनों को प्राप्त करने के लिये उपलब्ध अनुकूलन समायोजन के पाँच तरीके (Modes of adaptation) सुझाए हैं, जो निम्नलिखित हैं :[12]

(i) अनुरूपता (Conformity)
(ii) नवाचार (Innovation)
(iii) कर्मकाण्डवाद (Ritualism)
(iv) पलायनवादिता (Reteatism)
(v) विद्रोह (Rebellion)

मर्टन अनुरूपता (Conformity) को छोड़कर बाकी के अनुकूलन के तरीकों को विचलन की श्रेणी में रखता है। साथ ही वह अप्रतिमानता और अपराध के बीच सम्बन्ध के समर्थन में 'नवाचार' (Innovation) का तरीका भी प्रतिपादित करता है। नवाचारी (Innovator), संस्थात्मक साधनों को अस्वीकार करते हुए और अन्य विकल्पों को स्थापित करते हुए, यह भी ज्ञात कर लेता है कि नवीन साधन गैर कानूनी हैं और उसके कार्य अपराध है। इस प्रकार मर्टन ने नवाचार का प्रयोग निम्न वर्ग के बीच उच्च अपराध दर को समझाने में किया हैं।

जहाँ तक अप्रतिमानता (Anomie) का सवाल है, मर्टन ने इसे आत्महत्या से अलग हटकर सभी प्रकार के विचलन में प्रयोग किया। दुर्खीम का मानना था कि एनॉमी, सामाजिक नियंत्रण के फेल हो जाने के कारण तथा व्यक्तिगत व्यवहार के नियमित न होने के कारण ही होती है, जबकि मर्टन ने प्रतिपादित किया कि एनॉमी सामाजिक संरचना में तनावों के कारण

उत्पन्न होती है। जो कि व्यक्ति पर दबाव डालते हैं और अयथार्थ आकांक्षाओं को विकसित करने में प्रोत्साहित करते है। दूसरे शब्दों में, मर्टन के अनुसार लक्ष्यों और साधनों के बीच विनियोजन (Disjunction) ऐसे तनाव उत्पन्न करता है जिससे व्यक्तियों के सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों के प्रतिबन्ध कमजोर हो जाते हैं तथा एनॉमी की स्थिति पैदा होती है।

क्लोवार्ड और ओहलिन का ''विभिन्न अवसर'' सिद्धान्त (Cloward & Ohlin "Differential opportunity " Theory):

क्लोर्वाड और ओहलिन ने दुर्खीम और मर्टन के ''व्याधिकीय'' सिद्धान्त तथा शॉ, मैके और सदरलैण्ड के सिद्धान्तो का संकलन करके ''विभिन्न अवसर'' सिद्धान्त का प्रतिपादन 1960 में किया।[13] इनका सिद्धान्त अपराधी उप–संस्कृति से सम्बन्धित है। ''विभिन्न अवसर'' का सिद्धान्त इन्होने बडे नगरो में निम्नवर्गीय क्षेत्रों में किशोरों के अपराधी व्यवहार को लेकर विकसित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार, हर व्यक्ति की समाज के वैध और अवैध अवसर व्यवस्था में एक स्थिति होती है। इस स्थिति के आधार पर वह अपनी अभिलाषाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा अपने को समाज में समायोजित करता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों और अभिलाषाओं को वैध अवसरों द्वारा प्राप्त नही कर पाता तब वह उनकी नीचे की ओर पुनरावृति नहीं करता जिस कारण तीव्र कुण्ठा व नैराश्य अनुभव करता है। यह नैराश्य ही उनके विचलित व्यवहार के लिये उत्तरदायी होता है। यद्यपि आकांक्षाए हर व्यक्ति मे पायी जाती है और सभी व्यक्ति उनको प्राप्त भी नही कर पाते, फिर भी वे सभी इस कारण गैर–कानूनी साधनों का प्रयोग नहीं करते क्योकि वे अवैध साधन हर व्यक्ति के लिये समान रूप से सुलभ नहीं होते है। अतः अवैध साधनों की उपलब्धि के अन्तर के कारण ही हमें समाज में अपराध की मात्रा में भी अन्तर देखने को मिलता है।

क्लोवार्ड–ओहलिन के अनुसार निम्न् वर्ग के युवकों में दो प्रकार के अभिस्थापन पाये जाते हैं–

(1) जीवन–शैली अभिस्थापन तथा मध्य वर्ग की सदस्यता पाने की अभिलाषा, और

(2) आर्थिक अभिस्थापन तथा आर्थिक स्थिति को उत्कृष्ट बनाने की अभिलाषा।

क्लोवार्ड–ओहलिन का मत है कि अपराधी उप–संस्कृति वाले गिरोह में वे निम्न वर्ग के युवक सम्मिलित होते हैं जो अपनी निम्न वर्ग की सदस्यता तो स्थिर रखना चाहते हैं किन्तु आर्थिक स्थिति सुधारने की अभिलाषा रखते हैं।

क्लोवार्ड और **ओहलिन** के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी यह है कि सभी प्रकार के अपराधों को स्पष्ट नहीं करता। इस संदर्भ में स्वंय उन्हीं के द्वारा दिये गये इस कथन को ध्यान में रखना होगा कि उनका सिद्धान्त केवल उन्हीं अपराधी–क्रियाओं को समझाता है जो अपराधी उप–संस्कृति द्वारा समर्थित सामाजिक भूमिकाएँ निभाने के परिणाम होती हैं तथा उन अपराधों को नहीं समझाता जो उन समूह के सदस्यों द्वारा किये जाते हैं जो अपराधी गतिविधियों में संलग्न नहीं रहते है।

अल्बर्ट कोहेन का श्रमिक वर्ग के लड़के तथा मध्यवर्गीय मानदण्ड सिद्धान्त (Albert Cohen's Working Class Boy and Middle Class Measuring Rod Theory,1955):

अल्बर्ट कोहेन ने इस सिद्धान्त में माना है कि अपराध मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग की घटना है।[14] उनके अनुसार श्रामिक वर्ग का लड़का जब कभी मध्य वर्गीय जगत में जाता है तो वह स्वंय को स्थिति संस्तरण (Status Hierarchy) में सबसे नीचे पाता है। वह मध्यवर्गीय मूल्यों और संस्कृति से प्रभावित भी होता है। वह मध्यवर्गीय मूल्यों को एक हद तक मानता है क्योंकि या तो वह मध्यवर्गीय व्यक्तियों के अच्छे विचारों का सम्मान करता है या कुछ सीमा तक

उसने स्वंय को मध्य वर्गीय मानकों में अभ्यान्तरित कर लिया है इस कारण उसके समक्ष समायोजन(Adjustment) की समस्या आती है। अपराधी उप–संस्कृति (Delinquent Sub-Culture) इन बच्चों को स्थिति का आधार (Criteria of status), जो कि वे प्राप्त कर सकते है,प्रदान करती है। इससे उन बच्चों के समायोजन की समस्या हल हो जाती है। अपनी सफलता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष का सामना करने के लिए व्यवहार कुशल नही होने के कारण श्रामिक वर्ग के लड़के कुण्ठा का अनुभव करते है। अपराधी उप–संस्कृति उन लड़कों को मध्य–वर्गीय मूल्यों तथा मानकों के विरूद्ध प्रतिक्रिया करने को उत्साहित करती है। ये मध्यम वर्ग के अनुपयोगी (Non-Utilitarian), विकृत (Malicious) और निषेधात्मक (Negativistic) मूल्यों को अपनाते है। समूह या गिरोह की अपराधी क्रिया मध्यवर्गीय संस्थाओं के विरूद्ध वैधता (Legitimacy) और समर्थन (Support) प्रदान करती है। हालाँकि कोहेन इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देते है। कि ''अपराधी उप–संस्कृति ही अपराध की दुनिया में कदम रखने का एकमात्र रास्ता है।

शॉऔर मैके का सांस्कृतिक पारगमन का सिद्धान्त (Cultural Transmission Theory of Shaw & Mckay):

शॉ और मैके का मानना है कि अपराध व्यक्तिगत तथा समूह सम्पर्क के द्वारा संप्रेषित (transmit) होता है, तथा प्रभावी सामाजिक नियंत्रण एजेन्सियों की कमी देश के कुछ बड़े नगरों मे अपराध की ऊँची दर में सहायक होती है।[15] अपराध क्षेत्र' (delinquency Areas) निम्न आय तथा भौतिक दृष्टि से अवांछित क्षेत्र होते हैं, जिनमें रहने वाले लोग आर्थिक उपेक्षाओं का शिकार होते हैं। इन क्षेत्रों के किशोर आवश्यक रूप से असंगठित,कुसमायोजित या असामाजिक नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों में मौजूद अपराधी परम्पराओं का प्रभाव ही उन्हें अपराधी बनाता है। यदि वह 'प्रभाव' न होता तो वे अपराध से अलग अन्य

क्रियाओं में संतुष्टि प्राप्त करते। शॉ और मैके का मानना है कि अपराध की उत्पत्ति में अन्य कारक भी सहायक हो सकते है, लेकिन वे अनुभव करते है कि समुदाय में मौजूद आर्थिक व सामाजिक कारकों के आगे वे गौण हैं।

जार्ज हरबर्ट मीड 'स्व' और 'भूमिका' का सिद्धान्त (Self & Role Theory of G.H. Mead, 1913 : 577-602):

इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ सीमित संख्या में ही व्यक्ति अपराधी पहचान धारण करते हैं जबकि अधिक संख्या में लोग कानून–पालक ही रहते है। उनका कहना है कि अपराधी बनने तथा अपराधी पहचान धारण करने में कानून उल्लंघन करने वालों की केवल संगति करने से भी कुछ सम्मिलित होता है। इस प्रकार के सम्पर्क व्यक्ति के लिये सार्थक होने चाहिए और 'स्व तथा 'भूमिका' की उन अवधारणाओं के समर्थक होने चाहिए जिनके प्रति वह समर्पित होना चाहता है।

डेविड मात्जा का अपराध और बहाव सिद्धान्त (Delinquency and Drift Theory of David Matza, 1964):

मात्जा के अनुसार व्यक्ति न तो पूर्णरूपेण स्वतंत्र है (जैसा कि परम्परावादी सम्प्रदाय का मानना है) और न ही वह पूर्णरूपेण नियंत्रित है (जैसा कि प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय मानता है) बल्कि वह स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच बहाव (drift) की स्थिति में होता है।[16] किशोर तथा युवक,अपराधी तथा परम्परात्मक क्रिया के बीच बहते रहते हैं। यद्यपि युवक की अधिकांश क्रियाएँ कानून के अनुरूप ही होती है, फिर भी यदा–कदा वह अपराध की ओर बह जाता है, क्योंकि बहाव की प्रक्रिया के दौरान सामान्य परम्परात्मक नियंत्रण निष्प्रभावी (neutralised) हो जाते है। जब वह अपराध में लिप्त हो जाता है तो फिर वह परम्परात्मकता की ओर वापस बहता है। इस प्रकार मात्जा ने 'अपराध की इच्छा' (will to crime) पर जोर दिया है। यही 'इच्छा' यह बताती है कि कुछ युवक अपराधी व्यवहार करना क्यों चुनते हैं जबकि

उन्ही परिस्थितियों में उनके कुछ साथी समाज स्वीकार्य समायोजन के तरीकों को चुनते हैं। वह यह भी बतलाता है कि कि अपराध क्यों या–तो–या (either&or) कथन (propostion) नहीं है। अधिकतर युवक परम्परा और अपराध के बीच निरन्तरता की स्थिति में रहते है। अपराध के प्रति पूर्ण समपर्ण आमतौर पर कम ही होता है।

वाल्टर मिलर का निम्नवर्गीय लड़का और निम्नवर्गीय संस्कृति सिद्धान्त (Lower Class Boy & Lower Class Culture Theory of Walter Miller, 1958):

वाल्टर मिलर अपराधी उप–संस्कृति को अस्वीकार करते हैं तथा निम्न्वर्गीय संस्कृ ति की बात करते हैं, जो प्रवास (Immigration) प्रव्रजन (migration) और गतिशीलता (mobility) के परिणाम स्वरूप उभरती है। वे व्यक्ति जो इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पिछडे जाते हैं, वे निम्न वर्ग के सदस्य होते हैं। मिलर का मानना है कि निम्न्–वर्ग के किशोरों में अपराधी–व्यवहार इस कारण विकसित हो जाता है कि उनका समाजीकरण निम्नवर्गीय सांस्कृ तिक मूल्यों के अनुसार होता है।[17] वे एक अलग प्रकार के व्यवहार को विकसित कर लेते हैं, जो आवश्यक रूप से किसी अन्य वर्ग के विरूद्ध नहीं होता है। उनके व्यवहार में विशिष्ट रूप से कठोरता (Thoughness), चुस्ती (smartness), उत्तेजना (Excitement), भाग्यवादिता (Fatalism), और स्वायत्तता (Autonomy) जैसे गुण विकसित हो जाते है, जो कि निम्न वर्गीय संस्कृति के खास लक्षण होते है। गलियों का समूह निम्नवर्गीय किशोर लड़को को कठोर बनने और पुरूषोचित क्रियाओं (Masculine activities) में व्यस्त होने के अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार उनकी अनेक क्रियाएँ एक 'यथार्थ पुरूष' (Real Man) बनने की इच्छा के इर्द–गिर्द घूमती है।

मिलर के सिद्धान्त की प्रमुख आलोचना यह हो सकती है कि आज तेजी से फैलते जन संचार के युग में यह विश्वास करना कठिन है कि विशिष्ट निम्न्वर्गीय संस्कृति, जैसा कि मिलर ने कहा है, अपने शुद्ध रूप में रह सकती है।

होवार्ड बेकर का लेबलिंग सिद्धान्त (Labelling Theory of Howard S. Becker, 1960):

होवार्ड बेकर ने अपने सिद्धान्त में कहा है कि समाज अपने सदस्यों में से कुछ लोगों पर अपराधी होने का लेबल (या पहचान बनाना) लगाता है।[18]उनके अनुसार विचलित व्यवहार भी वह व्यवहार है, जिसे लोग इस प्रकार लेबल या पहचान देते है। एक कार्य या व्यवहार तभी विचलन माना जाता है, जब लोग इसे ऐसा महसूस करते हैं, और इस रूप में परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिये, बेडरूम मे पति और पत्नी के रूप में नंगे होना (Nudity) या सोना, एक सामान्य बात है। परन्तु, किसी अजनबी के सामने नंगे होना एक विचलित व्यवहार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार बेकर का मानना है कि कोई भी कार्य या व्यवहार अपने आप में विचलन नहीं होता है। वह विचलन की श्रेणी में तब आता है जब दूसरे लोग (समाज) उसे इस रूप में लेबल करते हैं।

समाज आंरभ में किसी व्यक्ति पर अपराधी होने का लेबल (पहचान) लगाता है। ऐसा होने पर उसके कई सामाजिक समूहों से कट जाने या अलग हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। वह अपने परिवार और दोस्तों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जा सकता है, पड़ोसियों द्वारा तिरस्कृत किया जा सकता है तथा अपने काम (Job) से भी उसे हाथ धोना पड़ सकता है। इससे उसके और भी अपराधी गतिविधियों में संलग्न होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही वह अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी सामान्य लोगों की तरह नहीं सम्पन्न कर पाता, क्योंकि लोग उसे सहयोग नहीं करते है। इस तिरस्कार से वह गैर–कानूनी गतिविधियों में प्रवृत्त होने लगता है। वह उन अपराधी गिरोहों का सदस्य बन जाता है जो उसकी पहचान और गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

इस प्रकार अगर हम बाल–अपराध से या अन्य अपराधों से सम्बन्धित समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों का विश्लेषण करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इन सिद्धान्तों में सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक संरचना और संस्कृति समाजीकरण की प्रक्रिया, साहचर्य और सीखने की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है।

बाल–अपराध के कारण (Causes of Juvenile - Delinquency):

बाल–अपराध की उत्पत्ति में कई कारण महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हमने बाल–अपराध से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों में देखा कि बाल–अपराध की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से की गयी है। इनमें से बहुत सारे सिद्धान्त एक–पक्षीय (Uni-dimensional) हैं। विभिन्न सिद्धान्तकारों ने शारीरिक बनावट, मानसिक हीनता या अस्थिरता, आर्थिक परिस्थितियाँ, संवेगात्मक अस्थिरता, विशिष्ट जनसंख्यात्मक और सांस्कृतिक कारकों आदि को अपने–अपने नजरिये से बाल–अपराध के लिये उत्तरदायी माना है।

परन्तु, बाल–अपराध के विश्लेषण में कई कारक संयुक्त रूप से अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं, यह बात विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा स्पष्ट हो गयी है। आज बाल–अपराध के विश्लेषण में बहुकारकीय दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मूल रूप से इन कारकों को दो वर्गो में रखा जा सकता है :

(1) वैयक्तिक कारक और

(2) परिस्थिति जन्य कारक।

हंसा सेठ ने भी माना है कि ये दोनों कारक एक–दूसरे के पूरक है, तथा बाल–अपराध इन दोनों कारकों के अन्तःक्रिया से ही उत्पन्न होता है।[19] यहाँ हम संक्षेप में एक टेबल के द्वारा इन कारकों को दर्शा रहे हैः

बाल–अपराध के कारण

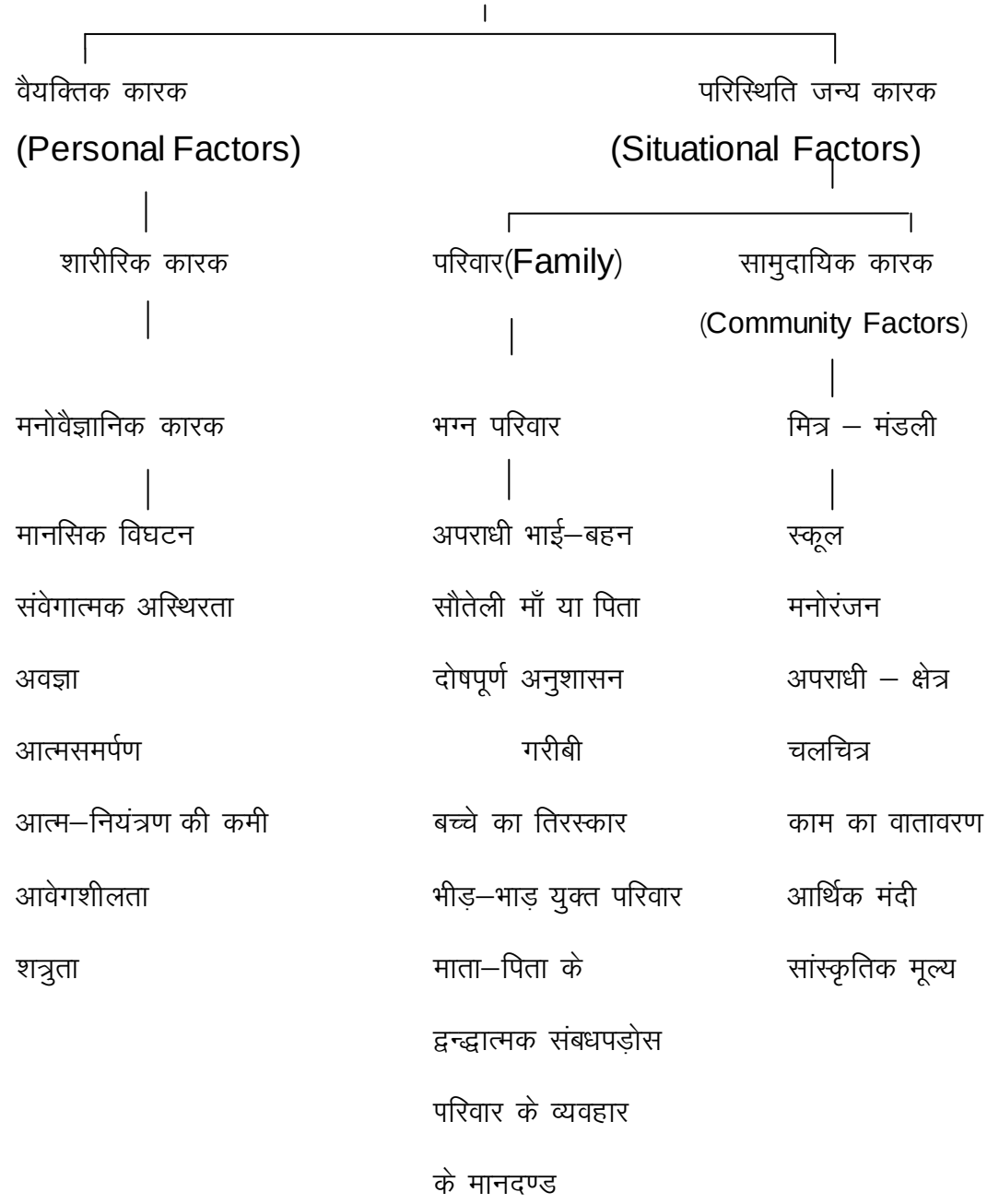

ऊपर टेबल द्वारा दर्शाये कारकों में से कोई एक दो या विभिन्न कारकों के संयुक्त प्रभाव के द्वारा ही बाल–अपराध की सही व्याख्या दी जा सकती है। बाल–अपराध की वैज्ञानिक व्याख्या में व्यक्तिगत और परिस्थितिजन्य, दोनों कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

3.4 कानूनीपरिप्रेक्ष्य (Legal Perspective):

कानूनी परिप्रेक्ष्य के अनुसार किसी भी देश के कानून के अंतर्गत कम आयु के बच्चों द्वारा किये गये अपराध अथवा निश्चित उम्र में जो बाल समाज विरोधी काम करते हैं, वे बाल–अपराध कहलाते हैं।

जहाँ तक मनोवैज्ञानिक परिभाषा का सवाल है, इसमें वे सभी बालक तथा बालिकाएँ आंएंगे, जिन्होंने किसी भी तरह का असामाजिक व्यवहार किया हो, भले किसी को नदी में ढकेल देना, चलती रेलगाड़ी पर ईंटें फेंकना, खेल–खेल में आग लगा देना आदि।

वैधानिक दृष्टिकोण से बाल–अपराध

न्यूमेयर का कहना है कि बाल–अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यहार कानून को तोड़ने वाला है।[20]

सिरिल बर्ट का कहना है कि, ''तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज–विरोधी पृवत्तियाँ इतनी गम्भीर दिखायी दें उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है या की जानी चाहिये।[21]

न्यूयार्क नगर के बाल कानून का अध्ययन करने से हमें बाल–अपराधियों के सम्बन्ध में निम्न तथ्य ज्ञात होते है –

1. सार्वजनिक स्थानों पर भीख माँगना।
2. गैर–कानूनी कार्यों को करता हो।
3. कानून द्वारा वर्जित स्थानों की संगति।
4. जो बिना किसी ठोस कारण के और बिना अपने माता–पिता, संरक्षक की सम्मति के अपना घर या रहने के स्थान को त्याग दे।
5. जिसको स्कूल में गैर–हाजिर रहने की आदत पड़ गई हो।
6. अनैतिक या दुचरित्र व्यक्तियों की संगति।
7. जो सुधार से परे, उदृण्ड या आदतन अवज्ञाकारी हो और अपने सरंक्षक, माता–पिता या कानूनी अधिकारियों के नियंत्रण से दूर हो।

8. संयूक्त राज्य अमेरिका या न्यूयार्क नगर के किसी कानून का उल्लघंन करे।

9. जान बुझ कर ऐसे व्यवहार करना जिससे उसकी व अन्य व्यक्तियों की नैतिकता अथवा स्वास्थ्य को क्षति पहुँचे।

10. आदतन अश्लील या अभद्र भाषा का उपयोग करना। लेकिन अमेरिका में 21 वीं सदी में बहुत बदलाव मिलता है।

मिस्र के दण्ड विधान 124 के अनुरूप बाल–अपराधी वह है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है व जो–

1. लफंगों, गुण्डों का साथ देता है या बदनाम लोगों का साथ देता है।

2. सड़क से जले हुए सिगरेट के टुकड़े या अन्य फेंकी हुई चीजें एकत्रित करता है।

3. भीख माँगता है, सड़क पर बेकार चीजें बेचता है या कसरती खेल दिखाता रहता है।

4. संभोग के अन्य अपराधों, वेश्यावृति, जुए, आदि में रत है या ऐसे अपराधियों का साथ देता है।

5. जिसके अभिभावक मर गये है, जेल में हैं या लापता हैं एवं जिसकी जीविका का कोई कानूनी सहारा नहीं है।

6. दुश्चरित्र है, अपने अभिभावकों या अभिभावक के नियंत्रण से बाहर है।

7. जिसके रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है व जो आदतन सड़कों पर सोता रहता है।

बाल–अपराधियों का वर्गीकरण

बाल–अपराध के कार्यो और प्रवृतियों के आधार पर उनको निम्नांकित श्रेणियों में रखा जा सकता है–

1 चालाक एवं मौन–अपराधी– ये वे बाल–अपराधी है जो अपने काम में काफी चतुर होते है। ये अपराध करने के पश्चात् भी उसका प्रकटीकरण अन्य जगहों पर रहीं करते है। इस श्रेणी में कम बोलने वाले लड़के'एवं लड़कियाँ भी आती है।

2. शोर मचाने वाले बाल–अपराधी–इस वर्ग के अधीन वे बाल–अपराधी आते है जो शारीरिक दृष्टि से हष्ट–पुष्ट होते है। वे मार–पीट, तोड़–फोड़, चोरी आदि का ही काम नहीं करते है, बल्कि वे अपना गिरोह बना कर उसके नेता भी बन जाते है। प्रायः इस प्रकार के कार्यो को करने वाले ज्यादातर बच्चे होते है, बालिकाओं की संख्या न के समान होती है और कम–से–कम भारत के लिए तो यह सच ही है।

3. नासमझ बाल–अपराधी–इस तरह के बाल–अपराधीयों की संख्या आधिक है। अनेक बाल–अपराधी अनजाने–अनसमझे ही इस प्रकार के काम खेल–खेल और हँसी–मजाक में करते रहते हैं। ये काम बाल–अपराधियों के कार्यो में शामिल किए जाते है।

4. बाल–अपराधियोुं के गिरोह–इसमें वे बाल–अपराधी आते है जो अपराध के काम में निपुर्ण है। अधिकतर इसके सदस्य एक से अधिक बाल–अपराध कर चुके होते है। इस प्रकार से बाल–अपराधियों का अपना गिरोह होता है और उस गिरोह का एक नेता होता है, जिसके नेतृत्व में अपराधी काम करवाये जाते है।

भारत में बाल–अपराध

भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर 1997 में बाल अपराधियों द्वारा कुल 61,019 अपराध किये गए थे। 1997 में इनकी संख्या 52,610 मापी गई है। 1991 में बाल–अपराध का प्रतिशत कुल अपराध का 4.4 प्रतिशत और 1987 में 3.7 प्रतिशत पाया गया है। इस प्रकार कुल अपराधों में बाल अपराध का प्रतिशत कम हुआ है। 1988 में बाल अपराधियों की संख्या 24,827 पाई गई जो कुल अपराध का 1.7 प्रतिशत था। 2001 में 12,588 बाल अपराध पंजीयन हुये और इस प्रकार जहाँ 1988 में बाल–अपराध का कुल अपराध की दृष्टि से प्रतिशत 1.7 था वहीं 1991 में वह 0.8 बाल–अपराध पाया गया हैं अल्लेखनीय है कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अनुसार बाल–अपराधियों की उम्र जब 7 वर्ष से 16 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। बालिकाओं के लिए यह उम्र 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। देश में 1991 से 2012 के मध्य बाल–अपराध की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है–

तलिकाः3.1 भारत में कुल अपराध, बाल –अपराध (संख्या एवं प्रतिशत)

वर्ष	कुल अपराध प्रति 1 लाख	बाल–अपराध	कुल अपराधों में बाल–अपराध	जनसंख्या में प्रतिशतअपराध का दबाव
1991	13,85,757	61,019	4.4	8.8
1996	14,05,835	55,887	4.0	7.3
2001	16,78,375	12,588	0.8	1.5
2005	18,22602	18939	1.0	2.0
2012	23,87188	27,936	0.8	1.5

तालिका : 3.2 विभिन्न शीर्षकों में बाल–अपराध

बाल–अपराध	1991	1996	2001
हत्या	1,228	1,241	348
हत्या का प्रयास	–	–	171
असावधानी के कारण मृत्यु	92	118	24
बलात्कार	438	638	189
अपहरण एवं व्यवहरण	527	607	141
डकैती	613	415	52
डकैती की तैयारी	–	–	9
लूट	1,057	755	164
गृहभेदन	6,720	5,042	1,553
चेरी	17,516	11,873	4,638
ब्लवा	19,979	6,303	1,270
आपराधिक विश्वासघात	272	228	21
छल–कपट	285	252	47
नकली सिक्के	15	5	2
अन्य आई. पी.सी. अपराध	22,277	28,410	3,959
योग	**61,019**	**55,887**	**12,588**

स्त्रोत :नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो

बाल–अपराधियों के साथ कार्यवाही

पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के अनुसार 2012 में कुल 23,87188 बाल–अपराधियों को न्यायालयों के सामने प्रस्तुत किया गया था। इनमें से 1797 को समझाने के पश्चात् तथा 7,735 को प्रविष्टि पर उनके संरक्षकों को सौप दिया गया था । 1,352 बाल–अपराधियों के मामले प्रमुख किशोर न्यायालय के लम्बित पाये गये हैं।

References

सन्दर्भ

1. **Lombroso, Cesare.** 1911. 'Crime, its Causes and Remedies', Trans, H.P. Horton, Little Brown, Boston.
2. **Sheldon, William and Glueck.** 1950. Unravelling Juvenile Delinquency, Cambridge, Harvard Univ. Press.
3. **Grimberg, L.** 1928. 'Emotion and Delinquency', kegan Paul, London.
4. **Healy, William and Bronner, A.F.**1936.'New Light on Delinquency and its Treatment' Yale University Press, New Haven.
5. **Bowlby, John.** 1947.' Forty Four Juvenile Thieves', Their Characteristics and Home Life, London.
6. **Andry, Robert.** 1960. 'Delinquency and parental pathology', Metheun, London.
7. **Lawania, M.M. and Jain, Shashikala.** 1942.'Criminology', Research Publication, Jaipur, 1999, P.60
8. **Sutherland, E.H.** 'Principles of Criminology', Philadelphia.
9. **Elliot, Mabel.** 1952. 'Crime in Modrn Society', Harper & Bros. New York.
10. **Glazer, Daniel** .1956.'American Journal of Sociology', march, , P. 433-444
11. **Donald ,Cressay**.1952. 'Journal of Criminal Law and Criminology', May – June, P. 51-52.
12. **Merton.** 1968. Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York.

13. **Cloward Richard & Ohlin Lloyd.** 1960. 'Delinquency and opportunity', A Theory of Delinquent Gangs, The Free Press, Glencoe Illinois.
14. **Cohen, Albert**1955. 'Deliquent Boys' : The Culture of the Gand, The Free Press, Glencoe, Illinois.
15. **Shaw Clifford & Mckay Henry**. 1942.'Juvenil Delinquency and urban Areas', University of Chicago Press.
16. **Matza, David**. 1964. Delinquency and Drift, John Wiley and Sons Inc., New York.
17. **Miller, Walter**. 1958. 'Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency', Journal of Social Issues, No.3.
18. **Backer, Howard S.** 1966. 'Social Problems: A Modern Approach', John Wiley and sons Inc., New York.
19. **Seth, Hansa** .1961.Juvenile Delinquency in Indian Setting, Popular Book Depot, Bombay.
20. **Neumeyer.**1961. 'Juvenile Delinquency in Modern Society'.
21. **Burt ,Cyril.** 1944.'The Young Delinquent', London, P.15.

==========

चतुर्थ अध्याय

बाल–अपराध एवं बाल सुधार संस्थाएँ

4.1 बाल न्यायालय

4.2 किशोर न्याय कानून

4.3 बाल–अपराधियों का सुधार और संस्थात्मक उपचार

4.4 सुधारात्मक संस्थाओं की परिवर्तित प्रवृतियॉ

4.5 प्रभावशाली संस्थात्मक सुधार मे बाधाएँ

4.6 संस्थागत–सुधार–प्रणाली का मूल्यांकन

4.7 पुलिस और बाल–अपराधी

चतुर्थ अध्याय

बाल–अपराध एवं बाल सुधार संस्थाएँ

(Juvenile Delinquency and Constitutional Measures)

प्रस्तुत अध्याय में अपराधी बालकों के सुधार में कार्यरत बाल सुधार गृहों के कार्यक्रमों और सेवाओं का अध्ययन किया गया है कि इन सुधार गृहों के कार्यक्रर्म और सेवायें क्या है? तथा इन सुधार गृहों में रहने वाले बाल अपराधी संस्थात्मक कायक्रम और सेवाओं से संतुष्ट है दूसरे शब्दों,में संस्थात्मक कार्यक्रम और सेवायें बाल अपराधियों के सुधार में कहाँतक सहायक है? इन समस्त बातों का अध्ययन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

बाल अपराध को नियन्त्रित करने के लिए हमें भारत में सांविधिक उपाय मिलते है–(अ) विभिन्न राज्यों के बाल अधिनियम तथा 1960 का केन्द्रीय बाल अधिनियम, (ब) कुछ राज्यों के बोर्स्टल स्कूल अधिनियम तथा सुधारात्मक अधिनियम , और (स)विभिन्न राज्यों के परिवीक्षा अधिनियम तथा 1958 का केन्द्रीय परिवीक्षा अधिनियम। यहाँ बाल–अधिनियमों और बोर्स्टल –अधिनियमों का विश्लेषण करेंगे–

बाल अधिनियम– 1920 के जेल कमेठी के सुझावों के उपरान्त सर्वप्रथम मद्रास (1920) में बाल अधिनियम पास किया गया। इसके बाद बंगाल (1922) एवं बम्बई (1924) में भी ऐसे ही अधिनियम पास किये गये। इस समय (1986) में तीन राज्यों (जम्मू–कश्मीर, उड़ीसा, और नागालैण्ड़) को छोड़कर बाकि सभी राज्यों में बाल अधिनियम मिलते हैं। इन सभी कानूनों में आयु,, गिरफ्तार करने कि विधियाँ, मुकदमा चलाने तथा सुधार की दृष्टि से सुझाए गये उपायों में अन्तर मिलता है। उदाहरण के लिए, आयु कि दृष्टि से केन्द्रीय बाल अधिनियम में (1960) तथा गुजरात (1948), हरियाणा (1949), ट्रावनकोर (1935), मध्यप्रदेश (1969), महाराष्ट्र (1924–संशोधन 1948), पंजाब (1967), उतरप्रदेश(1951), के राज्यों के अधिनियमो में 16 वर्ष से कम आयु वाले लड़कों व लड़कियों को, बाल अपराधी माना गया है, राजस्थान (1980), असम (1969), और कर्नाटक (1924), अधिनियमों में 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 20 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को, तथा

बिहार (1969), सौराष्ट्र (1956), बंगाल (1922–संशोधन 1959) व तमिलनाडु (1920–संशोधन 1958) में 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों और लड़कियों को, बाल अपराधी माना गया है। इन अधिनियमों के मुख्य ध्येय है– (क) युवा अपराधियों पर मुकदमे चलाने , दण्ड़ देने व जेल आदि में रखने सम्बन्धी व्यवस्था जुटाना, और (ख) बच्चों और सुरक्षा सम्बन्धी उपाय अपनाना। सभी बाल अधिनियमों के अन्तर्गत इंस्पेक्टर जैसेसांविधिक सत्ता की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है जो समय–समय पर रिमाण्ड़ होम, बाल सदन, मान्यता प्राप्त स्कूलो , अवलोकन–गृहो एवं अन्य बाल संस्थाओ का निरीक्षण करते हैं। इन इस्पेक्टरों व निरीक्षकों का काम संस्थाओं की आलोचना करना व उनमें दोष ढूंढना नहीं होता है बल्कि उन्हे वैज्ञानिक आधार पर रचनात्मक मार्ग–दर्शन करना होता है।

राजस्थान मे बाल अधिनियम 1970 में पास किया गया और 17 अगस्त, 1971 से राज्य 26 में से दो जिलों – अजमेर और जयपुर– में लागू किया गया है। 1980 में यह शेष जिलों में भी लागू किया गया है। इस नियम के अर्न्तगत दो अवलोकन–गृह (जयपुर और अजमेर), एक विशेष स्कूल (जयपुर) और एक बाल–सदन (जयपुर) खोले गये हैं। राजस्थान व अन्य राज्यों में पाये जाने वाले इस बाल अधिनियम सम्बन्धित पाँच प्रश्न उठते हैं –

(1) क्या लड़कियों के लिए लड़कों से ज्यादा आयु निर्धारित करने की आवश्यकता है ? (जैसा की राजस्थान, असम, कर्नाटक, व आन्ध्र प्रदेश मे मिलता है)

(2) बाल अधिनियमों के अन्तर्गत जो बाल–न्यायालय स्थापित किये गये हैं वे बाल–अपराधियों के अलावा उपेक्षित, शोषित, बच्चों के मामले की सुनवाई करते हैं। अतः क्या निराश्रय उपेक्षित आदि बच्चों के मामले बाल–न्यायालयों में भेजने चाहिए जिससे बाल–न्यायालय केवल बाल–अपराधियों के मामलो की ही सुनवाई करे ?

(3) बाल–अधिनियम बाल–न्यायालय मे सामान्यतः वकीलों को हाजिर होने नहीं देते। तब क्या अभियुक्त बच्चों को कानूनी बचाव से वंचित करना सही है ? क्या हम इस प्रकार मौलिक मानवीय, अधिकारो का उल्लझघंन नहीं करते ?

(4) बाल–अधिनियम के अन्तर्गत जिन रिमाण्ड़ होम, अवलोकन–गृहों, मान्यता प्राप्त स्कूलों व बाल–सदनों आदि की स्थापना कि गई है क्या उनकी कार्य– विधि ठीक मिलती है ? क्या बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए इन संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं ?

(5) बाल अधिनियम में उतर–संरक्षण और पुनः स्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं कि गई है। क्या इनको सांविधिक उतरदायित्व का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है ?

4.1बाल न्यायालय (Juvenile Courts)

20 वीं शताब्दी मेंअपराधियों के प्रति वैज्ञानिक उपचार सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन आने से यह सोचा जाने लगा कि बाल– अपराधियों के अभियोग के लिए अलग न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए। सबसे पहले 1915 में बम्बई रेल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया। सबसे पहला बाल–न्यायालय 1922 मे कलकता मे खोला गया, इसके बाद 1927 मे बंबई में और 1930 में मद्रास में । 1930 के बाद धीरे–धीरे कुछ अन्य राज्यों में भी इस प्रकार अदालते स्थापित होती गई परन्तु अब भी सभी राज्यों में बाल–न्यायालय नहीं मिलते।

अधिकाशतः यह न्यायालय अलगमकानों में होते है परन्तु जहा अलग मकान नहीं है वहाँ ये व्यस्क अपराधियों के न्यायालयों में ही अलग कमरे में लगाये जाते है। इनकी संरचना भी साधारण न्यायालयोँ से भिन्न है। इनमे अधिकतर महिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है, परन्तु ऐसे भी राज्य है जहाँ पुरूष मजिस्ट्रेट पाये जाते है, परन्तु इन्हे बाल–मनोविज्ञान और बाल–कल्याण का विशेष ज्ञान होता है। इन अदालतो में किसी सरकारी अधिवक्ता को अपनी वर्दी में आने नहीं दिया जाता तथा सभी सादे कपड़ो में रहते हैं। न्यायालय कि कार्यवाही में भी गोपनीयता रखी जाती है। इस अदालत द्वारा दण्ड़ मिलने पर बच्चे कि सामाजिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योकि पुनः अपराध करने पर उसके पहले दण्ड़ पर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसा कि व्यस्क अपराधियों मे पाया जाता है फलतः बाल न्यायालय के लक्षण इस प्रकार दिये जा सकते है–

(अ) कार्यवाही की अनौपचारिकता, जैसे घर जैसा वातारण दिखाकर बहस नकरके साधारण बातचीत द्वारा तथ्य एकत्रित करना,

(ब) दण्ड़ का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक न होना, तथा

(स) सुधार पर बल देना

यदि हम बाल–न्यायालय और व्यस्क अपराधियों के न्यायालयों की तुलना करे तो हमें दोनो में यह अन्तर मिलेगा–

(1) साधारण न्यायालय में कार्यवाही मे गोपनीयता नहीं मिलती है, अर्थात् जनता को मुकदमें कार्यवाही सुनने और समाचारा–पत्रो मे उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करने पर प्रतिरोध है।

(2) साधारण न्यायालय में हर अपराध के लिए पुर्व- निश्चित दण्ड़ दिया जाता है पर बाल–न्यायालय में अलग–अलग अपराध की प्रकृति के आधार पर दण्ड़ दिया निश्चित होता है।

(3) व्यस्क अदालता में केवल उन्ही को दण्ड़ित किया जाता है जो कानूनों का उलघंन करते है परन्तु बाल–न्यायालय मे कानून के उल्लघंन करने अलावा अपेक्षा–च्युत व्यवहार के लिए दण्ड़ मिलता है।

(4) बाल–न्यायालयों मे निर्णय का एक आधार परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट होती है जिसमे अपराधी के व्यक्तित्व, परिवार, स्कूल व पड़ौस आदि परिस्थितियों का वर्णन होता है पंरतु व्यस्क अपराधी न्यायालय के दण्ड़ को छानबीन पर महत्व नहीं दिया जाता।

(5) व्यस्क न्यायालय द्वारा अपराधियों के दण्ड़ को बालक के दुबारा अपराध करने पर अन्य न्यायालय मे उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही करने में प्रयोग नहीं किया जाता। बाल–न्यायालय के इन्ही लक्षणों के आधार पर यह कहा जाता है कि इनके तरीकों को व्यस्क अपराधी न्यायालयों पर लागू करना चाहिए ।

लिन्डसे[1] का कहना है कि बाल–न्यायालयों का मुख्य लाभ यह है कि ये पुरानी विधि –संहिता समाप्त करके न केवल बाल– अपराधियों के लिए परन्तु व्यस्क अपराधियों के लिए भी एक नयी विधि– संहिता स्थपित कर रहे हैं। **हाल**[2] का भी मत यह है कि यह आशा कि जाती

है कि तात्कालिक बाल–न्यायालयों के तरीको का विस्तार करके व्यस्क अपराधियोंन्यायालयों में कुछ व्यस्क अपराधों के अभियोग मे भी उपयोग किये जाएँगे।

भारतीय बाल–न्यायालय अपराधियोंको दण्ड़ देने जो मुख्य तरीके प्रयोग करते हैं वे हैं– जुर्माना करना, चेतावनी देकर और अच्छे व्यवहार का बॉण्ड़ भरवा कर माता–पिता या संरक्षक को सौप देना, परीवीक्षा पर छोड़ देना, जेल भेजना, मान्यता प्राप्त स्कूल व परीवीक्षा होस्टल आदि जैसी किसी सुधारवादी संस्था में भेजना आदि। बम्बई 1947 में **रटनशा**[3] द्वारा अध्ययन किये गये और विभिन्न बाल–न्यायालयो में तय किये गये 40, 119 अपराधियों के मुकदमे में से 4 प्रतिशत मुकदमे अध्ययन के समय बाल–न्यायालयों में विचा**रा**धीन थे और 96 प्रतिशत अपराधियों के केस समाप्त किये गये थे। इन 96 प्रतिशत केसो में से **12.5** प्रतिशत अपराधों में बच्चों को अनपराधी मानकर बरी कर दिया गया था और **87.5** प्रतिशत को अपराधी पाया गया। इन **87.5** प्रतिशत अपराधियों मे से 37.6 प्रतिशत बाल–अपराधियों को जुर्माना किया गया, 12.5 प्रतिशत को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, 12.9 प्रतिशत को जेल भेज दिया गया, 10.1 प्रतिशत को परीवीक्षा पर रख गया, 8.3 प्रतिशत को सुधारात्मक संस्थाआ मे भेज दिया गया और शेष 18.6 प्रतिशत को कोई अन्य दण्ड़ दिया गया। 1971 मे भारत में जिन 83,548 बाल–अपराधियों पर मुकदमे चलाये गयो उनमे से 30.5 प्रतिशत केस न्यायालय में विचा**रा**धीन थे तथा 69.5 प्रतिशत केसों में फेसला दे दिया गया था। फैसले वाले केसों मे से 5.8 प्रतिशत को उनके माता–पिता को सौपा गया, 36.9 प्रतिशत को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, 2.2 प्रतिशत को परीवीक्षा पर रखा गया, 21.3 प्रतिशत को जेल भेजा गया, 1.1 प्रतिशत को सुधारात्मक संस्थाओ व बार्स्टल स्कूलो आदि में रखा गया। इन आँकड़ो से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार बाल–अपराधियोंका मुख्य उद्देश्य दण्ड़ की अपेक्षा सुधार करना है।

इन सुधारात्मक तरीके के कारण कुछ ऐसे व्यक्ति है जो बाल–न्यायालयों को बहुत उपयोगी है परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो इनको बेकार समझते है। एक ओर जब **लिन्डसे और टैफ्ट**[4] का कहना है कि अपराध को रोकने में जो कार्य साधरण न्यायालय दस वर्षो में नही कर पाये है वही कार्य बाल–न्यायालय एक वर्ष में कर रहे है, दूसरी और **बेक और हीले** जैसे विद्वानो की मान्यता है कि क्योकि बाल–न्यायालयों की दृष्टि से देखता है, वकील घृणा से ओर न्यायाधीश शक्तिहीनता की दृष्टि से, इस कारण इन अदालतों को सुरक्षा रखना आवश्यक नही है। कुछ प्रगतिवादी बाल–न्यायालों के विरूद्ध इसलिए है क्योकि सिद्धान्त में तो ये अपराधी के सुधार पर बल देते है परंतु वास्तव दण्ड़ पर अधिक बल देते है कुछ रूढीवादी बाल–न्यायालयों के विरूद्ध इस कारण है की यह बहुत महँगे है और अपराधियों को कठोर दण्ड़ न देकर समाज को उनसे सुरक्षा प्रदान करते और न ही सामाजिक छानबीन पर बल देते है। लेकिन जैसा कि देखा गया है, ये सब तर्क सही नही है। यदि हम मानते है कि बच्चों के व्यवहार और व्यस्कोंके व्यवहार मे अन्तर है तो उस व्यवहार को नियन्त्रित करने के तरीके भी अलग–अलग अपनाने होंगे इस दृष्टि से बाल–न्यायालय की उपयोगिता की उपेक्षा करना गलत होगा।

रिमाण्ड़ होम (**Remand Home**)

जिन बच्चों के अपराध न्यायालय में लाये जाते है। उनको मुकदमें समाप्त होने तक कहाँ रखा जाये, यह समाज के लिए एक समस्या रहती हैं। जिन अपराधियों के परिवार हर प्रकार से संगठित व सामान्य पाये जाते है उनको तो घरोमें रखना हानिकारक नहीं होता परंतु कुछ अपराधोंमें बालक या तो बिना घर–बार के होता है या परिवार का अपराध मे मुख्य कार्य पाया जाता है। या फिर किसी कारण अपराधी को अभियोग कालमें परिवार और समाज से दूर रखना आवश्यक होता है या फिर इस काल में उसके व्यक्तित्व व व्यवहार का अवलोकन तथा परिवार व पडोस अादि के वातावरण का अध्ययन भी जरूरी है। इस अवलोकन हेतु भारत

मे कुछ सदन खोले गये है जिनको ''अवलोकन–गृह'' तथा ''रिमाण्ड़ होम'' कहा जाता है। यह रिमाण्ड़–गृह, बच्चों के नजरबन्द अथवा हिरासत के स्थान नहीं होते बल्कि उनके व्यवहार के निरीक्षण के स्थान होते हैं।

क्लीफोर्ड मैनशार्ट[5] ने अच्छे रिमाण्ड़–गृहो की कुछ आवश्यकताएँ बतायी गयी हैं, जैसे– लिंग के आधार पर बच्चो का पृथक्कीकरण, शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोरंजन की सुविधाएँ, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की सुगमता, प्रभावकारी निरीक्षण, सीमित अनुशासन, बाल–न्यायालयों का इन पर नियन्त्रण, आदि। मैनशार्ट की मान्यता है कि रिमाण्ड़–गृह में हिरासत में रखा जाना बच्चे का पहला संसर्ग होता है इस कारण रिमाण्ड–गृह में सुधार के तरीके ही बच्चे की बाल–न्यायालय के प्रति धारण के निर्धारित करेंगे। यदि बच्चा बाल–न्यायालय के प्रति संवेदनशील और अवज्ञापुर्ण है तो वह कभी भी मजिस्ट्रेट को अपने प्रति सही और सम्पुर्ण सूचना नहीं देगा जिसके अभावमें बाल–न्यायालय उसके सुधारने के तरीके को निर्धारित नही कर पायेगा इसलिए आवश्यक है कि रिमाण्ड–गृहो में अलघंनीय वातावरण नहीं होना चाहिए।

भारत में जो कुछ रिमाण्ड–गृह पाये जाते हैं उनकी व्यवस्था व कार्य–प्रणाली भी मैनशार्ट के सुझावो से मिलती है। 1995 के आँकड़ो के अनुसार ग्यारह राज्यों और दो केन्द्र–प्रशासित क्षेत्रो मे 153 रिमाण्ड़–गृह पाये जाते हैं । इनमे सबसे अधिक महाराष्ट्र में (38), उसके बाद उतर प्रदेश में (26), कर्नाटक (24), गुजरात (22), तमिलनाडु (11), केरल (9), मध्य–प्रदेश (7), आन्ध्र–प्रदेश (5), राजस्थान (4), दिल्ली (3), पंजाब में (2) मिलते हैं। बंगाल व पांडिचेरी में केवल एक–एक ही रिमाण्ड़ होम है। इन कुल रिमाण्ड–गृहो में से 92 तो सरकारी गृह हैं और 61 निजी हैं। लड़को व लड़कियो के लिए अलग–अलग गृह है। परन्तु भारत में मुख्य जो बात पायी जाती है वह यह है की ये रिमाण्ड–गृह बाल– अपराधियों के अतिरिक्त निराश्रय व अनाथ और उपेक्षित आदि बच्चो के लिए भी उपयोग किये जाते हैं। इन गृहो में रखे गये कुल बालको में से एक तिहाई से अधिक बाल–अपराधी होते है तथा 60–65 प्रतिशत बच्चे अनाथ व उपेक्षित आदि होते हैं। 1995 मे कुल 35,444 बच्चो में से 39.1 प्रतिशत बच्चे बाल–अपराधी थे। इनमे से 6.80 प्रतिशत आई.पी. सी. के अन्तर्गत तथा 33 प्रतिशत स्थानीय कानूनो के अन्तर्गत दण्डित हुये थे। आई. पी.सी. अपराधो के अन्तर्गत 9,295 अपराधियों में से 45 प्रतिशत ने चोरी सम्बन्धी तथा शेष 55 प्रतिशत ने राहजनी, धोखाधड़ी, झगड़े–फसाद, डकैती, अपहरण, जाली सिक्के बनाने सम्बन्धी अन्य अपराध किये थे। दूसरी और स्थानीय विशेष कानूनों के अन्तर्गत 4,580 अपराधियों में से 16 प्रतिशत ने मद्यनिषेध व आबकारी अधिनियम के विरूद्ध, 4 प्रतिशत ने जुआ अधिनियम के विरूद्ध तथा 49 प्रतिशत ने अन्य अपराध किये थे।

आयु कि दृष्टि से रिमाण्ड–गृहों में रखे गये बच्चों में से दो–तिहाई 7–14 आयु समुह में पाये जाते हैं और शेष एक–तिहाई या तो 7 वर्ष से कम आयु या 14 और 18 वर्ष के बीच की आयु में पाये जाते हैं। 1995 के आँकड़ो के अनुसार भारत में विभिन्न राज्यों के रिमाण्ड़–गृहों में पाये जाने वाले 36,118 निवासियों में से 12.8 प्रतिशत 7 वर्ष से कम आयु के थे, 23.9 प्रतिशत 7 से 12 वर्ष के, 31.8 प्रतिशत 12 से 14 वर्ष के 25.6 प्रतिशत 14 से 16 वर्ष के और 5.9 प्रतिशत 16 से 18 वर्ष के थे। इस आधार पर भारत में बाल–अपराध का बताया गया यह लक्षण कि किशोर अवस्था में बाल–अपराध अधिक पाया जाता है, सिद्ध नहीं होता। शायद इसका करण यह है कि रिमाण्ड़–गृहों में अपराधियों की अपेक्षा निराश्रय और उपेक्षित आदि बच्चो की संख्या अधिक है। रहने की अवधि कि दृष्टि से यह देखा गया है कि रिमाण्ड़–गृहों में लगभग 50 प्रतिशत बच्चे छः हफ्ते से कम समय के लिए रखे जाते हैं, 35 प्रतिशत लगभग छः हफ्ते और छः महीने के बीच और शेष 15 प्रतिशत करीब छः महीने से अधिक समय के लिए। सम्भवतः इसका कारण यह है कि तीन–चार महीने में बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यक्तित्व का अध्ययन पुरा किया जाता है और साथ में परीवीक्षा अधिकारी भी बच्चे के परिवार, स्कूल आदि का अध्ययन पूरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते है। फिर पाँच–छः महीने में न्यायालय द्वारा भी केस समाप्त कर दिया जाता है।

रिमाण्ड़ गृहो से अधिकांश बच्चे या तो माता–पिता को सौपें जाते है या रिफारमेट्री स्कूलों में भेजे जाते है तथा बहुत कम को जेल भेजा जाता है। 1995 के आँकडो के अनुसार पूरे भारत में ग्यारह राज्यों और दो केन्द्र–प्रशासित क्षेत्रों में 153 रिमाण्ड़–गृहों में रखे गये कुल 35,444 बच्चो में से 54.1 प्रतिशत को उनके माता–पिता को सौपा गया तथा 11.3 प्रतिशत छोड़ दिया गया। शेष मे से 13.2प्रतिशत को मान्यता प्राप्त स्कूलो, में 9.7 प्रतिशत को सुधार–गृहो में, 6.5 प्रतिशत को योग्य व्यक्तियों की संख्याओं में, 1.9 प्रतिशत को चिकित्सा–केन्द्रों में तथा 0.2 प्रतिशत को जेल भेजा गया। 2.9 प्रतिशत बच्चे भाग गये व 2.9 प्रतिशत की मृत्यु हो गई।

गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और दिल्ली के रिमाण्ड़–गृह में बच्चो के मानसिक अध्ययन के लिए मानसिक रोग–चिकित्सक भी पाये जाते है। इसी प्रकार बिहार, केरल, तमिलनाडू के अलावा शेष सात राज्यों के रिमाण्ड़–गृहों में परीवीक्षा अधिकारी भी पाये जाते है। इनके अतिरिक्त डॉक्टर व शिक्षक भी इन गृहों में अंशतः समय या पुरे समय के लिए नियुक्त किये जाते है। बच्चे के उपर औसतन 25 प्रति माह रूपये इन गृहों के लिए व्यय किये जाता है। जो साधारण जेल में रहने वाले व्यस्क अपराधियों पर किये गये व्यय से कही कम है। इससे ज्ञात होता है कि साधारण जेलों में रिमाण्ड पर रखे गये व्यस्क अपराधियों के विपरीत रिमाण्ड़–गृहों में रखे गये बाल–अपराधियों को खाली रखने के बजाय कोई कार्य कराके आरम्भ से ही उनके सुधारने के प्रयत्न किये जाते है।

4.2 किशोर न्याय कानून

उच्चतम न्यायालय देश में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में किशोर लडकों की बढ़ती भागीदारी के मद्देनजर किशोर न्याय कानून के तहत किशोर की आयु घटाकर 16 साल करने से इंकार करते हूये फिलहाल इस मांग और विवाद पर विराम लगा दिया है। बलात्कार और बलात्कार करने के प्रयास जैसे संगीन अपराधो में किशोरों की भूमिका के ऐसे मामलों में लिप्त होने की स्थिति में 18 से 16 साल की आयु के किशोर को किशोर न्याय कानून के दायरे से बाहर रखने की मांग की जा रही थी।

पिछले एक साल की घटनाओं पर यदि नजर डाले तो पता चलता है कि महिलाओं के प्रति होने वाले यौन अपराधों में 16 से 18 साल की आयु के किशोरों की भूमिका में तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन मौजूदा आंकड़ो के आलोक में देश की शीर्ष अदालत की राय है कि ऐसे अपराधों में किशोरों की भागीदारी में जबरदस्त बढोत्तरी होने का तर्क सही नहीं है क्योकि इनमें करीब दो फीसदी की ही वृद्धि हुई है।

किशोर बच्चों को अपराधियों के बीच रखने की बजाय उन्हें सुधारने की उम्मीद से ही वर्ष 2000 में किशोर न्यायः बच्चों की देखभाल और संरक्षण कानून बनाया गया था। किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के तहत किशोर की परिभाषा अलग है, इसलिए संगीन अपराध के बावजूद भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों क तहत उन्हें दंडित नहीं किया जाता। किशोर न्याय कानून के तहत किसी अपराध में 18 साल से कम आयु के किशोर के शामिल होने पर उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है। इसी कानून के तहत ही उसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में कार्यवाही होती है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किशोर न्यायः बच्चों की देखभाल और संरक्षण कानून 2000 की धारा 15:1:: जोः के तहत जघन्य अपराध में दोषी पाये जाने के बावजूद एक किशोर 18 साल का होते ही रिहा कर दिया जाता था लेकिन इस कानून में 2006 में संशोधन के बाद स्थिति बदली है। अब यदि कोई किशोर ऐसे अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल की सजा काटनी ही होगी भले ही वह 18 साल का हो चुका हो।

न्यायालय ने की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि यदि किसी किशोर ने 17 साल की आयु में अपराध किया है तो उसे दोषी पाये जाने की स्थिति में 18 साल की उम्र के बाद भी दो साल सलाखों के पीछे गुजारने ही होंगे।

दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में चलती बस में 23 वर्षीय युवती से सामूहिक बलात्कार की घटना में शामिल छह व्यक्तियों में एक किशोर था और इस समय उस पर किशोर न्याय कानून के तहत अलग मुकदमा चल रहा है। इसी तरह मेघालय में पिछले साल हुए सामूहिक बलात्कार की घटना में गिरफ्तार 16 युवकों में से आठ 13 से 18 साल की आयु के थे। इसी तरह मेघालय के बिर्नीहाट में सामूहिक बलात्कार की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों में एक नाबालिग था।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आँकड़ो के अनूसार 2012-13 में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के आरोपों में 18 साल से कम आयु के 35465 किशोर गिरफ्तार किये गये थे। इनमें 33793 लड़के और 1682 लड़कियाँ थीं। ब्यूरों के आँकड़ो के मुताबिक भारतीय दंड संहिता के तहत हुए अपराधों में किशोरों की भागीदारी 1.2 फीसदी थी जबकि प्रत्येक एक लाख किशोरों में इनकी अपराध दर 2.3 फीसदी थी।

यदि पिछले एक दशक के आँकड़ो का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो पता चलता हे कि इस दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में किशोरों द्वारा किये गए अपराधों में भी 11.2 फीसदी की वृद्धि हुई है।

इन आँकड़ो से यह भी पता चलता है कि 2002 से यौन अपराधों में किशोरों की संलिप्तता में वृद्धि हो रही है। पिछले साल ऐसे अपराधों में 2239 किशोर गिरफ्तार किये गये थे। इनमें से 1316 किशोरों पर बलात्कार के आरोप थे जबकि 2011 में बलात्कार के आरोप में 1149,2010 में 958,2009 में 798 और 2002 में 495 किशोर ही गिरफ्तार किये गये थे।

पिछले एक दशक में यौन अपराधों में इन किशोरों की भूमिका में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2001 में बलात्कार के आरोप से करीब 400 किशोर पकड़े गये थे जबकि 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 1149 तक पहुँच गयी थी।

शायद यही वजह थी कि दुष्कर्म और जघन्य अपराधों में किशोर लड़को के शामिल होने की बढ़ती घअनाओं के कारण किशोर की आयु सीमा को नये सिरे से परिभाषित करने की मांग जोर पकड़ रही थी।

महिलाओं के साथ यौन अपराधों में किशोरों की बढ़ती भूमिका पर संसदीय समिति ने भी चिंता की थी। संसद की महिला सशक्तिकरण मामलों पर गठित समिति ने भी महिलाओं के प्रति यौन अपराधों में 16 से 18 साल की उम्र के किशोरों की भूमिका के मद्देनजर पुरूष किशोर की आयु 18 साल से घटाकर 16 साल करने की मांग की थी। समिति का मानना था कि किशोर

न्याय कानून के तहत लड़के और लड़कियों की उम्र एक समान यानी 18 साल करने के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

कुछ समय पहले तक अपराध की दुनिया में किशोरों के शामिल होने का ठीकरा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, गरीबी, निरक्षरता और अभावों पर फोड़ा जाता था लेकिन अब देखा जा रहा है कि संभ्रात परिवार के किशोरों में भी इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रहीं है।

मौजूदा कानून के तहत किसी भी किशोर आरोपी का न तो नाम सार्वजनिक किया जा सकता है और न ही उसे सामान्य आरोपियों के साथ जेल में रखा जा सकता हैं। संगीन अपराध में लिप्त होने के बावजूद नाबालिग को उम्र कैद जैसी सजा भी नहीं दी जा सकती है। किशोर न्याय कानून के तहत उसे तीन साल तक ही बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है और दोष सिद्ध होने के बावजूद उसे सरकारी नौकरी या दूसरी सेवाओं से न तो वंचित किया जा सकतास है और न ही चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।

सवाल यह है कि आखिर अपराध और विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों में किशोर युवकों की भूमिका तेजी से कैसे बढ रही है। समाज में ऐसे तत्वों की कमी नहीं है जो इन किशोरों को पथभ्रष्ट करने और अपनी विकृत मानसिकता को पूरा करने के लिये उन्हे अपराध की दुनिया में ढकेल देतें हैं। इसके अलावा समाज में आ रहे खुलेपन सिनेमा और टेलिविजन पर दिखाये जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और इंटरनेट की दुनिया के कारण किशोरों में बढ रहीं उत्सुकता को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

अकसर देखा गया है कि गंभीर अपराध में किसी किशोर के गिरफ्तार होने पर सबसे पहले उसके नाबालिग होने की दलील दी जाती है। इस संबंध में स्कूल में दर्ज आरोपी की उम्र का हवाला दिया जाता है। कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में कम उम्र दर्ज कराई गयी लेकिन वैज्ञानिक तरीके से आरोपी की आयु का पता लगाने की कवायद में दूसरे ही तथ्य सामने आये।

चूंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने जघन्य अपराधों में किशोरों की संलिप्तता के बारे में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर किशोर कानून में परिभाषित किशोर की परिभाषा में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा है कि पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध होने तक ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के अपराधों में संलिप्तता के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के पिछले एक दशक के आँकड़ों के साथ ही तमाम तथ्यों और आँकड़ों तथा संसदीय समिति की सिफारिश के आलोक में संसद को ही किशोरों की मनःस्थिति में सुधार और उनके कल्याण के लिये नये उपायों पर विचार करना होगा।

4.3बाल–अपराधियों का सुधार और संस्थात्मक उपचार

(Reform and Institutional Measures of Juvenile Delinquents)

बाल–अपराधियों के सुधार के लिए कुछ सुधारवादी संस्थाए स्थापित की गयी हैं , जैसे मान्यता–प्राप्त स्कूल, बार्स्टल स्कूल, परीवीक्षा होस्टल आदि। यद्यपि जेल भी अपराधियों को सुधारने की संस्थाएँ है परन्तु जेल व अन्य सुधारात्मक संस्थाओ मे अन्तर है। कारावास में रखने के कारण बालक को एक धब्बा लग जाता है जो उसके लिए जेल से छुटने के बाद पुनर्वास में बाधाएँ उत्पन्न करता है।दूसरा, जेल में अपराधी कि व्यक्तिगत देखभाल सम्भव नहीं है। तीसरा, जेल में रहने से अपराधी का समाज के साथ सम्पर्क बिल्कुल समाप्त हो जाता है पर संस्था में रहने से उसका यह सम्बन्ध बना रहता है। इन्ही सुधारात्मक संस्थाओं का हम विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे।

सुधारालय या मान्यता–प्राप्त रिफारमेट्री स्कूल– ये स्कूल सुधारालय अधिनियम के अन्तर्गत बाल–अपरधियों तथा मुख्यतः 7–18 वर्ष के आयु समूह के सुधार हेतु स्थापित किये गये हैं। इन सुधारालयों में उन्ही अपराधी बच्चो को रखा जाता है जिन्हे न्यायालय द्वारा निरोधादेश मिलता है। यहाँ अपराधी बालक को कम से कम तीन वर्ष व अधिक से अधिक सात वर्ष तक रखा जाता है। क्योंकि 18 वर्ष से उपर वाला बालक सामान्यतः यहाँ नहीं रखा जाता इस कारण न्यायालय बालक के लिए निरोधकाल , मुकदमा समाप्त होने के उपरान्त दोष–सिद्धि के समय उसकी आयु 18 वर्ष के आधार पर निर्धारित करता है। परंतु इसमे न्युनतम निरोधकाल तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष होता है।

1995 के आँकडों के अनुसार भारत मे 12 राज्यों और दो केन्द्र–शासित क्षेत्रों में कुल 101 मान्यता प्राप्त स्कूल थे जिनमे से 40 महाराष्ट्र में, 20 तमिलनाडूमें ,10 कर्नाटक में, 8, उतर प्रदेश में, 7 गुजरात में, 5 केरल में, 4 आन्ध्र–प्रदेश में, तथा एक–एक राजस्थान, बिहार, मध्य–प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व पांडिचेरी में है। केवल महाराष्ट्र और तमिलनाउडू में कुछ स्कूल निजी है, शेष अन्य राज्यों में सभी स्कूल सरकारी है। इन सभी स्कूलों की 1995 मे प्रतिदिन औसतन संख्या 4,121 थी जबकि 1971 में यह 2,800 व 1983 मे 3,186 थी स्कूलों में रखे जाने वाले बच्चों में से लगभग एक–तिहाई को दण्ड़–अवधि समाप्त होने पर छोड़ा जाता है तथा एक–चौथाई भागने में सफल होते हैं। 1995 मे राज्यों और दो केन्द्र–शासित क्षेत्रो क 101 स्कूलों से छोडे गये 6,460 बच्चों में से 29.3 प्रतिशत को अवधि समाप्त होने पर,, 6 प्रतिशत को उन्मुक्ति आयु प्राप्त करने पर, 4.1 प्रतिशत को अपील पर , 1.3 प्रतिशत को जमानत पर,, 9.6 प्रतिशत को लाइंसेस पर,, 1.5 प्रतिशत को समय से पूर्व छोड जाने पर , तथा 19.5 प्रतिशत को अन्य राज्यों मे स्थानान्तरण करने पर छोड़ा गया। 27.4 प्रतिशत बच्चे भाग गये तथा 1.3 प्रतिशत की मृत्यु हो गई।

1995 मे 12 राज्यों और दो केन्द्र–शासित क्षेत्रो मे रखे गये 6,460 बच्चो मे से 84.3 प्रतिशत लड़के व 15.7 प्रतिशत लड़किया थी। आयु की दृष्टि से 38.2 प्रतिशत 12 वर्ष से कम, 28 प्रतिशत 12–14 वर्ष आयु समूह के, 20.8 प्रतिशत 14–16 वर्ष आयु समूह के, 11.7 प्रतिशत 16–18 वर्ष आयु समूह के, तथा1.3 प्रतिशत 18–21 आयु समुह के सदस्य थे। इन स्कूलों में 1995 में प्रति बालक पर औसतन 140 रूपया प्रति माह व्यय होता था। वर्तमान (1991) मे मूल्य–वृद्धि को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि जेल अब तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 90 रूपया, रिमाण्ड़–गृह मे प्रति माह 110 रूपया, मान्यता–प्राप्त स्कूल में प्रति माह लगभग 160 रूपया खर्च किया जाता है।

लड़कों के सुधारालयों में लड़कियों को नहीं रखा जाता। इसी प्रकार अपराधी जनजातियों व शारिरीक रूप से विकृत बच्चों को भी यहाँ नहीं रखा जाता। ये स्कूल जेल विभाग के सताधिकारी के अन्तर्गत ही कार्य करते है। यहाँ 80–100 बच्चों के रखने कि व्यवस्था होती है। स्कूलों को 4–5 कोठरियों में विभाजित किया जाता है। स्कूल के खेल प्रांगण में खेलने आदि की सुविधाएँ होती हैं तथा पुस्तकालयों और उद्योग– प्रशिक्षण के लिए अलग कमरे होते हैं। प्रत्येक स्कूल, अधीक्षक, उपधीक्षक, उप-जेलर , सहायक–जेलर, डॉक्टर, 3–4 प्रशिक्षण मास्टरों, 2–3 स्कूल–मास्टरों तथा कुछ वार्डनों के निरीक्षण मे कार्य करता है।

प्रशिक्षण मे सिलाई का काम, खिलौने बनाना, तथा चमड़े की वस्तुएँ बनाना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त बुनाई तथा कृषि की शिक्षा भी दी जाती हैं। हर शिल्प–शिक्षा के लिए दो वर्ष का पाठयक्रम होता है तथा हर छः महीने बाद परीक्षा ली जाती हैं। किसी शिल्प–शिक्षा मे प्रशिक्षण लड़को की रूचि के आधारा पर ही दिया जाता है। वस्तुएँ बनाने के लिए स्कूल द्वारा बच्चे को कच्चा माल दिया जाता है , बनायी वस्तुओं को मार्केट बेचकर उसकी कीमत बच्चे के खाते में जमा की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लखनउ रिफारमेट्री स्कूल में जब इस खाते में 300 रूपये जमा हो जाते है, तब बच्चे से वस्तुएँ केवल राज्य के प्रयोग के लिए ही बनवायी जाती हैं। शिल्प–शिक्षा मे प्रशिक्षण के अलावा कुछ बुनियादी शिक्षा भी छठी कक्षा तक अनिवार्य दी जाती हैं। स्कूलों का पाठ्यक्रम बाहर के पाठ्यक्रम जैसा होता है। छठी कक्षा पास करने के बाद यदि बच्चा आगे पढना चाहता है, तो उसे बाहर के स्कूल में भर्ती करवाया जाता है परन्तु उसकी फीस रिफारमेट्री स्कूल ही देता है। स्कलू से छुटने के बाद सहायता देने के लिए निर्धन बच्चों के लिए रिफारमेट्री स्कूल फण्ड़ भी स्थापित किया जाता है। इसमें बच्चों द्वारा स्वेच्छापुर्ण चन्दा दिया जाता है। इस फण्ड़ का प्रबन्ध अधीक्षक की अध्यक्षता मे लड़कों की एक कमेठी करती हैं।

बच्चों के उपर क्योंकि स्कूल अधिकारियों द्वारा कोई कार्य बल पूर्वक नहीं करायाजाता तथा परिवार की तरह लड़कों की स्वयं इच्छा के आधार पर उन्हें सौंपा जाता है, बच्चों में सहयोग और अनुराग अधिक और सुस्ती तथा निरीक्षण व उदासीनता कम मिलती हैं। परन्तु इन स्कूलों में अनुवर्ती रिकार्ड की कमी मिलती हैं जिससे छुटने के उपरान्त बच्चों के समाज में समायोजन की प्रकृति का कुछ आभास नहीं हो पाता। दूसरा, स्कूलों के जेल के विभाग के अन्तर्गत कार्य करने, उनके जेलों के अन्दर स्थापित होने तथा उनके भौतिक लक्षणों का भी जेलों की तरह पाये जाने से बच्चो पर मनोवैज्ञानिक रूप से एक विरोधी प्रभाव होता है।

बोर्स्टल स्कूल (Bosterl School) –

बोर्स्टल स्कूल बाल– अपराधियों के लिए नहीं अपितु किशोर अपराधियों के लिए होते है, अथवा इनमे केवल उन्हीं अपराधियों को रखा जाता है। जो 15 और 21 वर्ष के बीच के होते हैं। ये स्कूल राज्य में बोर्स्टल स्कूलों के एक्ट आधार पर खोलें जाते हैं। 1986 के ऑकडों के अनुसार देश मे आठ राज्यों मे आठ बोर्स्टल स्कूल थे। ये राज्य है– आन्ध्र–प्रदेश(1926), केरल,कर्नाटक (1943), तमिलनाडू (1926), महाराष्ट्र (1929), बिहार, पंजाब, (1926), और मध्य प्रदेश (1928), इनके अतिरिक्त उतर प्रदेश (1938) मे बरेली बाल–जेल भी इन्ही के आधार पर कार्य कर रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1980 मे यह 1620 थी, 1983 मे यह 1841, 1984 मे यह1958, 1995 मे 2006 और 1986 मे 2053 थी।

यद्यपि ये स्कूल राज्य के जेलों के इस्पेक्टर– जनरल के अधीन कार्य करते हैं पर अधिक अधिकार एक कमेठी को सौंपे जाते है जिसमें समन्यायालय का न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिले के शिक्षा– अधिकारी के अलावा चार गैर–सरकारी सदस्य भी होते हैं। यही कमेठी हर नये प्रवेश करने वाले अपराधी का साक्षात्कार कर यह निर्धारित करती हैं कि उसे किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाये तथा कब उसे उँची श्रेणी में पदोन्नति दी जाये या कब उसे छोड़ा जाये।

स्कूल में किसी निवासी को दो साल से कम काल के लिए नहींरखा जाता है और न पाँच साल से अधिक काल के लिए। इस कारण बोर्स्टल स्कूलो में केवल उन्ही किशोर अपराधियों को भेजा जाता है जिनको तीन साल से अधिक समय के लिए दण्ड मिलता है। जिन अपराधियों को सुधार के अयोग्य समझा जाता है उन्हे जेल भेज दिया जाता है।

हर स्कूल को ''गृहों मे विभाजित किया जाता है और हर गृह का कार्यवाहक एक गृह–प्रधान होता है। गृह के निवासियों का सामान्य व्यवहार, उनका प्रशिक्षण और उनके खाने आदि की व्यवस्था का सारा कार्य इन्ही गृह–प्रधानों की देख–रेख में रहता है।हर गृह फिर ''समूहो'' मे विभाजित होता है और समूह का कार्यवाहक मॉनीटर होता है। ये मॉनीटर गृह–प्रधानों द्वारा स्कूल के निवासियों में से ही चुने जाते हैं। स्कूल मे श्रेणी प्रथा भी पायी जाती है। कुल तीन श्रेणीयाँ होती है– साधारण श्रेणी, स्टार श्रेणी, और विशेष स्टार श्रेणी। स्कूल में आने हर पर अपराधी को पहले साधरण श्रेणी मे रखा जाता है जहाँ कम से कम तीन महीने उसके व्यवहार, स्वभाव, मानसिक लक्षण और कार्य–क्षमता आदि का अवलोकन किया जाता है। उसे श्रेणी मे रहने वाले युवा से केवल बागवानी आदि जैसा छोटा–मोटा कार्य लिया जाता है। उसे व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा आदि नहीं मिलती अच्छे व्यवहार के उपरान्त उसकी स्टार श्रेणी मे पदोन्नति कर दी जाती है। जहाँ से फिर से उसे विशेष स्टार श्रेणी मे पदोन्नत किया जाता है। इस श्रेणी वालों के कपडे अलग होते हैं। उनको शहर मे भी स्वतन्त्रतापुर्वक जाने की सुविधा दी जाती हैं। स्कूल से रिहाई केवल उसी युवक को मिलती हैं जो विशेष स्टार श्रेणी तक पहुँच चुका होता है। इन तीन श्रेणीयों के अलावा एक दण्डनीय श्रेणी भी पायी जाती हैं जहाँ उन किशोंरो को रखा जाता है जिनको स्कूल के नियम के उल्लघंन के कारण कोई दण्ड दिया जाता है।

एक स्कूल में औसतन 100 से 500 किशोरों के रहने की व्यवस्था होती हैं जबकि 1982 और 1995 के मध्य देखा गया है कि एक बोर्स्टल स्कूल की औसत दैनिक संख्या 225 तक थी। इस काल मे (1982–95) तीन राज्यों मे तो (स्कूल की) कुल क्षमता से भी अधिक किशोर अपराधी स्कूलो मे रहते हुये मिले। आन्ध्र प्रदेश मे 110 की क्षमता होते हुए भी दैनिक औसत संख्या 189 थी, केरल मे 200 की क्षमता के साथ 324 और महाराष्ट्र मे 143 की क्षमता के साथ 195। पंजाब और कर्नाटक के बार्स्टल स्कूलो मे दैनिक औसम संख्या स्कूलो की क्षमता के साथ लगभग समान थी। इससे ज्ञात होता है कि न्यायालय द्वारा बोर्स्टल स्कूलो का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है।

1986 में सबसे अधिक किशोर रखने की क्षमता पंजाब के फरीदकोट बार्स्टल की (515) थी और सबसे कम बिहार के डाल्टेलगंज बोर्स्टल स्कूल की (100) थी। 1986 मे इन आठों बोर्स्टल स्कूलों की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार थी– विशाखापट्टनम

(आन्ध्र–प्रदेश)–333, डाल्टेलगंज (बिहार)–50, धारवाड़ (कर्नाटक)–201, कनानोर (केरल)–217, नसिंघपुर (मध्यप्रदेश)–189, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)–295, फरीदकोट (पंजाब)–395 और पुडूकोटाई (तमिलनाडू)–393।

इन स्कूलों में पाये जाने वाले किशोर अपराधीयो मे से अधिकांश 18 से 21 वर्ष की आयु के, उसके बाद 15 से 16 वर्ष की आयु के, और सबसे कम 14 से 18 वर्ष आयु के मिलते है। 1986 मे आठ राज्यों के बोर्स्टल स्कूलो मे रखे गये 716 किशोर अपराधियों में से 46.9 प्रतिशत 18 से 21 वर्ष के आयु–समूह के, 21.8 प्रतिशत 16 से 18 वर्ष के आयु–समूह के और 31.3 प्रतिशत 15 से 16 वर्ष के आयु समूह के थे। एक अपराधी के उपर औसतन 155 रूपये प्रति माह व्यय किया जाता है जो साधारण जेल में रहने वाले कैदी से लगभग दुगना है। 1986 में जब कर्नाटक मे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय 2,690 रूपये था, तमिलनाडु में यह 2,330 रूपये, मध्य प्रदेश में 2,190 रूपये, बिहार में910 रूपये, आन्ध्र प्रदेश में 1880 रूपये, महाराष्ट्र में1500 रूपये और केरल में 1520 रूपये था। इन स्कूलों में दो घण्टे की शिक्षा के अतिरिक्त,पाँच–छह घण्टे के लिए कोई व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अपराधी को साल में 15 दिन की घर जाने की छुटट्री भी दी जाती है। इसके अलावा रिश्तेदारों आदि से सम्पर्क स्थापित रखने के लिएउनको पत्र लिखने व महीने में एक–दो बार माता–पिता आदि को स्कूल के अन्दर मिलने की सुविधा रहती हैं। किसी–किसी बोर्स्टल स्कूल में पंचायत व्यवस्था भी पायी जाती हैं। यह पंचायत सदस्यों द्वारा निर्वाचित चार पंचों और एक सरपंच की इकाई होती हैं। पंचायत की अवधि एक वर्ष की होती हैं तथा पुनः निर्वाचन की अनुमति नहीं होती। पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के अलावा न्यायिक कार्य भी होते हैं।कुछ अपराधियों को दण्ड अवधि समाप्त होने के पूर्व भी स्कूल से छोडा जाता है। 1986 के आँकडों के अनुसार आठ राज्यों के बोर्स्टल स्कूलों में छोडे गये 1095 निवासियों में से 25.4 प्रतिशत को अवधि समाप्त उपरांत, 7.0 प्रतिशत को जमानत पर,, 14.9 प्रतिशत को लाइसेंस पर,, 5.0 प्रतिशत को अपील करने पर,, 0.1 प्रतिशत को बिना किसी शर्त के, तथा 34.1 प्रतिशत को किसी अन्य रूप से छोडा गया। 13.2 प्रतिशत का राज्य के किसी अन्य संस्था (जेल आदि) में स्थानान्तरण किया गया तथा 0.3 प्रतिशत स्कूलों से भाग गये। स्कूल से छुटने के महीनो पुर्व अधीक्षक को मुक्त–बन्दी सहायता समिति को सूचित करना पड़ता है, जिससे वह अपराधी के पूनर्वास की कोई व्यवस्था कर सके।

परिवीक्षा होस्टल (Probation Hostel)–

जिन बाल–अपराधियों को न्यायालय परिवीक्षा पर रिहा करते है , और जिनके माता–पिता नहीं होते या जिनके लिए परिवार का वातावरण रहने योग्य नहीं समझा जाता उनको इन परिवीक्षा–होस्टलों मे रखा जाता है। इन होस्टलो मे रहने वाले निवासियों को नौकरी अथवा व्यवसाय करने की तथा घूमने–फिरने की पूरी स्वतन्त्रता होती हैं। केवल रात के समय उनके लिएहोस्टलमें रहना अनिवार्य है |परन्तु इसका यह अर्थ नही कि उनके उपर कोई नियन्त्रण नहीं होता। उनके व्यवहार आदि के लिए होस्टल का कार्यवाहक ही हर तरह से उतरदायी होता है।

4.4 सुधारात्मक संस्थाओ की परिवर्तित प्रवृतियाँ

(Changing Tendencies of Reformative Institutions)

भारतीय सुधारत्मक संस्थाओ के लक्षण इतने समान है कि उनके बारे मे कोई सामान्यीकरण कठिन ही लगता है। कुछ संस्थाओ मे पिछली बार दशाब्दियो मे थोड़ा परिवर्तन आया है यद्यपि वे अब भी बहुत–सी बातो मे कारागृहो से मिलती है। कुछ ने फिर आधुनिक विकसित कार्य–प्रणाली अपनायी है। इन दोनो चरम सीमाओ के मध्य फिर विकास की विभिन्न अवस्थाओ मे पायी जाने वाली अनेक संस्थाएँ मिलती है। किंतु इन विभिन्नताओ के होते हुए भी अपने समाज की सुधरात्मक संस्थाओ की प्रवृतियो की पहचान की ही जा सकती है।

(1) इनका प्रशासन केन्द्रीकृत मिलता है। अधिकतर संस्थाएँ राज्यों के समाज कल्याण विभागो के शासन के अन्तर्गत ही कार्य करती है। ऐसे स्थानीय प्रशासनिक बोर्ड स्थापित करने का, जिन्हे उनका निरीक्षण करके स्वीकृत मापदण्ड के संदर्भ मे मूल्यांकन करने का अधिकार हो,

कोई प्रयास नही पाया जाता।

(2) इनमे अधिक भीड–भाड़ नहीं मिलती। कुछ दण्डशास्त्रियों का विचार है कि एक संस्था मे 500–600 अपराधियों को रखकर उसे आर्थिक दृष्टि से कार्य करने योग्य बनाया जा सकता है, परन्तु जैसाकि पूर्व में बताया जा चुका है, एक संस्था में औसत 50 अपराधी ही वर्तमान में मिलते हैं। छोटी संस्थाओ में प्रशासकों के लिए न केवल अपराधियों को धनिष्ठता– पूर्ण बल्कि कर्मचारियों से सुगमता से व्यवहार करना भी अधिक सरल रहता है। अधिक भीड़–भाड़ वाली संस्थाओ में अपराधियों को आवश्यक एकान्तता नहीं मिलती है तथा उनमे आचार–भ्रष्टता पनपती है, आलस्य अधिक रहता है, नियन्त्रण के सामूहिक उपाय प्रयोग किये जाते है और संस्थात्मक कार्यक्रम केवल व्यवस्था बनाये रखने की नियमावली ही रह जाता है।

(3) इनके रहन–सहन, जीवनोपाय व कार्य–संचालन के तरीकों में सुधार मिलता है। पहले की तुलना में सुधारात्मक संस्थाएँ अब अधिक साफ, हवादार और अधिक प्रकाशमान मिलती है। अपराधियों को न केवल पर्याप्त भोजन और चिकित्सीय सुविधाएँ मिलती है बल्कि उनका सिर मुंडाकर, बंद कमरों में रखकर व धारीदार कपड़े पहनाकर उनका नैतिक–पतन भी नहीं किया जाता।

(4) संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आदर्श स्थिति और प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है यद्यपि यह अब भी सही है कि जो कर्मचारी सुधारात्मक संस्थाओं के प्रशासन कार्य में लगे हुए है उनमे से अधिकांश अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सही रूप से योग्यता–प्राप्त व औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है।

(5) इनकी सामाजिक क्रियाओं में विस्तार मिलता है। यहाँ अब न तो एकान्त कारावास मिलता है, न खामोशी का नियम और न ही पारस्परीक सम्बन्धों पर अधिक प्रतिबन्ध। वास्तव में अब अपराधियों के पारस्परिक सम्बन्धो के विकास, तथा उनके बाहरी संसार के साथ अधिक सम्पर्क को प्रोत्साहित किया जाता है। क्रीड़ा प्रकमयोगिता, मनोरंजन प्रोग्रामो, शैक्षणिक कक्षाओ और सहवासी– परीषदो आदि द्वारा अपराधियों के पारस्परीक सम्बन्धो को अधिक विकसित किया जाता है।

(6) इनमे छुट्टी व्यवस्था भी आरम्भ की गई है। त्यौहारों या अनुमोदित उद्देश्यों के लिए एक वर्ष में पन्द्रह दिन की छुट्टी का प्रावधान रख गया है। इसके अतिरिक्त छह हफ्ते तक की छुट्टी संस्था के चीफ इंस्पेक्टर को देने का भी अधिकार दिया गया है। इस छुट्टी में संस्था बालक का उसके परिवार और समाज में अवलोकन करके उसके सुधार का भी मूल्याकंन कर सकती है।

4.5 प्रभावशाली संस्थात्मक सुधार में बाधाएँ

(Obstacles in Effective Reformative Reforms)

उपर्युक्त प्रवृतियो के उपरान्त भी हमारी सुधारात्मक संस्थाओं की प्रभावी–कार्य–निष्पन्नता मे कुछ गम्भीर बाधाएँ मिलती है–

(1) संस्थाओं मे विशिष्टीकरण नही मिलता। यद्यपि लड़को और लड़कियो, बाल और किशोर अपराधीयो तथा अविक्षिप्तचित और विक्षिप्तचित अपराधियों के लिए पृथक संस्थाएँ है, फिर भी अपराधियों का पृथक्करण अधिक नही मिलता। साधारण और गम्भीर अपराधियों, कम और अधिक कारावास अवधि वाले अपराधियों तथा कम और अधिक सुरक्षा की आवश्यकता वाले अपराधियों को एक ही संस्था मे एक ही शयन– कक्ष मे रखा जाता है।

(2) इनके प्रोग्राम ज्यादा व्यक्तिवादी नहीं है। अपनराधी की व्यक्तिगत आवश्कताओं को निश्चित कर उसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, व रोजगार आदि सम्बन्धी प्रोग्राम पूर्व निश्चित कर दिया जाता है परन्तु उसके पुनः स्थापन का कोई प्रयास नही मिलता। यह आधुनिक सुधारत्मक–प्रणाली तथा प्रभावी–उपचारों के सिद्धान्तो के प्रतिकुल है।

(3) कर्मचारियों की संस्था अपर्याप्त है। कम वेतन, काम की अधिकता तथा अस्थिर कार्यकाल आदि के कारण इन संस्थाओं के लिए अच्छे व प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलते।

(4) संस्थागत अनुशासन बहुत कठोर रहता है। चालू कार्यकुशलता की वृद्धि के लिए, तथा संस्था के अन्दर सम्बन्ध नियन्त्रित करने के लिए, अपराधियों के निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए तथा उनके संस्था में शांति भंग करने व भागने के प्रयास को रोकने के लिए नये–नये नियम बनाये जाते हैं। इससे ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित होती हैं जो ''साधन'' बनने के स्थान पर स्वयं ही ''साध्य'' हो जाती हैं। इस कठोरता के कारण बहुत से अपराधीयो का जीवन उदासीन व वियागी हो जाता है तथा कुछ फिर विद्रोही बन जाते है। बहुत से अपराधी ऐसे लक्षण विकसित कर लेते हैं जो उनके छुटने के उपरान्त सही समायोजन में बाधाएँ उत्पन्न करता है। एक युवा अपराधी, समुदाय में कर्तव्य निभाने के लिए तभी अधिक तैयार होते है जब उससे पिंजरे में बन्द जानवर की तरह नही परन्तु एक बालिग व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है जो उसमें आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है।

(5) संस्थात्मक जीवन नीरस मिलता है क्योंकि अपराधी को दिया हुआ कार्य अधिकतर उसके अनुभव, योग्यता, क्षमता व भविष्य की योजनाओं के अनुकूल नहीं होता। उसे कर्तव्य निभाने में आत्मभिव्यक्ति के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। उसके प्रत्येक कार्य को ही निर्धारित करता है। वह किसी भी कार्य को बिना आज्ञा के छोड़ नहीं सकता। निश्चित समय पर खाना और शेष समय भूख लगने पर कुछ न मिलना, निश्चित समय पर बती बुझाकर सो जाना आदि उनके जीवन को निरीह और नीरस बना देते है।

(6)संस्था का बजट अपर्याप्त होता है।

(7) कुछ संस्थाओ में बाल–अपराधियों को निराश्रय, अनाथ व उपेक्षित बच्चो के साथ रखाजाताहै।

(8) राज्योंमे संस्थाओं की संख्या बहुत कम है।

इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 16 वर्ष से कम आयु वाले बाल– अपराधियों के लिए– प्रशिक्षण केन्द्र और सुधारगृह, 16 से 21 वर्ष वाले कम कारावास अवधि वाले कम सुरक्षा अपेक्षित साधारण अपराध करने वाले किशोर अपराधियों के लिए कर्मशालाएँ, कृषि–फार्म और शिविर, तथा अधिक सुरक्षा अपेक्षित लम्बी कारावास –अवधि वाले व गंभीर अपराध करने वाले अपराधीयों के लिए पशु–पालन केन्द्र व आदि आवश्यक है। वर्गीकरण, पृथक्करण,अधीनस्थ व नियोजित कार्य तथा कार्यबद्ध कर्मचारी ही इन संस्थाओं के लक्ष्य–प्राप्ति में सहायक होगें।

4.6 संस्थागत–सुधार–प्रणाली का मूल्यांकन–

उपर्युक्त बतायी गयी संस्थागत–सुधार–प्रणाली में पायी जाने वाली बाधाओं के आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का सुधार असफल सिद्ध हुआ है ? कुछ अपराधशास्त्रियों का विचार है कि यह व्यवस्था एक तो अपराधी के पुनः स्थापन मे सहायक नहीं होती है, और दूसरा यह युवको के लिए कानून का उल्लघंन करने मे प्रतिरोधक नहीं रहती। परन्तु इन तर्कों की पुष्टि के लिए हमारे पास कोई आँकड़े नहीं हैं। सुधारात्मक संस्थाओं से छुटने के उपरान्त कितने बच्चे पुनः अपराध करते है कितनो को संस्था मे मिला हुआ प्रशिक्षण आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पुनःस्थापन में सहायक होता है, इन सब पर भारत कोई में बड़े स्तर आधुनिक अध्ययन नहीं हुआ है। भारतीय समाज कल्याण परिषद ने **एस. डी. गोखले**[7] की संचालकता में बाल अपराधियों पर सुधारात्मक संस्थाओं के प्रभाव सम्बन्धी 1968 मे बम्बई में एक अध्ययन अवश्य किया था। इस अध्ययन में 1958 और 1963 के मध्य मान्यता–प्राप्त स्कूलों और अन्य संस्थाओं से छुटे हुए 229 बच्चों के अध्ययन में पाया गया कि :

(1) संस्था मे दिया गया शिल्प–प्रशिक्षण उस कला मे नौकरी प्राप्त करने मेबच्चों कोपर्याप्त रूप से तैयार नही करता।एक विशेष कला मे औसतन डेढ वर्ष तक मिला हुआप्रशिक्षण भी 63 प्रतिशत बच्चों के लिए धन कमाने का साधन नहीं बन सका। इससे स्पष्ट होता है कि सुधारात्मक संस्थाओं में इस समय दिया जाने वाला प्रशिक्षण नौकरी अभिमुख नहीं हैं|

(2) संस्था मे प्रवेश पाने से पूर्व कुछ बच्चे स्कूलों मे औपचारिक डिग्री प्राप्त करने की कोई सुविधा नहीं थी। सातवींकक्षा से उपर शिक्षा देने का संस्थानों मे कोई प्रावधान नहीं है,

(3) संस्था मे पायी जाने वाली अपराध विश्लेषण सम्बन्धी सेवाएँ, परामर्श, निदान व आयोजन आदि की दृष्टि से अपर्याप्त है।

4.7 पुलिस और बाल–अपराधी (Police and Juvenile Delinquents)

बाल–अपराधियों से सम्बन्धित पुलिस की भूमिका तीन स्तरो पर प्रमुख है–

(अ) निरोधक स्तर पर, (ब) मुकदमे के स्तर पर और (स) पुनः स्थापन स्तर पर।

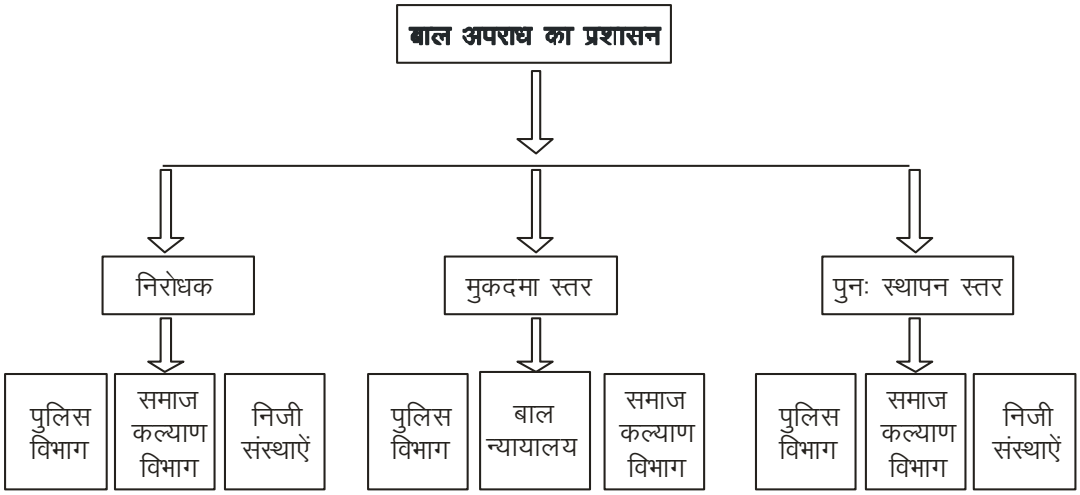

स्रोत-पुलिस बाल–ब्यूरों

गिरफ्तार होने पर बालक का कानून के साथ पहला सम्पर्क पुलिस से ही होता है। अतः पुलिस स्टेशन की संरचना तथा पुलिस का पकड़े गये बालक के साथ पहला व्यवहार बालक के जीवन के प्रतिमान को प्रमुख रूप से निर्धारित करता है। इस कारण पुलिस स्टेशन पर बाल अपराधियों से निपटने के लिए ऐसे पुलिस ब्यूरो का होना जहाँ प्रशिक्षित और सहृदय पुलिस कर्मचारी हो, अति आवश्यक है। मुकदमे के स्तर पर गिरफ्तार किए गये बालक को जेल भिजवाने में, परिवीक्षा पर छोडे जाने में, सुधारालयों में भिजवाने में या माता–पिता को सौंप दिए जाने में रूचि लेकर अपनी कार्यकुशलता को सिद्ध कर सकती हैं। पुनः स्थापन स्तर पर जेल या सुधारालयों से छुटने पर या परिवीक्षा पर छोडे जाने पर पुलिस बालक की सहायता कर सकती हैं। अतः क्योकि तीन स्तरों पर पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, इस कारण हर राज्य में पुलिस बाल–ब्यूरों की स्थापना अति आवश्यक है। इस समय यह ब्यूरों अथवा बाल–सहायता पुलिस यूनिट कुछ राज्यों में उन कुछ बड़े शहरो में स्थापित किए गये है जहाँ बाल–अपराधियों की संख्या अधिक पायी जाती है, जैसे– मद्रास, दिल्ली, बम्बई, व कलकता। परंन्तु हमारा विचार है कि हर उस शहर में जिसकी जनसंख्या पाँच लाख से

अधिक है, पुलिस बाल–सहायता ब्यूरों की एक यूनिट स्थापना आावश्यक है जिसके फिर जिला–स्तर पर पुलिस–अधीक्षक की देखभाल में प्रकार्यवादी कोष्ठ हो। 1966 मे केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरों द्वारा ''बाल अपराध में पुलिस की भूमिका' विषय पर आयोजित सेमिनार ने भी यही सिफारिश की कि हर उस शहर में जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो पुलिस इस्पेक्टर परिवीक्षा में पुलिस बाल–ब्यूरों का एक यूनिट स्थापित करना चाहिए। राज्य स्तर पर प्रधान कार्यालय स्तर पर पुलिस बाल–ब्यूरों की संरचना ऐसी हो कि उसमें छान–बीन के लिए परिवीक्ष–कोष्ठ देखभाल के लिए परामर्श–कोष्ठ तथा प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कोष्ठ हो। कोष्ठ का आकार तथा आफिसर नियुक्त किए जाने की संख्या यूनिटों की प्रकार्यवादी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। इन पुलिस बाल–ब्यूरों के कार्य निम्न हो सकते हैं –

(1) सर्वेक्षण करके बाल–अपराधियों को ढुढनाँ तथा उनके पारिवारिक एवं सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि सम्बन्धी तथ्य एकत्रित करना। स्कूल से भाग जाने वाले, आवारा, खोए हुए व अपहृत बच्चों से सम्बन्धी सांख्यिकी रिपोर्ट भी छानाबीन करने वाले कोष्ठ एकत्रित करते है।

(2) बाल–अधिनियम लागू करना।

(3) माता–पिताओं, सामाजिक कार्यकत्ताओं, समाज–कल्याण अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों बाल–न्यायालयों के न्यायधीशों के अपराधशास्त्रियों की समय–समय पर संयुक्त मींटिग व सम्मेलन करके उनकी समान समस्याओं पर विचार–विमर्श करना तथा बाल अपनाध के नियत्रण में लगे व्यक्तियों के कार्यो का समन्वय करना।

(4) बच्चो की देख–भाल के लिए विशेष परामर्श सेवाएँ एकत्रित संगठित करना जिनके द्वारा माता–पिता, संरक्षकों व शिक्षकों को प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों, वकीलों, समाजशास्त्रियों, डॉक्टरों, आदि की सेवाएँ उपलब्ध हो जिनसे वे अपने बच्चो के व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं, आदतों आदि के बारे मे सही तथ्य प्राप्त कर सकें।

(5) ब्यूरों बाल–अपराध के सुधार सम्बन्धी अनुसंधान भी कर सकते है।

परन्तु इस अध्ययन के ये निष्कर्ष यह सिद्ध नहीं करते कि वर्तमान संस्थाओं की कोईउपयोगिता नहीं हैं तथा इन्हे बन्द कर दिया जाये। वास्तव में जब बच्चे या युवक का सुधारत्मक संस्था में प्रवेश होता है तब उसकी आदतें और धारणाएँ इतनी निशचित होती हैं कि उन्हे एकदम से तो बदला नहीं जा सकता। फिर, संस्था का प्रभाव अपराधी के जीवन मे बहुत प्रभावों में से केवल एक ही कार्य करता है। सम्भव है कि यह प्रभाव अन्य कुप्रभावों के ही नियन्त्रित करता हो। ऐसी स्थिति में यह नियन्त्रण ही संस्थाओं की सफलता का प्रतीक होगा।

==========

References

सन्दर्भ

1. **Lindsey, B.E** (1910) : The Belt, Double Day, New York.
2. **Hall:**(1952) : Theft Law and Society", Indian Police.
3. **Ruttonsha,G.N**(1947) : Juvenile Delinquency and Destitution in Poona,.P.49
4. **Lindsey, B.E**(1910) : The Belt,Double Day, New York
5. **Manshardt,Clifford**(1937) : The child in India, Bombay, Taraporewala.
6. **Manshardt,C**(1939) : The Delinquent child in India, Bombay, Taraporewala.
7. **गोखले, एस.डी**)1929) : **भारतीय समाज कल्याण परिषद ,बॉम्बे**
8. Report on 'Juvenile Delinquency', Published by the Registrar General of India.

==========

पँचम अध्याय

सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

5.1 परिवारिक शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि

5.2 आयु एवं बाल–अपराध

5.3 बाल–अपराध एवं लिंग–भेद

5.4 धर्म और बाल–अपराध

5.5 जाति और बाल–अपराध

5.6 ग्रामीण एवं नगरीय पृष्ठभूमि

5.7 आर्थिक–पृष्ठभूमि

पँचमअध्याय

सामाजिक– आर्थिक पृष्ठभूमि

(Socio – Economic Background)

सामान्यतः यह माना जाता है कि बालक का सामाजिक अस्तित्व ही मूल रूप से उसके व्यक्तित्व के विकास में उसके विचारों, धारणाओं तथा मूल्यों को निर्धारित करता है। इस सन्दर्भ में बालक की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि निर्णायक योगदान–प्रदान करती है। बालकों के जीवन–शैली के निर्धारण में सामाजिक–आर्थिक दशायें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बालकों के जीवन की भौतिक दशायें ही उनके सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक व्यवहारों, आदतों, रूचियों, आकाँक्षाओं आदि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब बालकों के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार की गरीबी या अन्य कारणों से नहीं हो पाती तो वह बालक पर शासन करने लगती है। यहाँ तक कि वह बालक को विचलनकारी व्यवहार के गलत रास्तों को भी अपनाने के लिये मजबूर कर देती हैं।

एक बालक की जैसी सामाजिक स्थिति होगी, जिस तरह की उसकी पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों होंगी, जिस तरह का उसके आस–पास का परिवेश होगा, बालक का जीवन स्तर भी उसी प्रकार का होगा, और उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, आदतें, रूचियां तथा सोचने का ढंग भी होगा। इस सन्दर्भ में **मार्क्स** का यह कथन महत्वपूर्ण है कि बालक सामाजिक–आर्थिक–पारिवारिक तथा संस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार ही चिन्तन करता है। वैचारिकी के निर्धारण में मनुष्य के बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्ञान के समाजशास्त्र (Sociology of Knowledge) के प्रमुख विचारक **मानहीम** का भी मानना है कि किसी व्यक्ति का चिन्तन परिस्थितिबद्ध होता है।

अतः बाल– अपराध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने के लिये बाल–अपराधियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि बगैर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि को समझे हुए हम बाल–अपराधियों का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं।

5.1 परिवारिक शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्याय में बाल–अपराधियों के पारिवारिक शैक्षणिक एवं व्यवसायिकपृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। परिवार के सदस्यों तथा शिक्षा का बालक के व्यक्तित्व निमार्ण में काफी योगदान होता है। इस अध्याय में बाल–अपराधियों के परिवार,पारिवारिक परिवेश तथा परिवार के सदस्यों और स्वयं बाल–अपराधी के शैक्षणिक स्तर का उसके अपराधी व्यवहार के साथ सह–सम्बन्ध देखने का प्रयास करेंगे।

जैसा कि हम जानते है कि परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्था है। बालक के व्यक्तित्व विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है। इसी कारण **टप्पन(Tappan)** ने परिवार को ''व्यक्तित्व का पालना'' कहा है।[1]बालक के प्रारम्भिक वर्षों में, परिवार द्वारा विचार एवं अनुभव के मौलिक प्रतिमान स्थापित होते हैं।

टप्पन के अनुसार परिवार ही बालक को व्यवहार–दुर्व्यहार का प्रशिक्षण देने का प्रथम महत्वपूर्ण विद्यालय है। परिवार ही बालक के चरित्र–निमार्ण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैकडोनफॉल (McDonfall,1940) ने इस बात पर जोर डालते हुए कहा कि, परिवार का व्यक्तिगत सम्पर्क बालक के चरित्र–निमार्ण में में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।''[2] परिवार ही बालक के समाजीकरण की मौलिक संस्था भी हैं। बालक यहीं पर कुछ नैतिक आदर्शो को सीखता है जो उसे अच्छे–बुरे का ज्ञान कराते हैं। ये समाजीकरण की प्रक्रिया क्रमशः चलती रहती है और बालक के व्यवहार–प्रतिमान (Beheviour Pattern) का निर्धारण करती है । **(थिलगाराज,1983)**[3]

परिवार एक कार्यात्मक इकाई के रूप में भी काम करती है। परिवार का मुख्य कार्य सन्तानोत्पत्ति तथा सन्तानों का भरण –पोषण, बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें कि संस्कृति का प्रसारण (Transmission), खासकर के धार्मिक आदर्श और प्रतिमान तथा व्यावहारिक ज्ञान का हस्तान्तरण मुख्य है। यह बच्चों की देख –भाल के अलावा उनके

समाजीकरण, स्नेह की पूर्ति, व्यक्तित्व विकास तथा मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति का भी काम करती हैं। परिवार ही सदस्यों के स्थिति (Status) का निर्धारणर तथा भूमिका–स्थापना करता है एवं अपने सदस्यों को अपने जीवन के मूल्य तथा महत्व की पहचान कराता है।[4] **(न्यूमेयर, PP.156-157)**

जिन परिवारों में किसी कारणवश इनक कार्यों को ठीक तरह से नहीं निभाया जाता, तो उनके बच्चों में नैराश्य और तनाव पैदा हो जाता है। इस प्रकार जब परिवार बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य साधनों द्वारा करते है और अनुचित व्यवहार या विचलन (Deviance) के दोषी पाये जाते है। परिवार का कार्यात्मक संतुलन (Functional Balance) बिगड़ जाने से इसका सांवेगिक प्रकार्य भी प्रभावित होता है, और परिवार में सांवेगिक असंतुलन (EmotionalImbalance) घर कर लेता है। बालकों में यह स्थिति घृणा, उदासीनता, निराशा आदि मनोभावनाओं को जन्म् देती है। बालकों के लिये परिवार की महत्ता घटने लगती है। परिवार के मूल्य और आदर्श अर्थहीन होने लगते है। इस स्थिति में बालकों में विचलनकारी व्यवहार (Deviant Behaviour) के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः **टैफ्ट (Taft)**ने सच ही कहा है कि, ''बाल–अपराध बालकों को समस्त सुख–सुविधाओं से वंचित रखने में एक प्रतीक के समान है।[5] अमाती (Amati) ने ठीक ही कहा है कि ''कार्यात्मक रूप से अपर्याप्त परिवार सांवेगिक रूप से अस्वस्थ परिवार होते है।''[6]

इस प्रकार हम देखते हैं कि बालकों के व्यक्तित्व निर्माण और विकास में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराधियों की पारिवारिक संरचना और पर्यावरण का पता लगाया गया है, तथा यह जानने का प्रयास किया गया है कि वे किस प्रकार बाल–अपराधियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

पारिवारिक संरचना (Family Structure) :

प्रस्तुत अध्ययन में जिन बाल–अपराधियों का अध्ययन किया गया, उनके परिवार की संरचना मालूम करने पर पता चला कि अधिकांश बाल–अपराधी हाँलाकि नाभिक परिवार (Nuclear Family) के सदस्य थे लेकिन इनके भाई–बहनों की संख्या अधिक थी । कुछ परिवारों में दादा–दादी या नाना–नानी भी साथ रहते पाये गये। इस प्रकार अध्ययन में दो प्रकार के परिवार सामने आये, पहला नाभिक तथा दूसरा संयुक्त। परन्तु, कुछ बाल–अपराधियों के माता–पिता में से कोई एक मृत्यु, तलाक, अलगाव या अन्य कारणों से साथ में नहीं रहते थे। ऐसे परिवारों को **भग्न परिवार(Broken Homes)**की श्रेणी में रखा गया है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को नीचे दर्शाये गये सारणी – 1 और वृत–चित्र (Pie-Diagram) द्वारा स्पष्ट किया गया है :

सारणी –5.1

परिवार का प्रकार और बाल–अपराध

क्रम सं.	परिवार का प्रकार	बाल–अपराधी	प्रतिशत
1	नाभिक (Nuclear)	160	80%
2	संयुक्त(Zoint)	17	8.50%
3	भग्न (Broken)	23	11.50%
	योग	**200**	**100.00%**

सरणी से स्पष्ट है कि अधिकांश बाल–अपराधी (80%) नाभिक (Nuclear) परिवारों के सदस्य थे। लगभग 8.50%बाल –अपराधियों के परिवार में दादा–दादी, नाना–नानी, ताऊ आदि में से कोई न कोई साथ में रहता था। इस प्रकार ये संयुक्त परिवार के सदस्य थे। कुछ परिवार ऐसे भी पाये गये जिनमें माता या पिता में से कोई एक ही परिवार में बच्चों के साथ रह रहा था। ऐसे भग्न (Broken) परिवारों की संख्या 11.50%पायी गयी। अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों

को हम वृत–चित्र (Pie – Chart) द्वारा नीचे स्पष्ट कर रहे हैः

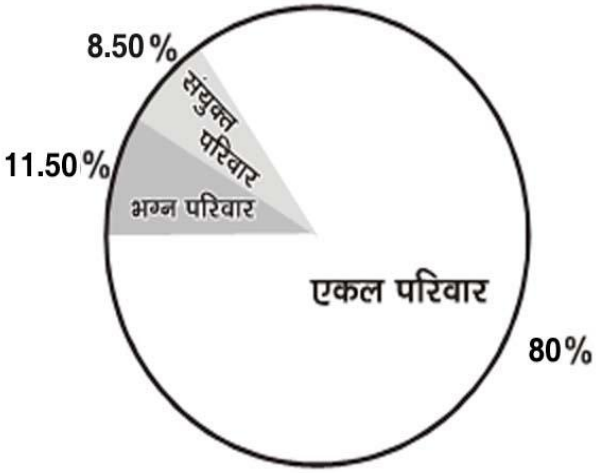

इस प्रकार अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह सूचित करते है कि अधिकांश बाल–अपराधी अपने अन्य भाई–बहनों के साथ एकल या नाभिक परिवार में माता–पिता के साथ रहते थे।

भग्न–परिवार (Broken Home) :

हालाँकि भग्न परिवार की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर भी अपने संकुचित अर्थ में, ''एक भग्न परिवार वह है जिसमें वैवाहिक सम्बन्ध कई कारणों जैसे– अलगाव, छोड़ने, तलाक, पलायन, मृत्यु या लम्बे समय तक पति या पत्नी में से किसी एक के अनुपस्थित रहने आदि से टूट जाते है। दूसरे शब्दों में, भग्न परिवार संरचनात्मक दृष्टिकोण से अपूर्ण होता है।''[7]

परिवार की संरचना के अपूर्ण होने से, बच्चों के संवेगात्मक सुरक्षा को धक्का लगता है, परिवार की कार्यशीलता (Effectiveness) को हानि पहुँचता है, और समुदाय के द्वारा भी परिवार को सामान्य मानदण्डों से विचलित समझा जाता है।[8] इस प्रकार भग्न परिवार के बच्चे अपने आप को वंचित (Deprived) और उपेक्षित महसूस करते है।

व्यक्तित्व के विकास के लिये चुंकि माता का प्यार तथा पिता का नियन्त्रण दोनों ही आवश्यक है, इस कारण माता–पिता में एक का परिवार में न होना बालक के संतुलित विकास और समाज में एक समायोजित व्यक्ति होने पर प्रभाव डालता है। इस तरह समायोजन ही उसे अपराधी व्यवहार की प्रेरणा देता है। प्रस्तुत अध्ययन में भी 11.25%बाल–अपराधि जो भग्न

परिवार (Broken Home) से आते हैं।

शेल्डन और ग्लूक्स[9] ने 966 बाल–अपराधियों के अध्ययन में 48%बाल–अपराधियों को, हंसा **सेठ**[10] ने बम्बई, पूना, अहमदाबाद के अध्ययनों में 47.4% बाल–अपराधियों को तथा रूटन **शॉ**[11] ने पूना में किये गये 225 बाल–अपराधियों में से 50% को भग्न परिवार का सदस्य पाया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पारिवारिक संरचना के भंग होने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। स्नेह और उचित देख–भाल के अभाव में वे विचलनकारी (Deviant) गतिविधियों की ओर आकर्षित होने है।

2. परिवार का आकार (Size of the Family) :

प्रस्तुत अध्ययन में परिवार के आकार और बाल–अपराध के बीच संबधों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिये परिवार के आकार को निर्धारित करने के लिये माता–पिता (जीवित) तथा उनके बच्चों (जीवित) को लिया गया है, जो एक जगह पर एक ही घर में रह रहे हों। विवाहित लड़के और लड़कियों को भी परिवार का सदस्य माना गया है, अगर वे अपने माता–पिता के साथ ही रह रहे हों।

अध्ययन से यह बात सामने आया कि अधिकांश बाल–अपराधियों का परिवार बड़े आकार का था। एक या दो बच्चों वाले परिवार से बहुत कम बाल–अपराधी आते है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को हम सारणी–2 में प्रस्तुत कर रहे हैः

सारणी – 5.2

बाल–अपराध और परिवार का आकार

क्रम सं.	परिवार में बच्चों की संख्या	बाल –अपराधी	प्रतिशत
1	1 – 2 बच्चे	20	10.00%
2	3 – 5 बच्चे	143	71.50%
3	6 और उससे ज्यादा बच्चे	37	18.50%
	योग	**200**	**100%**

प्रस्तुत अध्ययन सारणी से स्पष्ट है कि ज्यादातर बच्चे वैसे परिवार से बाल–अपराधी है, जिनमें 3 और उससे अधिक बच्चे है। 71.50% बच्चे जो बाल–अपराधी है, वे तीन से पाँच बच्चों वाले परिवार के सदस्य थे। 18.50% बाल–अपराधी के परिवार में छः या उससे ज्यादा बच्चे थे। एक से दो बच्चों वाले परिवार से मात्र 10.00% बाल–अपराधी थे। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छोटे आकार (एक से दो बच्चे) वाले परिवारों से बहुत कम बच्चे बाल–अपराधी होते है।

बागोट[12](Bagot) ने भी लिवरपुल के अध्ययन में पाया कि परिवार के बढ़ते आकार के साथ ही बच्चों के बाल–अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने पाया कि बाल–अपराधियों के परिवार का औसत आकार सामान्य परिवारों के औसत आकार से दो गुणा होता है। उन्होने जितने भी बाल–अपराधियों का अध्ययन किया, उसमें पाया कि 1934 में 77% तथा 1936 में 79% बाल–अपराधी ऐसे परिवारों से आते थे, जिनमें चार या उससे ज्यादा बच्चे थे। उन्होंने बाल–अपराधियों के परिवार का औसत आकार 5.76 पाया।

ग्लूक्स (Gluecks)[13]ने भी 1934 में अपने अध्ययन में पाया कि बाल–अपराधियों के परिवारों का औसत आकार 4.98 है।

बड़े आकार के परिवारों में कई कारणों से बच्चों के बाल–अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। **रैक्लेस और स्मिथ** का मानना है कि बड़े परिवारों में शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो पाना, पड़ोस की स्थितियाँ, परिवार के सभी सदस्यों के बीच बराबर की अन्तरंगता का अभाव, घर के बाहर समय बिताने के अवसर, और अन्य कारणों से बड़े आकार के गरीब परिवारों से बाल–अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है।[14]

इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े परिवार के साथ अन्य कारक अपने आप जुड़ जाते हैं, जिससे बच्चों का समायोजन प्रभावित होता है, और वे असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं।

3. अन्तर्वैयक्तिक पारिवारिक सम्बन्ध (Interpersonal Family Relations) :

परिवारक संरचना और आकार का अध्ययन करने के बाद हमने बाल–अपराधियों के परिवारों में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध का पता लगाया । अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि माता–पिता के आपसी सम्बन्ध, माता–पिता तथा बच्चों के बीच का सम्बन्ध तथा भाई–बहनों के बीच के सम्बन्ध भी बाल–अपराध की उत्पत्ति में प्रभावी भूमिका निभाते है। प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश बाल–अपराधियों के परिवारों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण का अभाव था। बालक जब माता–पिता के बीच तनाव एवं कलह को देखता हैं, तो उस पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर माता–पिता आपसी कलह की वजह से बच्चों को उचित स्नेह नहीं दे पाते, तो इससे भी बच्चे सांवेगिक अस्थिरता (Emotional Instability) के दौर से गुजरते हैं। इस प्रकार की स्थिति में बच्चे घर से बाहर अन्य लोगों की संगति से संवेगात्मक सहारा ढूँढ़ते हैं, तथा परिवार के प्रति लगाव कम हो जाता है।

बल–अपराधियों के परिवार में माता–पिता का तनावपूर्ण सम्बन्ध बच्चों के व्यक्तित्व पर काफी हद तक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को नीचे दिखाये गये सारणी – 5.3 में स्पष्ट किया गया हैं :

सारणी –5.3 माता–पिता का आपसी संबंध एवम् बाल अपराध

क्रम सं.	माता–पिता का आपसी संबंध एवम् बाल अपराध	बाल–अपराधी	प्रतिशत
1	सौहार्दपूर्ण	22	11.00%
2	सामान्य	105	52.50%
3	तनावपूर्ण	73	36.50%
	योग	**200**	**100%**

सारणी से स्पष्ट है कि लगभग 36.50% बच्चे वैसे घरों से आते हैं, जहाँ माता–पिता का आपसी सम्बन्ध तनावपूर्ण था, तथा उनमें अक्सर लड़ाई–झगड़े होते रहते थे । केवल 11.00% परिवार ऐसे थे जिनमें माता–पिता के बीच मधुर संबंध थे। 52.50% परिवार ऐसे थे, जहाँ माता–पिता के आपसी संबंध सामान्य पाये गये।

पूर्व में किये गये समाजशास्त्रीय अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि परिवार में कलहपूर्ण वातावरण बाल–अपराध को जन्म् देने में सहायक होती हैं। **अब्राहमसन (1960)**[15] ने अपने अध्ययन में पाया कि माता–पिता के बीच तनाव होने से बालक को परिवार में सुरक्षा तथा सन्तोष नहीं मिलता। इस प्रकार का तनाव पारिवारिक एकता को दुर्बल बना देता है।

मैंक्कार्ड (McCord,1959)[16]ने भी स्वीकार किया कि जिन परिवारों में तनाव और शत्रुता पायी जाती हैं, वहाँ मानसिक शान्ति के लिये बालक घर से भागकर सड़कों का आश्रय लेता है।

बर्ट (1926)[17] ने अपने अध्ययनों में पाया कि 60 बाल–अपराधी दोष पूर्ण पारिवारिक सम्बन्धों के उत्पाद थे।

अब अगर हम माता–पिता तथा बालकों के आपसी संबंधों का विश्लेषण करें , तो इसमें भी बहुत विविधता पायी गयी । अधिकांश माता–पिता बच्चों के साथ बहुत स्नेहपूर्ण सम्बन्ध रखते नहीं पाये गये।गरीबी, परिवार के बड़े आकार, पति–पत्नी दोनों का काम पर जाना , पति–पत्नी का कलहपूर्ण सम्बन्ध आदि ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जिसके चलते बाल–अपराधी बच्चे माता–पिता का उचित स्नेह नहीं प्राप्त कर पाते । यहाँ हम अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी–5.4 से स्पष्ट कर रहे हैं :

सारणी – 5.4

माता–पिता तथा बच्चों का आपसी संबंध

क्रम सं.	माता–पिता एवं बच्चों का संबंध	बाल– अपराधी	प्रतिशत
1	स्नेहपूर्ण	18	09.00%
2	सामान्य	85	42.50%
3	डदासीन	37	18.50%
4	उपेक्षा एवं तनावपूर्ण	60	30.00%
	योग	**200**	**100.00%**

प्रस्तुत ऑकड़ों से स्पष्ट हैं कि लगभग 30% बाल अपराधी ऐसे थे, जो अपने माता–पिता द्वारा उपेक्षा एवं प्रताड़ना के शिकार थे। केवल 9.00% बच्चों को माता–पिता से उचित स्नेह मिल रहा था। अध्ययन से स्पष्ट है कि माता–पिता और बच्चों के आपसी संबंध तनावपूर्ण होने पर बाल–अपराध की घटनायें बढ़ जाती हैं।

नाय (Nye,1958)[18] ने भी अपने अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला है कि माता–पिता द्वारा बच्चों के व्यवहार तथा बच्चे द्वारा माता–पिता के व्यवहार की स्वीकृति देना या उसे अस्वीकृत करना ये दोनों ही बाल–अपराधिता से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की उत्पत्ति बच्चों के साथ माता–पिता का संबंध भी निर्णायक भूमिका अदा करता है।

4. दोषपर्ण पारिवारिक अनुशासन (Defective Family Discipline) :

परिवार में दोषपूर्ण अनुशासन बालक को अपराधी बनाने का प्रत्यक्ष कारण हैं। घर में स्वस्थ अनुशासन सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। माता–पिता के अनुशासन के तरीके, बच्चों में सही और गलत की पहचान कराने में, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार और आचरण की स्पष्ट रूपरेखा का निर्देश देने, और विभिन्न प्रकार के कार्यों और तौर–तरीकों के परिणामों से अवगत कराने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आंरभिक वर्षो में ही उसके चरित्र, आत्म–नियंत्रण और सामाजिक चेतना की आधारशिला रखी जाती हैं। इसलिये, बच्चों को परिवार के द्वारा सही तरीके से समझा जाना चाहिये और साथ ही समाज के मापदण्डों के अनुरूप उनपर असरदार तरीके से नियंत्रण भी रखना चाहिये ।[19]

शेल्डन और ग्लूक (Cyril Burt)ने भी अनुशासन के महत्व को इस प्रकार से समझाया है–" दोषपूर्ण अनुशासन के तौर–तरीके, न सिर्फ समाजीकरण की प्रक्रिया अपितु बच्चों के व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास के लिये गंभीर परिणाम पैदा कर सकते है। माता–पिता के अनुशासन के तौर–तरीकों में द्वन्द्व, अनिश्चितता, अत्यधिक क्रोध, या अन्य प्रकार के अति–संवेगात्मक प्रतिक्रिया, खासकर के बच्चों के छोटे–मोटे अपराधों पर जो कि वे विकसित होने के क्रम में अपनी शक्तियों के परीक्षण के लिये करते है, बच्चों में संवेगात्मक विकृति को पैदा कर सकते है। ऐसे बच्चों में अंवाछित व्यवहार और अन्ततोगत्वा सत्ता (माता–पिता तथा अन्य) के प्रति विरोध की भावना घर कर जाती है।"[20]

सिरिल बर्ट (Cyril Burt)ने लन्दन में बाल–अपराधियों के अध्ययन, के दौरान पाया कि दोषपूर्ण अनुशासन बाल–अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने 60.90% मामलों में दोषपूर्ण अनुशासन को बाल–अपराध का महत्वपूर्ण कारण पाया । उन्होंने माता–पिता द्वारा अति–कठोंर अनुशासन अपनाने को 10% बच्चों के बाल–अपराधी बनने का महत्वपूर्ण कारण पाया।[21]

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की उत्पत्ति में परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन भी समाजशास्त्रियों की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कारण है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराधियों मे माता–पिता द्वारा अपनाये गये अनुशासन के तौर–तरीकों को भी जानने का प्रयास किया गया। सुविधा के लिये हमने अपने अध्ययन में अनुशासन के पाँच तरीकों से सम्बन्धित तथ्य एकत्रित किये, जो इस प्रकार हैं :

(1) अति–कठोर (Over- Strict)अनुशासन–इसमें बालक की छोटी–मोटी गलतियों पर भी शारीरिक दण्ड दिया जाता है।

(2) शिथिल (Lenient) –इसमें बालक की छोटी–मोटी गलतियों और अन्य व्यवहारों को अनदेखा कर दिया जाता है।

(3) अति–शिथिल (Too-Lenient) –इसमें बालक की किसी भी गलती या असामाजिक तौर–तरीकों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है। एक तरह से उसके असामाजिक व्यतहार–प्रतिमानों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

(4) पक्षपातपूर्ण (Biased) –इस प्रकार के अनुशासन में कुछ बच्चों पर तो कठोर अनुशासन रखा जाता है, और कुछ बच्चों के ऊपर शिथिल अनुशासन रखा जाता है।

(5) सामान्य (Normal) –इसमें कठोर और शिथिल दोनों प्रकार के अनुशासन का मिश्रण होता है। फिर भी दोषपूर्ण स्थिति में इसका उचित अनुपात नहीं होता है।

प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि अधिकतर बाल–अपराधी शिथिल (Lenient), अति–शिथिल (Too – Lenient) और अति–कठोर (Over-Strict) अनुशासन के चलते सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन जीने की जगह अपराधी गतिविधियों की ओर अग्रसर होते गये। परिवार के द्वारा अपनाये गये अनुशासन के तौर–तरीके उनके संतुलित व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाये और वे गलत संगति में पड़कर अपराध की ओर अग्रसर होते गये। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को हम यहाँ सारणी –5.5 के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं :

सारणी – 5.5

बाल–अपराध और पारिवारिक अनुशासन

क्रम सं.	परिवार में अनुशासन के प्रकार	बाल–अपराधी	प्रतिशत
1	सामान्य	30	15.00%
2	अति – कठोर	37	18.50%
3	शिथिल	65	32.50%
4	अति शिथिल	45	22.50%
5	पक्षपातपूर्ण	23	11.50%
	योग	**200**	**100.00%**

ऊपर दिये गये सारणी से स्पष्ट है ज्यादात्तर बालक शिथिल (32.50%), अति–शिथिल(22.50%)तथा अति–कठोर (18.50%) अनुशासन के माहौल में पले और बड़े हुए। हाँलाकि 11.50% बालक ऐसे भी थे जिन्हें अपने माता–पिता से पक्षपातपूर्ण अनुशासन की शिकायत थी। केवल 15% बालक ऐसे थे, जिनका मानना था कि उनके घर का अनुशासन सामान्य तरीके का था। इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल–अपराधी बालकों का भली–भाँति समाजीकरण और व्यक्तित्व–विकास करने में, उनके माता–पिता द्वारा अपनाये गये अनुशासन के तौर–तरीके कारगर नहीं रहे, और बालक अवांछित गतिविधियों में संलग्न होता गया।

सिरिल बर्ट (Cyril Burt)[22] ने अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि अनापराधियों (Non-Delinquents) के परिवारों की अपेक्षा अपराधी (Delinquents) बालकों के परिवारों में अनुशासन का दोष पाँच गुणा अधिक है।

हीली और ब्रोनर (1926) ने 4,000 बाल–अपराधियों के अध्ययन में पाया कि 40% अपराधी ऐसे घरों से आये थे जिनमें दोषपूर्ण अनुशासन था।[23]

विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि जिन बच्चों के माता–पिता अति कठोर अनुशासन अपनाते हैं, उनके बच्चे आगे चलकर आक्रमक और हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो जाते है, घर से भाग जाते हैं और अवज्ञा (Disobedience) और प्रतिहिंसा (Retaliation) जैसे आचरण में संलग्न हो जाते हैं।

इसी प्रकार जब बालक के ऊपर बिल्कुल नहीं नियंत्रण होता है, शरारती और अवज्ञाकारी हो जाते हैं। इस प्रकार अपराध की ओर उनका कदम बढ़ जाता है।

पक्षपातपूर्ण अनुशासन के चलते बच्चे अपने माता–पिता से घृणा करने लगते हैं, साथ ही हीन–भावना का शिकार भी हो जाते हैं। खासकर सौतेले माता–पिता तथा नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ पलने वाले बालक पक्षपातपूर्ण अनुशासन का शिकार हो जाते हैं।

माता–पिता के अनुशासन के दोषपूर्ण होने के कई वजह हो सकते हैं। कई बार माता–पिता का अस्वस्थ होना या कोई शारीरिक कमी या विकलांग होना या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना भी दोषपूर्ण अनुशासन का कारण बन सकता है। माता–पिता का मन्द–बुद्धि (Feeble minded) होना, या नैतिक रूप से कमजोर होना और गलत आदतों का शिकार होना, ज्यादा उम्र का होना, या माता–पिता दोनों का काम पर जाना, या बच्चों के प्रति उदासीन होना आदि कई कारण हैं, जो कि बच्चों के दोषपूर्ण अनुशासन की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं, और बच्चा अवांछित गतितिधियों में संलग्न हो सकता है।

5. अनैतिक पारिवारिकपरिवेश(Immoral Family Enviornament) :

अनैतिक परिवारों (Vicious Homes) में बाल–अपराध के जन्म् लेने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। **बर्ट (Burt)** ने अपने अध्ययन में 25.9% ऐसे बाल–अपराधियों को पाया जो अनैतिक आचरण वाले परिवारों से आते थे।[24] कई मामलों में तो माता–पिता जानबूझकर बच्चों को अपराध करना सिखाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की पृष्ठभूमि भी अपराधिक होती है। माता–पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के अनैतिक आचरण का प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। माता–पिता के अनैतिक या अपराधी व्यवहारों का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव को **टैफ्ट(Taft)** महोदय ने तीन स्तरों में बाँटा है।[25]

(1) माता–पिताा स्वंय बालक को अपराध करना सिखाते हैं,

(2) बच्चे स्वयं अनुकरण द्वारा सीखते हैं,

(3) बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से अनेक समाज –विरोधी व्यवहारों को सिखते हैं,

इस प्रकार हम देखते हैं कि माता–पिता का गलत आचरण जैसे –शराब पीना, यौन दुराचार, लड़ाई–झगड़ा,जुआ खेलना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार,बच्चों को अपराधी गतिविधियों में लगाना आदि अनैतिक परिवारों के लक्षण हैं। माता–पिता के अलावा–अपराधी भाई–बहनों का परिवार में होना भी बच्चे पर बुरा प्रभाव डालता है। कई बार बड़े भाई–बहन छोटों को अस्वीकृत व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं, जो उनको अपराधी बनाने में सहायक होती है।अनैतिक परिवारों के ये लक्षण बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। परिवार के इस प्रकार के परिवेश का बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह भी अपराधी गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। **सलेन्जर (Sullenger)**ने ओहामा के 125 बाल–अपराधियों के अध्ययन में पाया कि लगभग एक चौथाई (25%) परिवारों में मद्यपान और उससे जुड़ी बुराइयाँ मौजूद थीं।[26]**ग्लुक्स(Gluecks)**ने अपने 1,000 बाल–अपराधियों के अध्ययन में पाया कि 40% बाल–अपराधी ऐसे परिवारों से आते हैं,जिसमें कोई न कोई सदस्य अपराधी रहा हो।[27]

प्रस्तुत अध्ययन में भी यह पता लगाने के प्रयास किया गया कि बाल–अपराधी बच्चों के घरो में नैतिक परिवेश कैसा था। सुविधा की दृष्टि से तीन बातों का पता लगाने का प्रयास किया गया–

(1) परिवार में नशे की आदत

(2) घर में कलह–पूर्ण माहौल

(3) परिवार का अपराधी–गतिविधियों में संलग्न होना

जहाँ तक नशे की बात है अधिकांश बाल–अपराधियों के परिवार में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का नशा करता था। कुछ मद्यपान की समस्या गंभीर रूप में मौजूद थी । चूंकि अधिकांश बाल–अपराधी निर्धन परिवारों से आते हैं, जिनमें निराशा औरअसन्तोष प्रबल रूप में मौजूद रहता है। साथ ही वे तनाव और उदासीनता के भी शिकार होते हैं। अतः तनाव दूर करने के लिये वे मद्यपान तथा अन्य प्रकार का नशाओं का सहारा लेते हैं। माता–पिता को नशा करते देख बालक भी आसानी से किसी ने किसी प्रकार का नशा करने का आदी हो जाता है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को हम नीचे दिये गये सारणी –5.6 से स्पष्ट कर रहे है : भाई–बहनों स्वयं (बाल–अपराधी)

सारणी–5.6

बाल–अपराधी परिवार में नशे की प्रवृत्ति

क्रम सं.	परिवार में नशा करने वाले सदस्य	आवृति	प्रतिशत
1	थ्पता	64	32.00%
2	माता–पिता दोनो	80	40.00%
3	भाई–बहन	20	10.00%
4	अन्य रिश्तेदार	24	12.00%
5	कोई नहीं	12	0.6%
	योग	**200**	**100.00%**

सारणी से स्पष्ट है कि बाल–अपराधियों के घर में लगभग 32% पिता तथा 40%माता–पिता दोनो किसी न किसी प्रकार का नशा करते थें वहाँ बाल–अपराधियों में नशे की प्रवृति सबसे ज्यादा पायी गयी।

जहाँ तक घर में कलह या तनावपूर्ण माहौल की बात है सारणी–5.4 से स्पष्ट है कि लगभग 30% परिवारों में तनावपूर्ण महौल पाया गया। इन घरों में माता–पिता के आपसी सम्बन्ध तो तनावपूर्ण थे ही, बच्चों के साथ ही उनका सम्बन्ध अच्छा नहीं था।

बाल–अपराधी परिवार के अपराधी गतितिविधियों में संलग्न होने की बात जहाँ तक है, तो भारत में कई जातियॉ, जनजातियाँ और उपजातियाँ अपराध में संलग्न रहती हैं, और यहीं उनका पेशा भी है उदाहरण के लिये सांसी, नट, कंजर आदि ऐसी जनजातियाँ है, जोकई पीढ़ियों से अपराधी गतिविधियों में संलग्न रहती चली आ रहीं है। चोरी, डकैती, लूट–मार, वैश्यावृति, अवैध शराब बनाना आदि गतिविधियों में ये पीढी–दर–पीढ़ी संलग्न रहे हैं। हमारे इस अध्ययन में भी लगभग 15% परिवार ऐसे पाये गये, जिसका कोई ने कोई सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार अपराधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया।

बाल–अपराधी परिवारों में अक्सर यौन–दूराचार के मामले भी होते हैं। परन्तु, इस अध्ययन में इस विषय पर बाल–अपराधियों ने कोई ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी नहीं प्रदान की ।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परिवार का अनैतिक परिवेश बाल–अपराध को जन्म् देने में काफी अनुकूल परिवेश तैयार करता हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे आसानी से असामाजिक और अवांछित गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं।

6. पारिवारिक व्यवसाय (Family Occupation) :

प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराधियों के माता–पिता के व्यवसाय को भी जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुआ कि अधिकांश बाल–अपराधियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न् और औसत दर्जे की थी। बहुत कम बाल–अपराधियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अधिकांश परिवारों में माता–पिता छोटे–मोटे रोजगार–धंधे में लगे थे

। अधिकांश परिवारों में पिता मजदूरी या खेती करते थे, तथा मातायें मजदूरी या बर्तन–पोछा, झाड़ू लगाने का काम करती पायी गयीं । कुछ परिवारों में तो पिता और माता में से कोई एक या दोनो ही बेरोजगार भी पाये गये।

बालकों के पिता जिन छोटे–मोटे व्यवसायों में संलग्न पाये गये, उनमें मजदूरी, सब्जी बेचना, चाय बेचना, खाती का काम , पेन्टर, टेम्पो–चलाना, काश्तकारी, परचून की दूकान चलना, रिक्शा या ठेला चलाना, साड़ी बिनने का काम, बेलदारी करना आदि प्रमुख हैं। अशिक्षित माताओं में से अधिकांश मजदूरी, दूसरों के घर बर्तन माँजने, खाना बनाने या झाड़ू–पोछा लगाने आदि का काम करती पायी गयीं ।

हालाँकि जिन बाल–अपराधियों के माता–पिता पढ़े लिखे थे वे अच्छी नौकरी भी करते पाये गये । अधिकांश मामलों में पिता क्लर्क, अध्ययपक, पुलिस या अन्य किसी नौकरी में लगे थे । कुछ मातायें भी चपरासी, जूनियर क्लर्क या दूकान चलाने के काम पर लगी थीं। परन्तु, इनकी संख्या बहुत कम पायी गयीं ।

कुल मिलाकर देखें तो अधिकांश बाल–अपराधियों के पिता–माता मजदूरी, खेती या अन्य छोटे–मोटे रोजगारों से अपनी आजीविका चलाते पाये गये । बहुत कम बाल–अपराधियों के पिता–माता अच्छी नौकरी या व्यवसाय करते पाये गये ।

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को हम निम्नलिखित सारणियों के द्वारा स्पष्ट कर सकते है

सारणी–5.7

पिता का व्यवसाय

क्रम सं.	पिता का व्यवसाय	आवृति	प्रतिशत
1	नौकरी	16	08.00%
2	व्यवसाय	20	10.00%
3	खेती	36	18.00%
4	मजदूरी	60	30.00%
5	अन्य छोटे–मोट काम	64	32.00%
6	बेरोजगार	04	02.00%
	योग	**200**	**100.00%**

सारणी–5.8

माता का व्यवसाय

क्रम सं.	माता का व्यवसाय	आवृति	प्रतिशत
1	नौकरी	10	05.00%
2	व्यवसाय	08	04.00%
3	खेती	15	07.50%
4	मजदूरी	51	25.50%
5	अन्य छोटे–मोट काम	72	36.00%
6	गृहणी	44	22.00%
	योग	**200**	**100.00%**

इस प्रकार ऊपर दर्शाये गये सारणियों से स्पष्ट हैं कि अधिकांश बाल–अपराधियों के माता–पिता खेती, मजदूरी या अन्य छोटे–मोटे काम जैसे –ऑटो रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, चाय की दूकान चलाना, साइकिल मरम्तत करना, मोची, नाई धोबी आदि छोटे–मोटे रोजगारों से अपनी आजीविका चलाते पाये गये। बहुत कम माता–पिता ऐसे थे, जो नौकरी या कोई अन्य प्रतिष्ठित व्यवसाय से अपनी आजीविका चला रहे थे। बाल–अपराधियों के पारिवारिक व्यवसाय को देखने से स्पष्ट हो जाता है, कि अधिकांश बाल–अपराधियों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जैसा कि पिछले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है।

6. शैक्षणिक पृष्ठभूमि (Educational Background) :

बाल–अपराधियों के परिवार और उसके सम्बन्धित तथ्यों को जानने के साथ ही हमने उनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि को भी जानने का प्रयास किया। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा हमारे व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। उचित शिक्षा के अभाव में बालकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। साथ ही माता–पिता के अशिक्षित या कम पढ़े–लिखे होने से भी बालकों का उचित समाजीकरण नहीं हो पाता है। उनमें उचित जीवन–मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है। साथ ही उचित शिक्षा के अभाव में समाज के मानदण्डो और व्यवहार–प्रतिमानों के साथ बालक का सामंजस्य नहीं बढ पाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है, कि अधिकांश बाल–अपराधी अनपढ़ या बहुत कम पढ़े–लिखे थे। यही हाल उनके माता–पिता का भी था। बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होने सेकण्ड्री या हाई–स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी। यही हाल उनके माता–पिता का भी था । इनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि को अगर इनकी निम्न् आर्थिक स्थिति और निम्न्–व्यवसाय के संदर्भ में देखा जाये, तो स्पष्ट होता है कि इनके परिवारों में शिक्षा प्राप्त करने का न तो उचित परिवेश है, और न ही इसका उचित अवसर इनको मिल पाता है। साथ ही शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, इस बात से भी ज्यादातर माता–पिता अनजान थे । अध्ययन से जो तथ्य प्राप्त हुए उनको हम यहाँ सारणी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं :

सारणी – 5.9

माता–पिता का शैक्षणिक–स्तर

क्रम सं.	शैक्षणिक स्तर	पता	प्रतिशत	माता	प्रतिशत
1	अशिक्षित (llliterate)	5	7.50%	0	0.00%
2	प्राइमरी (l-V)	0	5.00%	5	2.50%
3	मिड्ल (V-VIII)	7	8.50%	2	6.00%
4	सैकण्ड्री (X Pass)	0	0.00%	5	7.50%
5	हाई – सैकण्ड्री (XII Pass)	3	6.50%	5	2.50%
6	बी.ए.या अन्य	5	2.50%	3	1.50%
	योग	**200**	**100.00%**	**200**	**100.00%**

सारणी – 5.10

बाल–अपराधी का शैक्षणिक स्तर

क्रम सं.	बाल–अपराधी का शैक्षणिक स्तर	आवृति	प्रतिशत
1	निरक्षर (llliterate)	62	31.00%
2	प्राइमरी (l-V)	55	27.50%
3	मिड्ल (V-VIII)	60	30.00%
4	सैकण्ड्री (X Pass)	14	07.00%
5	हाई – सैकण्ड्री (XII Pass)	10	5.00%
6	बी.ए.या अन्य	–	–
	योग	**200**	**100.00%**

इस प्रकार ऊपर दर्शाये गये सारणियों से स्पष्ट है कि अधिकांश बाल–अपराधियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी निम्न् स्तर की थी। अधिकांश बाल–अपराधी (तीन–चौथाई) या तो निरक्षर थे या बहुत कम पढ़े लिखे थे। इनके माता–पिता की शैक्षणिक स्थिति भी लगभग यही थी। बहुत कम बाल–अपराधी सेकण्ड्री पास थे। परन्तु, तीन–चौथाई माता –पिता में जरूर कुछ हायर सैकण्ड्री(XII) और बी.ए. तक शिक्षित थे। परन्तु, तीन–चौथाइै मात–पिता भी लगभग निरक्षर या बहुत कम पढ़े–लिखे थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बाल–अपराध की उत्पति में एक अहम भूमिका निभाता है। उचित शिक्षा के अभाव मे बालकों का समायोजन समाज क साथ असंतुलित हो जाता है, और वे अवांछित व्यवहार प्रतिमानों को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ऐसा उनकी संगति, परिवार के दोषपूर्ण अनुशासन, निम्न् आर्थिक स्थिति, गरीबी,

माता–पिता के अनैतिक आचरण आदि के सम्मिलित प्रभाव से भी होता है, जैसा कि इस अध्ययन में हमने पाया है।

शिक्षा के अभाव में बालकों में चारित्रिक दोष आसानी से घर कर जाता है, और वे उचित और मान्य जीवन–मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। साथ ही उनका बौद्धिक और मानसिक विकास भी कुंठित हो जाता है। इस प्रकार वे असमायोजित व्यक्तित्व (Maldadjusted Personality) का शिकार होकर, बाल–अपराध की दुनिया में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं।

5.2 आयु एवं बाल–अपराध (Age & Juvenile Delinquency):

आयु बालक को व्यवहार और संवेगिक परिपक्वता से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। साथ ही आयु बाल–अपराध को समझने तथा किस आयु में बाल–अपराध अधिक पाया जाता है, इसकी व्याख्या करने में भी महत्वपूर्ण चर है।

प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न आयु–समूहों में बाल–अपराध की आवृत्ति का पता लगाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश बाल–अपराध किशोरावस्था (14 से 18 वर्ष के बीच) में ही सम्पन्न किये जाते हैं। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी– 5.11 के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है :

सारणी – 5.11

आयु एवं बाल–अपराध

क्रम.सं.	आयु–समूह	बाल–अपराध की आवृत्ति	प्रतिशत
1	07-10	08	04%
2	11-12	12	06%
3	13-14	38	19%
4	15-16	72	36%
5	17-18	70	35%
	योग	**200**	**100%**

Avrage= 15.3

ऊपर दर्शाये गये सारणी का विश्लेषण करने से यह बात साफ हो जाती है, कि अधिकांश बाल–अपराधी 15 से 18 वर्ष की आयु–समूह में पाये जाते हैं। लगभग दो–तिहाई से भी ज्यादा (36 + 35 = 71%) बाल–अपराध इसी आयु–समूह में पाये गये। 13 और 14 वर्ष के बाल–अपराधियों का प्रतिशत 19% पाया गया, जबकि 07 से लेकर 12 वर्ष के आयु–समूह में मात्र 10% (4 + 6) बाल–अपराधी पाये गये।

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकतर बाल–अपराधिकता किशोरावस्था में ही पायी जाती है। हमारे द्वारा प्राप्त इस निष्कर्ष की तुलना अगर भारत तथा अन्य देशों में किये गये अध्ययनों से किया जाये, तो हम पाते है कि **मिसेज रूटॉन शॉ**[28] द्वारा पूना में किये गये अध्ययन में यह औसत उम्र 14 वर्ष, **हंसा सेठ**[29] द्वारा बॉम्बे में किये गये अध्ययन में 13 वर्ष, **एम. फोर्टेस** के अध्ययन में 13 वर्ष जो कि लन्दन में किया गया, **मानहीन** के अध्ययन में भी 13 वर्ष, **बागोट** तथा **कार–सॉन्डर्स** द्वारा लन्दन में 13 वर्ष, ग्लूक के अध्ययन में 12.4 वर्ष, तथा मानशर्ड के अध्ययन में 12 वर्ष पाया गया।[30] **डी.डी. शर्मा** द्वारा राजस्थान में किये गये अध्ययन में यह औसत आयु 14.7 पाया गया।[31]

इस प्रकार हम पाते हैं कि अधिकांश बाल–अपराध की घटनायें किशोरावस्था में ही घटती हैं। ये बालक के विकास का संक्राति–काल (Transitional – Phase) होता है। इस उम्र में बालक में अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन आते हैं। बालक अत्याधिक स्वतंत्रता चाहता है, तथा वह किसी प्रकार का भी नियंत्रण पसंद नहीं करता है। इस अवस्था में वह अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, और यदि किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो वह निराशाजनक परिस्थिति के प्रति आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है।

5.3 बाल–अपराध एवं लिंग–भेद (Juvenile Delinquency & Sex-difference):

प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराध और लिंग–भेद के सम्बन्ध को जानने का प्रयत्न भी किया गया है। भारतीय सामाजिक परिदृश्य में लड़के और लड़कियों की सामाजिक पृष्ठभूमि

अलग–अलग होती है। उनका समाजीकरण भी अलग–अलग तरीके से किया जाता है। जहाँ लड़को को घर से बाहर जाने, खेलने–कूदने तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है, वहीं लड़कियों को ज्यादातर समय घर के अन्दर घरेलू गतिविधियों तक ही सीमित रहना पड़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान भी लड़को को ज्यादा कठोर तथा (Rough & Tough) तथा आक्रामक (Aggressive) बनने की सीख दी जाती है, वहीं लड़कियों को आज्ञाशील (Submissive) विनीत (Docile) और कोमल (Soft) बनने की सीख दी जाती है। साथ ही लड़के और लड़कियों के शारीरिक और मानसिक बनावट में भी मौलिक भेद होता है।

अध्ययन से प्राप्त आँकड़े या तथ्य इस बात को दर्शाते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में बाल–अपराध की आवृत्ति बहुत ही कम पायी जाती है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लड़कियों के द्वारा किये गये अपराधों को आमतौर पर सामाजिक कारणों से छुपा लिया जाता है, और पुलिस–थाने में इनके अपराध बहुत कम दर्ज कराये जाते हैं। यहाँ नीचे दिखाये सारणी – 5.3 में लड़के और लड़कियों के बाल–अपराधिता के प्रतिशत को स्पष्ट किया गया है:

सारणी – 5.12

लिंग एवं बाल–अपराध

क्रम. सं.	लिंग (Sex)	बाल–अपराध की आवृत्ति	प्रतिशत
1	लड़के (M)	182	91.00 %
2	लड़कियाँ (F)	18	09.00 %
	योग	**200**	**100%**

ऊपर दर्शाये सारणी से स्पष्ठ है कि लड़कियों में बाल–अपराधिता का प्रतिशत कुल बाल–अपराध के 1/10 वें भाग से भी कम है। अध्ययन के दौरान उपलब्ध बाल–अपराधियों में ज्यादातर लड़के ही पाये गये। साथ ही लड़कियों द्वारा किये गये अपराध बहुत ही मामूली प्रकृति के थे, और ज्यादातर मामलों में उन्हें एक–दो दिन के अन्दर ही जमानत पर रिहा कर दिया

गया। लड़कियों के द्वारा किये गये बाल–अपराध का कम प्रतिशत (9.00%) शायद इसलिये भी है कि लड़को द्वारा किये गये अपराध जहाँ स्वेच्छापूर्वक और सुख–प्राप्ति की संलग्नता के रूप में देखे जाते हैं, वहीं लड़कियों द्वारा किये गये अपराध को जान–बूझकर फँसाने (Involvement) के रूप में देखा जाता है। दोनों के सामाजिक पृष्ठभूमि का अन्तर उनके द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति में भी देखा जा सकता है। जहाँ लड़को में हर तरह के और आक्रामक अपराधों की प्रकृत्ति देखने को मिलती है, वहीं लड़कियों द्वारा किये गयेअपराध विशिष्ट तथा घरेलू प्रकृत्ति के होते हैं।[32] लड़कियों द्वारा किये गये अपराध में ज्यादातर मामले यौन–अपराध से सम्बन्धित होते हैं।

5.4 धर्म और बाल–अपराध (Religion and Juvenile Delinquency):

प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न धार्मिक समूहों में बाल–अपराधियों की आवृत्ति को भी पता लगाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि 75.00% बाल–अपराधी हिन्दू धर्म के थे। 12.50% बाल–अपराधी मुस्लिम थे तथा 12.50% बाल–अपराधी जनजातीय समुदायों के थे। सिक्ख, क्रिश्चियन तथा जैन धर्म से एक भी बाल अपराधी संयोगवश बाल–पर्यवेक्षण गृह में नहीं मिला। अध्ययन से प्राप्त आँकड़ो को नीचे दिये गये सारणी में स्पष्ट किया गया है :

सारणी – 5.13

धर्म और बाल–अपराध

क्रम. सं.	लिंग (Sex)	बाल–अपराधी	प्रतिशत
1	हिन्दू	150	75.00%
2	मुस्लिम	25	12.50%
3	सिक्ख	-	-
4	इसाई	-	-
5	जैन	-	-
6	अन्य (जनजातियाँ)	25	12.50 %
	योग	**200**	**100%**

सारणी–5.4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बाल–अपराधियों में अधिकांश बाल–अपराध के मामले हिन्दू, मुस्लिम और जनजातीय समुदाय में पाये गये। जहां तक सिक्ख, ईसाई और जैन समुदाय की बात है, तो इनके समुदाय से एक भी बाल–अपराधी प्रस्तुत अध्ययन में नहीं मिला। यह एक संयोग की बात भी हो सकती है। वैसे राजस्थान राज्य में विभिन्न धर्मो का कुल जनंसख्या में प्रतिशत अनुपात देखें, तो यह बात चौंकाने वाली नहीं है। सिक्ख, इसाई और जैन राज्य में अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं, साथ ही आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी ये अन्य समुदायों से पीछे नहीं है। अतः इनमें, बाल–अपराध की न के बराबर उपस्थिति दर्ज की गयी।

जनजातियों में बाल–अपराध का प्रतिशत 12.50% पाया गया, जो कि राज्य की कुल जनजातीय जनंसख्या के समानुपात में है। 1991 की जनगणना–रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 12.50% था।[33] उसकी प्रकार हिन्दूओं और मुसलमानों के आबादी–प्रतिशत के अनुरूप ही बाल–अपराध में उनकी हिस्सेदारी दर्ज की गयी है। **हंसा सेठ** और **एस.एस. श्रीवास्तव** के अध्ययनों का अगर इस अध्ययन से तुलना किया जाये, तो एक बात

स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दूओं और मुसलमानों में बाल–अपराध का प्रतिशत ज्यादा पाया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाये गये सारणी से स्पष्ट हैः

सारणी – 5.14

धर्म एवं बाल अपराध का वितरण

क्रम. सं.	आधार	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	इसाई	अन्य
1	हंसा सेठ	75.84	18.28	-	4.94	0.94
2	एस.एस. श्रीवास्तव	65.30	33.00	-	1.7	-
3	वर्तमान अध्ययन	76.25	12.50	-	-	11.25

प्रस्तुत सारणी के द्वारा धार्मिक समुदायों और बाल–अपराध में उनके प्रतिशत अनुपात को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

5.5 जाति और बाल–अपराध (Caste & Juvenile Delinquency):

प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराधियों के जातिय पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि 47.5 प्रतिशत बाल–अपराधी निम्न जातियों के सदस्य थे। 28. 75 प्रतिशत बाल–अपराधी मध्यम या अन्य पिछड़ी जातियों के थे। 12.5 प्रतिशत बाल–अपराधी उच्च जातियों के सदस्य थे तथा 11.25 बाल–अपराधी विभिन्न जनजातियों के सदस्य थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराधियों में ज्यादातर समाज में नीचे की श्रेणी में आने वाली जातियों के सदस्य थे। इन निम्न जातियों में रेगर, हरिजन, कोली, बैरवा, सुथार, चमार, हरिजन, मेघवाल, बावरी, बागड़ी, कंजर, बंजारा, सांसी आदि प्रमुख है। दूसरे स्थान पर मध्य श्रेणी की या अन्य पिछडे वर्ग की जातियों के बाल–अपराधी आते हैं। इनमें जाट, गुर्जर, सुथार, तेली, यादव, नाई, जोगी, नायक, ताथेरा, रावत, कुम्हार, सुनार आदि जातियाँ आती हैं।

तीसरे स्थान पर उच्च जातियों जैसे ब्राहम्ण, क्षत्रिय और वैश्य आदि के बाल–अपराधी आते हैं। सबसे नीचे विभिन्न जनजातियों के बाल–अपराधियों का स्थान आता है। अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों को नीचे दर्शाये गये सारणी–5.6 में स्पष्ट किया गया हैः

सारणी – 5.15

जाति और बाल–अपराध का वितरण

क्रम. सं.	जाति समूह	बाल–अपराध की संख्या	प्रतिशत
1	निम्न **(Low)** जातियाँ	95	47.50%
2	मध्यम **(Middle)** जातियाँ	57	28.50%
3	उच्च **(High)** जातियाँ	25	12.50%
4	जनजातियाँ **(Tribals)**	23	11.50%
	योग	**200**	**100%**

ऊपर दिखाये गये सारणी से स्पष्ट है कि लगभग 65% बाल–अपराधी निम्न (Low) और मध्यम (Middle) जातियों के सदस्य हैं। ये जातियाँ आर्थिक दृष्टि से न सिर्फ गरीबी का शिकार हैं बल्कि इनमें शिथिल सामाजिक और नैतिक प्रतिबन्ध भी पाये जाते हैं। ये जातियाँ कई तरह की सामाजिक और आर्थिक निर्योग्यताओं (disabilities) का शिकार होती है। इसका असर इन जातियों के बच्चों के पालन–पोषण और समाजीकरण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अपने आस–पास के सामाजिक और संस्कृतिक परिदृश्य में अपनी निम्न स्थिति को देखकर इनमें हीन भावना घर कर जाती है। इस स्थिति में इनकी प्रतिक्रिया नाकारात्मक, आक्रमक और विचलनकारी व्यवहार को जन्म देती है।

जनजातियों में न्यून मजदूरी (Low wages), आंशिक रोजगार, अशिक्षा, असंतोषप्रद मकानों की स्थिति (Housing Conditions) नशे की आदत, मूलभूत अन्य सुविधाओं का अभाव, इनके बच्चों को अपराध की और उन्मुख करता है।

हालाँकि उच्च जातियों में भी बाल–अपराधियों का पाया जाना इस बात को दर्शाता करता है कि बाल–अपराध केवल निम्न और मध्यम श्रेणी की जातियों से जुड़ा सामाजिक तथ्य नहीं है। जब एक उच्च जाति का परिवार भी विघटित और विखंडित होता है, तो इनके बच्चों के सामने भी ठीक उसी तरह का सामाजिक वातावरण पैदा हो जाता है, जैसा कि निम्न और मध्य वर्ग की जातियों के बच्चे प्रारम्भ से ही सामना करते होते हैं। ऐसे स्थिति में निराशा और अवसाद से निकलने के लिये उच्च जातियों के बच्चे भी अपराध की दुनिया में कदम रखने लगते हैं।

इस प्रकार हम देखते है कि विभिन्न जातियों के सदस्य अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। समाज में निम्न स्थिति (Status) उन्हें जीवन के कई अवसरों और सुविधाओं से वंचित करती है। परिणामस्वरूप, अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, वे बहुत आसानी से अपराधी गतिविधियों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं।

5.6 ग्रामीण एवं नगरीय पृष्ठभूमि (Rural and Urban Background):

भारतीय समाज में बालकों का समाजीकरण ग्रामीण तथा नगरीय समाज में अलग–अलग तरीके से होता है। ग्रामीण समाज में जहाँ परिवार, जाति ओर पड़ौस का प्रभाव और नियंत्रण बालकों पर अधिक होता है, वहीं नगरीय समाज में इन संस्थाओं का प्रभाव बहुत घट जाता है। ग्रामीण समाज में जहाँ प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, वहीं नगरीय समाज में द्वैतीयक संबंधों और समूहों का जीवन में महत्व और प्रभाव ज्यादा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज में बालकों पर सामाजिक नियंत्रण का दबाव ज्यादा रहता है।

आम तौर पर ऐसा मानना है कि बाल–अपराध की घटना शहरों में ज्यादा घटती है। शहरों की भौतिक समृद्धि, चकाचौंध और ग्लैमर तथा शिथिल सामाजिक नियंत्रण बाल–अपराध के लिये ज्यादा उर्वरा जमीन (Fertile Ground) तैयार करता है। अधिकांश अध्ययनों से भी

यह बात सामने आयी है कि शहरों में बाल–अपराध की दर गाँवों की तुलना में ज्यादा है। अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि बडे–बडे शहरों में बाल–अपराध की दर सबसे ज्यादा होती है। हालांकि यह देखा गया कि बडे–बडे शहरों के बाद अपराध या बाल–अपराध की दर की दृष्टि से देखा जाये तो दूसरा नम्बर उन ग्रामीण इलाकों का आता है जो इन बड़े–बडे शहरों से सटे हुए हैं। इन ग्रामीण इलाकों में बढ़ते औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण के चलते तीव्र सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाल–अपराध की घटनायें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। **वेड्डर (Vedder)** का मानना है कि जैसे–जैसे संचार–गतिशीलता (Communication mobility) और नगरीकरण (Urbanization) की प्रक्रिया विकसित होगी, वैसे–वैसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाल–अपराध की दरों में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि का अन्तर और प्रभाव कम होता जायेगा।[34]

प्रस्तुत अध्ययन में भी बाल–अपराधियों के शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि बाल–अपराध के दर में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के आधार पर ज्यादा अन्तर नहीं है। जहाँ शहरों में बाल अपराध का दर 52.00 प्रतिशत पाया गया, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से भी 48.00 प्रतिशत बाल–अपराध की घटनायें दर्ज की गयीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय पृष्ठभूमि, दोनों में ही बाल–अपराध की घटनायें लगभग बराबर संख्या में दर्ज की जा रही है। अध्ययन से प्राप्त आँकडों को स्पष्ट करने के लिये उन्हें सारणी–5.16 के द्वारा स्पष्ट किया गया है :

सारणी – 5.16

बाल–अपराधः ग्रामीण और नगरीय पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में

क्रम. सं.	चर	लड़के (Boys)	लड़कियाँ(Girls)	कुल(Total)	प्रतिशत (%)
01	ग्रामीण	90	06	96	48%
02	शहरी	92	12	104	52%
	योग	182	18	200	100%

ऊपर दर्शाये गये सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि का अन्तर बाल–अपराध की दर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। लगभग दोनों प्रकार की पृष्ठभूमि से समान संख्या में बाल–अपराध की घटनायें दर्ज की जाती हैं। इसे हम Pie-Chart (वृत्त रेखाचित्र) के द्वारा इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं:

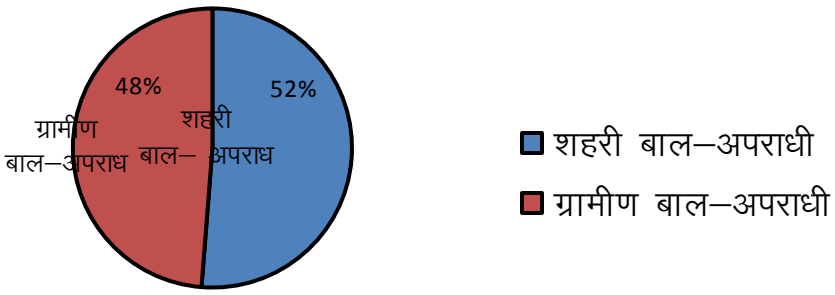

(Pie Chart of Juvenile Delinquents)

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की घटनायें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रही हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, दूर–संचार और यातायात के साधनों के विकास, गाँव से शहरों की ओर प्रवास, सूचना–तकनीकी में क्रांतिकारी विकास आदि के चलते ग्रामीण समाज भी शहरी प्रभाव और संस्कृति से अछूते नहीं

रह गये हैं। खास कर के शहर से सटे हुए गांवों में नगरीय समाज के सभी लक्षण देखने को मिल जाते हैं।

5.7 आर्थिक–पृष्ठभूमि (Economic Background):

परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि बाल–अपराध की उत्पत्ति में एक प्रभावी भूमिका निभाती है। आर्थिक पृष्ठभूमि मानव व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करती है। लिण्ड (Lynd, 1937) के शब्दों में, ''कोई व्यक्ति कौन है, किसे कौन जानता है, कौन कैसे रहता है, कोई क्या पाना चाहता है, तथा इसी प्रकार की जीवन की अनेक वास्तविकताएँ इस बात से निश्चित होती हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिये क्या करता है।''[35]

अतः आर्थिक दशाओं को व्यवहार पर दबाव डालने वाली उन स्थितियों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिनसे बालक की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और जिस बाधा के फलस्वरूप बालक के समायोजन का प्रतिमान असामाजिकता की और मुड़ जाता है।

बार्नस (Barnes, 1939) के अनुसार, ''आवश्यकता और लालच अधिकतर अपराधों की व्याख्या करते हैं।''[पपप36] इस कथन के पक्ष में उन्होनें यह तर्क प्रस्तुत किया कि आधुनिक जगत में आर्थिक या भौतिक सफलता के आधार पर ही सामाजिक स्थिति निर्भर करती है, इसलिये सभी लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इतना व्यस्त है कि उन्हें गैर–कानूनी काम करने में भी संकोच नहीं होता। मनुष्य एक ''आर्थिक प्राणी'' है। जीविकोपार्जन करना उसका मौलिक कार्य है। आर्थिक व्यवस्था में ऐसी अनेक बातें क्रियाशील हैं जो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की सफल संतुष्टि में बाधक होती है। निम्न व्यवसाय, निम्न आय तथा बेकारी के कारण वह आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है। जब उचित और समाज द्वारा स्वीकृत पद्धतियों द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह असामाजिक तथा उपराधी कार्यों

के माध्यम से उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करता है। यही बात बालकों पर भी लागू होती है। जब बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तो वे चोरी करते हैं तथा घर से भागते हैं। **एस. एस. श्रीवास्तव** के कथनानुसार, ''एक भूखा बच्चा भीख माँगेगा या चोरी करेगा, घर में स्नेह प्राप्त न होने पर अन्य समूहों से अपने संबंध स्थापित करेगा।'' (1963 : 36–37)[37]

प्रस्तुत अध्ययन में भी बाल पर्यवेक्षण गृह में मौजूद बाल–अपराधियों के आर्थिक पृष्ठभूमि को पता लगाया गया। अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि ज्यादा बाल–अपराधी गरीब परिवारों के सदस्य थे। प्राप्त सूचनाओं से यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 38.75% बाल अपराधी अत्यन्त निर्धन परिवारों से आतें हैं, जिनके परिवार की मासिक आय 2000 से 3000 की बीच आती है। दूसरे नम्बर पर निर्धन परिवारों के बच्चे आते हैं, जिनके परिवार की मासिक आय 3000 से 8000 रूपये के बीच आती है। इस प्रकार के परिवार से लगभग 35% बाल अपराधी पाये गये । इस प्रकार हम पाते हैं कि दो–तिहाई से ज्यादा बाल–अपराधी केवल निर्धन और अति–निर्धन परिवारों के बच्चे थे।

बाल –अपराधी अध्ययन में पाया गया कि 17.50% मध्यम आय–वर्ग (Rs, 8,000 & 15,000) से आते हैं, तथा लगभग 8.75% बाल–अपराधी अच्छे आर्थिक पृष्ठभूमि (Rs, 15,000 and above) से हैं।

अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के नीचे दिखाये गये सारणी तथा दण्ड चित्र द्वारा स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है :

सारणी – 5.17

बाल–अपराध तथा आर्थिक पृष्ठभूमि

क्रम. सं.	चर	बाल–अपराधी	प्रतिशत
01	अत्यन्त निर्धन (Very Low)	77.5	38.75%
02	निर्धन (Low)	70	35.00%
03	माध्यम (Middle)	35	17.50%
04	उच्च (High)	17.5	08.75%
	योग	**200**	**100%**

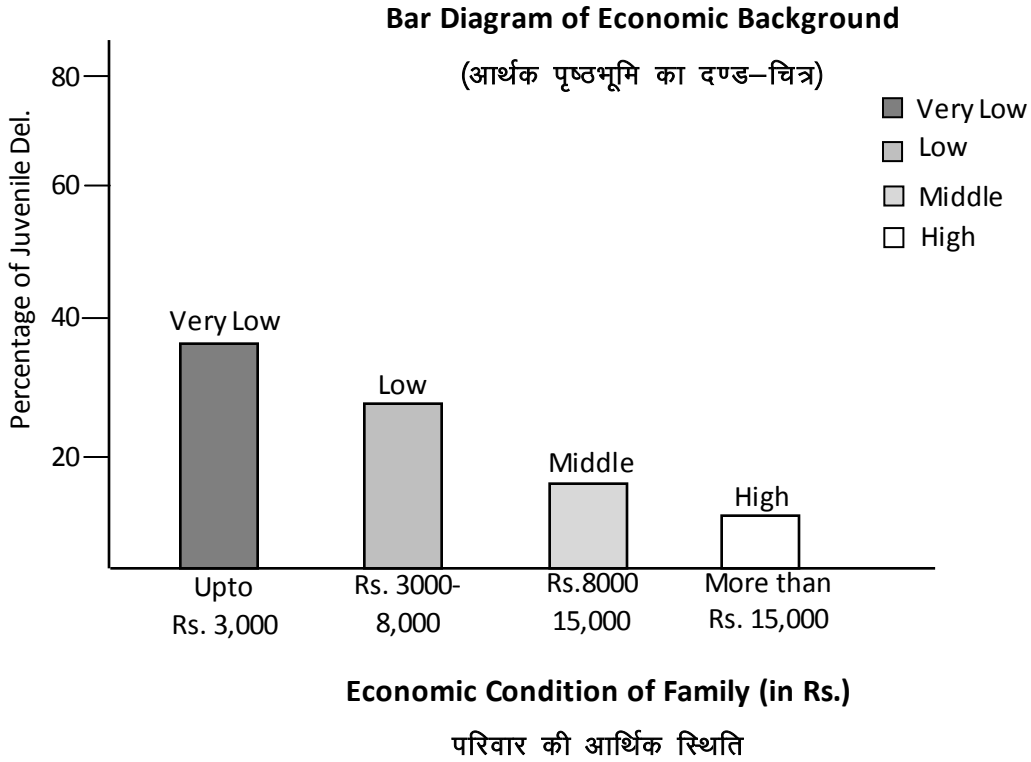

इस प्रकार ऊपर दर्शाये गये सारणी और बार–डायग्राम (दण्ड चित्र) से बाल–अपराधियों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। साथ ही यह निष्कर्ष भी निकलता है कि ज्यादातर बाल–अपराधी गरीब परिवारों से आते हैं।

अध्ययन से प्राप्त आंकडे इस बात की पुष्टि करते हैं कि निम्न् आर्थिक वर्ग में बाल–अपराध की संख्या उच्च आर्थिक वर्ग की तुलना में अधिक पायी जाती है, जैसा कि अमेरिका में काल्ड़वेल (1931 : 231–239)[38], ग्लूक्स (1962 : 280)[39] तथा शॉ और मैके (1931 : 141–146)[40] ने बाल–अपराधियों तथा उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने पर पाया। इस बात की पुष्टि नीचे दिये गये व्यक्ति अध्ययन (Case Study) से भी होती है।

व्यक्तिक अध्ययन सं. 1 (Case Sutdy No. 1):

सोनू रेगर (परिवर्तित नाम), जिसकी उम्र 17 वर्ष हैं, बाल–सम्प्रेक्षण गृह में चोरी के जुर्म में रिमांड पर लाया गया था। यह रेगर जाति का है, तथा छठी क्लास तक पढ़ाई किया है। यह झालावाड़ जिले के खानपुरा गाँव का रहने वाला है। इसके पिता दूसरी पास तथा मजदूरी करते हैं। माता अनपढ़ है, तथा वह भी मजदूरी तथा अन्य छोटे–मोटे काम करती है। कुल मिलाकर इसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। परिवार निर्धनता से ग्रस्त हैं। पढ़ाई जल्दी–छोड़ देने का कारण घर की गरीबी है। वह भी पिता के साथ कभी–कभी मजदूरी करने जाता था। परन्तु उसकी संगति अच्छी नहीं है। इस प्रकार अपने दमित इच्छाओं तथा अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वह चोरी करने की ओर प्रवृत हुआ। उसने गाँव के मन्दिर की दानपेटी से रूपये व बर्तन चुराये, और इस जुर्म में गिरफ्तार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्धनता अपराध की और अग्रसर होने में प्रभावी भूमिका निभाती है।

परन्तु, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि बाल–अपराध केवल निम्न् सामाजिक–आर्थिक वर्ग के बालकों की समस्या है। समृद्ध घरों के बालकों में भी अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियाँ उतनी ही सरलता से जन्म लेती है, जितनी की निर्धन परिवारों के बालकों में अन्तर केवल इतना ही है कि समृद्ध घरों के बालकों के अपराधी व्यवहार की घटनायें, पहले तो पुलिस की नजर में ही नहीं आती है, और यदि आती भी है तो इनके माँ–बाप अपने हैसियत का इस्तेमाल करके पुलिस–कार्यवाही होने से पहले ही रफा–दफा कर देते हैं। इस प्रकार, यह भी

कहा जा सकता है कि समृद्ध घरों के बाल अपराधी गुप्त रहते हैं, तथा कानून की पकड़ में आने से रह जाते हैं। साथ ही धनी घर के बालकों की तुलना में गरीब बालकों को खोजना और दण्डित करना अधिक आसान है। यही कारण है कि **सरदलैण्ड** ने कहा है, ''निर्धन वर्गों में अपराध के अधिक दर मिलने का कारण बालकों की निर्धनता नहीं, वरन् वे प्रशासकीय प्रक्रियायें हैं, जो धनवानों के प्रति अधिक पक्षपाती है।''[41] यही कारण है कि निम्न् आर्थिक वर्ग के बालकों में अपराध दर अधिक दर्ज किये जाते हैं।

फिर भी प्राप्त तथ्यों के आधार पर तो कम से कम यह मानना पड़ेगा कि गरीबी या निर्धनता बाल–अपराध की उत्पत्ति में एक प्रभावी कारक है।

References

सन्दर्भ

1. **Tappan, P.W. 1949.** 'Juvenile Delinquency', New York, P. 234.
2. **McDonfall, J.R.C.** 1940. 'Crime is a Business. Stanford'.
3. **Thilagaraj. R.** July, 1983.'Parent-Child Relationship and Juvenile Delinquency Social Defence', Vol. XIX.No. 3, P.26.
4. **Neumeyer, M.H.** 1955.'Juvenile Delinquency in Modem Society, PP.156-157.
5. **Taft, D.R.** 1956.Criminology (3rd Ed.). New York.
6. **Amati, B.N.** 1975. 'Juvenile Delinquency: A Socilogical surver', Social welfare, April.
7. **Neumeyer, M.H.'Juvenile** Delinwuency in Modern Society', P. 159.
8. **Ibid,p. 163**
9. **Sheldon and Glueck.** 1934. 'One Thousand Juvenile Delinquents. Cambridge', PP.75-77.
10. **Sheth, Hansa, Juvenile** Dlinquency in an Indian Sttings, Bomboy, PP.66-67.
11. **Ruttonsha, G.N.** 1947. 'Juvenile Delinquency and Destitution in Poona', P.49.
12. **Bagot, J.H.** 1941. 'Juvenile Delinquency', London. PP.72-75.

13. **Glueck & Smith.** 1934. 'Juvenile Delinquents', Cambridge.
14. **Reckless, W.C. & Smith.** 1932. 'Juvenile Delinquency', New York, P.127.
15. **Abrahamson, David.** 1960. 'The Psychology of Crime', New York, P.43.
16. **McCord, W, & McCord, J.** 1959. 'Origin of Crime', New York, PP.79-84.
17. **Burt, C.** 1926. 'The Young Delinquent', New York, P.95.
18. **Nye, F.I.** 1958. 'Family Relationship and Delinquent Behaviour', New York, PP.118-124
19. **Sheldon and Eleanor, Glueck**. 'Unravelling Juvenile Delinquency', PP.119-120.
20. **Burt, Cyril,** The Young Delinquent, P. 96.
21. **Ibid, PP.92-95.**
22. **Healy.W. and Bronner, A.** 1926. 'Delinquents and Criminals', New York, PP.64-69**.**
23. **Sheth, Hansa**, 'Juvenile Delinquency', P.96.
24. **Burt, Cyril.** 'The Young Dlinquent', P.99.
25. **Taft, D.R.** , 1956. 'Criminology', New YorkP.577.
26. **Sullenger.** 'Social Determinants in Juvenile Delinquency', PP.18-19.
27. **Glueck & Glueck.** 1934. 'One Thousand Juvenile Delinquent', Cambridge, PP.75-77.

28. **Ruttonshah. G.N.** 'Juvenile Delinquency and Destitution in Poona', P. 47.
29. **Hansa Sheth.** 'Juvenile Delinquency', PP. 132-133.
30. **Quoted by Hansa Sheth**. 'Juvenile Delinquency', P. 134.
31. **Sharma, D.D.** 'Juvenile Delinquency in India', P. 56.
32. **Hansa Sheth.** Juvenile Delinquency, P.82.
33. **'Some Facts about Rajasthan'. 1993. Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan, Jaipur, P.21.**
34. **Vedder.** 'The Juvenile Offender', P. 29.
35. **Lynd, E.M. and Robert, S.** 1937. 'Middletown in Transition', New York.
36. **Barnes, H.E.** 1939. 'Society in Transition', New York.
37. **Srivastava, S.S.**1963. 'Juvenile Vagrancy', Bombay.
38. **Caldwell, R.G.** 1956. 'Criminology', Ranald Press.
39. **Glueck & Glueck.** 1962. 'Delinquents and Non-delinquents in Perspective', Cambridge.
40. **Shaw & Mckay.** 1945. 'Juvenile Delinquency and Urban Areas', Chicago.
41. **Sutherland, E.H.** 1966. 'Priniciples of Criminology', New York.

==========

षष्टम अध्याय

बाल अपराधी बनने में सहयोगी कारक

6.1 मित्र मण्डली या साथी–समूह

6.2 पड़ोस और बाल–अपराधी

6.3 शैक्षणिक संस्थाओं का प्रभाव

6.4 सूचना तकनीक एवं मीडिया का प्रभाव

6.5 उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव

षष्टम अध्याय :

''बाल–अपराधी बनने में सहयोगी कारक''

(Factors leading towards Juvenile Delinquency)

बच्चों के विकास में परिवार के बाद उसके आस –पास के सामाजिक परिवेशका ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उसके आस– पास के सामाजिक या सामुदायिक पर्यावरण में उसकी मित्र–मण्डली या साथी समूह, पड़ोस तथा मनोरंजन के साधन आदि प्रमुख है। इनमें से कोई एक कारक या इन सबका मिला–जुला प्रभाव बाल–अपराध की उत्पत्ति में काफी सहायक हो सकते हैं । इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बालक के आस–पास का सामाजिक पर्यावरण तथा उसके मनोरंजन के साधन उसे बाल–अपराधी बनाने में उत्प्रेरक (Catalyst) का काम करते हैं । दरअसल बालक के समाजीकरण में जितना योगदान उनके माता –पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों का रहता है, उससे कम योगदान उसके सामाजिक –पर्यावरण या सामुदायिक कारकों का नहीं रहता है। बालक का घर से बाहर अधिकांश समय पड़ोस के बच्चों के साथ, या स्कूल के सहपाठियों के साथ, खेल–कूद में, या मनोरंजन के साधनों के साथ बीतता है । जैसे बालक बड़ा होता है वैसे –वैसे परिवार के प्रभाव और नियंत्रण के साथ –साथ अन्य सामुदायिक कारकों के प्रभाव और नियंत्रण में भी आता जाता है । जीवन के कई पहलू ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी बालकों को अपने मित्र–मण्डली के सम्पर्क में आकर ही होती है उसके आस –पड़ोस और स्कूल की शिक्षा का भी काफी प्रभाव पड़ता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में हमने इन विभिन्न सहयोगीकारकों के प्रभाव को अलग–अलग कर के जानने का प्रयास किया है । हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बालक को अपराधी बनाने में कौन–सा कारक किस हद तक प्रभावी है । इस अध्याय में हम बारी–बारी से इन कारकों के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे।

(6.1) मित्र मण्डली या साथी–समूह (Friend Circle or Companionship) :-

परिवार के पश्चात् बाल–अपराधियों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव उनके दोस्तों या साथी–समूह का ही पड़ता है । हालाँकि कई बार बच्चों के परिवार में भी साथी–समूह विकसित हो जाते हैं, परन्तु यहाँ हमारा अध्ययन उन साथी–समूहों पर आधारित है जो बच्चों के घर से बाहर विकसित होते हैं । हम उम्र दोस्त और अन्तंरग साथी लड़के और लड़कियों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं । बच्चों के साथी उन्हें परिवार से अलग एक नई दुनिया प्रदान करते हैं, जहाँ घर का प्रभाव समाप्त होना शुरू होता है, और साथी–समूहों का प्रभाव बढना शूरू होता है। इस प्रकार बच्चों पर परिवार का नियंत्रण तो घटता जाता है, और साथी–समूहों का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस प्रकार बच्चों के साथी –समूहों का प्रभाव घर के प्रभाव से कम नहीं रह जाता है।[1]

अपराधशास्त्रियों ने बाल– अपराधियों के दुराचरण में उनके साथी–समूहों के प्रभाव को काफी महत्व दिया है । बच्चों की गलत संगति, खास कर उन मित्रों के साथ जो कि कानून– विरोधी अभिवृति और आदत रखते हैं, काफी आसानी से बाल–अपराध का प्रसार कर सकती है। अपने बच्चों के गलत आचरण के लिये ज्यादातर माता–पिता बच्चे की गलत संगति को ही जिम्मेदार ठहराते हैं । हालाँकि केवल बच्चों की संगति को ही बाल–अपराध के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । हाँ, इतना जरूर है कि ज्यादातर बालक अच्छे आचरण और व्यवहार वाले है, तो इसका उन पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है और वे सृजनशील गतिविधियों में संलग्न होते हैं । परन्तु, इसके विपरीत अगर बच्चों की संगति में गलत आचरण और व्यवहार वाले बच्चे ज्यादा है, तो वे विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, और कुल मिलाकर संगति का प्रभाव नकारात्मक होता है[2] ।

वैसे तो बच्चों के कई प्रकार के साथी –समूह विकसित हो सकते हैं। परन्तु, इस अध्ययन में सुविधा के लिये उन्हें दो वर्गो में रखा गया है :

(1) हम–उम्र साथी समूह (Peer-Group Associations)

(2) व्यस्कया उम्र से बड़ा साथी –समूह (Adult Associations) हम यहाँ दोनों प्रकार के साथी –समूहों के बाल –अपराधियों पर प्रभाव की विवेचना करेंगे।

(1) **हम –उम्र साथी समूह (Peer-Group Associations)**:बच्चों के जीवन में हम –उम्र साथियों का काफी महत्व होता है । बालक अक्सर अपने हम –उम्र बच्चों के साथ आसानी से घुल –मिल जाता है ।

टेनेन बॉम (Tannenbaum)[3]ने अपने' सामूहिक व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त' (Theory) में इसे स्पष्ट किया है । इनका मानना है कि बाल–अपराध खेल–समूह से विकसित होता है । बालक को जैसे संगी–साथी मिलते हैं उनसे उसे सामंजस्य करना पड़ता है । वह न तो साथी बनाये बगैर रह सकता है और न ही उनसे प्रभावित हुए बगैर । इस प्रकार इन खेल–समूहों में सभी तरह के बालक भाग लेते हैं और इन समूहों में पाये जाने वाले आमने–सामने के घनिष्ठ सम्पर्क उनपर काफी प्रभाव डालते हैं। यह उनके बोल–चाल, व्यवहारिक ढंग, उनके अपने और अन्य लोगों के प्रति विचारों, धारणाओं और आदर्शो को निश्चित करते हैं। उस प्रकार से खेल–समूह परिवार से भी ज्यादा शिक्षा देने वाले समूह का कार्य करते हैं ।

बच्चों के दोस्तों में सामान्यतः वैसे दोस्त जो हम–उम्र होते हैं, साथ ही समान लिंग (Sex)के होते है, ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालते हैं । ये बच्चे एक ही स्कूल के या गली के ज्यादातर होते हैं, और या तो खुद बाल–अपराधी होते हैं, या तो अपराध करने के लिये उकसाने और उत्साहित करने वाले होते हैं।[4]

इस प्रकार हम देखते हैं कि हम उम्र साथी का बच्चों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । क्योंकि समान उम्र के बच्चे एक दूसरे का जल्दी विश्वास हासिल कर लेते है, और अगर वे एक ही मुहल्ले और स्कूल के होते हैं, तो इसका असर और भी ज्यादा होता है । वे अधिकांश समय साथ–साथ बिताते हैं । ऐसे में अपने समूह के अधिकांश बालकों को बाल–अपराधी गतिविधियों में संलग्न कर लेते हैं । बालक अगर घर या स्कूल के परिवेशसे असंतुष्ट है, या कुछ सुविधाओं से अपने को वंचित पाता है, और अगर इन सुविधाओं को वैसे हम –उम्र साथियों से पाता है जो कि दुराचरण में लिप्त है, तो उस बच्चे का भी आसानी से बाल–अपराधी गतिविधियों में संलग्न होना संभव है । कभी–कभी तो ऐसा होता है कि, बाल –अपराधी साथी अपने साहसिक कार्यों का काल्पनिक चित्र बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं । वह कभी–कभी अपने साहसिक कार्यो (खासकर अवांछित सामाजिक आचरण) को इस प्रकार बड़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, कि नवागन्तुक बालक भी वैसी गतिविधियों में संलग्न होने का लोभ संवरण नहीं कर पाता है । और अधिकांश मामलों में तो केवल रोमांच का आनन्द लेने के लिये वह भी अपराधी– कृत्यों में संलग्न हो जाता है।[5] इस प्रकार हम देखते हैं कि हम– उम्र साथियों का बाल– अपराध की उत्पति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम यहाँ दूसरे प्रकार के साथी–समूह की चर्चा करेंगे।

व्यस्क साथी–समूह (Adult Associations): जब बालक अपने से बड़े उम्र के लड़के और लड़कियों की संगति में रहता है, तो उसका इस प्रकार की संगति में रहना उसके व्यक्तित्व के लिये काफी हानिकारक होता है, क्योंकि बालक और बड़ों के व्यवहार प्रतिमानों में काफी अन्तर होता है । अब चूँकि बालक को उन बड़ो के साथ रहना है, इसलिये वह अपने व्यवहार को बड़ों के व्यवहार–स्तर पर खींचने का प्रयत्न करता है। सामान्यतः व्यस्क बच्चे अपने से छोटे बालकों का कई प्रकार से शोषण करते हैं । बड़े–बड़े शहरों में ऐसे व्यस्क गिरोहों की अच्छी–खासी संख्या है,जो कि एक या दो छोटे बच्चों को भी अपने साथ अपने साथ रखते हैं, जो कि उनकी अपराधी गतिविधियों में सहायक होते हैं। ये व्यस्क बालक अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये छोटे बालकों के सामने एक दोषपूर्ण प्रतिमान व्यवस्था प्रस्तुत करते हैं। वे इन्हें प्रलोभन में फंसाकर जहाँ एक ओर इनकी किन्हीं दबी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वहाँ दूसरी ओर अपने छिपे स्वार्थों को भी पूरा करते हैं। ये व्यस्क गुट (Adult Group) तथा इनके प्रतिमान इन बाल–अपराधियों के लिये प्रेरणा का काम करते हैं और वे इन

प्रतिमानों को अपना लेने में संकोच नहीं करते। **न्यूमेयर** ने इसे **"स्पिरिट ऑफ डेलिंक्वेन्सी"** कहा है।[6]

ये गिरोह सदस्यों को उत्तेजना व सनसनी, साहस, प्रतिष्ठा व सुरक्षा प्रदान करते हैं। रेकलेस के अनुसार ''ब्याकुल, अधिक फुर्तीले व साहसी और यूथशिलता वाले बच्चे ही इनसे प्रभावित होते हैं ।[7]

व्यस्क बालकों की संगति छोटे बच्चों के लिये काफी हानिकारक भी हो सकती है । कई बार तो अगर ये व्यस्क बालक यौन– दुराचारी (Sexually Perverted) होते हैं, तो छोटे बालकों का इस्तेमाल अपनी कुत्सित यौन–इच्छाओं की पूर्ति (Sodomy) के लिये करते हैं। साथ ही व्यस्क साथी–समूह छोटे बालकों में बुरी आदतों को भी डालने के लिये जिम्मेदार होते हैं। चूँकि व्यस्क गुट (Adult Group) सामान्यतः सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ खेलने, ड्रग्स लेने जैसी बुरी आदतों का शिकार होते हैं, अतः छोटे बालक भी धीरे –धीरे इन बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। साथ ही व्यस्क साथी समूह छोटे बालकों को असामाजिक आचरण अपनाने की सीख देते हैं ।

साथ ही यह भी देखने में आया है कि बाल–अपराधी बच्चे ज्यादातर यूथचारी (Gregarious) प्रकृति के होते है । हम– उम्र साथी समूह का दबाव और उनके प्रति विश्वास(Loyalty) उन्हें वह व्यवहार करने को बाध्य करता है जो कि उनके दोस्तों को स्वीकार्य है। साथ ही साथी–समूह में अपनी पहचान बनाने तथा साहसपूर्ण कार्यो को अंजाम देने की इच्छा, साथी–समूह के द्वारा उन कार्यो को करने को प्रेरित करती है जो कि समाज द्वारा मान्य नहीं हो, जिसमें सत्ता का उल्लंघन हो और जो सिर्फ साहस या रोमांच के अनुभव के लिये किये गये हो । इस प्रकार अधिकांश बाल–अपराध अकेले में नहीं किये जाते, बल्कि समूह में दो या दो से अधिक बाल–अपराधियों के द्वारा किये जाते हैं । **सिरिल बर्ट**[8] ने अपने अध्ययन में पाया कि लगभग 18 प्रतिशत मामलों में बाल–अपराध के लिये साथी–समूह का प्रभाव ज्यादा जिम्मेदार था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में यह कारक कम प्रभावकारी पाया गया ।

हीली ने भी अपने अध्ययन में पाया कि लगभग 34 प्रतिशत मामलों में साथी–समूह बाल–अपराध की उत्पत्ति में एक प्रभावी कारक रहा हे ।

प्रस्तुत अध्ययन में भी यह जानने का प्रयास किया गया कि बाल–अपराध की उत्पत्ति में साथी–समूह का क्या योगदान है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया गया कि बाल–अपराध अकेले में या साथियों के साथ मिलकर किये गये । अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को हम नीचे दण्ड–चित्र(Bar Diagram)और सारणी के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं:

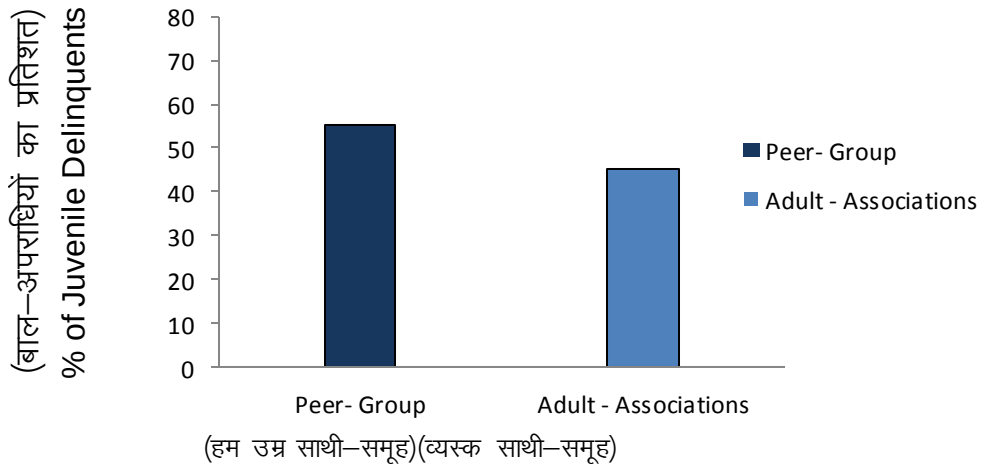

दिय गये दण्ड–चित्र से स्पष्ट है कि लगभग 56% बाल–अपराधी हम उम्र साथी समूह के प्रभाव को स्वीकार करते है, और 44% बाल– अपराधी मानते है कि उनकी संगति अपने से बड़े उम्र या व्यस्क बालकों के साथ रही है।इन बाल–अपराधियों में से लगभग 78% बालक स्वीकार करते है कि बाल–अपराध की सीख उन्ह दोस्तों की संगति में ही मिली । साथ ही लगभग 82% बालकों ने स्वीकार किया कि अपराध के समय कोई न कोई साथी या पूरा समूह ही उनके साथ मौजूद था। अर्थात् अपराध उन्होने अकेले न कर समूह के सहयोग से किया । साथ ही लगभग 85% बालकों ने स्वीकार किया कि दोस्तों की संगति में ही उन्होने शराब, बीड़ी–सिगरेट पीना, आवारागर्दी करना, स्कूल से भागना आदि सीखा। बाल–अपराधियों

से सम्बन्धित इन तथ्यों को सुविधा के लिये हम इन सारणियों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे है :

सारणी –6.1

बाल–अपराध की प्रेरणा और साथी–समूह

क्रम सं.	बल–अपराध में प्रेरक	आवृति	प्रतिशत
1	साथी–समूह	156	78%
2	अन्य कारक	44	22%
	योग	200	100%

इस प्रकार सारणी 6.1 से स्पष्ट है कि बाल–अपराध की उत्पत्ति में साथी– समूहों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है। है। इन बाल–अपराधियों में से लगभग 78% बालक स्वीकार करते हैं कि अपराध की सीख उन्ह दोस्तों की संगति में ही मिली ।

सारणी –6.2

बाल–अपराध में सहयोग और साथी समूह

क्रम सं.	बल–अपराध में सहयोग	आवृति	प्रतिशत
1	साथियों का	165	82.50%
2	अकेले में	35	17.50%
	योग	200	100%

इस प्रकार 6.2 से स्पष्ट है कि बाल–अपराध की उत्पत्ति में साथी– समूहों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है। लगभग 82% बालकों ने स्वीकार किया कि अपराध के समय कोई न कोई साथी या पूरा समूह ही उनके साथ था। अर्थात् अपराध उन्होने अकेले न कर समूह के सहयोग से किया । साथ ही बालकों ने स्वीकार किया कि दोस्तों की संगति में ही उन्होने शराब, बीड़ी–सिगरेट पीना, आवारागर्दी करना, स्कूल से भागना आदि सीखा। अपराध के समय–साथी समूह के अन्य सदस्यों के साथ होने की बात पूर्व में किये गये समाजशास्त्रीय अध्ययनों से भी सामने आये हैं। **इलिनॉयस** ने अपने सर्वेक्षण में 90% मामलों में, **व्हिटलर स्टेट** स्कूल के अध्ययन में 81%**शॉ और मैके** के अध्ययन में 88.2%**सलेन्जर** के अध्ययन में 70%,ग्लूक्स के अध्ययन में 70% **स्कौटिश स्टडी** में 63%, **हीली** के अध्ययन में 34%,तथा **सिरिल बर्ट** के अध्ययन में 18 मामलों में पाया गया कि बाल–अपराध अकेले में न किया जाकर, साथियों के सहयोग से किया गया।[9]

सदरलैण्ड का ''विभिन्न साहचर्य का सिद्धान्त'' (Differential Association Theory) इस संदर्भ में विश्लेषण योग्य है। उनका मानना है कि बालकों का या किसी व्यक्ति का साथ हर तरह के लोगों से रहता है । लेकिन साथी–समूहों में ज्यादातर सदस्य अपराधी प्रवृत्ति और आचरण के है, तो बालक के भी अपराध की ओर अग्रसर होने की संभावना बढ़ जाती है । सदरलैण्ड का यह भी मानना है कि अपराधी और सामान्य लोगों से साहचर्य आवृति, समयावधि, प्राथमिकता और तीव्रता के मामलें में भिन्न–भिन्न हो सकते हैं । अतः इन बातों का भी असर अपराध की उत्पत्ति में देखा जा सकता है ।

समाजशास्त्र में ऐसे अनेक अध्ययन हुए हैं जो बालकों के अपराधी–गिरोहों, गुट, दल, सड़क किनारे समूह, अपराधी उप–संस्कृति आदि के प्रभावों को साहचर्य (Companionship) का परिणाम मानते है। प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त तथ्य भी इस बात की

पुष्टि करते हैं कि बाल अपराध की उत्पत्ति में साथी–समूहों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। साथी–समूह अपराध को करने और समाज–विरोधी आचरण को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक का काम करते हैं।

व्यक्तिक अध्ययन (Case Study) : 2

प्रस्तुत व्यक्तिक अध्ययन सोनू (परिवर्तित नाम) नाम के बाल–अपराधी का है, जो कोटा शहर के डडवाड़ा इलाके का रहने वाला है । पिता रेलवे में सर्विस करते है, तथा माँ गृहिणी है। इसकी उम्रं 17 साल है । स्कूल की पढाई पूरी नहीं कर सका । दसवीं फेल है । बचपन से ही गलत आचरण वाले बालकों की संगति में पड़ गया। तीन–चार बार अलग–अलग मामलों में गिरफ्तार हो चूका है । इस पर लड़ाई –झगड़े, अवैध–हथियार रखना,चकू–मारना, मोटर–साइकिल चुराना आदि कई जुर्म दर्ज है । किसी मामले में 500 रूपये का जुर्माना भी भर चुका है। सिगरेट–शराब,गुटखा आदि का नियमित सेवन भी करता है । माँ –पिता के नियंत्रण से बाहर है।दिन–भर आवारा और अपराधी दोस्तों की संगति में रहता है, और उन्हीं से अपराध करने की शिक्षा ग्रहण की है।पूरी मित्र–मण्डली अपराधी गतिविधियों में संलग्न है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक परिवार और स्कूल में असमायोजन के चलते, तथा मित्रों की संगति में रहकर समाज –विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है । खास कर के मोहल्ले और स्कूल के आवारा बच्चों की संगति में पड़कर बाल–अपराधी बन सकता है ।

(6.2) पड़ोस और बाल–अपराधी (Neighbourhood and Juvenile – Delinquency) :

बालक घर के बाद विस्तृत समाज के जिन दायरों में प्रवेश करता है, उनमें सर्वप्रथम पड़ोस आता है जिसे **कूले** ने ''प्राथमिक समूह'' (Primary Group) की सीमा में लिया है। सामाजिक नियन्त्रण करने वाले समूह के रूप में पड़ोस का महत्व यद्यपि गाँवों की

अपेक्षा शहरों में कम होता है फिर भी व्यक्ति पर, विशेषकर बच्चों के विकास में इसका अभी भी विशेष महत्व है। बालक यहीं पर खेलता है, यहीं पर उसका मनोरंजन होता है और यही वह नई–नई बातें सीखता है। **काल्डवेल**(Caldwell) के अनुसार ''पड़ोस अपराधी व्यवहार को इस प्रकार उत्पन्न करता है कि वह व्यक्तित्व की मूल आवश्यकताओं मे बाधायें डालता है, सांस्कृतिक संधर्ष पैदा करता है तथा समाज–विरोधी मूल्यों का पोषण करता है । अधिक भीड़ –भाड़ पड़ोस जहाँ मनोरंजन अपर्याप्त होता है, बच्चों की स्वाभाविक खेल प्रवृत्ति में बाधा उत्पन्न करता है और कभी –कभी अपराधी गिरोह की भी रचना करता है ।[10]

इस प्रकार बालक जैसे वातावरण और जैसी स्थितियों में रहता है, अक्सर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। यदि आस–पास का पड़ोस अच्छा है तो बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा और यदि पड़ोस बुरा है तो बालक पर वैसे ही बुरे संस्कार पड़गे । यदि बालक का निवास स्थान असांस्कृतिक तथा अनैतिक लोगों के बीच है तो स्वाभाविक है कि वह अश्लील व्यवहार करेगा तथा अन्य गन्दी आदतें विकसित कर लेगा। इस सन्दर्भ में **शॉ और मैके (Shaw & Makay)**[11] का अध्ययन उल्लेखनीय है, उन्होंने 1927–33 के मध्य शिकागों मे बाल न्यायालय द्वारा दण्डित 8,411 बाल अपराधियों का एक अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में **शॉ और मैक** का कहना है कि शहर के कुछ क्षेत्र में बाल–अपराधियों की संख्या अधिक है। इन केन्द्रों को उन्होने ''अपराधी क्षेत्र'' कहा। इस प्रकार के उन्होनें सात केन्द्र बताये जो इस प्रकार है :–

1. जो नगर के केन्द्र हैं,
2. जहाँ मकानों का अभाव है,
3. जहाँ सामाजिक नियंत्रण के साधन उपलब्ध नहीं हैं,
4. जहाँ व्यक्तिगत संबंधों का अभाव है,
5. जो भौतिक रूप से अपकृष्ट होते हैं,
6. जहाँ विदेशी लोग अधिक मिलते हैं,

7. जहाँ बेरोगारी, निर्धनता व निर्भरता अधिक पायी जाती है।

इन केन्द्रों में पाये जाने वाले अपराधियों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि इनके अपराध के पीछे व्यक्तिगत कारकों की अपेक्षा पर्यावरण या पड़ोस सम्बन्धी तत्व ज्यादा प्रबल है ।

हालाँकि **सदरलैण्ड (Sutherland)**[12] ने शॉ और मैके के इस सिद्धान्त से असहमति जाने के दो कारण बताये है :

(1)इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति पहले से ही पराजयकारी, हताशा जनक और कुंठाशील मनोवृत्तियों से ग्रस्त होते है और सम्भवतः अन्य अपराधी–क्षेत्रों से प्रवजन कर इन क्षेत्रों में रहने आते हैं,

(2)अपराधी क्षेत्रों में अपराधियों की खोज करना, उसकी निर्धनता व सामाजिक स्थिति के कारण अधिक सरल होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में धनवान व प्रभावशाली अपराधियों कों ढूँढ़ना, गिरफ्तार करना व अभियोजित एवं दण्डित करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि अपराधी क्षेत्रों से सम्बन्धित आँकड़े अभिमत (Biased) होते हैं।

फिर भी यह कहा जा सकता है कि शॉ और मैके ने निवास स्थान को अपराध का प्रत्यक्ष कारण नही माना है, बल्कि यह दिखलाने की चेष्टा की है कि अपराधी वहाँ अधिक पाये जाते है, जहाँ निर्धनता, मानसिक विकार, पारिवारिक विघटन, बाल–मृत्यु आदि परिस्थितियाँ बराबर बनी रहती है। जैसा कि **मौरिस (Morris)**[13]ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि किसी अपराधी–क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियाँ का इसके सिवाय विशेष महत्व नहीं है कि यह केवल वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति को निश्चित करती है। यहाँ बच्चे अपराधी नहीं पाये गये बल्कि उनके घरों की परिस्थतियाँ विकृत थी।

इस प्रकार हम देखत हैं कि बालक का निवास स्थान शहर या गाँव के किस इलाके में हैं, वहाँ किस ,प्रकार के भौतिक संसाधन मौजूद है, किस प्रकार के लोग वहाँ निवास करते है, इन सारी बातों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में भी बाल–अपराधियों के निवास– स्थान और पड़ोस का पता लगाया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश बाल– अपराधी शहर या गाँव के उस क्षेत्र. से थे, जहाँ रहन– सहन का स्तर बहुत निम्न् था। ऐसे इलाकों के आस–पास प्रायः जुआघर, शराबघर, चाय और बीड़ी–सिगरेट दुकान, सस्ते किस्म के होटल आदि पाये जाते है, जिनका बालकों पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही पड़ोस में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के अनैतिक आचरणों में संलग्न रहते हैं। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी 6.3 के द्वारा स्पष्ट किया गया है :

सारणी – 6.3

पड़ोस और बाल–अपराध

क्रम सं.	पड़ोस या निवास–स्थान	शहरी	ग्रामीण	आवृति	प्रतिशत
1	**उच्चवर्ग**(High Class)	06	07	13	6.50%
2	**मध्यम वर्ग** (Middle Class)	35	42	77	38.50%
3	गन्दी बस्ती (**निम्न वर्ग**)Slums (LowClass)	60	50	110	55.00%
	योग	101	99	200	100.00%

ऊपर दिये गये सारणी से स्पष्ट है कि बाल– अपराधियों में से लगभक 55% बाल–अपराधी घनी और गन्दी बस्तियों से आये थे। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बालकों को एक साथ रखकर दिखाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में देखा गया कि आधे से ज्यादा बाल–अपराधी शहर के विभिन्न कच्ची और गन्दी बस्तियों, जैसे – बापू नगर कच्ची बस्ती, कुन्हाड़ी, इन्दिरा गाँधी नगर कच्ची बस्ती, डी.सी.एम, दुर्गा हरिजन बस्ती, संजय नगर बच्ची बस्ती, सूर्य नगर कच्ची बस्ती आदि में निवास करते हैं। यही हाल आधे से अधिक ग्रामीण बाल–अपराधियों का है, जो गाँव के घने और गन्दे क्षेत्रों में निवास करते है । शहर और गाँव के ये ऐसे क्षेत्र होते है, जहाँ छोटे–छोटे कच्चे घरों में घनी आबादी निवास करती है। यहाँ न तो सफाई की उचित व्यवस्था होती है,और न ही पीने के पानी, बिजली आदि का उचित प्रबन्ध होता है। इनके मकान एक या दो छोटे–छोटे कमरों के बने होते है, जिनमें हवा–पानी और रौशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते है। इन कच्ची और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग शराब पीने, जुआ खेलने, बीड़ी–सिगरेट पीने , गाली गलौज और मार–पीट आदि गतिविधियों में अक्सर संलग्न रहते है। इन सबका बहुत बुरा असर छोटे–छोटे बालकों के कोमल मस्तिष्क पर पड़ता है। उनमें बड़े होने के साथ–साथ ये सारे बुरे संस्कार धीरे–धीरे प्रवेश कर जाते है । इस प्रकार बालक बहुत आसानी से असामाजिक और अनैतिक आचरण करने लग जाता है और बाल–अपराधी का रूप धारण कर लेता है । बाल–अपराधियों के निवास –स्थान के बारे में जानकारी लेने के पश्चात् यह भी जानने को प्रयास किया गया । कि वे अपने पड़ोस (Neighbourhood) के माहोल को किस प्रकार पाते है। बाल–अपराधियों का अपने पड़ोस या निवास स्थान के प्रति दृष्टिकोणों को हम सारणी 6.4 के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं :

सारणी – 6.4

पड़ोस के प्रति बाल –अपराधी का दृष्टिकोणों

क्रम सं.	चर नाम	श्रेणी नाम	बाल अपराधी संख्या	प्रतिशत
1	पड़ोस का परिवेश सामान्य है।	सहमत	86	43.00%
		असहमत	94	47%
		आंशिक सहमत	20	10.00%
		कुल योग	200	100.00%
2	पड़ोस का परिवेश असंतोषजनक है।	सहमत	112	56.00%
		असहमत	75	37.50%
		आंशिक सहमत	13	06.50%
		कुल योग	200	100.00%
3	पड़ोस का परिवेश अपराधी प्रवृतियों को बढ़ाने वाला है।	सहमत	106	53.00%
		असहमत	84	42.00%
		आंशिक सहमत	10	05.00%
		कुल योग	200	100.00%

सारणी 6.4 से स्पष्ट है कि लगभग आधे से ज्यादा बच्चे इस बात को मानते हैं कि उनके पड़ोस के माहौल से उन्हें अपराधी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रेरणा मिलती रही है। साथ ही आधे से ज्यादा बाल–अपराधी अपने पड़ोस के माहौल को असंतोषजनक मानते है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की उत्पत्ति में पड़ोस का महत्वपूर्ण योगदान होता है । जहाँ तक कच्ची और गंदी बस्तियों का सवाल है तो प्रायः यह कहा जाता है कि ''गंदी बस्ती गन्दे मस्तिष्क को जन्म देती है'' तथा गन्दी बस्तियों को आधुनिक नगर के शरीर के कैंसर के रूप में माना जाता है । ये गन्दी बस्तियाँ केवल नगरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाये जाते है । इस विषय में **गिस्ट तथा हलबर्ट** का कथन है कि ''बस्ती अस्वस्थ मकानों तथा अस्वस्थ लोगों का क्षेत्र है,जहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का प्रभुत्व होता है।'' जहाँ कि गन्दगी तथा उजड़ती संस्कृती में अपराध के कीड़े जन्म् लेते हैं तथा पलते हैं। अभ्यस्त अपराधी इन क्षेत्रों मे आकर शरण लेते हैं और प्रायः अपने अपराध की विधि छोटे–छोटे बालकों को सिखा देते है।

बाल– अपराध से सम्बन्धित आँकडे यह बतलाते है कि सभी देशों में, शहर की गन्दी बस्तियों या झोपड़पट्टी का आस–पड़ोस किशोर –अपराध के लिये उर्वरा जमीन का काम करता है । सभी गन्दी बस्तियाँ भीड़–भाड़ युक्त, तंग जगह वाली और गंदगी के बीच बसी होती हैं । इनके सामाजिक वातावरण से एक ऐसी उप–संस्कृति जंन्म् लेती है, जो सामुदायिक जीवन के सामाजिक विखंडन और अपराधी आचरण के विकास पर आधारित होती है। अपराधियों के रहने के लिये और अवैध रूप से प्राप्त वस्तुओं की बिक्री के लिये ये जगहें सुविधाजनक होती हैं । अपराध, वैश्यावृत्ति, नशा, जुआ आदि सामाजिक बुराइयों में यह प्रतिभासित होती हैं। इस प्रकार की बस्तियों में रहने वाले बच्चे बहुत आसानी से अपराधी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की उत्पत्ति गन्दी बस्तियों के वातावरण में ज्यादा आसानी से होती हैं। हालाँकि केवल कच्ची या गन्दी बस्ती में निवास को ही

बाल–अपराध के लिये एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं माना जा सकता, क्योंकि निर्धनता, शैक्षणिक स्तर, मित्र–मण्डली, पारिवारिक परिवेश आदि अन्य कारक भी अपना– अपना अलग प्रभाव बालक के ऊपर डालते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि बालक के पड़ोस का उसके व्यक्तित्व के विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है ।

व्यक्तिकअध्ययन (Case Study) :3

यह व्यक्ति अध्ययन सुरेन्द्र (परिवर्तित नाम) का हैं, जिसकी उम्र 16 साल हैं। यह साँतवी क्लास तक पढ़ा हैं। इसका निवास– स्थान कोटा शहर के विज्ञान –नगर कच्ची बस्ती में हैं। पिता जी रिक्शा चलाने का काम करते हैं, और अशिक्षित हैं। माता भी फैक्ट्री में काम करती हैं। परिवार की आमदनी 3,000 से 4,000 रूपये के बीच है।चूँकि बालक विज्ञान नगर की कच्ची बस्ती में निवास करता हैं, अतः बस्ती के परिवेशसे यह भी प्रभावित है। दास्तों के साथ शराब, बीड़ी–सिगरेट का नशा करता है। पढ़ाई छोड़ चुका है। कच्ची बस्ती के आवारा बच्चों संगति में रहता है । परिवार की गरीबी, बस्ती के माहौल और दोस्तों की संगति में गलत आचरण की ओर आकृष्ट होता गया। एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी दूकान से रूपये चोरी कर लिया, और पकड़ा गया। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि बस्ती के परिवेश से प्रेरित होकर और सामाजिक तथा पारिवारिक नियंत्रण के अभाव में अपराधी गतिविधियों के प्रति आकर्षित हुआ, और बाल–अपराधी के रूप में गिरफ्तार हुआ।

(6.3) शैक्षणिक संस्थाओं का प्रभाव

परिवार, साथी–समूह एवं पड़ोस के पश्चात् बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक स्कूल भी है। बालकों में सुचरित्रता उत्पन्न करने तथा दुश्चरित्रता को कम करने में स्कूल जैसी संस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं। **एनी बेसेंट**(Anny Besant)[14]– के अनूसार स्कूल के ही माध्यम से बालक नागरिकता के प्रमुख आचारों तथा

विचारों से अवगत होता है। दूसरे शब्दों में स्कूल ही बालक का समाज के साथ समायोजन करने में सहायक होता है जिसके आधार पर बालक में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास का निर्माण होता हैं। स्कूल का उद्देश्य बालकों में उचित संस्कार का निर्माण करना तथा विभिन्न विषयों के ज्ञान–विज्ञान से बच्चों को अवगत कराना है, जो उनको समाज के जिम्मेदार एवं सफल नागरिक बनाने में सहायक होते हैं।

परन्तु, समय के साथ– साथ संस्थाओं का परम्परागत रूप भी परिवर्तित होते है। विभिन्न संस्थाएँ अपनी पारम्परिक प्रयोजनशीलता, उपयोगिता तथा प्रासंगिकता खोकर नये अर्थ ग्रहण कर लेती हैं। स्कूल रूपी संस्था भी इस समाजिक संक्रांति, परिवर्तन की तीव्र गति से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पायी है। उससे विभिन्न शिक्षण–संस्थाओं में जहाँ एक ओर संरचनात्मक दोष उत्पन्न हो गये हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकार्यात्मक दोषों का भी विकास हुआ है। इन दोषों के कारण स्कूल एवं अन्य शिक्षण–संस्थाएँ अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पती हैं। परिणामस्वरूप बालकों में स्कूल से भागने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है जो कि बाल–अपराध की पहली अवस्था है।

हमारे इस अध्ययन में भी बाल– अपराधियों की शैक्षणिक स्थिति का पता लगाया गया, तो पाया गया कि अधिकांश बालक प्राइमरी या मिड्ल तक पढ़े–लिखे थे । आगे की पढ़ाई उन्होने किसी न किसी कारण छोड़ दी थी। जैसा कि अध्याय–5 में वर्णित बालकों की शैक्षणिक स्थिति से स्पष्ट हे कि लगभग तीन–चौथाई बाल–अपराधी या तो बिल्कुल निरक्षर थे या बिल्कुल कम पढ़े–लिखे थे। लगभग 62% बाल–अपराधी ऐसे थे जिन्होंने प्राइमरी या मिड्ल तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। केवल 6.50% बालक ऐसे थे जिन्होंने सेकण्ड्री (x class)पास कर रखी थी। इस प्रकार स्पष्ट है। कि बाल–अपराधियों की स्कूली–शिक्षा आधी–अधूरी ही रह जाती हैं। बहुत कम बालक सकेण्ड्री या हायर–सेकण्ड्री (XII class)तक– पहुँच पाते

हैं। बाल–अपराधियों की स्कूली–शिक्षा पूरा नहीं होने के पीछे कई कारण हो सकते है। इन कारणों को पता लगाने का प्रयास भी हमने हस अध्ययन में किया है।

स्कूली–शिक्षा पूरा न कर पाने का कारण(causes of Incomplete Schooling):

प्रस्तुत अध्ययन में यह पता लगानें का प्रयास किया गया कि किन कारणों से अधिकांश बाल– अपराधी अपनी स्कूली–शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी 6.5 से स्पष्ट किया गया है:

सारणी –6.5

अधूरी स्कूली–शिक्षा एवं बाल–अपराध

क्रम सं.	अधूरी स्कूली–शिक्षा एवं बाल–अपराध	आवृति	प्रतिशत
1	निर्धनता	28	25.00%
2	आवारागर्दी	36	33.00%
3	बार–बार अनुतीर्ण होना	22	20.00%
4	स्कूल का अरूचिकर माहौल	14	13.00%
5	हीन–भावना	10	09.00%
	योग	**110**	**100.00%**

नोट:- कुल उत्तरदाताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में 25 बालक चूँकि निरक्षर थे, अतः उनका विश्लेषण सारणी 6.5 में नही किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि निर्धनता, आवारागर्दी एवं बार–बार फेल होना वे मुख्य कारण रहते है, जिनके चलते बाल–अपराधी बच्चे अपनी स्कूली–शिक्षा बीच में ही छोड़ देते है। कुछ बाल–अपराधी (लगभग 22%) ऐसे भी थे जिन्हे स्कुल का माहोल अरूचिकर लगता था अन्य बालकों की तुलना करने पर उनमें हीन–भावना बढ़ती चली गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि बाल–अपराधी सारणी में प्रदर्शित किसी एक कारण या इन सबके मिले–जूले प्रभाव के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते है।

भगोड़ापन(Trauncy):(स्कूल से अनुपस्थित रहना) प्रस्तुत अध्ययन में यह भी पता लगाने का प्रयास किया गया कि बाल–अपराधी बालक नियमित रूप से स्कूल जाते हैं या नहीं। स्कूल से बिना किसी सूचना के भागना ही कक्षा पलायन या भगोड़ापन कहलाता है। **फेयर चाइल्ड** के अनुसार, ''यह बच्चे का वह अपराध है जिसमें वह बिना किसी कारण के स्कूल से अनुपस्थित रहता हैं।''

भगोड़ेपन को जन्म देने के लिये अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। इनमें प्रमुख हैः परिवार व स्कूल का अनुपयुक्त वातावरण, स्कूल में खेल–कूद एवं मनोरंजन का अभाव, बुरे साथियों से सम्पर्क का होना, सौतेले मता–पिता का होना, परिवार की गरीबी, माता–पिता में तनाव, जेब खर्च नहीं मिलना तथा स्कूल का घर से अधिक दूर होना इत्यादि। प्रस्तुत अध्ययन में भी स्कूल से बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारणों को जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी 6.6 में प्रस्तुत किया गया है :

सारणी – 6.6

भगोड़ापन एवं बाल–अपराध

क्रम सं.	स्कूल से अनुपस्थिति का कारण	आवृति	प्रतिशत
1	आवारागर्दी करना	48	43.50%
2	मता–पिता द्वारा काम पर लगाना	16	14.50%
3	पढ़ाई का अरूचिकर लगना	18	16.00%
4	स्कूल में खेल–कूद एवं मनोरंजन का अभाव	14	12.50%
5	हीन–भावना का घर कर जाना	06	05.50%
6	शिक्षकों का अमानवीय व्यवहार	08	08.00%
	योग	**110**	**100.00%**

नोट:- कुल उत्तरदाताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सारणी 6.6 से स्पष्ट है कि लगभग 43.50% बालक ऐसे हैं जो अपने अन्य साथियों के साथ स्कूल से गायब होकर आवारागर्दी करने चले जाते हैं। ये स्कूल की अवधि में इधर–उधर धूमते–फिरते रहते है, सिनेमा देखते है, जुआ खेलते है, बीड़ी–सिगरेट पीते हैं, कहीं होटल में खाना खाते है, पार्क या बाजारों में घूमते–फिरते हैं और इसी तरह की अन्य गतिविधियों में संलग्न होते हैं।

ऐसा भी देखा जाता है कि पढ़ने में रूचि नहीं होने के कारण बालक बार–बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता हैं और उसमें उदासीनता आ जाती है। **ग्लुक्स (Gluecks)**[15]– ने भी अपने अध्ययन में पाया कि पढ़ने में रूचि न होने के कारण बालक स्कूल में असमायोजित व्यवहार करने लगता है। प्रस्तुत अध्ययन में भी पाया गया कि लगभग 16% बाल–अपराधी ऐसे थे जिन्हें स्कूल की पढ़ाई रूचिकर नहीं लगती थी। अध्ययन से यह बात सामने आया कि लगभग 5.50% बच्चे ऐसे भी थे जो हीन–भावना के कारण स्कूल जाना पसन्द नहीं करते थे । प्रायः यह देखा जाता है कि कक्षा में कुछ बालकों के ज्यादा बुद्धिमान होने से कमजोर बालकों में हीन भावना घर कर जाती है। ग्लुक्स (Gluecks)[16]ने अपने अध्ययन में पाया कि बाल–अपराधी बालकों का बुद्धि –स्तर सामान्य बालकों से निम्न् होता है । इसके साथ ही शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के अन्य बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं या अपमानित करते हैं, फलस्वरूप बालक में स्कूल के प्रति निरसता पैदा हो जाती है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि स्कूल का घनी बस्ती के बीच या तंग गली में होना, तथा स्कूल में खेल–कूद और मनोरंजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी बाल–अपराधी बालक स्कूल न जाकर इधर–उधर घूमते हैं और खुले जगह में जाकर खेलते हैं। ऐसे स्कूलों में शिक्षक भी बालकों की गतिविधियों पर उचित नियंत्रण नही रखते हैं। वे खुद भी ज्यादा शिक्षित नहीं होते और बालकों की व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होते हैं। इस अध्ययन में 12.50% बच्चे ऐसे पाये गये जो खेल–कूद या मनोरंजन की सुविधा के अभाव में स्कूल से अनुस्थित हो जाते थे ।

अध्ययन में यहा भी पाया गया कि लगभग 8% बाल–अपराधी ऐसे थे, जो शिक्षकों के कठोर और अमानवीय व्यवहार के चलते स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे । ऐसे शिक्षक बालकों को ज्यादा दिन अनुपस्थित होने पर तथा पढ़ने में कमजोर होने पर, या पाठ याद कर नहीं आने पर बैंत से पीटते थे या कक्षा से बाहर निकाल देते है।

स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को तीन श्रेणियों में रख सकते है :

(1) सामयिक या आकस्मिक

(2) आदतन या अभ्यस्त

(3) पुनरावृति या बार–बार भागने वाले।

बिना आज्ञा के स्कूल से अनुपस्थित होने वाले सामयिक बच्चे वे हैं, जो स्कूल के पर्यावरण व अध्यापकों के व्यवहार के कारण ही कक्षा से भागते हैं । अभ्यस्त भगोड़े वे हैं, जो अपने मित्रों के साथ इधर–उधर घूमते रहते हैं और अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरे,

बार–बार भागने वाले बच्चे वे हैं, जो अक्सर स्कूल से गायब हो जाते हैं। ऐसे बालक आक्रमक और झगड़ालू होते हैं तथा अध्यापकों का आदर नहीं करते हैं। दण्ड दिये जाने का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। ये अक्सर घर से भी गायब रहते हैं। **खन्ना** ने अपने अध्ययन में पाया कि 35% बच्चे साकयिक, 40% अभ्यस्त तथा 25% बार–बार अनुपस्थित रहने वाले भगोड़े हैं। प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी 6.7 में दिखाया गया हैं :

सारणी – 6.7

भगोड़ापन की श्रेणी एवम् बाल–अपराध

क्रम संख्या	भगोड़ेपन की श्रेणी	आवृति	प्रतिशत
1	सामयिक	36	33%
2	अभ्यस्त	48	44%
3	बार–बार भागने वाले	26	23%
	योग	110	100%

नोट:- कुल उत्तरदाताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है।

इस प्रकार सारणी –6.7 से स्पष्ट हैं कि 33% बालक सामयिक, 44% बालक अभ्यस्त तथा 23% बालक बार–बार भागने वाले बाल–अपराधी थे। भगोड़ेपन के बारे में जानने के बाद हमने यह भी जानने की कोशिश किया कि बल–अपराधी जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बारे में और शिक्षकों के बारे में वे क्या राय रखते हैं।

बाल–अपराधियों की राय में स्कूल (Javenile Delinquents OpinionTowards School):

इय अध्ययन में हमने बाल–अपराधियों की अपने स्कूल के बारे में राय जानने का भी प्रयास किया है।अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सारणी 6.8 के द्वारा स्पष्ट किया गया है :

सारणी –6.8

बाल–अपराधियों की राय में स्कूल

क्रम सं.	चर नाम	श्रेणी नाम	बाल अपराधी	
			संख्या	प्रतिशत
1	स्कूल का माहौल	रूचिकर	22	11.00%
		अरूचिकर	152	76.00%
		आंशिक रूचिकर	26	13.00%
		कुल योग	200	100.00%
2	स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा	रूचिकर	18	09.00%
		अरूचिकर	160	80.00%
		आंशिक रूचिकर	22	11.00%
		कुल योग	200	100.00%
3	स्कूल से शिक्षक	रूचिकर	30	15.00%
		अरूचिकर	144	72.00%
		आंशिक रूचिकर	26	13.00%
		कुल योग	200	100.00%

नोट:- कुल 200 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार सारणी 6.8 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश बाल–अपराधी अपने स्कूल के परिवेश, वहाँ दी जाने वली शिक्षा और स्कूल के शिक्षकों को रूचिकर नहीं मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांश बाल–अपराधी स्कूल का परिवेश वहाँ दी जाने वाली शिक्षा से अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। रॉबिन्सन महोदय ने भी स्कूलों को जिस आधार पर बाल–अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है, उसका वर्णन इस प्रकार किया है :

(1) स्कूलों का अनुशासन ढ़ीला है ।

(2) स्कूलों में बालकों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती है ।

(3) बालकों के स्कूल की कक्षाओं को छोड़कर भाग जाने की समस्या बाल–अपराधीबननेकी पहली दशा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कूल का परिवेश, स्कूल का पाठ्यक्रम, स्कूल के शिक्षकों का व्यवहार, स्कूल में खेल–कूद के साधनों की अपर्याप्तता आदि वे कारक हैं, जिसके चलते बच्चे स्कूली–पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। वे अक्सर स्कूल और उसकी कक्षाओं से अनुपस्थित रहकर इधर–उधर घूमने–फिरने एवं अवारागर्दी करने में अपना समय बिताते हैं, जो बाल –अपराधी बनने की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है।

(6.4) सूचना तकनीक एवं मीडिया का प्रभाव

बाल–अपराध की उत्पति में सूचना तकनीक एवं मीड़िया का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज के युग में तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास ने आधुनिक मानव के अवकाश के क्षणों को बढ़ा दिया हैं। अवकाश के क्षणों में आनन्दपूर्ण साधनों का उपयोग कर आधुनिक मानव अनेक नई समस्याओं से अवगत हो रहा है। अवकाश के क्षणों में बालक द्वारा की जाने वाली क्रियाएँ, उसके व्यवहार और विचारों को प्रभावित करती हैं। अच्छी तरह नियोजित और निरीक्षित मनोरंजन व्यक्तित्व के विकास में एक मुख्य तत्व हैं। मनोंरंजन की अत्यधिक सुविधा का होना तथा मनोरंजन के साधनों का अभाव होना, यह दोनों ही बालक के व्यवहार को

प्रभावित करते है।बहुत से अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि स्वस्थ मनोरंजन का अभाव अपराध का एक मुख्य कारण हैं। घर और पड़ोस में मनोरंजन के साधनों का अभाव, गरीबी से प्रभावित क्षेत्रों की विशेषता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में स्कूल जाने के उम्र के बच्चों के लिये गली और सड़क ही खेल के मैदान का काम करते हैं। **सिरिल बर्ट (Cyril Burt)**[18] ने ठीक ही कहा हैं कि ऐसे इलाकों में थकी–हारी और प्रताड़ित मातायें जब सुकून चाहती हैं, या अतिथियों के स्वागत के लिये कमरे को खाली कराना चाहती हैं, तो बच्चों को घर से बाहर गलियों और सड़कों पर भेज देती हैं। इन गलियों और सड़कों पर ऐसे बच्चों को अपराधी गतिविधियों को करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। इस प्रकार अवकाश के ये खाली क्षण बाल–अपराधी गतिविधियों द्वारा भरे जाते हैं। सिरिल बर्ट ने अपने अध्ययन में पाया कि लंन्दन में, उन इलाकों में जहाँ मनोरंजन के साधनों का नितान्त अभाव हैं, अपराधी बालकों के लिये ठीक वैसी ही उर्वरा भूमि तैयार करती है, जैसा कि वे क्षेत्र जहाँ मनोरंजन के साधन बहुत प्रचुरता में पाये जाते हैं। इस प्रकार बर्ट ने पाया कि लंन्दन के हर उन क्षेत्रों में बाल–अपराध की दरें ज्यादा हैं,जहाँ खुले मैदानों का अभाव हैं, जहाँ न तो पार्क हैं, न खेल के मैदान हैं और न ही मनोरंजन –पार्क आदि है।[19]

केवल गरीब परिवारों में ही नहीं, उन परिवारों में भी जहाँ घर में पर्याप्त जगह है, वहाँ भी खाली समय बिताने के लिये प्रर्याप्त मनोरंजन के साधन या खेल–कूद की व्यवस्था नहीं होती हैं। अवकाश के घंटे बिल्कुल खाली होते हैं। हंसा सेठ का भी मानना है कि एसे घरों के बाहर, अगर पड़ोस में भी मनोरंजन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है,तो बालकों में अस्वस्थ मनोरंजन के साधनों को अपनाने की संभावना बढ़ जाती है।[20]

इसके विपरीत उन जगहों पर जहाँ मनोरंजन के साधन प्रचुरता में विधमान रहते है, वहाँ भी अपराध के बढ़ने की पूरी–पूरी संभावना रहती हैं। ऐसे जगहों पर अपराध के बढ़ने के दो वजह होते हैं पहला तो अपराध करने की प्रेरणा का उपलब्ध होना, और दूसरा अपराध करने के पर्याप्त अवसर का होना। जहाँ तक अपराध करने की प्रेरणा का प्रश्न है, ऐसे जगहों

पर लोग शाम में काफी व्यस्त होते हैं और तरह–तरह की गतिविधियों में व्यस्त होतें है। बच्चे भी अन्य लोगों की तरह आनन्द उठाना चाहते हैं। जहाँ तक अक्सर की बात है, इससे बच्चों को किसी पर्स चुराने या दूकान से कोई सामान गायब करने के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये व्यस्त इलाके शाम में आनन्द उठाने वाले लोगों की लापरवाही का फायदा उठाकर पर्स उड़ाना, सामान गायब करना आदि अपराधों को करने का मौका अपराधी बालकों को उपलब्ध करते हैं।[21]

यह एक आम धारणा हैं कि कुछ खास प्रकार के व्यवसायिक मनोरंजन के साधन बाल–अपराध की उत्पति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ये हानिकारक मनोंरंजन हैं–कुछ खास तरह की फिल्में जिनमें हिंसा, अपराध और सेक्स की भरमार होती है, गन्दे गाने, यौनोत्तेजक नृत्य जैसे कैबरे, रात्रि–क्लब, बीयर या ड्रिंक–बार (शराबघर) जुआघर, अश्लील और अपराध–सम्बन्धी साहित्य, गन्दे उपन्यास, कहानियाँ आदि। कुछ समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ जो अपराध और सेक्स से जुड़ी खबरें काफी उत्तेजकपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वे भी कम उम्र के बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकास में सहायक होती हैं।

फिर भी मनोरंजन के इन हानिकारक साधनों और बाल–अपराध के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध हो, ऐसा जरूरी नहीं हैं। **न्यूमेयर (Neumeyer)** के शब्दों में, ''यह मानना ज्यादा सही होगा कि इनका प्रभाव बालकों के ऊपर अतिरिक्त कारक के रूप में काम करता हैं जो कि व्यवहार के सामान्य मानदण्ड़ों से विचलित होते हैं और किसी खास सामाजिक पर्यावरण में रह रहे होते हैं।[22]

प्रस्तुत अध्ययन में भी यह जानने का प्रयास किया गया है कि अवकाश के क्षणों में बाल–अपराधी बालक किन साधनों से अपना मनोरंजन करते है। मनोरंजन के विभिन्न साधनों जैसे –टेलीविजन, समाचार –पत्र, पत्रिकाएँ, उपन्यास, सिनेमा, इन्टरनेट, खेल–कूद आदि का प्रभाव बालक के विचारों और दृष्टिकोणों पर पड़ता है। मनोरंजन के इन सभी साधनों का

संचित प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। हमने अपने अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया कि बाल–पर्यवेक्षण गृह आये बाल–अपराधी अपना मनोरंजन किन साधनों से करते थे।

सुविधा के लिये अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को यहाँ हम दण्ड–चित्र के माध्यम से दिखा रहे है :

Percentage of Juvenile Del.

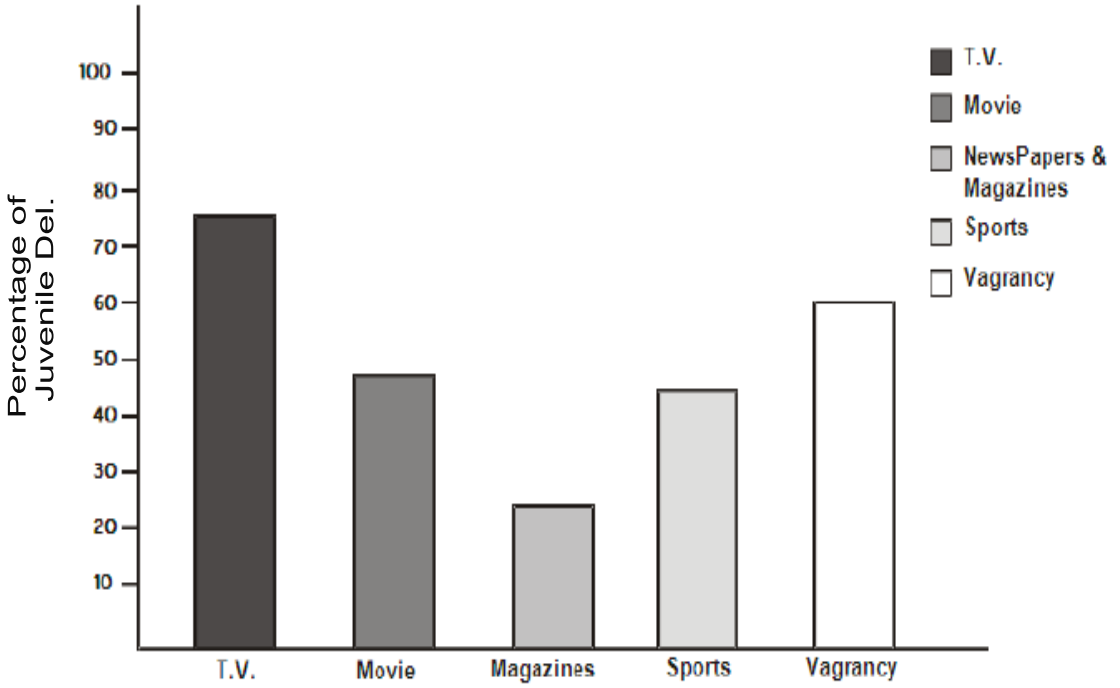

उपरोक्त दण्ड–चित्र से स्पष्ट है कि अधिकांश बाल–अपराधी चूँकि निम्न् सामाजिक –आर्थिक पृष्टभूमि के थे, इसलिये वे अपने अवकाश के क्षणों को मनोरंजन के सस्ते साधनों जैसे– टी.वी. देखना, सिनेमा देखना, खेल–कूद और आवारागर्दी आदि के माध्यम से व्यतीत करते थे। लगभग 75% बालकों ने टेलीविजन देखना, 47%बालकों ने सिनेमा देखा,22% बालकों ने विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं और उपन्यासों के द्वारा,45% बालकों ने खेल–कूद तथा 60% बालकों ने आवारागर्दी द्वारा मनोरंजन करना स्वीकार किया । परन्तु बहुत कम बालकों ने स्वीकार

किया कि अपराधी गतिविधियों में उन्होने प्रेरणा टी.वी. देखने , सिनेमा देखने या पत्र–पत्रिकाओं के द्वारा प्राप्त किए । हाँ इतना जरूर है कि इन मनोरंजन के साधनों के द्वारा उतेजना मिलती है, इस बात को अवश्य स्वीकार किया ।

मनोरंजन के इन साधनों के अलावा बाल–अपराधी बालकों में मनोरंजन के साधनों के रूप में तरह–तरह के नशे करना, जुआ खेलना आदि भी शामिल है। खाली समय में वे इन बुरी आदतों के द्वारा भी अपना मनोरंजन करते है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को यहाँ हम सारणी –6.9 के द्वारा भी अपना मनोरंजन करते हैं। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को यहाँ हम सारणी– 6.9 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं :

सारणी – 6.9

मनोरंजन के बुरेसाधन और बाल–अपराध

क्रम सं.	बुरी आदतें	आवृति	प्रतिशत
1	बीड़ी–सिगरेट पीना	63	42.00%
2	शराब–गुटखा का सेवन	51	34.00%
3	जुआ खेलना	21	14.00%
4	ड्रग्स का सेवन	15	10.00%
	योग	**150**	**100.00%**

कुल उत्तरदाताओं में से 50 को सम्मिलित नहीं किया गया है जो अभी तक इन आदतों का शिकार नहीं हुए थे ।

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट है कि लगभग तीन –चौथाई (75%) बाल–अपराधी मनोरंजन के लिये गन्दी और हानिकार चीजों का सेवन करते पाये गये । केवल 25% बालक इस अध्ययन में ऐसे थे जो इन आदतों के शिकार नहीं थें। बाल–अपराधियों के कुल सम्रग (200) में से केवल 50 बालक ऐसे निकले जो अभी तक इन आदतों का शिकार नहीं हुए थे ।

मनोरंजन के इन सारे साधनों का बालकों के व्यक्तित्व–विकास पर काफी असर पड़ता है । यहाँ हम मनोरंजन के कुछ अन्य साधनों के बाल–अपराधियों पर प्रभाव की विवेचना करेंगे :

(1) समाचार –पत्र एवं पत्र –पत्रिकाएँ :

समाचार–पत्र एवं पत्र –पत्रिकाओं में अपराध हिंसा और सेक्स की खबरें बढ़ा–चढ़ाकर पेश की जाती है, इन सबका बुरा असर बालकों के मस्तिष्क पर पड़ता है। **टैफ्ट(Taft)**[23] ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा है कि समाचार –पत्र अपराध –वृद्धि तथा अपराध करने का तरीका सिखाने में उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही कभी–कभी समाचार–पत्र अपराधों को आकर्षक तथा उतेजक ढंग से छापते है। इससे किशोरावस्था की इच्छायें (साहसपूर्ण कार्य की) पूरी हो जाती है, और कुछ अनुकरण द्वारा इस उतेजना को पूरी तौर पर अनुभव करने की इच्छा रखते हैं। कभी–कभी समाचार –पत्र ऐसी भावनाओं को जागृत करते हैं कि अव्यवस्था के द्वारा ही चाही वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। समाचार पत्र और पत्र–पत्रिकाएँ कभी–कभी अपराधी को प्रतिष्ठा देकर इतना उपर उठा देते है। कि अपराधी इससे गर्व अनुभव करने लगता है। यह भावना दूसरे अबोध बालकों के लिए प्रेरणा बन जाती है। उसी प्रकार अपराध से सम्बन्धित पीत–पत्रकारिता (Yellow Journalism) भी न सिर्फ न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, बल्कि अपराधियों और अपराधी व्यवहार के प्रति अवांछित रूचि पैदा करती है।[24]

प्रस्तुत अध्ययन में भी पाया गया कि लगभग 20–25% बालक ऐसे थे जो पत्र–पत्रिकाओं में छपी हिंसा,अपराध और सेक्स की खबरों से रोमांचित हो उठते थे । कुछ बालक ऐसे भी थे जिन्होंने इन में छपी वारदातों से प्रेरणा लेकर अपराध को किया था।

(2) टेलीविजन एवं बाल–अपराधः

आज घर–घर में केबल–नेटवर्क आ जाने से टेलीविजन मनोरंजन का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम बन चुका हैं। टेलीविजन पर हिंसा,अपराध,सैक्स, फिल्म और गन्दे गाने, तरह–तरह के सीरियल्स और सिनेमा– चैनल, तथा क्राइम–रिपोर्ट के माध्यम से परोसे जा रहे हैं। इनका बहुत बुरा असर बच्चों के कोमल मिस्तष्क पर पड़ता हैं। बाल–अपराध उपसमिति की 85 वीं बैठक की रिपोर्ट में भी कहा गया कि, ''टेलीविजन पर अपराधों की पृष्ठभूमि पर दिखाये गये दृश्यों का बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हैं।'' (Report on Television and Juvenile Delinquency,1955)। हमारे इस अध्ययन में भी 75%बच्चे टेलीविजन पर तहह–तरह के दिखाये गये हिंसा, अपराध और सेक्स सम्बन्धी खबरों और दृश्यों का प्रभाव अपने उपर स्वीकार करते हैं। परन्तु, टेलीविजन को अपराध के लिये मुख्य प्रेरणा–स्त्रोत के रूप में बहुत कम बच्चों ने स्वीकार किया ।

(3) सिनेमा और बाल–अपराध :

टेलीविजन, वीडियो और सिनेमा–हॉल में देखे गये चल–चित्रों का प्रभाव बालक के कोमल मस्तिष्क पर पड़ता है। सिनेमा बालक में अनेक प्रकार की उत्तेजनाएँ तथा कुविचार पैदा करते हैं। 1933 में ब्लूमर (Blummer) ने अपराधियों पर चलचित्रों के प्रभाव का जानने का प्रयास किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 10% पुरूष तथा 25% महिला अपराधी मानते हैं कि सिनेमा के प्रभाव के कारण ही उन्होंने अपराध किया था। उनका कहना है कि सिनेमा खतरामोल लेने के गुण को विकसित करते हैं, दिवा–स्वप्न पैदा करते हैं, आसानी से रूपया कमाने की इच्छा को प्रोत्साहित करते है तथा अपराधी बनने की शिक्षा देते हैं। उन्होने चलचित्र देखने वाले बालकों पर भी अध्ययन किया और पाया कि उनमें सिनेमा के दृश्यों को देखकर अपराध–सम्बन्धी उत्तेजनायें और विचार आसानी से उत्पन्न होते है।[25]

न्यूकॉम्ब का भी मानना है कि चलचित्र व्यक्तियों को जीवन का क्षणिक दर्शन प्रदान करते हैं और अपराध करने के तरीक सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे अभिनेताओं की भाषा व आचरण का अनुकरण शीघ्र करते हैं।[26]

हमारे अध्ययन में लगभग 50% बालकों ने सिनेमा देखना तथा उनमें दिखाये गये अपराध, हिंसा और सेक्स के दृश्यों से रोमांचित होने की बात स्वीकार किया। परन्तु सिनेमा से प्रभावित होकर अपराध करने की बात बहुत कम बाल–अपराधियों ने स्वीकार किया।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे टेलीविजन,सिनेमा, पत्र–पत्रिकाएँ आदि बालकों को प्रभावित तो अवश्य करती है, लेकिन इनका प्रभाव किस हद तक बाल–अपराध के लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है,कहना मुश्किल हैं।

(6.5) उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव :–

भारतीय समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था के अर्न्तगत हमारी भोगवादी आवश्यकताओं को संयमित कर रखा था। परन्तु टी वी व फिल्मों की तिलस्मी दुनिया ने उसे एक ही पल में बिखेर कर रख दिया। रातों –रात अमीर बनने की इच्छा, ताकत व वर्चस्व दिखाने की व्रीव आकांक्षा बचपन से ही मीडिया द्वारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। बच्चों के जीवन और कुछ नया कर गुजरने की तीव्र लालसा जैसे भाव पर मीडिया के ही दुष्परिणाम अधिक दिखाई दे रहें है। केवल इतना ही नही , टी,वी चैनलों को विज्ञापन संस्कृति के जरिये बच्चों का विवके हरण व उनकी चेतना का दमन करते हुए बहु–राष्ट्रीय कम्पनियां उन्हे नये उपभोक्ता बाजार के रूप में तैयार कर रही हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि आज परिवार की जितनी आवश्यकताएँ है उनमें तीन–चौथाई बच्चों की जरूरते मीडिया की विज्ञापन संस्कृति से ही उभरी हैं। यह उपभोक्तावादी संस्कृति का ही असर है कि बड़े परिवारों के टूटन से उत्पन्न एकल परिवारों के आर्थिक दबावों और बच्चों के अकेलेपन में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को एक बहुत बड़े बाजार की सम्भावनाएं नजर आ रही हैं। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीड़िया ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया है। साथ ही इस बाजार के फैलाव ने नई उपभोक्तावादी व गुस्सैल संस्कृति को जन्म देकर लोगों में दमित इच्छाओं का विस्फोट किया है। आज बच्चों से पारस्परिक व सधन सामाजिक संवाद करने के साधन चाहे वह परिवार हो, दोस्त या फिर

शिक्षण संस्थाएं, ये सभी मौन है। यह इसी का परिणाम है कि बच्चे लगातार मीडिया के सर्म्पक में रहने के कारण मीडिया के एकतरफा मशीनीकृत हिंसा से परिपूर्ण रोमांचक संवाद की कैद में आते जा रहें हैं। अतीत की तुलना में आज बच्चे हिंसा से जुड़े दृश्यों को अधिक पसंद कर रहे हैं और उन्हें ही अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। बच्चों के मध्य पनप रहे इस हिंसात्मक लक्ष्य के मनो– सामाजिक द्वंद का सामाजशास्त्र बताता है कि आजादी के आन्दोलन के बाद के तूफानी बाजार में मीडिया का सहारा लेकर बच्चों के आदर्शो को मटियामेंट कर दिया है। साथ में धोटालों और तरह–तरह के भ्रष्टाचार के मध्य पल रही इस पीढी के समक्ष विस्तारित वैश्विक सभ्यता की प्रतिस्पर्धा ने भविष्य की चिन्ता किए बगैर एक आक्रोशित गलाकार होड़ को जन्म दिया है। अवलोकन बताते है कि इस पीढ़ी में सफलता पाने की तीव्र इच्छा तो है, लेकिन असफल होने का धैर्य व संयम उनमें लगभग नगण्य है। जिस कारण जीवन में असफलता का भय उन्हें प्रतिशोधात्मक बना रहा है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बच्चों के जीवन में आज वैश्विक होड़ साहसिक तो दिखाई पड़ती है, मगर ज्ञान व विवके के आभाव में उनमें अदृश्य हिंसा का बीजारोपण भी हो रहा है।

वैश्विक बाजार और मीड़िया संस्कृति से जुडे समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी बताते हैं कि संयुक्त परिवारों के टूटने से बच्चों का अकेलापन, मानसिक तनाव, व्यक्तिगत पहचान खोजाने की व्याकुलता इत्यादी को एकल परिवार दुर नहीं कर पा रहें बच्चों का अधिकांश समय संचार माध्यमों के सम्पर्क में रहने के कारण बच्चे ''मीडिया कलचर'' द्वारा दमित हिंसा कभी–कभी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। विश्व स्वास्थ संगठन की रिर्पोट बताती है कि दुनिया में हर वर्ष एक करोड साठ लाख लोग हिंसा की भेंट चढ जाते है। इनमें बाल व युवाओं की सहभागिता अधिक रही है। इस रिर्पोट का आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि हिंसा में संलिप्त इन बाल–युवाओं में अधिंकाश ऐसे परिवारों से आये थे,।जिनमें बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए यांत्रिक संचार माध्यमों के सामने उनके प्रत्यक्ष समाजीकरण कोई महत्व नहीं दिया गया । इसका दुष्परिणाम यह रहा की प्रेम,वात्सल्य व स्नेह के अभाव में बच्चे संवेदना–शून्य बनकर हिंसा से जुडे लक्ष्यों की ओर बढते चले गये। इसके अतिरिक्त यूनेस्को के ''ग्लोबल मीडिया वायलेन्स'' विषयक्त प्रोजेक्ट से जुडें निष्कर्ष बताते हैं कि नगरों में रहने वाले जिन छात्रों ने अपना आधा समय टी.वी देखने और आधा समय गृह–कार्य दोस्तों से

बात–चीत तथा पठन–पाठन में लगाया, उनमें पाया गया कि छात्रों में टी.वी. देखने का प्रभाव आमने–सामने के सवांद की तुलना में बहुत शक्तिशाली रहा था। देखने में आ रहा है कि परिवारों में बच्चों से भावनात्मक रिश्ते समाप्त हो रहें हैं। माँ–बाप को आर्थिक दबाव, कारोबार और भोगवादी पार्टियों से फुरसत ही नहीं है। बच्चों को भौतिकवादी सुविधाएं देकर वे अपनी सामाजिक भूमिका की इतिश्री समझ लेते हैं। लिहाजा बच्चे या तो घर की चारदीवारी में बन्द होकर तकनीकी खिलौने से खेलते हैं या फिर बचपन में गेम को जीतने के लिए उन्हे कम्प्यूटर एवं वीडियों के पर्दे पर किसी चरित्र को मारने में बहुत आनन्द आता है। इन कृत्रिम चरित्रों को मारकर पले–बढे हुए ये बच्चे वास्तविक जीवन में भी ऐसा करने से नहीं चूकते । नगरों व महानगरों के विद्यालयों में अध्ययनरत इन हिंसक छात्र-छात्राओं में भी ऐसा मनोविज्ञान कार्य कर रहा है।

आज जिस संस्कृति से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे है वो हैं उभोक्तावादी संस्कृति, बच्चा चाहे किसी भी वर्ग का हो हमने कोटा शहर का जो अध्ययन किया उसमें पाया कि यहा बाल–अपराध की वजह उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास है। राजस्थान का कोटा एक ऐसा शहर है। जिसे हम शैक्षणिकनगरी के नाम से जानते है। यहाँ देश के विभिन्न भागों विभिन्न शहरों से आई.आई.टी और मेडिकल की कोचिंग के लिए प्रतिवर्ष लाखों बच्चे आते हैं ,ये बच्चे यहां परिवारिक परिवेश से दूर अन्य विभिन्न वर्ग के बच्चों के साथ हॉस्टल में रहते हैं। एक तरफ तो ये छात्र कोटा का सिर ऊंचा उठा रहे है वहीं दूसरी–और ये बच्चे अपराध की दुनिया में बदनुमा दाग बनकर उभर रहें हैं। किशोरावस्था में बालक जब अपने घर परिवार से दूर रहता है तब भौतिक वस्तुएँ और उपभोग की नई–नई वस्तुएँ ही उसकी साथी होती हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो उपभोगतावादी संस्कृति को आसानी से अपना सकते हैं, यानि जो भौतिक सुख –सुविधाओं की वस्तुओं का खर्च आसानी से उठा लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके परिवारिक स्थिति उपभोगवादी संस्कृति का सर्मथक है। वहीं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपनी मूल आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। हमने अपने अध्ययन में पाया कि जो बालक अपने उच्चवर्ग के साथियों की तरह उपभोग की नित नयी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाता तो वह कुंठा और मानसिक तनाव की वजह से कभी–कभी गलत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें हम बाइक चोरी, मोबाईल चोरी, ए.टी.म लूट आदी धटनाओं को देखते हैं। बालक अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर जाता है, शायद वह जो कर रहा है उसे अपराध नहीं समझता। हाल ही में हुए अध्ययनों में पाया गया है कि किशोरावस्था में शिक्षित बालकों द्वारा किये गये अपराध की मूख्य वजह दिखाने की होड़ है। यानि अपने उच्च वर्ग के साथियों से मध्यम और निम्न वर्ग के बालक

किसी भी प्रकार कम नहीं दिखना चाहते हैं। शिक्षित बालकों में अपराध की एक वजह युवा हो रहे लड़के –लड़कियों की आपसी नजदिकियाँ भी है, जिसकी वजह से भी बालकों द्वारा अपराध किये जाते है। किशोरावस्था में बालकों को बाइक और मोबाईल की आवश्यकता एक आम आवश्यकता है। इस उम्र में सबसे श्रेष्ट दिखने की होड़ में बालक आसानी से कानून विरोधी कार्य कर बैठते है। जिनका उन्हे ज्ञान भी नहीं होता है।

शिक्षित बालकों के अलावा हमने अपने अध्ययन में पाया कि अशिक्षित बालक भी इस प्रकार के अपराध अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अशिक्षित बालक ने केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी अपराध कर बैठते हैं। हमनें अपने अध्ययन में पाया कि अशिक्षित या निम्न वर्ग के बालक भी मीडिया और विज्ञापनों को दिखाये जा रहे उपभोग की भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उन्हे इतनी आजादी नहीं देता है। जैसा कि हम सभी जानते है कि मीडिया, टी.वी. चैनल, मोबाईल बाइक आदि जैसी चीजें किसी की भी पहुँच के बाहर नहीं है यानि चाहे कोई व्यक्ति इन चीजों को खरीद भले ही न पाये इन चीजों को टी.वी. पर देखकर इन्हे पाने की लालसा तो अवश्य ही रख सकता है। और यही लालसा हमारे युवाओं को अपराध की राह पर ले जाती है।कोटा शहर में स्थित कच्ची बस्तियों के अध्ययन में हमने पाया कि वहाँ के बच्चों को दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से तो वंचित है, लेकिन फिर भी इनके पास मोबाईल और बाइक जैसी चीजें है। मीडिया, इंटरनेट टी.वी. ने उपभोगतावादी संस्कृति के प्राचार और प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने अपने अध्ययन में पाया कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चे और युवा अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए गैर कानूनी कार्य भी करते हैं, और कई बालक तो स्कुल जाने की आयु में बाल–श्रम यानि मजदूरी भी करते है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे मीड–डे–मील योजना के अर्न्तगत उन्हे एक वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। ये सरकारी विद्यालय आज कल शिक्षा के स्थान पर भोजन परोसने का कार्य कर रहें। जिस प्रकार भोजन मिल–जाता है उसी प्रकार ये अपरिपक्व बालक अन्य उपभोग की वस्तुओं को भी पाना चाहते है। और इनकी यही चाहत इन्हे अपराधी बनाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि उपभोगतावादी संस्कृति बालकों को प्रभावित तो अवश्य करती है, लेकिन इनका प्रभाव किस हद तक बाल–अपराध के लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है,कहना मुश्किल हैं।

References

सन्दर्भ

1. **Reckless, W.C. and Smith M.** 'Juvenile Delinquency', P.147.
2. **Neumeyer, M.H.** 'Juvenile Delinquency in modern society', P.194.
3. **Tannenbaum, Frank.** 1938. 'Crime and Community', P.89-102.
4. **Burt, .Cyiil.** 'The Young Delinquent', P.129
5. **Singh, R.S.** 'Delinquency in India',PP.84-85
6. **Neumeyer, M.H.** 1961. 'Juvenile Delinquency', New York.
7. **Reckless, W.C.** 1961. 'The Crime Problem', New York, P.30.
8. **Burt, Cyril,** 'The Young Delinquents', P.129.
9. **Sharma, D.D.,** 'Young Delinquents in India', P.115.
10. **Caldwell, R.G.** 1956. 'Criminology', P240.
11. **Shaw, Clifford and Mckay, Henry**. 1942 'Juvenile Delinquency and Urban Areas', Chicago.
12. **Sutherland, E.H.** 1966. Principles of Criminology, New York.
13. **Morris,T.** 1958. 'The Criminal Area', London.
14. **Besant,Anny**. 1942 'The School Boys as a Citizen',Madras, ,P.3.
15. **Glueck. S. And Glueck,E.** 1950. 'Unravelling Javenile Delinquency',New York.
16. **Glueck & Glueck.**1956.'Physique and Delinquency', New York, P.64.
17. **Robinson, S.M.** 1960. 'Juvenile Deliquency', New York.
18. **Burt, Cyril.** 'The Young Deliquent',P.9.
19. Ibid, p.156.

20. **Sheth, Hansa**. 'Juvenile Delinquency in an Indian Setting', P.257.

21. **Singh, R.S**. 'Juvenile Delinquency in Indian', PP.87-88

22. **Neumeyer, M.H.** 'Juvenile Deliquency in Modern Society',P.218.

23. **Taft,D.R.** 'Criminology', PP.200-207.

24. **Neumeyer.** 'Juvenile Delinquency in Modern Society', P.221.

25. **Blummer, H. & Houser, P.M.** 1933. 'Movie, Delinquency and Crime', PP.198-99.

26. **New Comb, T.M.** 1950. 'Social Psychology', P.91.

==========

सप्तम अध्याय:

बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ

7.1 बाल अपराध की उभरती प्रवृतियॉ

7.2 बाल अपराध की प्रकृति और मात्रा

7.3 बाल–अपराध के प्रकार

7.4 बाल–अपराध के कारण

7.5 बाल–अपराध निरोधक कार्यक्रम

सप्तम अध्याय:

बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ
(Emerging Trends of Juvenile Delinquency)

प्रस्तुत अध्याय में बाल–अपराध की प्रकृति बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ, बाल–अपराध के कारण, बाल–अपराध के प्रकार और बाल–अपराध जैसी गंभीर समस्या के निपटने के लिए किये गये उपायों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

7.1 बाल अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ:

प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के कोटा शहर में बाल–अपराध की उभरती प्रवृत्तियों पर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में हमारा उद्देश्य यह जानना है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो बाल–अपराध के फलने ने फूलने के लिए जिम्मेदार हैं। राजस्थान का कोटा शहर का स्वरूप विगत कुछ वर्षों में काफी कुछ बदल गया है। शहर के विभिन्न स्कूलों, कोचिंग संस्थाओं, कॉलेजो में लाखों की संख्या में किशोर वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं । सूचना–तकनीक, वैश्वीकरण यातायात की सुविधाओं में वृद्धि और भौतिक सुख–संसाधनों की सुविधाओं ने पअशहर का परिदृश्य बहुत कुछ बदल दिया है। ऐसे में यहाँ बाल–अपराध जैसी समस्या भी नये रूप में सामने आयी है।

राजस्थान का कोटा शहर एक तरफ तो शैक्षिणक नगरी के रूप में फल– फूल रहा है तो दूसरी ओर यहाँ बाल–अपराध जैसी गंभीर समस्या अपने पैर पसार रही हैं एक तरफ देश–प्रदेश के कोचिंग छात्र–छात्राओं से कोटा का सिर ऊंचा–उठ रहा हैं। वहीं दूसरी ओर किशोर उम्र के बच्चे अपराध की दुनिया में बदनुमा दाग बनकर उभर रहे हैं । बाल–अपराधियों द्वारा किए जा रहे अपराधों के आंकडों में कोटा जयपुर के बाद प्रदेश मे दूसरे स्थान पर है।

बाल–अपराधियों की बढती संख्या शिक्षा नगरी के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। किशोर न्याय बोर्ड के पिछले पांच साल के आंकडे खुलासा करते हैं कि जयपुर के बाद कोटा में बच्चों में अपराध बढे हैं । जोधपूर, उदयपुर,बीकानेर और अजमेर जैसे बड़े शहर ऐसे अपराधों में कोटा से बहुत पीछे है। पांच साल के दौरान प्रदेश में बच्चों के अपराध के सर्वाधिक 2588 मामलें राजधानी जयपुर में दर्ज हुए, जबकि कोटा में यह संख्या 1636 रही। जोधपुर में 713 मामलें, उदयपुर में 736 मामलें बीकानेर में 338 और अजमेर में 589 मामले दर्ज हुए।

आंकडों के अनुसार कोटा में हत्या, डकैती,बलात्कार और नशीले पदार्थों की तस्करी तक के मामलों में नाबालिगों की भूमिका सामने आई है। कोई भी ऐसा साल नहीं जब इन संगीन अपराधों में बच्चे संलिप्त नहीं रहे। इन सबमें सबसे ज्यादा मामलें चोरी के हैं। बोर्ड में पांच साल के दौरान चोरी के 394 मामलें सामने आये।

कोटा शहर में दर्ज बाल–अपराध के मामलें

वर्ष	ममलें
2008 – 09	269
2009 – 10	303
2010 – 11	331
2011 – 12	377
2012 – 13	356

स्त्रोत : किशोर न्याय बोर्ड, कोटा

बाल–अपराध के मामले से सम्बान्धित इन आकड़ो को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि शिक्षा नगरी कोटा में राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में बाल–अपराध की दर अधिक क्यों है? विगत वर्षों में कोटा शहर के अन्दर काफी परिवर्तन आये हैं। सैकड़ो की संख्या में यहाँ कोचिगं संस्थाएँ खुली हुई हैं। देश के कोने–कोने से बच्चे यहाँ कोचिगं संस्थाओं में दाखिला ले रहें है। साथ ही शहर के विभिन्न स्कुलों एवं कोचिग संस्थाओं से भी विचलनकारी गतिविधियां पाई जाती है। बाल–अपराध के लिए हम केवल शिक्षण संस्थाओं को ही जिम्मेदार नहीं मान सकते । हमने अपने अध्ययन में शहर में स्थित कच्ची बस्तियों जैसे–बापू नगर, हरिजन बस्ती, संतोषी नगर, दुर्गा बस्ती, उड़िया बस्ती,बगांली बस्ती आदि से भी विचलनकारी गतिविधियों में संलग्न किशोरो के बारे में सूचनाएँ एकत्रित की है, और यह जाने का प्रयत्न किया है कि किशोरों में बढ रहे अपराधिक प्रवृत्तियों की वजह क्या हैं ?

प्रस्तुत अध्ययन कोटा के बालकों पर किया गया है, और उन प्रविृत्तियों को पता लगाने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण बालकों में अपराधिक प्रविृत्ति बढ रही है। जब हमने कोटा शहर के कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण किया तो पाया कि वहाँ भी बच्चे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध करतें है। इन बस्तियों में बच्चे सरकारी स्कूलों में पढते है, जहाँ वे केवल मिड–डेमील के लिए जाते है। इसके अलावा टी0वी0 और सिनेमा से प्रभावित होकर अपने शौक पूरे करने के लिए अपराध कर बैठते है। 12 वर्ष से कम आयू के बच्चों को पता भी नहीं होता कि वे जो कर रहे हैं वो अपराध है। 12 वर्ष से अधिक आयु के बालक पता होते हुए भी अपराध ये सोचकर करते हैं कि वे पकड़े नहीं जायेगें। इन बसतियों के बच्चों में अपराधिक प्रविृत्ति के बढने का कारण, मोबाईल, बाईक, इन्टरनेट संस्कृति का प्रचार और प्रसार है। बच्चे मोबाइल, बाइक और इन्टरनेट आदि सुविधाओं का प्रयोग करना चाहते हैं। ये ऐसी

सुविधायें हैं जिन्हे इनके माता–पिता पुरा नहीं कर पाते । अपनी इन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बालक, चोरी ,लुटमार आदि में शामिल हो जाते हैं।

दूसरी तरफ कोटा में आर्थिक स्थिति से सम्पन्न बालकों द्वारा भी अपराध किये जा रहे हैं। जिसकी वजह एक बच्चे का दूसरे से श्रेष्ट दिखने की होड़ है। कोटा शहर में चूंकि पूरे देश से बालक आते हैं, और माता–पिता के बिना हॉस्टलों में रहते हैं। कोचिंग के बच्चों में बढ रहीं अपराधिक प्रवृति की वजह मीडिया, सिनेमा और इन्टरनेट का बढता जाल है, जिसमें फसंकर ये बालक अपराध कर बैठते हैं।

7.2 बाल अपराध की प्रकृति और मात्रा (Nature & Magnitude of Juvenile Delinquency):

जैसा कि प्रथम अध्याय में भी स्पष्ट किया गया है कि भारतवर्ष में भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) के अन्तर्गत दर्ज अपराधों में, 1997 से 2000 तक, बाल–अपराधियों का प्रतिशत लगभग 0.5 प्रतिशत ही पाया गया । सन् 2005 में बाल–अपराध के 18,939 मामले दर्ज हुए जो कि कुल दर्ज अपराधों (18,22,602) का लगभग एक प्रतिशत था। जहाँ तक राजस्थान का सवाल हैं, सन् 2005 में यहाँ 1,324 बाल–अपराध दर्ज हुए, जो कि भारत में दर्ज कुल बाल–अपराध (18,939) का 7.0 प्रतिशत था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात हैं कि बाल–अपराध से सम्बन्धित बहुत कम मामले आमतौर पर पुलिस को रिपार्ट किये जाते हैं या न्यायालय के समक्ष आ पाते हैं। ऐसा शायद इसलिये होता हैं कि बाल–अपराध से सम्बन्धित छोटे–मोटे मामलों को पारिवारिक या सामुदायिक स्तर पर ही सुलझा लिया जाता हैं। फिर भी साल–दर–साल बाल–अपराध की घटनायें ज्यादा संख्या में दर्ज की जा रही हैं।

बाल–अपराध की घटनाओं में वृद्धि कई कारणों से दर्ज की जा सकती है। आम जनता अब बालकों के द्वारा किये गये अपराधों को भी पुलिस में दर्ज कराना अपना फर्ज समझती है।

साथ ही, पुलिस भी बाल–अपराध के मामले को गंभीरता से लेती है और उनका रिपोर्ट तत्परता से दर्ज करती है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि बाल–अपराध की घटनाये ंतो पहले जैसी ही हैं, परन्तु चूँकि ये मामले अब आम–जनता और पुलिस दोनों के द्वारा तत्परता से दर्ज किये जाते हैं, इसलिये इनकी संख्या पहले से बढ़ रही दिखती है।

फिर भी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि तीव्र गति से हो रहे सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृति, बाढ़, सूखा, नगरीकरण, औधोगीकरण और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा करती हैं। शहरों में तेजी से बढ़ रही गन्दी बस्तियाँ (Slums) और अनाथ और निराश्रित बच्चों की संख्या में वृद्धि ने शहरों में बाल–अपराध को बढ़ाया है।

जहाँ तक बाल–अपराध की प्रकृति का सवाल है, समय के साथ, बाल–अपराधी भी पहले से ज्यादा गंभीर किस्म के अपराधों को अंजाम देने लगे हैं। पहले बाल–अपराध के अन्तर्गत ज्यादातर घटनायें चोरी, सेधंमारी, लड़ाई–झगड़े आदि के ही दर्ज होते थे । परन्तु, आज बाल–अपराध की प्रकृति पहले से काफी जटिल हो गयी है। आज बाल–अपराधी हत्या, डकैति, बलात्कार, ड्रग–एडिक्सन (मादक द्रव्यों का सेवन), अवैध हथियार रखने, तस्करी आदि जैसे संगीन मामलों में भी पकड़े जाने लगें हैं । यह समाज के लिये काफी चिन्ता का विषय है। साथ ही शहरी तथा ग्रामीण दोनों परिवेशों में बाल–अपराधियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं लड़कियों में भी बाल–अपराध के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं। हॉ, इतना जरूर है कि बालिकाएँ ज्यादातर छोटे–मोटे चोरी, या यौन–दुराचार के मामले में ही संलग्न पायी जाती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में भी बाल–अपराध की दर्ज घटनाओं को बाल–पर्यवेक्षण गृह, कोटा से पता लगाया गया। अध्ययन की अवधि के दौरान पिछले तीन सालों में कुल दर्ज बाल–अपराध के मामलों का पता लगाया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को यहाँ हम सारणी – 7.1 के द्वारा प्रस्तुत कर रहे है :

सारणी – 7.1

बाल–अपराध की मात्रा

क्रम सं.	अवधि	बाल–अपराध	प्रतिशत –वृद्धि
1	2010 – 11	331	–
2	2011 – 12	377	+2.17%
3	2012 – 13	356	-71.11%

सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि बाल–अपराध के मामले 2010–11 की तुलना में 2011–12 में 02.17% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।, जबकि 2011–12 की तुलना में 2012–13 में इसमें 71.11% प्रतिशत कम दर्ज किये गये।

यहाँ पर एक वर्ष की अवधि को वित्तिय वर्ष की गणना–अनुसार अप्रैल से अगले वर्ष के मार्च की अवधि तक माना गया हैं । बाल–अपराध सम्बन्धी मामलों से स्पष्ट है कि इसकी दर स्थिर नहीं है। हालाँकि इतना जरूर है कि प्रतिशत कमी (-71.11%)की तुलना में (+02.17%) वृद्धि बहुत ज्यादा है। अतः यह माना जा सकता है कि बाल–अपराध की घटनाये साल–दर–साल बढ़ रही हैं।

7.3बाल–अपराध के प्रकार (Types of Juvenile Delinquency) :

बाल–अपराध व्यवहार की शैली और स्वरूप में विविधता प्रदर्शित करता है। बाल–अपराध के प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है, कारण होते हैं तथा निरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं, जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। **होवार्ड बेकर[1](Howard Becker)**ने बाल–अपराध को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है :

(1) वैयक्तिक बाल–अपराध (Individual Delinquency)

(2)समूह समर्थित बाल–अपराध (Group-Supported Delinquency)

(3) संगठित बाल–अपराध (Organised Delinquency)

(4) प्रस्थिति जन्य अपराध (Situational Delinquency)

मोटे तौर पर बेकर द्वारा बताये गये बाल–अपराध के ये प्रकार व्यक्ति, समाज और परिस्थिति–जन्य कारणों को बाल–अपराध के लिये जिम्मेदार मानते हैं।

हिर्श (Hirsh)[2]ने किये गये अपराधों के आधार पर बाल–अपराधियों को छः श्रेणियों में वर्गीकृत किया है :

1. अशोध्यता (Incorrigibility) –उदाहरण के लिये देर रात तक घर से बाहर रहना, अवज्ञा आदि।
2. स्कूल से भागना (Trauncy)
3. चोरी (Larceny or Theft) –छोटी–मोटी चोरी से लेकर सशस्त्र डकैती तक ।
4. सम्पति की क्षति (Destruction of Property) – सार्वजनिक एवं निजी दोनों सम्पत्ति इसमें शामिल है।
5. हिंसा (Violence) –व्यक्ति या समुदाय के विरूद्ध सशस्त्र हिंसा।
6. यौन–अपराध (Sex offences) –समलैंगिकता से लेकर बलात्कार तक।

इस प्रकार हम देखते हैं कि **हिर्श** ने अपराध की प्रकृति के आधार पर बाल–अपराध का वर्गीकरण किया है।

राबर्ट ट्रोजानोविज (Robert Trojanowicz,1973)[3] ने भी बाल–अपराध को छः श्रेणियों में वर्गीकृत किया है :

1. आकस्मिक (Accidental)
2. असामाजिकतापूर्ण (Unsocialised)
3. आक्रामक (Aggressive)
4. यदा–कदा (Occasional)
5. पेशेवर (Professional)
6. गिरोह–संगठित (Gang-Organised)

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की प्रकृति और प्रभाव के आधार पर समाजशास्त्रियों ने अपने–अपने तरीके से बाल–अपराध के प्रकार को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा है। प्रस्तुत अध्ययन में बाल–पर्यवेक्षण गृह में विभिन्न अपराधों में दर्ज बाल–अपराधियों को निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(1) चोरी (नकबजनी) (2) लड़ाई–झगड़ा (3) हत्या (4) अपहरण (5) बलात्कार (6) रेलवे–एक्ट (रेलवे की सम्पति को चुराना, बेटिकट यात्रा करना आदि) (7) उत्पाद–एक्ट (अवैध शराब या अन्य मादक द्रव्यों के कारोबार में सहायक) (8) अन्य (छेड़–छाड़, वन्य–जीव या सम्पति को नुकसान, परीक्षा में नकल करना, अवैध हथियार रखना, सार्वजनिक सम्पति को क्षति पहुँचाना आदि)।

बाल–अपराध से जुड़े दर्ज मामलों का विश्लेशण करने पर स्पष्ट होता है कि ज्यादातर मामले चोरी और लड़ाई–झगड़े से सम्बन्धित थे।

प्रस्तुत अध्ययन में जिन 200 बाल–अपराधियों का अध्ययन किया गया, उनके द्वारा किये गये अपराधों के श्रेणीवार वर्गीकरण सारणी – 7.2 के द्वारा किया जा रहा है :

सारणी – 7.2

बाल–अपराध के प्रकार

क्रम सं.	अपराध की श्रेणी या प्रकार	बाल– अपराधी	प्रतिशत
1	चोरी (Theft)	86	43.00%
2	लड़ाई–झगड़े (Assault & Riot)	55	27.50%
3	हत्या(Murder)	08	04.00%
4	बलात्कार (Rape)	10	05.00%
5	अपहरण (Kidnapping)	03	01.50%
6	उत्पाद–एक्ट (Excise Act)	06	03.00%
7	रेलवें एक्ट (Railway Act)	14	07.00%
8	अन्य (Others)	18	09.00%
	योग	**200**	**100.00%**

सारणी – 7.2 में दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि बाल–अपराध के ज्यादातर मामले चोरी (43.00%) और लड़ाई–झगड़े (27.50%) के दर्ज हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल अपराध के ये दो प्रकार ही कुल बाल–अपराधों के दो–तिहाई से ज्यादा हैं। अन्य–अपराधों में हत्या का प्रतिशत 4.00%, बलात्कार का 05.0%, अपहरण का 01.50%, उत्पाद एक्ट का 03.00%, रेलवे–एक्ट का 07.00%, तथा अन्य दूसरे प्रकार के अपराधों का प्रतिशत 09.00%, पाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोरी और लड़ाई–झगड़े को छोड़ अन्य सारे प्रकार के अपराधों का प्रतिशत कुल मिलाकर एक–तिहाई से भी कम आता है।

परन्तु, इतना अवश्य है कि बाल–अपराधी लगभग हर तरह के रंगीन अपराधों को भी अंजाम देने लगे हैं।

अध्ययन में बाल–अपराध के विभिन्न प्रकारों का प्रमुख सामाजिक–आर्थिक कारकों से क्या सह–सम्बन्ध है, यह भी पता लगाने का प्रयास किया गया। इस क्रम में सबसे पहले हमने बाल–अपराधों के प्रकार और आयु के बीच क्या सम्बन्ध है, यह पता लगाने का प्रयास किया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी– 7.3 से स्पष्ट किया गया है। सुविधा के लिये हमने अपहरण, उत्पाद–एक्ट और रेलवे–एक्ट में पकड़े गये बाल–अपराधियों को भी अन्य की श्रेणी में शामिल कर लिया है।

सारणी – 7.3

आयु और बाल–अपराध के प्रकार

	बल अपराध के प्रकार					
आयु–समूह	चेरी	लड़ाई–झगड़ा	हत्या	बलात्कार	अन्य	कुल योग
07 – 12	08 (1000%)	04 (09.00%)	–	–	08 (19.00%)	20 (10.00%)
13 – 15	47 (59.00%)	20 (48.00%)	03 (41.00%)	04 (25.00%)	13(40.00%)	87(44.00%)
16 – 18	25(32.00%)	31(53.00%)	07 (67.00%)	08 (7500%)	22 (37.00%)	93(46.00%)
योग	**80(100%)**	**55(100%)**	**10(100%)**	**12 (100%)**	**43(100%)**	**200(100%)**

सारणी – 7.3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 07–12 आयु–वर्ग के बच्चे कुल बाल–अपराधों का 10% अपराध करते पाये गये। इनमें ज्यादातर अपराध चोरी, लड़ाई–झगड़ा और छोटे–मोटे अपराधों जैसे–बेटिकट यात्रा करना, आवारागर्दी करना, घर से भागना आदि अपराधों के अंजाम देते है। 13–15 आयु–वर्ग के बच्चे कुल बाल–अपराधों का 44% अपराध करते पाये गये।इनमें चोरी,लड़ाई–झगड़ा, हत्या बलात्कार तथा अन्य सभी प्रकार के अपराध दर्ज किये गये । सर्वाधिक अपराध लगभग 46% 16–18 आयु वर्ग में दर्ज संगीन अपराधों में सबसे ज्यादा संलग्न पाये गये।भारत में बाल–अपराध पर किये गये समाजशास्त्रीय शोधों में यह बात सामने आती है कि अधिकांश बाल–अपराध किशोरावस्था के दौरान किये जाते हैं। **रूटॉन शॉ**[4] के अध्ययन में बाल–अपराध की औसत आयु 14 वर्ष दर्ज किया गया और **हंसा सेठ**[5] के अध्ययन में यह औसत आयु 13 वर्ष पाया गया । हमारे यह अध्ययन में यह औसत–आयु 15.3 दर्ज किया गया, जैसा कि सारणी–5.1 से स्पष्ट है।

ग्रामीण और नगरीय पृष्ठभूमि (Rural & Urban Background):

आयु के पश्चात् हमने बाल–अपराध के प्रकार और ग्रामीण तथा नगरीय पृष्ठभूमि में सहसम्बन्ध को जानने का प्रयास किया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को सारणी –7.4 के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है :

सारणी– 7.4

ग्रामीण–नगरीय पृष्ठभूमि और बाल–अपराध के प्रकार

क्रम सं.	अपराध के प्रकार	ग्रामीण(Rural)	शहरी(Urban)	योग (Total)
1	चोरी (Theft)	41(41.00%)	47 (46.00%)	88(44.00%)
2	लड़ाई–झगड़े (Assault & Riot)	32 (33.00%)	24 (24.00%)	56 (28.00%)
3	हत्या (Murder)	03 (03.00%)	05 (05.00%)	08 (04.00%)
4	बलात्कार (Rape)	05 (05.00%)	05 (05.00%)	10 (05.00%)
5	अन्य (Others)	18 (18.00%)	20 (20.00%)	38 (19.00%)
	योग	**95(100.00%)**	**105 (100.00%)**	**200(100.00%)**

सारणी – 7.4 से स्पष्ट है कि गाँव और शहर दोनों में अपराध के सभी प्रकार लगभग थोड़े बहुत प्रतिशत के अन्तर से लगभग बराबर से ही पाये जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि गाँव में लड़ाई–झगड़े के मामले थोड़ी ज्यादा संख्या में दर्ज किये जाते हैं। जैसा कि **वेड्डर (Vedder)**[6] का भी मानना है कि, जैसे–जैसे संचार गतिशीलता और शहरीकरण का विकास होता है, यह स्वाभाविक है कि गाँव और शहरों में दर्ज अपराधों की मात्रा में भी अन्तर होता जाता है। साथ ही अपराध की प्रकृति और प्रकार भी लगभग एक जैसे होने लगते हैं।

आर्थिक–पृष्ठभूमि तथा बाल –अपराध के प्रकार (Economic Background and Types of Juvenile Delinquency):

आर्थिक–पृष्ठभूमि भी बाल–अपराध की प्रकृति और प्रकार को प्रभावित करती है। इस बात का पता लगाने का प्रयास भी इस अध्ययन में किया गया कि किस प्रकार का अपराध किन आर्थिक–पृष्ठभूमि वाले बालकों के द्वारा किया जाता है। इसे सारणी–7.5 के द्वारा स्पष्ट किया गया है :

सारणी – 7.5

आर्थिक पृष्ठभूमि और बाल–अपराध के प्रकार

	बाल अपराध के प्रकार					
आर्थिक पृष्ठभूमि	चोरी	लड़ाई–झगड़ा	हत्या	बलात्कार	अन्य	कुल योग
अत्यन्त निम्न (Very Low)	33(37.00%)	17(37.00%)	02(33.30%)	2.5(25.00%)	18(44.00%)	72.5(39.00%)
निर्धन (Low)	29(34.00%)	15(27.00%)	03(33.30%)	2.5(25.00%)	13(31.00%)	62.5(35.00%)
मध्यम (Middle)	23(26.00%)	13(23.00%)	02(33.30%)	2.5(25.00%)	07(19.00%)	47.5(14.00%)
उच्च (High)	03(03.00%)	10(18.00%)	–	2.5(25.00%)	02(06.00%)	17.5(09.00%)
योग	**88(100%)**	**55(100%)**	**07(100%)**	**10(100%)**	**40(100%)**	**200(100%)**

इस प्रकार हम देखते हैं कि सारणी – 7.5 के अनुसार चोरी, लड़ाई–झगड़े तथा अन्य–अपराधों में निम्न् तथा मध्यम–वर्ग के बालकों का प्रतिशत उच्च वर्ग के बालकों की तुलना में काफी ज्यादा है। हालाँकि बलात्कार जैसे–अपराध में हर वर्ग के बाल–अपराधी बराबर मात्रा में पाये गये। हत्या और अन्य प्रकार के अपराधों में हर वर्ग के बच्चे शामिल पाये

गये । परन्तु, उच्च वर्ग के बच्चों में लगभग सभी प्रकार के अपराधों का प्रतिशत अन्य आर्थिक–वर्गो की तुलना में काफी कम पाया गया । **जोन्स (Jones)**[7] के शब्दों में, ''यह कहा जा सकता है कि आर्थिक स्तर जितना निम्न् होगा बाल–अपराध का प्रतिशत उतना ही ज्यादा होगा।'' बौंगर **(Bonger)**[8]और **थॉमस (Thomas)**[9]ने भी अपने अध्ययन में पाया कि कुछ खास प्रकार के सम्पत्ति से जुड़े अपराध (जैसे–चोरी, डकैती आदि) आर्थिक मंदी और व्यापक बेरोजगारी की स्थिति में बढ़ जाते हैं।

शैक्षणिक–स्तर और बाल–अपराध के प्रकार (Educational Level and Types of Juvenile Deliquency) :

शिक्षा व्यक्तित्व के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन बालकों का शैक्षणिक स्तर निम्न् होता है वे अपराधी गतिविधियों में आसानी से संलग्न हो जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भी शैक्षणिक स्तर और बाल–अपराध के प्रकार में सम्बन्ध निकालने का प्रयास किया गया, जिसे सारणी–7.6 के द्वारा स्पष्ट किया गया है :

सारणी – 7.6

शैक्षणिक स्तर और बाल–अपराध के प्रकार

	बल अपराध के प्रकार					
शैक्षणिक स्तर	चोरी	लड़ाई–झगड़ा	हत्या	बलात्कार	अन्य	कुल योग
निरक्षर (Illiterate)	32(37.00%)	20(36.00%)	02(33.00%)	2.5(2.5.00%)	14(37.00%)	62(31.00%)
प्राइमरी (l-V)	27(31.00%)	17(32.00%)	–	2.5(25.00%)	10(25.00%)	55(28. 00%)
मिड्ल(V - Vlll)	21(23.00%)	12(23.00%)	02(33.30%)	2.5(25.00%)	07(19.00%)	70(35.00%)
सेकण्ड्री(X Pass)	08(09.00%)	05(09.00%)	02(33.30%)	2.5(25.00%)	07(19.00%)	13(06.00%)
हाई–सेकण्ड्रीव अन्य	–	–	–	–	–	–
योग	**88(100%)**	**55(100%)**	**07(100%)**	**10(100%)**	**40(100%)**	**200(100%)**

सारणी – 7.6 का अध्ययन करने पर स्पष्ट करने पर स्पष्ट होता है कि बालकों के शैक्षणिक स्तर का प्रभाव अनेक अपराधी गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। बालक का निम्न् शैक्षणिक स्तर उसके अपराधी बनने की संभावना को बढ़ाता है। निम्न् शैक्षणिक स्तर के बालक हर तरह के अपराधों में ज्यादा संख्या में संलग्न पाये गये । जैसे–जैसे बालक की शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ती जाती हैं, वैसे–वैसे उसके अपराधी गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना भी कम हो जाती है।

इस प्रकार बाल–अपराध को प्रभावित करने वाले कारकों और बाल–अपराध के प्रकार के बीच सह–सम्बन्धों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि गरीबी, निम्न्–शैक्षणिक स्थिति, आयु–वर्ग (खासकर के किशोरावस्था), ग्रामीण और नगरीय पृष्ठभूमि आदि बाल–अपराध की प्रकृति और प्रकार को निर्धारित करते है। इसके अलावा भी बालक की जाति, धर्म, पारिवारिक पर्यावरण, मित्र–मण्डली, पड़ोस, स्कूल निवास–स्थान, स्थितिजन्य परिस्थियाँ, चल–चित्र, टेलीविजन,मीडिया आदि अनेक कारक हैं, इन कारकों का बाल–अपराध से क्या सम्बन्ध है, इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। अब हम यहाँ बाल–अपराध के कुछ महत्वपूर्ण कारणों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

7.4 बाल–अपराध के कारण (Causes of Juvenile Delinquency):

बाल–अपराध के लिये कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी हैं। विद्वानों ने बाल–अपराध के लिये अलग–अलग कारणों को उत्तरदायी माना है। उदाहरण के लिये **न्यूमेयर (Neumayer)**[10] ने बाल–अपराध के लिये सात प्रमुख कारणों को जिम्मेदार माना है :

1. व्यक्तित्व सम्बन्धी – (1) प्राणिशास्त्रीय, मानसिक एवं भावनात्मक दशाएँ

(2) चरित्र और व्यवहार सम्बन्धी लक्षण।

2. परिवारिक परिस्थितियाँ।
3. संगति या साथी–समूह ।
4. सामुदायिक संस्थाओं का प्रभाव।
5. जनसंख्या सम्बन्धी कारण एवं सांस्कृतिक विभिन्नता।
6. आर्थिक और भौतिक पर्यावरण सम्बन्धी कारण।
7. नियन्त्रण की कमी ।

मावरर(Mowrer)[11] ने बाल–अपराध के लिये निम्नलिखित प्रमुख कारणों को जिम्मेदार माना है:

1. शारीरिक कारक – (1) शारीरिक अपूर्णता, (2) अन्तः स्त्रावी ग्रन्थियों का दूषित होना, (3) अनुवांशिकता, (4) अस्वस्थता, और (5) तीव्र विकास तथा आवेग ।
2. मनौवैज्ञानिक कारण – (1) मनोवैज्ञानिक कमी, (2) मानसिक प्रक्रियाओं की अकार्यात्मक भूमिका, (3) मन्द–बुद्धि (4) मानसिक अस्थिरता, (5) सामाजिक प्रभाव, (6) व्यक्तित्व की मनोविकृति, (7) कुण्ठाएँ, मानसिक संघर्ष एवं मूल प्रवृत्यात्मक कारण।
3. समाजशास्त्रीय कारक – (1) निर्धनता, (2) आवासीय व्यवस्था, (3) भग्न परिवार, (4) नियन्त्रण का अभाव (5) प्रवासी परिवार, (6) अपराधी–क्षेत्र ।

यहाँ हम बाल–अपराध के लिये जिम्मेदार प्रमूख कारणों को एक रेखा–चित्र (Diagram) के द्वारा प्रदर्शित कर रहे है :

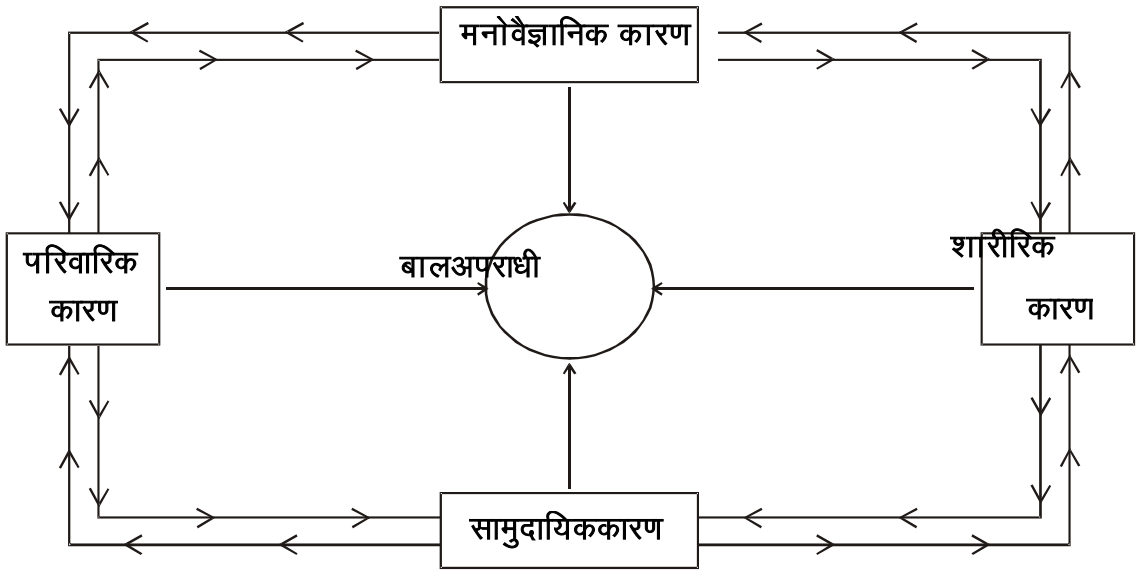

इस प्रकार रेखा–चित्र से स्पष्ट है कि बाल–अपराध के लिये कोई एक कारण नहीं, बल्कि सभी कारणों का मिला–जुला प्रभाव जिम्मेदार है। हम यहाँ संक्षेप में बाल–अपराध के प्रमुख कारणों की चर्चा करेगें :

1. **शारीरिक कारण (Psychological Causes)** : जब बालक किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता का शिकार होता है तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। कमजोर, बीमार और अस्वस्थ बच्चे अपराध की ओर आसानी से प्रवृत्त होते हैं। सिरिल बर्ट[12](Cyril Burt) ने अपने अध्ययन में पाया कि 70% बाल–अपराधी किसी ने किसी प्रकार की शारीरिक कमी से ग्रस्त थे। **हीली तथा ब्रोनर, ग्लूक्स एवं हट्ठन** आदि ने भी शारीरिक कमी को बाल–अपराध का प्रमुख कारण माना है।

2. **मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological Causes):** मनोवैज्ञानिक ने मानसिक असामनाताओं को भी बाल–अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण माना है। इन मनोवैज्ञानिक कारणों को दो प्रमुख श्रेणी में रखा गया है :

(1) **मानसिक योग्यता**(Mental Abillity) –**गोडार्ड, डीली, ब्रोनर** आदि विद्वानों ने मानसिक–पिछड़ेपन को बाल–अपराध का प्रमुख कारण माना है। गोडार्ड (Goddord)[13]ने बताया कि कमजोर मस्तिष्क (Feeble Mindedness) अपराध के लिये उत्तरदायी होता है। हीली और ब्रोनर ने शिकागो के अपने अध्ययन में 63% बाल–अपराधियों को ही स्वस्थ मस्तिष्क का पाया, शेष 37% मानसिक कमजारी एवं बीमारी आदि से ग्रसित थे।

(2) **मानसिक अस्थिरता एवं मानसिक संघर्ष (Emotional Instability and Mental Conflict):** बर्ट, **हीली तथा ब्रोनर** आदि ने भावात्मक अस्थिरता और मानसिक संघर्ष को भी बाल–अपराधी बच्चे मानसिक अस्थिरता एवं असुरक्षा से ग्रस्त थे । बर्ट ने 48% बालकों को मानसिक रूप से अस्थिर पाया । **मिरियम वान वॉटर्स** ने माना है कि घर, स्कूल एवं समुदाय का निरंकुश व्यवहार बच्चों में घृणा और नफरत की भावना को जन्म देता हैं। ऐसे बच्चों की मानसिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती हैं।

3. **पारिवारिक कारण(Familial Causes):**

परिवार का व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। खासकर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और चरित्रिक विकास पर परिवार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, वातावरण, शैक्षणिक स्तर, नैतिकता आदि का बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण पर काफी असर होता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार के प्रभाव में बच्चा जिन व्यवहारों का आत्म–सात करता है। वे जीवन–पर्यन्त उसमें बने रहते हैं। जब माता–पिता बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असफल रहते है, तो बच्चों से भी श्रेष्ठ नागरिक

बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अध्याय–5 में हमनें विस्तार से परिवार से सम्बन्धित उन कारणों का जिक्र किया है, जो बच्चे को बाल–अपराधी बनाने में सहायक होती हैं। यहाँ संक्षेप में उन कारकों को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैंः

(1) भौतिक वंशानुक्रम (Physical Heredity)

(2) भग्न–परिवार (Borken Home)

(3) अपराधी भाई–बहन (Delinquent sibling)

(4) दोषपूर्ण अनुशासन (Defective Discipline)

(5) प्रकार्यात्मक अपर्याप्तता (Functional Inadeqeacy)

(6) भीड़–भाड़ युक्त परिवार (Over-Crowded Family)

(7) बच्चें का तिरस्कार (Rejection of the Child)

(8) पक्षपात (Favouritism)

4. सामुदायिक कारक (Community Facrors) :

बच्चा परिवार के बाद सबसे ज्यादा अपने आस–पास के सामाजिक माहौल या पर्यावरण से प्रभावित होता है। बच्चे की स्कूली–शिक्षा, उसकी मित्र–मण्डली, पड़ोस और परिवेश, मनोरंजन के साधन, अपराधी–क्षेत्र, आवारागर्दी, आर्थिक–मन्दी, युद्ध, प्राकृतिक–आपदा सबका बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। बच्चे के ऊपर सामुदायिक कारकों के प्रभाव की हमने विस्तारपूर्वक चर्चा छठे अध्याय में की है। बच्चा इन सामुदायिक कारकों से भी प्रभावित होकर अपराध की दुनिया में कदम रख सकता है। संक्षेप में हम यहाँ उन सामुदायिक कारकों को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैंः

(1) स्कूल (School)

(2) साथी (Companionship)

(3) मनोरंजन (Delinquent Sibling)

(4) पड़ोस (Neighbourhood)

(5) अपराधी क्षेत्र (Functional Inadeqeacy)

इसके अलावा, मूल्यों में भ्रम, सांस्कृतिक भिन्नता एवं संधर्ष, जाति एवम् वर्ग स्तरण, अनैतिक माहौल, आर्थिक मन्दी, युद्ध, स्वतन्त्रता में वृद्धि आदि अन्य सामुदायिक कारण भी बच्चे को बाल–अपराधी बनाने में सहायक होते है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक, ये तीनों कारक एक बच्चे को बाल–अपराधी बनाने में सहायक होते हैं।

7.5 निरोधक कार्यक्रम(Preventive Programme)

बाल अपराध मुख्य रूप से नगरीय घटना होने के कारण, नगरीय समाज की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, निजी एवं सार्वजनिक दोनो ही प्रकार की एजेन्सियों को अपराध निरोध में सम्मिलित करना होगा।

बाल अपराध निरोध में तीन दृष्टिकोण इस प्रकार हैः

(1) इस प्रकार के क्रियाकलापों को संगठित करना जो व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास और बच्चों के समायोजन में सहायक हों,

(2) अपराध करने में सहायक बच्चों के वातावरण को नियंत्रित करना :

(3) बच्चों के लिए विशेष निरोधक सेवाओं का संगठन करना।

प्रथम दृष्टिकोण अपराध निरोध को निम्न से जोड़ता है :

(1) समाज के संस्थात्मक संरचना में सामान्य सुधार से, उदाहरणार्थ, परिवार, पड़ौस, स्कूल आदि :

(2) लाइसेंसी दुकानों से गरीब परिवारों को सस्ता राशन व कपड़ा आदि दिलाने में सहायता द्वारा :

(3) ऐसी संस्थाओं में बालकों के लिए नौकरी आदि के अवसर प्रदान करने से जहां उनका शोषण न हों :

(4) पड़ौस में मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने से :

(5) स्कूलों की स्थापना के द्वारा :

(6) नौकरी की दशाओं में सुधार के द्वारा :

(7) परिवार परामर्श सेवा तथा परिवार समाज कार्य द्वारा वैवाहिक सम्बन्धों को सुधार कर, और :

(8) स्कूलों में सामाजिक शिक्षा प्रदान कर।

द्वितीय प्रकार की निरोधक क्रियाओं में भी सामुदायिक संगठन, कल्याण प्रयत्न और बालकों के देखरेख की एजेन्सियाँ सम्मिलित है, आदि निरोधक क्रिया कलापों में परिवीक्षा और पैरोल सेवाएं, मान्यताप्राप्त स्कूल और बोर्स्ट स्कूल, बाल गृह, प्रोबेशन होस्टल, आदि सम्मिलित है।

निरोधक कार्यक्रम इस प्रकार वर्गीकृत किए गए है (Torjanowicz 1937 : 188) :

(1) शुद्ध निरोध या प्राथमिक निरोध जो अपराध के होने से पूर्व ही अपराध को रोकने का प्रयत्न करते है, और

(2) पुनर्वास निरोध या द्धैतियक निरोध जो उन छोटे बालकों से सम्बन्धित है, जो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिए गए हैं।

पीटर लेजिन्स (Peter Liejins,1967 : 3)ने निरोधक, कार्यक्रमों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है।

(1) दण्डात्मक निरोध

(2) सुधारात्मक निरोध, और,

(3) यन्त्रिक निरोध।

प्रथम है दण्ड का भय जो कि इस विचार पर आधारित है कि दण्ड से अपराधिक कृत्य की पूर्ण व्यवस्था कर लेगा :

द्वितीयत : अपराधिक व्यवहार के वास्तव में होने से पूर्व सम्भावित कारणों को कम करने का प्रयत्न करेगा,

और तीसरी सम्भावित अपराधी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना है (जैसे अधिक सुरक्षा उपाय बढ़ा कर या पुलिस संरक्षण बढ़ा कर) ताकि वह अपराध करने में कठिनाई अनुभव करें।

1960 से 2000 के दशकों में भारत में बाल अपराध निरोध का कार्य करने वाली एजेन्सियों में प्रमुख हैं, कुछ ऐच्छिक बाल संगठन जो कि बालकों के कल्याण और शिक्षा का कार्य कर रही हैं, समाज कल्याण विभाग, रक्षा गृह (Rescue Homes), अनाथालय, मनोचिकित्सा केन्द्र इत्यादि। स्वैच्छिक संगठनों के प्रयत्नों में तालमेल कम होता है जबकि सरकारी विभागों के कार्य व्यवस्थित तथा सुनियोजित होते हैं।

पुनर्वास निरोध के लिए सरकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली का विवरण (बाल गृह,मान्यता प्राप्त स्कूल, आदि) पूर्व के पृष्ठों में दिया गया है। यहां हम शुद्ध निरोधक कार्यक्रमों की चर्चा संक्षेप में करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां सरकार को कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, (जैसे अपराध को रोकने के लिए शैक्षिक, मनोरंजनात्मक एवं व्यावसायिक सुविधाएं प्रदान करना) वे है नगरों में गन्दी बस्तियां। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बड़ा भाग गन्दी बस्तियों में रहता है। यदि **थेशर, शॉ और मैके, कोहेन, व क्लोवार्ड का बड़ा ओहलिन** द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में, जो उन्होने अपराध के वातावरण और पड़ोस के प्रभाव से सीखने के विषय में प्रतिपादित किए थे, उनमें कोई औचित्य है, तो यह आवश्यक है कि सरकार उन क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण तथा समुदाय जीवन में उनके एकीकरण के लिए कुछ उपाय करें।

एक और संस्था है परिवार जिसकों अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्य प्रणाली में अपर्याप्त परिवार, संरचानात्मक रूप से अपूर्ण या भंग परिवार,, निर्धन परिवार, , अनैतिक परिवार,,और अनुशासनहीन परिवार की बाल अपराध में भूमिका की विस्तृत विवेचना पहले ही की जा चुकी है। जब तक ये असंगठित परिवार पुनर्सगठित न किये जायें, जब तक पर्यावरण चिकित्सा प्रणाली (Milieu therapy) प्रदान नहीं की जाती है, संवेगात्मक रूप से विघटित व कुण्ठा से भरे बच्चों को अपराधियों के साथ सम्बन्ध विकसित करने से रोका नहीं जा सकता ।

बच्चों के लिए पुलिस द्वारा मनोरंजन इकाइयां चलाया जाना एक नवीन अवधारणा है। मुम्बई और देहली जैसे नगरों में पुलिस विभाग द्वारा संचालित बाल अपराधियों के लिए इकाईयां इन कार्यों को कर रहीं हैं। इन्हीं का अनुगमन करते हुए पुलिस स्कूलों के सम्पर्क कार्यक्रम पुलिस द्वारा ऐसे समस्या ग्रस्त युवाओं से निपटने में अध्यापकों की मदद के द्वारा और पुलिस द्वारा ऐसे सामान्य छवि सुधार कर पुलिस और बच्चों के बीच दुश्मनी व संदेह समाप्त करने में मदद कर सकते हैं।

छोटे बच्चों को नशीले पदार्थो के सेवन से बुरे प्रभावों के तथा असामान्य सामाजिक व्यवहार में सम्मिलित होने से बचने के विषय में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों को चलाना अपराध निरोध का एक और उपाय है। इधर कुछ वर्षो में नशीली दवाओं का सेवन स्कूली बच्चों और गन्दी बस्तियों में बढ़ा है। नशीली दवाओं के साथ प्रयोग करने वाले बच्चों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना गैर कानूनी दवाओं के प्रयोग से विशेष रूप से तथा बाल अपराध से सामान्य रूप से लड़ने के लिए प्रभावी साधन सिद्ध होगा ।

भगोड़ें बालकों के लिए कार्यक्रमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकाता है। बड़े नगरों और कस्बों में ऐसे बच्चों को अपनी स्थितियों पर कर्मचारियों की मदद से मनन करने का अवसर देने के लिए गृहों को स्थापित करने की आवश्यकाता है। यह गृह भगोड़े बालकों और उनके माता–पिता और संरक्षकों के बीच सार्थक सवांद को प्रोत्साहित कर सकते हैं और गम्भीर समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हैः कि अपराध निरोध तथा नियंत्रण विषयक सभी पक्षों के सम्बन्ध में स्वस्थ सार्वजनिक नीति के लिए नियोजन तथा आनुभविक विधि द्वारा मूल्यांकन दोनों की आवश्कता है इसके लिए सरकारी एजेन्सियों (जैसे समाज कल्याण विभाग), शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, ,न्याय पालिका,सामाजिक कार्यकर्ताओ, तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

References

सन्दर्भ

1. **Becker,Howard S.** 1966, 'Social Problems' ; A Modern Approach, New York, , PP.226-228.
2. **Hirsch, Nathanieal.** 1937. Dynamic Causes of Juvenile Crime, Cambridge.
3. **Trojanowicz, Robert C.** 1973. Juvenile Delinquency ; Concepts and Controt, P.59.
4. **Ruttonshan, G.N.**,Juevnile Delinquency and Destitution in Poona,P.47.
5. **Sheth, Hansa, Juvenile** Delinquency, PP.132-133.
6. **Vedder**, the Juvenile Offender, P.82.
7. **Jones, I.A.E., Juvenile** Delinquency and the Law, P.29.
8. **Bonger, W.A.** 1916.'Criminatity and Economic Conditions'.
9. **Thomes, D.S.** 1925. Social Consequences of Business Cycle.
10. **Neumayer, M.H.** 1955.'Juvenile Delinquency in ModernSociety'.
11. **Mowrer**, Disorganization ; Social and Personal.
12. **Burt, Cyril** .1944.'The Young Dlinquent'.
13. **Goddard,H.H**.'Feeble Mindedness', it`s Causes and Consequences.

==========

अष्टम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष एवं सुझाव
(Conclusion&Suggestions)

बाल–अपराध की उत्पत्ति काफी जटिल और अन्तःसम्बन्धित कारकों का परिणाम है, जिसकी प्रकृति बहुत हद तक व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक बाल–अपराधी अपने आप में एक सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक रोगी होता है। रोग की प्रकृति हर बालक में अलग–अलग होती है। **जोन्स(Jones)** ने ठीक ही कहा है कि बाल–अपराध शून्य में पैदा नहीं होता। दरअसल यह किसी देश के सामाजिक जीवन का ही हिस्सा है और जैसे–जैसे सामाजिक संगठन बदलते हैं, इसकी प्रकृति भी बदल जाती है। यह हर देश और हर काल में पाया जाता है। अतःइसके निदान का उपाय भी देश और काल–विषेष की परिस्थितियों के अनुकूल ही होना चाहिए।

वर्तमान में बाल–अपराध की समस्या ने पुरी दुनिया में एक गंभीर रूप धारण कर लिया है। तेजी से बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों ने सामाजिक–परिवर्तन की गति काफी बढ़ा दी है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संरचना और प्रकार्यो में काफी तेजी से बदलाव आया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वच्छन्दता बढ़ी है। जीवन–मूल्यों में भी काफी तेजी से बदलाव आया है। भौतिक सुख–समृद्धि और उभोक्तावादी संस्कृति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पहले से काफी बढ़ा हैं। सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है।कुल मिलाकर कह सकते है कि वर्तमान मनुष्य–समाज सक्रांति–काल (Transitional-Phase) से गुजर रहा है।इन परिस्थितियों ने बच्चों के समाजीकरण प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित किया है। परिवार और समाज का नियन्त्रण बच्चों पर पहले जैसा नहीं रहा है। परिणामस्वरूप बालकों में विचलनकारी व्यवहार (Deviant Behaviour) की प्रवृति बढ़ी है।प्रस्तुत अध्ययन

में बाल–अपराध के लिये जिम्मेदार कारकों को जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसकी प्रकृति और दिशा का भी अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान हेतु साक्षात्कार–अनुसूचि, अवलोकन एवं वैयक्तिक अध्ययन–पद्धति जैसे अनुसंधान–उपकरणों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का क्षेत्र एवं समग्र के रूप में कोटा बाल–पर्यवेक्षण गृह (Observation Home) में समय–समय पर विभिन्न अपराधों के जुर्म में आये बाल–अपराधियों को लिया गया है। अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षो को हम यहाँ सारांश में प्रस्तुत कर रहे हैं :

अध्याय प्रथम में प्रस्तुत किये बाल–अपराध संबंधी–आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में बाल–अपराध के मामलें निरन्तर बढ़ रहे हैं। सन् 2005 में जहाँ बाल–अपराध के 18,939 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2012 में इसकी संख्या बढ़कर 2,7936 हो गयी, जो कि कुल दर्ज अपराधों का लगभग एक प्रतिशत है।

बाल–अपराधियों की संख्या के हिसाब से देखें तो भारत में मध्य–प्रदेश (6,488), महाराष्ट्र (6,630) छत्तीसगढ़ (2,502), और गुजरात (2,406) के बाद राजस्थान (2,551) का नम्बर आता है। इस प्रकार 2012 के आँकड़ो के अनुसार बाल–अपराध में, भारत में राजस्थान का प्रतिशत लगभग 7.0 प्रतिशत हुआ।

भारत में दर्ज कुल बाल–अपराधों में ज्यादातर मामलें चोरी, चोट या क्षति पहुँचाने, सेंधमारी या दंगा–फसाद के पाये गये। ये कुल मिलाकर समस्त बाल–अपराधों का 58,2 प्रतिशत दर्ज किये गये। राजस्थान में भी बाल–अपराधों में ज्यादातर मामले इन्हीं से संबंधित है।

द्वितीय अध्याय में हमने अध्ययन को सफल बनाने हतु प्रयोग में लिये गये शोध–प्रविधि (Research Method) एवं अनुसंधान–तकनीक (Tools of Research) का वर्णन किया है। साथ ही इस अध्ययन की सीमाओं को भी स्पष्ट किया है। बाल–अपराधियों के अध्ययन में

कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसका वर्णन भी यहाँ किया गया है।

एक समाजशास्त्रीय अध्ययन होने के कारण प्रस्तुत अध्ययन में उन सामाजिक कारकों और परिस्थितियों को समझाने का प्रयत्न किया गया है, जिसकी वजह से एक बालक अपराध की दुनिया में कदम रखता है। यहाँ संक्षेप में अध्ययन से प्राप्त **निष्कर्षों** को प्रस्तुत किया जा रहा है :

सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

तृतीय–अध्याय में हमने बाल–अपराध की व्याख्या में विभिन्न सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यों का विस्तार से वर्णन किया है। इनमें प्रमुख है : (1) शरीरशास्त्रीय (2) मनोवैज्ञानिक (3) समाजशास्त्रीयएवं (4) कानूनी परिप्रेक्ष्य। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि बाल–अपराध की व्याख्या के लिये कोई एक परिप्रेक्ष्य (Perspective) या सिद्धान्त (Theory) पर्याप्त नहीं है। बाल–अपराध की उत्पत्ति में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का मिला–जुला प्रभाव होता है।

बाल–अपराध एवं बाल सुधार संस्थाएँ

चतुर्थ अध्याय–प्रस्तुत अध्याय में सरकार एवं विभिन्न समाज–सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल–सुधार गृहों की कार्य–प्रणाली, कुसमायोजित बच्चों का समायोजन, बाल सुधार गृहों में उपलब्ध सुविधाओं, बाल–सुधार गृहों की कमियाँ, बाल–सुधार गृहों द्वारा बच्चों के समायोजन के लिए प्रयुक्त रचनात्मक गतिविधियों इत्यादि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

संस्थागत–सुधार–प्रणाली मे पायी जाने वाली बाधाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का सुधार असफल सिद्ध हुआ है क्योंकि यह व्यवस्था एक तो अपराधी के पुनः स्थापन मे सहायक नहीं होती है, और दूसरा यह युवकों के लिए कानून का उल्लघंन करने मे प्रतिरोधक नहीं रहती। परन्तु इन तर्को की पुष्टि के लिए हमारे पास कोई आँकड़े नहीं है। सुधारात्मक संस्थाओ से छुटने के उपरान्त कितने बच्चे पुनः अपराध करते है कितनो को संस्था मे मिला हुआ प्रशिक्षण आर्थिक और समाजिक दृष्टि से पुनःस्थापन मे सहायक होता है, इन सब पर भारत कोई मे बड़े स्तर आधुनिक अध्ययन नहीं हुआ है।

सामाजिक– आर्थिक पृष्ठभूमि

पँचम अध्याय–बच्चों के बाल–अपराधी बनने में सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि किस प्रकार मदद करती है, यह जानने का प्रयास पँचमअध्याय में किया गया है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है :

अधिकांश बाल–अपराधी किशोरावस्था में ही अपराध की ओर संलग्न होते हैं। हमारे अध्ययन में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों द्वारा किये गये बाल–अपराध का प्रतिशत कुल बाल–अपराधों के दो तिहाई से भी ज्यादा (71 %) पाया गया । 13 और 14 वर्ष के बालकों का प्रतिशत 19% था, जबकि 07 से 12 वर्ष के बीच केवल 10% बाल–अपराधी पाये गये। स्पष्ट है, किशोरावस्था में बाल–अपराध की घटनाएँ ज्यादा घटती हैं।

जहाँ तक लिगं (Sex) और बाल–अपराध का सम्बन्ध है, बाल–अपराध में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संलग्नता बहुत कम पायी गयी। लड़कियों द्वारा किये गये बाल–अपराध का प्रतिशत सिर्फ 08.75% पाया गया, जो कि कुल बाल–अपराध के 1/10 वे भाग से भी कम है। लड़कियों में दर्ज कम अपराध के प्रतिशत को लड़के और लड़कियों के समाजीकरण में अन्तर से जोड़ कर देखा जाना चाहिये।

बाल–अपराध के अधिकांश मामले हिन्दु, मुस्लिम और जनजातीय समुदाय में पाये गये।

हिन्दू मुस्लिम और जनजातीय समुदाय का राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत–अनुपात देखें तो यह तथ्य चौकाने वाला नहीं है। अध्ययन में 75.00% बाल–अपराधी हिन्दु, 12.50% मुस्लिम तथा 12.50% जनजातीय समुदाय से थे। सिक्खों, इसाईयों और जैनियों में बाल–अपराध का प्रतिशत नगण्य पाया गया। वैसे भी राज्य में इनकी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश बाल–अपराधी निम्न् और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं। अध्ययन में 47.5% बाल–अपराधी निम्न् जाति के सदस्य थे। 28.75% बाल–अपराधी अन्य पिछड़ी जातियों से थे । 12.5% बाल–अपराधी उच्च जातियों के सदस्य थे तथा 12.50% जनजातीय समुदाय से थे। स्पष्ट है निम्न् और अन्य पिछड़ी जातियों तथा जनजातीय समुदाय की निम्न् सामाजिक–आर्थिक स्थिति बाल–अपराध की उत्पत्ति में सहायक होती है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बाल–अपराधीयों का प्रतिशत लगभग बराबर सा ही है। अध्ययन में जहाँ शहरी पृष्ठभूमि के 51.25% बाल–अपराधी थे, वहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के 48.75% बाल–अपराधी दर्ज किये गये। इस प्रकार हम देखते है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल–अपराध की घटनाये तेजी से बढ़ी है।

जहाँ तक परिवार की आर्थिक का सवाल है, यह भी बाल–अपराध के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि लगभग 38.75% बाल–अपराधी अत्यन्त निर्धन परिवारों से आते है, जिनकी मासिक आय 3,000 रूपये से भी कम है। दूसरे स्थान पर वे बाल–अपराधी आते हैं जो कि निर्धन परिवारों से आते है, और जिनकी मासिक आय 3,000 रूपये से 8,000 रूपये के बीच है। ऐसे बाल–अपराधियों का प्रतिशत 35% पाया गया।17.50 बाल–अपराधी मध्यम आय–वर्ग (Rs 8,000–Rs 15,000Per Month) से थे, एवं 8.75 बाल–अपराधी अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि या उच्च आय वर्ग से आते हैं, जिनकी मासिक आय 15. 000 रूपये से ज्यादा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि निम्न् आर्थिक स्थिति बाल–अपराध की उत्पत्ति में सहायक है।

पारिवारिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि :

बाल–अपराधियों के पारिवारिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से निम्न्लिखित महत्पूर्ण तथ्य सामने आये :

अधिकांश बाल–अपराधी (80%) नाभिक (Nuclear) परिवारों के सदस्य थे। केवल 09% के लगभग संयूक्त परिवारों से तथा 11% के आस–पास भग्न–परिवारों (Broken Homes) से आये थे।

परिवार के आकार की दृष्टि से 72.50% बाल–अपराधी बड़े परिवार से थे। ये ज्यादातर तीन से पाँच बच्चों वाले परिवार के सदस्य थे। 18.75% बाल–अपराधी ऐसे थे जो छः यो उससे भी ज्यादा बच्चों वाले परिवार के सदस्य थे। केवल 08.75% बाल–अपराधी एक या दो बच्चों वाले परिवार से आये थे।

अन्तवैयक्तिक पारिवारिक सम्बन्धों के मामले में लगभग 36.25% बाल–अपराधी ऐसे घरों से थे जिनका पारिवारिक परिवेश तनावपूर्ण था। 52.50% बच्चों के घरों में सामान्य तथा 11.25% बच्चों के यहाँ सौहार्द्रपूर्ण परिवेश पाया गया। माता–पिता का बच्चों के साथ सम्बन्ध देखने पर पता चला कि 30% बाल–अपराधी बच्चे माता या पिता की उपेक्षा के शिकार थे। साथ ही उनका माता–पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध था।

जहाँ तक पारिवारिक अनुशासन की बात है लगभग 85% बाल–अपराधी ऐसे थे जो कि दोषपूर्ण पारिवारिक अनुशासन वाले घरों से थे। इनमें से 32.50% शिथिल, 22.50% अति–शिथिल, 18.75 अति कठोर एवं 11.25% पक्षपातपूर्ण अनुशासन वाले घरों से थे। केवल 15% बाल–अपराधी ऐसे थे जिनके घरों में सामान्य अनुशासन का माहौल पाया गया।

अनैतिक पारिवारिक परिवेश(Immoral Family Enviornment) के दृष्टिकोण से देखने पर पता चला कि 15% बाल–अपराधियों के परिवार में कोई ने कोई सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार अपराध में संलग्न था। साथ ही 32% पिता तथा 40% माता–पिता दोनों किसी ने किसी प्रकार का नशा करते थे।

पारिवारिक व्यवसाय का अध्ययन करने से पता चला कि लगभग तीन–चौथाई से भी ज्यादा बाल–अपराधियों के माता–पिता खेती, मजदूरी या अन्य छोटे–मोटे व्यवसायों जैसे –सब्जी बेचना,ऑटो रिक्सा चलाना, चाय की दूकान चलाना, नाई, धोबी का काम आदि से अपनी आजीविका चला रहे थे। बहुत कम बाल–अपराधियों (लगभग 10%) के घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी पायी गयी।

शैक्षणिक स्तर की दृष्टि से अधिकांश बाल–अपराधी (तीन–चौथाई) या तो निरक्षर थे या बहुत कम पढ़े–लिखे थे। केवल 06.00% बाल–अपराधी सैकण्ड्री या दसवीं या उससे ज्यादा पढ़े–लिखे थे। यही हाल उनके माता–पिता के शैक्षणिक स्तर का पाया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार की संरचना, इसका आकार (भीड़–भाड़ युक्त बड़ा परिवार), अन्तर्वैयक्तिक पारिवारिक संबंध, दोषपूर्ण पारिवारिक अनुशासन, परिवार का व्यवसाय, परिवार का अनैतिक माहौल, शैक्षणिक पृष्ठभूमि (माता–पिता तथा बालक का) आदि सभी किसी ने किसी रूप में बाल–अपराध की उत्पत्ति में सहायक होते हैं।

बाल–अपराधी बनने में सहयोगी कारक :

षष्टम अध्याय में बच्चों के बाल–अपराधी बनने के कारकों में मित्र–मण्डली या साथी–समूह, पड़ोस, स्कूल और मनोरंजन के साधन आदी के अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि 78% बाल–अपराधी मानते हैं कि अपराध करने की सीख उन्हें दोस्तों की संगति में ही मिली। साथ ही लगभग 82% बालकों ने स्वीकार किया कि अपराध करते समय उनके दोस्तों का

साथ उन्हें मिला। 85% बालकों ने स्वीकार किया कि दोस्तों की संगति में ही उन्होंने शराब, बीड़ी–सिगरेट पीना,अवारागर्दी और स्कूल से भागना सीखा।

पड़ोस का अध्ययन करने पर पता चला कि लगभग 55% बाल–अपराधी निम्न्–वर्गीय इलाके या गन्दी–बस्तियों में पले–बढ़े थे। 38.50% बाल–अपराधी सामान्य आर्थिक स्तर वाले परिवेश तथा केवल 06.50% बाल–अपराधी संभ्रांत इलाके से आते थे। आधे से ज्यादा बाल–अपराधी इस बात से सहमत थे, कि उनके पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है। वे मानते हैं कि अपराधी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रेरणा उन्हें पड़ोस और उसके माहौल से मिलती रही है। स्कूल भी बाल–अपराध की उत्पति में सहायक हो सकते है। अधिकांश बाल–अपराधी बच्चे अपनी स्कूली–शिक्षा पूरी नहीं कर पाते है।केवल 62% बाल–अपराधी ऐसे थे जो प्राइमरी या मिड्ल तक स्कूल गये थे। बाल–अपराधियों के स्कूली शिक्षा पूरी नही होने के पीछे उनकी निर्धनता (25.0%), आवारागर्दी (33.0), बार–बार फेल होना (20.0%), स्कूल का अरूचिकर माहौल (13.0%), तथा हीन–भावना (09.0) प्रमुख कारण हैं। जहाँ तक स्कूल से अनुपस्थित रहने या भगोड़ापन (Trauncy)की बात हैं, तो लगभग 43.50% बाल–अपराधी स्कूल से भागकर आवारागर्दी करते पाये गये । 16.00% बाल–अपराधियों को स्कूली–शिक्षा अरूचिकर लगी। 12.50% बाल–अपराधी स्कूल में मनोरंजन एवं खेल–कूद के साधनों की कमी के चलते स्कूल से भाग जाते थे। 08.00% बालक शिक्षकों के अमानवीय व्यवहार और 05.50% हीन–भावना के चलते स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। 33% बाल–अपराधी सामयिक,44% अभ्यस्त और 23% बार–बार भागने वाले बाल–अपराधी पाये गये । लगभग तीन–चौथाई बाल–अपराधियों को स्कूल का परिवेश, स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा और स्कूल के शिक्षक अरूचिकर लगते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांश बाल–अपराधी स्कूलों के असमायोजित बच्चे हैं, जो अपनी ऊर्जा असामाजिक एवं विध्वंसक गतिविधियों में लगाते हैं।

मनोरंजन के साधनों का भी बाल–अपराधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह बात समाजशास्त्रीय अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि चूँकि अधिकांश बाल–अपराधी निम्न् सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के थे, अतः वे मनोरंजन के सस्ते साधनों–जैसे टी.वी.देखना, सिनेमा देखना, खेल–कूद और आवारागर्दी आदि से अपना मनोरंजन करते थे। अध्ययन में 75% बालकों ने टी.वी.देखना,47% बालकों ने सिनेमा देखना,22% बालक विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं और उपन्यासों के द्वारा, 45% खेल–कूद तथा 60% ने आवारागर्दी के द्वारा अपना मनोरंजन करना स्वीकार किया। बाल–अपराधियों ने जुआ एवं नशा को भी मनोरंजन का साधन माना । 42% बाल–अपराधी बीड़ी–सिगरेट पीने, 33% शराब व गुटखा आदि के सेवन, 15% जुआ खेलने तथा 10% ड्रग्स के सेवन को भी मनोरंजन के साधन के रूप में लेते हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि हुआ कि 20–25% बाल–अपराधी ऐसे थे जो समाचार–पत्र एवं पत्र–पत्रिकाओं में छपी हिंसा, अपराध और सेक्स की खबरों को पढ़कर रोमांचित होते थे। 75% बाल–अपराधी टेलीविजन पर दिखाये गये हिंसा, अपराध और सेक्स सम्बन्धी सम्बन्धी खबरों और दृश्यों से उत्तेजित हो उठते थे। 50% बाल–अपराधी फिल्मों मे दिखाये गये अपराध, हिंसा और सेक्स से जुड़े दृश्यों से उत्तेजित होना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोरंजन के इन साधनों का बाल–अपराधियों पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है।

उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव :

शहर में स्थित कच्ची बस्तियों के अध्ययन में हमने पाया कि वहाँ के बच्चों को दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से तो वंचित है, लेकिन फिर भी इनके पास मोबाईल और बाइक जैसी चीजें है। मीडिया, इंटरनेट टी.वी. ने उपभोगतावादी संस्कृति के प्रचार और प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने अपने अध्ययन में पाया कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चे और युवा अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए गैर कानूनी कार्य भी करते है।

कुछ समय पहले तक अपराध की दुनिया में किशोरों के शामिल होने का कारण पारिवारिक पृष्ठभूमि, गरीबी, निरक्षरता और अभावों को माना जाता था लेकिन अब देखा जा रहा है कि संभ्रात परिवार के किशोरों में भी इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के इन साधनों का बाल–अपराधियों पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ा है।

बाल–अपराध की प्रकृत्ति, और कारण :

हमारे देश में बाल–अपराधियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। कूल दर्ज–अपराधों का लगभग एक प्रतिशत बाल–अपराध की श्रेणी में आता है। राजस्थान भी बाल–अपराध के मामले में अग्रणी राज्यों में से है, तथा पूरे देश का लगभग 07.0% बाल–अपराध यहाँ दर्ज होता है। प्रस्तुत अध्ययन से भी स्पष्ट है कि बाल–अपराधियों की संख्या समाज में साल–दर–साल बढ़ती जा रही है।

जहाँ तक बाल–अपराध के प्रकार का सवाल है, अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल–अपराध के ज्यादातर मामले चोरी (43.75%) और लड़ाई–झगड़े (27.50%) से सम्बन्धित होते हैं। अन्य अपराधों में हत्या का प्रतिशत 03.75% बलात्कार का 05.00% अपहरण का 01.25% उत्पाद नियमों के उल्लंधन का 03.75% रेलवे एक्ट का 06.25% तथा अन्य का 08.75% पाया गया। अध्ययन में 07–12 आयु–वर्ग में 10% बाल–अपराधी पाये गये । 13–15 आयु–वर्ग में 44% तथा 16–18 आयु–वर्ग में 46% बाल–अपराध दर्ज किये गये।अतः स्पष्ट है कि ज्यादातर बाल–अपराध किशोरावस्था (14–18 वर्ष) में सम्पन्न होते हैं। जहाँ तक ग्रामीण और नगरीय परिवेश की बात है, तो अध्ययन में पाया गया कि दोनों परिवेशों में बाल–अपराध की प्रकृति और प्रकार में थोड़ा–बहुत ही अन्तर है। आर्थिक–पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर पता चला कि निम्न्–वर्ग के बालकों द्वारा चोरी, लड़ाई–झगड़े, सेंधमारी, उत्पाद–एक्ट और रेलवे–एक्ट से जुड़े अपराधों की बहुलता है। हालाँकि हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में सभी वर्ग

के बच्चे बराबर रूप से पाये गये। साथ ही चोरी, लड़ाई–झगड़े, हत्या, उत्पाद नियमों का उल्लघंन, रेलवे एक्ट का उल्लघंन आदि ज्यादातर मामलें कम पढ़े–लिखे और निरक्षर बालकों के नाम से दर्ज पाये गये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्ययन से प्राप्त तथ्य अध्ययन के प्रारंभ में दिये गये उपकल्पनाओं की पुष्टि करते हैं।

उपकल्पना:(Hypotheses)

(i) आधुनिक जीवन शैली में कम्प्युटर, इन्टरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, बाइक इत्यादि का व्यापक प्रसार बाल–अपराध की प्रकृति और उभरती प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं।

अध्ययन के प्रथम उपकल्पना को सत्य सिद्ध करते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में कम्प्युटर, इन्टरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, बाइक इत्यादि का व्यापक प्रसार बाल–अपराध की प्रकृति और उभरती प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। अध्ययन में 75: बालकों ने टी.वी. देखना,47% बालकों ने सिनेमा देखना, 22% बालक विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं और उपन्यासों के द्वारा, 45% खेल–कूद तथा 60% ने आवारागर्दी के द्वारा अपना मनोरंजन करना स्वीकार किया। बाल–अपराधियों ने जुआ एवं नशा को भी मनोरंजन का साधन माना । कुछ समय पहले तक अपराध की दुनिया में किशोरों के शामिल होने का ठीकरा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, गरीबी, निरक्षरता और अभावो पर फोड़ा जाता था लेकिन अब देखा जा रहा है कि संभ्रात परिवार के किशोरों में भी इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रहीं है। जिसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, बाइक इत्यादि का व्यापक प्रसार है। वैश्विक बाजार और मीड़िया संस्कृति से जुडे समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी बताते हैं कि संयुक्त परिवारों के टूटने से बच्चों का अकेलापन, मानसिक तनाव, व्यक्तिगत पहचान खोजने की व्याकुलता इत्यादी को एकल परिवार दुर नहीं कर पा रहें बच्चों का अधिकांश समय संचार माध्यमों के सम्पर्क में रहने के कारण बच्चे ''मीडिया कलचर'' द्वारा दमित हिंसा कभी–कभी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। विश्व स्वास्थ संगठन की रिर्पोट बताती है कि दुनिया में हर वर्ष एक करोड साठ लाख लोग हिंसा की भेंट चढ जाते है। इनमें बाल व युवाओं की

सहभागिता अधिक रही है। इस रिर्पोट का आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि हिंसा में संलिप्त इन बाल–युवाओं में अधिंकाश ऐसे परिवारों से आये थे, जिनमें बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए यांत्रिक संचार माध्यमों के सामने उनके प्रत्यक्ष समाजीकरण को कोई महत्व नहीं दिया गया । इसका दुष्परिणाम यह रहा कि प्रेम,वात्सल्य व स्नेह के अभाव में बच्चे संवेदना–शून्य बनकर हिंसा से जुडे लक्ष्यों की ओर बढते चले □□□ |

(ii)समाजिक–आर्थिकपृष्ठभूमि तथा अन्य सामुदायिक कारक बाल–अपराध को प्रभावित करते हैं।

अध्ययन केतथ्यद्वितीयउपकल्पना कोभी सत्य सिद्ध करते हैं कि सामाजिक–आर्थिकपृष्ठभूमि तथा अन्य सामुदायिक कारक बाल–अपराध को प्रभावित करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश बाल–अपराधी निम्न् और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं। अध्ययन में 47.5% बाल–अपराधी निम्न् जाति के सदस्य थे। 28.50% बाल–अपराधी अन्य पिछड़ी जातियों से थे । 12.50% बाल–अपराधी उच्च जातियों के सदस्य थे तथा 12. 50% जनजातीय समुदाय से थे। स्पष्ट है निम्न् और अन्य पिछड़ी जातियों तथा जनजातीय समुदाय की निम्न् सामाजिक–आर्थिक स्थिति बाल–अपराध की उत्पत्ति में सहायक होती है।

सामुदायिक कारकों का अध्ययनभी यह सिद्ध करता है किपरिवार, पड़ोस,मित्र मण्डली या साथी–समूह, शैक्षणिक संस्था, उपभोक्तावादी संस्कृतिआदीबाल–अपराध की उत्पत्ति में सहायक होती है।

बाल–अपराध की उत्पति में कम्प्युटर, इन्टरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, बाइक उपभोक्तावादी संस्कृति, निम्न् सामाजिक–आर्थिक स्तर, अस्वस्थ पारिवारिकपरिवेश ,मनोरंजन के साधन, दोस्तों या मित्र–मण्डली का कुप्रभाव, निम्न् जातीय प्रस्थिति, निम्न् शैक्षणिक स्तर, और दूषित पड़ोस बहुत हद तक सहायक होते हैं। अन्त में अध्ययन के आधार पर हम कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहेंगे जो बाल–अपराध के रोक–थाम में सहायक हो सकते हैं।

सुझाव :

बच्चों के बाल–अपराधी बनने से रोकने के लिये सरकार को निम्न् सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों के उचित भरण–पोषण और शिक्षण के विशेष प्रयास करने होंगे, क्योंकि ज्यादातर बाल–अपराधी गरीब और कम पढ़े–लिखे परिवारों से आते हैं।

हालाँकि बाल–अपराध की रोकथाम और उनके सुधार के लिये सरकार की ओर से कई संस्थागत उपाय किये गये हैं, परन्तु इन संस्थाओं की कार्य–प्रणाली बहुत औपचारिक तरीके

की है, जो , बाल–अपराधियों के सुधार की प्रक्रिया में ज्यादा सहायक नहीं है। इन संस्थाओं से निकले बच्चे पुनः अपराध की दुनिया में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अतः दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि लम्बे समय तक इन सुधार–गृहों में रहने वाले बाल–अपराधियों को समाज में सक्रिय अन्य समाज–सेवी (जो बच्चों के कल्याण के लिये समर्पित हैं) से जोड़ा जाये, ताकि इनमें सुधरने की इच्छा का विकास हो, तथा समाज की सहानुभूति भी प्राप्त हो।

बाल–अपराध की रोकथाम के लिये स्थानीय स्तर पर भी प्रयास होने चाहिये । इसके लिये लोगों द्वारा अपने–अपने इलाके में स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों का गठन किया जाना चाहिये, जो अपराधी गतिविधियों में संलग्न बालकों पर विशेष नजर रखें तथा उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें । साथ ही बाल–अपराधी बच्चों को सुधार–गृह से वापस आने पर समाज के साथ समायोजन में मदद करे। उन परिवारों को भी मदद करें जिनके बच्चे ऐसी गतिविधियों में पारिवारिक परिवेश या गलत समाजीकरण प्रक्रिया के चलते प्रवेश कर जाते हैं।

आम तौर पर हमारी पुलिस सुप्रशिक्षित और सुशिक्षित नहीं होती । किशोर अपराध–निरोधक कार्यक्रम अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा प्रभावी तरीके से न तो बनाया जा सकता हैं, और न ही लागू किया जा सकता है। यही हाल बाल पर्यवेक्षण गृह के केयर–टेकर (देख–भाल अधिकारी) व अन्य स्टाफ का है। पुलिस स्टाफ तथा सुधार–गृहों और रिमाण्ड होम में नियुक्त स्टाफ को राज्यों द्वारा उचित प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है। उन्हें बाल–मनोविज्ञान की जानकारी देनी चाहिए ताकि वे बाल–अपराधियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करे , साथ ही किशोर–अपराध के उच्च दर वाले क्षेत्रों में पुलिस को विशेष गश्त लगाने चाहिये । उन्हें इन इलाकों के बच्चों की गतिविधियों और आचरण पर विशेष नजर रखनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिये बाल–क्लब की सुविधा होनी चाहिए और साथ ही ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिये, जिससे बच्चों में नागरिकता का उचित विकास हो।

बाल–अपराध के नियंत्रण में ''बाद की देखभाल''(After Care Institution) का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश राज्यों में इन संस्थाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है। किशोर अपराधियों के पुनर्वास के लिये उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे अपने लिये रोजगार तलाश सकें।

बाल–अपराधियों के सुधार का एक तरीका यह भी हो सकता है कि बाल–अपराधियों के सुधार–गृहों में रखने के बजाय असंस्थागत तरीके से उनका सुधार किया जाये। इस कार्य में बालक के परिवार , समुदाय और अन्य स्वयं–सेवी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिये। इस

प्रकार बाल–अपराधी संस्थागत सुधार के तरीकों से होने वाले कुप्रभावों से बच जायेगा। यदि सम्भव हो, तो व्यापक स्तर पर युवा सेवा केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये। इन केन्द्रों को इस रूप में विकसित किया जाना चाहिये जिससे ये समुदाय के सभी वर्गो के युवकों को अपराध से बचाने एवं सुधार करने के केन्द्रीय समन्वयन केन्द्र का रूप ले सकें।

बाल–अपराधियों के कम से कम मामले बाल–न्यायालयों के समक्ष आने चाहिये, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गम्भीर किस्म के अपराधों में संलग्न नहीं रहते है। ऐसे बच्चों को असंस्थात्मक उपायों, जिसमें अच्छे आचरण के लिये परीक्षण काल पर छुट्टी दिया जाना, सुरक्षित एवं सामान्य स्थानों पर उन्हें रखा जाना, समूहों के रूप में समुदाय में रखना, अभिभावक द्वारा अच्छे आचरण का आश्वासन दिये जाने की दशा में मुक्त करना आदि शामिल है, से सुधारा जा सकता है। इन्हीं असंस्थात्मक उपायों में एक है–किशोर प्रवीक्षा विधि। इसमें बाल–अपराधी को घर में ही रहने की इजाजत दी जाती है, जहाँ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्रवीक्षा अधिकारी उनकी देखरेख, उनका संरक्षण एवं निर्देशन देने के लिये लगाया जाता है। प्रवीक्षा विधि (Probation Method) बच्चों को सुधरने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। इस विधि में बालक के सुधार की जिम्मेदारी उसके घर वालों और समुदाय के ऊपर सौंपी जाती है।

नवयुवक अपराधियों को संस्थात्मक बुराइयों से उबारने में सेवा–गृहों की मदद लेना भी महत्वपूर्ण असंस्थागत उपाय हो सकता है। ऐसे सेवा गृहों में स्वीकार गृह आदि प्रमुख हैं। इन सेवा–गृहों में स्वीकार गृह, बोर्डिग होम, समूह गृह, श्रम गृह आदि प्रमूख हैं। इन सेवा–गृहों में ऐसे बच्चे रखे जाते है, जिन्हें अपने घरों से दूर संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता होती है। अनाथ एवं निर्धन बच्चों को सेवागृह में रखकर अपराधी गतिविधियों में सम्मिलत होने से बचाया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध की रोकथाम में सरकार द्वारा चलाये गये संस्थागत उपायों के साथ ही, असंस्थागत साधनों का भी व्यापक रूप से प्रयोग होना चाहिये। इससे संस्थागत उपायों को भी बल मिलेगा।

अन्त में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बाल–अपराध की उत्पति में बालक के पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सबसे महत्पूर्ण सुझाव तो यह है कि परिवार और समाज को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। बालक घर, पड़ोस, स्कूल आदि के द्वारा निरन्तर सहयोग, सहानुभूति और निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके अभााव में बालक कुंठाग्रस्त और तनावग्रस्त होकर अपराधी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल–अपराध को एक गंभीर सामाजिक समस्या मानते हुए परिवार, समुदाय, समाज और सरकार सबको अपनी–अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तत्परता से करना होगा। तभी देश के इन नौनिहाल कर्णधारों को एक सफल, सुसंस्कृत और जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है।

परिशिष्ट–1

राजस्थान के कोटा शहर का परिचय

परिशिष्ट–1

राजस्थान के कोटा शहर का परिचय

राजस्थान का कोटा शहर राजधानी जयपुर से लगभग 240 किलोमीटर दूर चम्बल नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटा शहर नवीनता और प्राचीनता का अनुठा मिश्रण है, जहां एक तरफ तो शहर के स्माकर प्राचीनता का बोध करातें हैं वहीं चम्बल नदी पर बना हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्लान्ट और न्यूक्लियर पावर प्लान्ट आधुनिकता का भी एहसास कराती है। वर्तमान समय में कोटा शहर एक शैक्षणिक नगरी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। देश के कोने–कोने से बच्चे यहॉ मेडिकल और इंजिनियरिग की तैयारी के लिए आते है। कोटा शहर में कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत कार्य कर रहें हैं।

कोटा शहर राजस्थान राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय, कोटा ही है। कोटा शहर का क्षेत्रफल–12,436 वर्ग0मी0है, और शहर में पुरूष साक्षरता 78 है, और महिलाओं में साक्षरता की दर 63 है।

प्रस्तुत अध्ययन कोटा शहर पर आधारित है, और अध्ययन का विषय बाल–अपराध है। अध्ययन काल के दौरान बाल–पर्यवेक्षण गृह में केवल कोटा के बाल अपराधियों से हि सम्पर्क नहीं हुआ, बल्कि अन्य राज्यों से कोटा में शिक्षा ग्रहण करने आये बालकों जो किसी न किसी अपराध के लिए वहॉ लाये गये थे, उनसे भी सर्म्पक करने का मौका मिला। चूकिं कोटा शहर की पहचान वर्तमान समय में शैक्षणिक नगरी की है, यहॉ पूरे देश से लगभग एक लाख से भी ज्यादा बच्चे आते हैं। बाहर से आने वाले बच्चे यहॉ हॉस्टलों में बिना माता–पिता के रहते हैं। ये बच्चे कई बार अपनी गैर जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपराध करते हैं इन बच्चों को अपराध की ओर प्रवृत्त करने में वैश्वीकरण, मीडिया एवम उपभोक्तावादी संस्कृति जिसके अन्तर्गत मीडिया, सिनेमा, इन्टरनेट, बाइक और मोबाइल आदि का बहुत बड़ा योगदान है। प्रस्तुत अध्ययन में बाल–अपराध के लिये जिम्मेदार अन्य कारकों के अलावा उपर वर्णित कारक भी अहम भूमिका निभाते है।

परिशिष्ट–2

बाल–पर्यवेक्षण गृह कोटा – एक परिचय

परिशिष्ट–2

बाल–पर्यवेक्षण गृह कोटा – एक परिचय

(Observation Home, Kota – An Indroduction)

कोटा शहर में वर्तमान में दो बाल–पर्यवेक्षण गृह बाल–अपराधियों के लिये काम कर रहे है। ये राजस्थान सरकार के समाज–कल्याण विभाग के अधीन है। पहला बाल–पर्यवेक्षण गृह जो कि लड़को के लिये बना है, कोटा षहर के बाहरी सीमा पर नयागाँव में , रावतभाटा रोड़ पर स्थित है। यह मुख्य षहर से थोड़ा दूर है। इसकी स्थापना सन 1987 में की गयी थी, और तब से लेकर आज तक इसमें कोटा संभाग के बाल–अपराधियों को रखा जाता रहा है। पहले इसमें झालावाड़, बाँरा, बून्दी एवं अन्य जिलो के (कोटा संभाग के अन्तर्गत) बाल–अपराधी रखे जाते थे लेकिन (2007) से राज्य–सरकार के आदेषानुसार प्रत्येक जिले में अलग–अलग पर्यवेक्षण–गृह खुल जाने के बाद अब केवल कोटा जिला के बाल–अपराधियों को रखा जाने लगा है।

दूसरा बाल–पर्यवेक्षण गृह जो कि लड़कियों के लिये एक–दो साल पहले ही स्थापित किया गया है, नान्ता, कुन्हाड़ी स्थित नारीषाला मे कार्यरत है। यह बाल–पर्यवेक्षण गृह नारीषाला भवन के ही हिस्से में अवस्थित है। संगीन अपराधो में दर्ज लड़कियों को यहाँ मुकदमे की सुनवाई–काल तक रखा जाता है ज्यादातर मामलो में छोट–मोटे अपराधो में दर्ज किषोरियों दो–चार दिन के लिये यहाँ रखा जाता है, और फिर बाल न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अध्ययन–काल के दौरान संयोगवष 10 किषोरी बाल–अपराधी ही यहाँ मौजूद नही थी। अतः नारीषाला प्रबंधक महोदय से लड़कियों द्वारा किये गये बाल–अपराधो की सूचना लेनी पड़ी।

जैसा कि हम जानते है कि भारत सरकार द्वारा बाल–अपराध को रोकने के सांविधिक (Statutory) उपायो मे बाल–न्यायालय (Juvenile-Court), रिमाण्ड होम या पर्यवेक्षण–गृह (Observation Homes) प्रमाणित–विद्यालय (Certified School), बोर्स्टल–स्कूल (Borstal School), परिवीक्षा होस्टल (Probation Hostels), सुधारालय (Reformatories), पालक–गृह (Foster-Homes), किषोर बन्दी गृह (Juvenile Jail), उत्तर–संरक्षण संस्थाएँ (After-Care Institutions) आदि प्रमुख है। अपराध करने वाले बच्चो को सर्वप्रथम रिमाण्ड होम या पर्यवेक्षण गृह (Observation Homes) में ही रखा जाता है। जब तक बच्चे की अदालती कार्यवाही चलती है, उसे रिमाण्ड होम में रखा जाता है। यहाँ पर प्रोबेषन अधिकारी बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि , पड़ोस और परिवेष तथा षारीरिक एवं मानसिक दषाओ का अध्ययन करता है। यहाँ बच्चो के मनोरंजन, षिक्षा एवं व्यवसायिक प्रषिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है ऐसे गृहों में बच्चो से ही सूचनाएँ प्राप्त की जाती है जो कि बच्चा न्यायधीष के सम्मुख देने से घबराता है। अन्त प्रोबेषन अधिकारी अपने अवलोकन के पष्चात बच्चे से संबंधित सारी जानकारियो को एक रिपोर्ट बनाकर न्याय क सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। न्यायाधीष अपना फैसला सुनाते वक्त इस रिपोर्ट को काफी अहमियत देता है।

बाल–पर्यवेक्षण गृह, नयागाँव, कोटा से लगभग 50–60 बच्चो को रखने की सुविधा है। यहाँ पर बाल–अपराधियों की संख्या घटते–बढ़ते रहती है। हर सप्ताह यहाँ मुख्य न्यायिक अधिकार (CJM) द्वारा बाल न्यायालय का कम से कम एक सत्र चलाया जाता है। ज्यादातर बाल–अपराधी एक–दो सप्ताह के अन्तर्गत ही जमानत पर रिहा कर दिये जाते है, अथवा अन्य सुधारात्मक संस्थाओ को सौप दिये जाते है।

यह पर्यवेक्षण–गृह को चलाने के लिये एक प्रोबेषन ऑफिसर, रख–रखाव अधिकारी (Care-Taker), रसोइया, सुरक्षा–गार्ड चपरासी (Peon), सफाई कर्मचारी आदि सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाते है। बच्चो के मनोरंजन के लिये एक मनोरंजन–कक्ष भी बना है, जहाँ एक रंगीन टी.वी. तथा खेलने के अन्य उपकरण मौजूद है। बच्चो को सुबह का नाष्ता तथा दोपहर और रात का खाना, कपड़ा, साबुन, ब्रुष आदि गृह मे उपलब्ध कराया जाता है। उनके व्यक्तितव के विकास हेतु कभी–कभी अन्य समाज–सेवी संस्थाओं के सहयोग से पढ़ने–लिखने और व्यवसायिक–प्रषिक्षण की सुविधा उपलब्ध की जाती है। सरकार प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 750 रूपये प्रतिमाह अनुदान देती है।

बाल–पर्यवेक्षण–गृह में बालको के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखा जाता है। उन्हें उनके माता–पिता तथा अन्य रिष्तेदारो से मिलने की इजाजत दी जाती है। खेलने के लिए षाम के वक्त कैम्पस के मैदान में ही अवसर दिया जाता है। उनके सुधार के लिये विभिन्न समाज–सेवी संस्थाओ के सहयोग से नैतिक–षिक्षा और व्यवसायिक प्रषिक्षण का भी समय–समय पर क्लास लिया जाता है।

कुल मिलाकर हम कह सकते है कि बाल–पर्यवेक्षण गृह, कोटा, बाल अपराधियों के रिमाण्ड अवधि में एक सौहार्द्रपूर्ण माहौल प्रदान करता है और बच्चो के भष्विय में सुधारन का प्रयास भी करता है।

परिशिष्ट–3

साक्षात्कार – अनुसूचि

परिशिष्ट–3

साक्षात्कार – अनुसूचि

Interview – Shedule

1. नाम–

उम्र–

शैक्षणिक स्तर –

प्रथम अपराध के समय उम्र

जाति– धर्म –

अपराध की प्रकृति –

परिवार– (1) एकल (2) संयुक्त

(3) मिश्रित

परिवेश – (1) शहरी (2) ग्रामीण

(3) मिश्रित

2. परिवारिक पृष्ठभूमि –

क्र.म.	नाम	उम्र	सम्बन्ध	शैक्षणिक– स्तर	व्यवसाय	मासिक आय	अन्य
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

3. आप कितने दिनों से पर्यवेक्षक गृह में हैं ?

4. अपराध अकेले किया या किसी के साथ मिलकर ?

(i) अकेले (ii) दोस्तों के साथ (iii) अन्य

5. अपराध करने की प्रेरणा कहाँ से मिली ?

(i) परिवार (ii) भाई – या अन्य रिश्तेदार (iii) दोस्तों से

(iv) टी.वी. या मीडिया से (v) अन्य कोई कारण

6. आपके माता – पिता के आपसी सम्बन्ध कैसे हैं ?

(i) मधुर (ii) सामन्य (iii) तनावपूर्ण

7. भाई बहनों से आपके सम्बन्ध कैसे है ?

(i) मधुर (ii) सामन्य (iii) तनावपूर्ण

8. आप ज्यादातर समय किस के साथ बिताते हैं ?

(i) परिवार (ii) स्कूल (iii) मित्र – मण्डली

(iv) अन्य

9. स्कूल जाना अच्छा लगता हैं ?

(i) हाँ (ii) नही

10. आपके पड़ोसी कैसे है ?

(i) अच्छे (ii) बुरे चरित्र वाले (iii) सामान्य

11. क्या आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से सन्तुष्ट हैं ?

(i) हाँ (ii) नही

12. आपके परिवार की सामाजिक प्रस्थिति कैसी है ?

(i) उच्च (ii) निम्न (iii) सामान्य

13. क्या आप नशा करते है ?

(i) हाँ (ii) नही

14. यदि हाँ तो किस प्रकार का ?

(i) बीड़ी – सिगरेट (ii) शराब (iii) मादक द्रव्य (iv) अन्य

15. नशा की प्रेरणा कहाँ से मिली ?

(i) परिवार (ii) पड़ोस (iii) मित्र – मण्डली

(iv) अन्य

16. क्या आप स्कूल से अक्सर अनुपस्थित रहते है ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) कभी–कभी

17. क्या आप अक्सर घर से बाहर रहते है ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) कभी–कभी

18. घर से बाहर आपका समय किसमे बीतता है ?

(i) खेलने में (ii) आवारागर्दी में (iii) निरूद्देश्य इधर–उधर घूमने में

19. आपकी मित्र मण्डली में कितने सदस्य हैं ?

()

20. उनमें से कितने आपराधी कार्यो में संलिप्त रहते हैं ?

()

21. कही, आपने अपने दोस्तों के प्रभाव – में आकार तो अपराध नही किया ?

(i) हाँ (ii) नही

22. क्या आपके परिवार में कोई अपराधी प्रकृति का हैं ?

(i) हाँ (ii) नही

23. क्या आपके परिवार का कोई सदस्य अपराध के कारण गिरफ्तार हो चूका है। ?

(i) हाँ (ii) नही

24. क्या आप ऐसे जगहों पर जाते हैं ? जहाँ गैर–कानूनी कार्य होते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही

25. यदि हाँ, तो किन जगहों पर ?

(i) जुआ के अड्डे (ii) अवैध शराब की बिक्री के अड्डे (iii) वैश्यालय

(iv) कोई अन्य

26. क्या आप बुरे आचरण में लिप्त रहने वालों के घर पर जाते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही

27. अगर जाते हैं तो किस उद्देश्य से ?

28. आपके परिवार का पुश्तैनी व्यवसाय क्या हैं ?

29. क्या आप अपने माता–पिता के कामों में हाथ बँटाते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) कभी–कभी

30. क्या आपको कोई रोजगार पाने वाला काम आता है ?

(i) हाँ (ii) नही

31.आप जिस अपराध के कारण यहाँ लाये गये हैं,क्या उसे करने के पहले उसका परिणाम आपको पता था?

(i) हाँ (ii) नही

32. यदि हाँ, तो किस वजह से अपराध किया ?

(i) स्व–प्रेरणा से (ii) मित्र–मण्डली के साथ मिलकर

(iii) आनन्द पाने के लिए (iv) लालच में (v) मजबूरी में

33. आपने अपराध पहली बार किया है, या पहले भी कर चुके हैं ?

34. यदि पहले अपराध कर चुके है, तो वह किस प्रकार का अपराध था ?

35. क्या आप यहाँ से छूटने के बाद भी अपराध कर सकते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) कह नही सकता

36. पर्यवेक्षण–गृह का माहौल आपको कैसा लगता हैं ?

(i) अच्छा (ii) बुरा (iii) सामान्य

37. क्या यहाँ से निकल कर आप एक नई शुरूआत करना चाहेंगें ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) शायद संभव नही हैं

38. क्या आपको यंहा कोई रोजगार परक शिक्षा दी जा रही हैं ?

(i) हाँ (ii) नही

39. यदि हाँ, तो किस प्रकार की ?

40. क्या यहाँ दी जाने वाली रोजगार परक शिक्षा का लाभ आपको यहाँ से बाहर जाकर मिलेगा, या इस शिक्षा का लाभ आप उठाएगें ?

(i) हाँ (ii) नही

41. क्या यहाँ आपके शिक्षा और खेलने – कूदने की व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया जाता हैं ?

(i) हाँ (ii) नही

42. पर्यवेक्षण–गृह के कर्मचारियों और अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति कैसा हैं?

(i) अच्छा (ii) सामान्य (iii) बुरा (iv) संतोषजनक

43. यहाँ उपस्थित अन्य बच्चों के साथ आपके कैसे सम्बन्ध हैं ?

(i) अच्छा (ii) सामान्य (iii) बुरा

44. क्या आपको यहाँ भी कोई अपराध के लिए प्रेरित करता है ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) कोई–कोई

45. क्या आपने अपराध अपने आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया ?
या दोस्तों की संगत में उनका साथ देने के लिए ?

46. यदि आर्थिक आवश्यकता की पूरा करने के लिए आप किसी अन्य रोजगार को अपनाना
चाहेगें ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) कभी सोचा नही

47. आप अपना और अपने परिवार का भविष्य अपराध जगत में देखते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) कभी सोचा नही

48. आपका निवास स्थान कहाँ है ?

(i) संभ्रात इलाके मे (ii) मध्यवर्गीय इलाके में (iii) निम्नवर्गीय इलाके में

(iv) गन्दी या कच्ची बस्ती में

49. आपके निवास–स्थान के आस–पास लोगों का आचरण कैसा है ?

(i) सभ्य (ii) अश्लील (iii) अपराधी प्रकृति का (iv) अन्य

50. क्या आप अपनी अपराधी प्रवृति के लिए या समाज मे बढ रहे अपराध के लिए मोबाइल
के बढते प्रयोग को जिम्मेंदार मानते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) शायद

51. क्या आप अपराध की बढती प्रवृति के लिए समाज में बढ रहे टेलीविजन के प्रयोग को जिम्मेदार मानते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) शायद

52. क्या आप अपनी अपराधी प्रवृति के लिए या समाज में बढ रहे अपराध के लिए बढ रहे बाइक के प्रयोग को जिम्मेदार मानते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) शायद

53. क्या आप समाज में बढ रहे अपराध के लिए इण्टरनेट के बढ रहे उपयोग को जिम्मेदार
मानते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) शायद

54. क्या बाल पर्यवेक्षण–गृह को आप अपने लिए सुधार–गृह मानते हैं ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) शायद

55. क्या बाल–पर्यवेक्षण–गृह में दी जाने वाली रोजगार परक जानकारियों का लाभ आप यहाँ से बाहर जाने के बाद उठाएगें ?

(i) हाँ (ii) नही (iii) शायद

परिशिष्ट–4

सारणी

परिशिष्ट–4

TABLE-1

Incidence AndRate Of JuvenilesinconflictwithLawUnder IPC(2003-2013)

Sl. No.	Year	IncidenceOf		PercentageOfJuvenile CrimesToTotalCrimes	EstimatedMid-Year Population *(InLakh)	RateofCrime byJuveniles
		JuvenileCrimes	TotalCognizableCrimes			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2003	17819	1716120	1.0	10682	1.7
2	2004	19229	1832015	1.0	10856	1.8
3	2005	18939	1822602	1.0	11028	1.7
4	2006	21088	1878293	1.1	11198	1.9
5	2007	22865	1989673	1.1	11366	2.0
6	2008	24535	2093379	1.2	11531	2.1
7	2009	23926	2121345	1.1	11694	2.0
8	2010	22740	2224831	1.0	11858	1.9
9	2011	25125	2325575	1.1	12102	2.1
10	2012	27936	2387188	1.2	12134	2.3
11	2013	31725	2647722	1.2	12288	2.6

***Source:TheRegistrarGeneralOfIndia.**
##ActualpopulationfiguresCensus2011Population(Provisional)for2011andmid-yearprojectedpopulationforremainingyears.

TABLE– 2

Juveniles in conflict with Law (SLL) Under Different Crime Heads & Percentage Variation In 2013 Over 2012

Sl. No.	Crime Head	Number Of Cases Reported During		Percentage Change in 2013 Over 2012
		2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ARMS ACT	177	230	29.9
2	NARCOTIC DRUGS & PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT	87	142	63.2
3	GAMBLING ACT	326	652	100.0
4	EXCISE ACT	278	323	16.2
5	PROHIBITION ACT	319	360	12.9
6	EXPLOSIVE & EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT	16	14	-12.5
7	IMMORAL TRAFFIC (P) ACT	16	21	31.3
8	INDIAN RAILWAYS ACT	6	13	116.7
9	THE FOREIGNERS ACT	25	62	148.0
10	PROTECTION OF CIVIL RIGHTS ACT	0	0	-
	(I) PCR ACT FOR SCs	0	0	-
	(ii) PCR ACT FOR STs	0	0	-
11	INDIAN PASSPORT ACT	8	17	112.5
12	ESSENTIAL COMMODITIES ACT	10	10	0.0
13	TERRORIST & DISRUPTIVE ACTIVITIES ACT	0	0	-
14	ANTIQUITIES & ART TREASURES ACT	1	0	-
15	DOWRY PROHIBITION ACT	17	8	-52.9
16	PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT	9	8	-11.1
17	INDECENT REPRESENTATION OF WOMEN (P) ACT	2	11	450.0
18	COPYRIGHTS ACT	15	22	46.7
19	COMMISSION OF SATI PREVENTION ACT	0	0	-
20	SC/ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT	95	70	-26.3
	(I) PREVENTION OF ATTROCITIES ACT FOR SCs	84	69	-17.9
	(ii) PREVENTION OF ATTROCITIES ACT FOR STs	11	1	-90.9
21	FOREST ACT	4	5	25.0
22	OTHER SLL CRIMES	2626	2168	-17.4
23	**TOTAL COGNIZABLE CRIMES UNDER SLL**	**4037**	**4136**	**2.5**

***Source: The Registrar General Of India.**

TABLE- 3

Juveniles in conflict with Law Under Different Crime Heads (IPC) During 2013 (State & UT-wise)

Sl. No.	State/UT	Murder (Sec 302 IPC)	Attempt To Commit Murder (Sec 307 IPC)	C.H. Not Amounting To Murder (Sec 304, 308 IPC)	Rape (Sec 376 IPC)			Kidnapping & Abduction (Sec 363 - 369, 371 - 373 IPC)		
					Total	Custodial	Others	Total	Of Women & Girls	Of Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
STATES:										
1	ANDHRA PRADESH	67	25	4	98	0	98	46	35	11
2	ARUNACHAL PRADESH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSAM	22	4	3	49	0	49	77	67	10
4	BIHAR	73	85	5	66	0	66	157	125	32
5	CHHATTISGARH	47	32	1	122	0	122	42	36	6
6	GOA	1	0	0	1	0	1	4	4	0
7	GUJARAT	51	25	0	24	0	24	80	65	15
8	HARYANA	39	32	3	50	0	50	39	38	1
9	HIMACHAL PRADESH	2	0	0	13	0	13	3	3	0
10	JAMMU & KASHMIR	5	7	0	3	0	3	0	0	0
11	JHARKHAND	22	16	0	32	0	32	53	45	8
12	KARNATAKA	22	18	1	17	0	17	6	5	1
13	KERALA	7	10	2	32	0	32	6	6	0
14	MADHYA PRADESH	141	162	4	347	0	347	106	96	10
15	MAHARASHTRA	143	140	4	197	0	197	100	82	18
16	MANIPUR	1	0	0	1	0	1	0	0	0
17	MEGHALAYA	9	5	0	23	0	23	6	5	1
18	MIZORAM	1	0	0	8	0	8	0	0	0
19	NAGALAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ODISHA	32	26	0	91	0	91	15	11	4
21	PUNJAB	13	12	2	12	0	12	15	15	0
22	RAJASTHAN	57	73	1	183	0	183	86	77	9
23	SIKKIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	TAMIL NADU	55	51	1	32	0	32	17	13	4
25	TRIPURA	3	0	0	8	0	8	2	1	1
26	UTTAR PRADESH	105	33	26	196	0	196	106	99	7
27	UTTARAKHAND	6	5	2	14	0	14	15	15	0
28	WEST BENGAL	31	12	6	118	0	118	79	70	9
	TOTAL (STATES)	**955**	**773**	**65**	**1737**	**0**	**1737**	**1060**	**913**	**147**
UNION TERRITORIES:										
29	A & N ISLANDS	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30	CHANDIGARH	2	4	0	3	0	3	4	4	0
31	D & N HAVELI	0	0	0	2	0	2	0	0	0
32	DAMAN & DIU	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	DELHI	48	47	5	137	0	137	56	51	5
34	LAKSHADWEEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	PUDUCHERRY	2	1	1	3	0	3	0	0	0
	TOTAL (UTs)	52	52	6	147	0	147	61	56	5
	TOTAL (ALL-INDIA)	**1007**	**825**	**71**	**1884**	**0**	**1884**	**1121**	**969**	**152**

TABLE- 3 (Continued)

Sl. No.	State/UT	Dacoity (Sec 395-398 IPC)	Preparation & Assembly For Dacoity (Sec 399 - 402 IPC)	Robbery Sec 392-394, 397, 398 IPC)	Burglary Sec 449-452, 454, 455, 457 - 460 IPC)	Theft (Sec 379-382 IPC)			Riots Sec 143-145, 147-151, 153, 153A, 153B, 157, 158, 160 IPC)	Criminal Breach Of Trust Sec 406 -409 IPC)
						Total	Auto Theft	Other Theft		
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
STATES:										
1	ANDHRA PRADESH	2	1	20	298	693	154	539	33	0
2	ARUNACHAL PRADESH	0	0	3	22	56	6	50	0	0
3	ASSAM	0	0	1	121	158	2	156	21	0
4	BIHAR	11	3	46	49	329	76	253	227	0
5	CHHATTISGARH	8	0	17	194	254	62	192	49	1
6	GOA	0	0	2	20	30	6	24	2	0
7	GUJARAT	11	2	52	129	370	181	189	86	6
8	HARYANA	10	8	20	122	147	91	56	79	1
9	HIMACHAL PRADESH	0	0	0	33	25	9	16	12	0
10	JAMMU & KASHMIR	0	0	1	12	8	1	7	15	0
11	JHARKHAND	3	1	7	20	57	9	48	47	2
12	KARNATAKA	8	7	37	53	108	66	42	14	0
13	KERALA	1	1	12	76	186	83	103	135	0
14	MADHYA PRADESH	0	3	62	398	579	204	375	76	1
15	MAHARASHTRA	66	22	302	615	1358	381	977	534	4
16	MANIPUR	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	MEGHALAYA	4	0	5	23	26	3	23	0	0
18	MIZORAM	0	0	0	22	40	0	40	0	0
19	NAGALAND	0	0	0	0	4	0	4	0	0
20	ODISHA	12	1	24	78	234	11	223	27	1
21	PUNJAB	0	19	3	31	53	21	32	0	3
22	RAJASTHAN	2	2	31	173	361	164	197	17	0
23	SIKKIM	0	0	0	0	12	0	12	0	0
24	TAMIL NADU	8	2	48	162	453	105	348	63	0
25	TRIPURA	0	0	0	7	15	6	9	0	1
26	UTTAR PRADESH	4	0	35	62	214	28	186	22	1
27	UTTARAKHAND	1	1	17	26	61	13	48	4	0
28	WEST BENGAL	4	14	5	0	94	8	86	15	1
	TOTAL (STATES)	**155**	**87**	**750**	**2747**	**5925**	**1690**	**4235**	**1478**	**22**
UNION TERRITORIES:										
29	A & N ISLANDS	0	0	0	3	0	0	0	0	0
30	CHANDIGARH	0	0	7	6	33	16	17	2	0
31	D & N HAVELI	0	0	0	2	8	0	8	1	0
32	DAMAN & DIU	0	0	0	3	3	2	1	0	0
33	DELHI	5	0	147	98	403	135	268	3	1
34	LAKSHADWEEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	PUDUCHERRY	0	0	0	1	14	7	7	2	0
	TOTAL (UTs)	5	0	154	113	461	160	301	8	1
	TOTAL (ALL-INDIA)	**160**	**87**	**904**	**2860**	**6386**	**1850**	**4536**	**1486**	**23**

TABLE- 3 (Concluded)

Sl. No.	State/UT	Cheating (Sec 419, 420 IPC)	Counterfeiting (Sec 231-254, 489A – 489D IPC)	Arson (Sec 435, 436, 438 IPC)	Hurt (Sec 323-333, 335-338 IPC)	Dowry Deaths (Sec 304B IPC)	Assault on Women with Intent to Outrage her modesty (Sec 354 IPC)	Insult to the modesty of Women (Sec 509 IPC)	Cruelty by Husband or his Relatives (Sec 498A IPC)	Importation Of Girls from Foreign Country (Sec 366B IPC)	Causing Death By Negligence (Sec 304A IPC)	Other IPC Crimes	Total Cognizable Crimes Under IPC
(1)	(2)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
STATES:													
1	ANDHRA PRADESH	8	4	6	362	3	105	117	8	0	43	258	2201
2	ARUNACHAL PRADESH	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	1	118
3	ASSAM	1	0	8	27	0	5	0	7	0	0	96	600
4	BIHAR	35	0	1	377	14	33	1	8	0	8	286	1814
5	CHHATTISGARH	1	0	4	491	1	112	7	19	0	20	520	1942
6	GOA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	65
7	GUJARAT	2	0	7	314	0	41	2	47	0	9	348	1606
8	HARYANA	5	0	0	116	1	56	12	11	0	3	248	1002
9	HIMACHAL PRADESH	1	0	0	13	0	6	1	1	0	0	55	165
10	JAMMU & KASHMIR	0	0	1	0	0	4	3	0	0	1	40	100
11	JHARKHAND	8	0	1	19	0	0	0	0	0	2	38	328
12	KARNATAKA	3	0	0	49	0	5	1	0	0	1	53	403
13	KERALA	1	0	3	120	0	16	5	0	0	0	110	723
14	MADHYA PRADESH	17	0	4	1121	19	359	58	68	0	47	2638	6210
15	MAHARASHTRA	20	5	17	1128	6	312	76	72	0	61	526	5708
16	MANIPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	MEGHALAYA	2	0	2	4	0	1	0	0	0	0	30	140
18	MIZORAM	0	0	1	4	0	3	0	0	0	0	3	82
19	NAGALAND	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6
20	ODISHA	0	0	4	84	0	34	2	5	0	4	229	903
21	PUNJAB	9	0	0	33	1	17	0	0	0	4	47	274
22	RAJASTHAN	8	0	5	263	4	101	1	6	0	11	719	2104
23	SIKKIM	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	22
24	TAMIL NADU	5	0	2	136	0	7	2	3	0	35	354	1436
25	TRIPURA	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	6	50
26	UTTAR PRADESH	2	0	1	21	8	47	0	11	0	3	173	1070
27	UTTARAKHAND	3	0	1	20	0	4	0	2	0	2	29	213
28	WEST BENGAL	0	4	1	45	3	22	1	12	0	0	216	683
	TOTAL (STATES)	**131**	**13**	**69**	**4800**	**60**	**1294**	**289**	**281**	**0**	**254**	**7026**	**29971**

UNION TERRITORIES:

29	A & N ISLANDS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7
30	CHANDIGARH	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	11	79
31	D & N HAVELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
32	DAMAN & DIU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	10
33	DELHI	5	0	0	83	0	127	23	0	0	2	400	1590
34	LAKSHADWEEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	PUDUCHERRY	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2	16	55
	TOTAL (UTs)	**5**	**0**	**0**	**102**	**0**	**130**	**23**	**0**	**0**	**5**	**429**	**1754**
	TOTAL (ALL-INDIA)	**136**	**13**	**69**	**4902**	**60**	**1424**	**312**	**281**	**0**	**259**	**7455**	**31725**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

BOOKS :

1. **Adenwalla, Maharukh. 2006.** 'Child protection and juvenile justice system for juvenile in conflict with law'. (Childline India Foundation, Mumbai,) (NHRC)
2. **Abrahamsen, David .** 1960. 'Psychology of Crime', Columbia Press, New York.
3. **Abraham, Francis M.** 1982. 'Modern Sociological Theory' : An Introduction, Oxford University Press, Delhi,
4. **Ahuja, Ram .** 1992. 'Social Problems in India', Rawat Publication, Jaipur.
5. **Ahuja, Ram .** 1981. 'The Prision System' : Effectiveness and Effects of Prision Custody, Sahitya Bhawan, Agra,
6. **Ahuja, Ram .** 1969. 'Female Offenders in India', Meenakshi Prakashan, Meerut.
7. **Akhilesh, S.** 1999. 'Bal Apradh', Oscar Publication, Delhi.
8. **Andry, R.G.** 1960. **'**Delinquency and Parental Pathology, Metheun', London.
9. **BAGULIA, A M. 2006.** 'Child and crime', SBS

10. Pub. & Distributors, New Delhi.

11. BHAKHRY, Savita. 2006. 'Children in

12. India and their rights'. (National Human

13. Rights (National Human Rights New

14. Delhi.) (NHRC)

15. BRANDT, David. 2006 .'Delinquency,

16. Development, and social policy'. Yale University Press, London

17. Bagot, J.H. 1941. 'Juvenile Delinquency', Jonathan Cape, London.

18. **Barnes, H.B. & Teeters, N.K.** 1945. 'New Horizons in Criminology', Printice Hall, Inc.

19. **Barnes, H.E.** 1939. **'**Society in Transition', New York ; Prentice Hall.

20. **Barron, M.** 1954.' The Juvenile in Delinquent Society'.

21. **Becker, Howard S.** 1963.'Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance', New York : Free Press.

22. **Besant, Anny .** 1942. 'The School Boys as a Citizen', Madras,

23. **Kumari,Beby**.2012.'Kishoron me Bal Apradh', Ayushman Publication, New Delhi.

24. **Bhattacharya, S.K.** 2000. **'**Juvnile Justice' : An Indian Scenario Vedams Books, New Delhi.

25. **Bhattacharya, S.K.** 2002.Juvenile offenders, Penology and publishment in India, Regency Publications, New Delhi.

26. **Blummer, H. and Houser, P.M.** 1933. 'Movie, Delinquency and Crime' : Macmillan Co.

27. **Bonger, W.A.** 1916. 'Criminality and Economic Condition', Boston.

28. **Bowlby, John.** 1947. 'Fourty Four Juvenile Thieves, Their Characteristics and Home Life', London, Bailliere, Tindall.

29. **Burt, Cyril .** 1926. 'The Young Delinquent', New York : D. Appleton and Co.

30. **Burt, C.** 1935. 'The Young Delinquent, London' : University of London.Allyn & Bacon, Delhi, 2004.

31. **Caldwell, R.G.** 1956. 'Criminology' ,Ranald Press.

32. **Cavan R.S. and Ferdinand, T. H.** 1975. 'Juvenile Delinquency', Philadelphia : J.B. Lippincott Co.

33. **Chandra Sushil .** 1967. 'Sociology of Deviation in India', Allied Publisher, Bombay.

34. **Chauhan, N. S .** 1968.'Truancy Among School-going Children', Agra : Sri Ram Mehra & Sons

35. **Cloward, R. and Ohlin, L.** 1960. 'Delinquency and Opportunity', New York : Free Press.

36. **Cloward, R. and Ohlin, Lloyd .1960.** 'Delinquency and Opportunity' : A Theory of Delinquency Gangs, New York (Glencoe) , The Free Press.

37. **Clinard, M.** 1949. 'Secondary Community Influence and Juvenile Delinquency', Holt, Rinehart and Winston, New York.

38. **Clinard, M.B.** 1974. 'Sociology of Deviant Behaviour', Holt, Rinehart and Winston, New York.

39. **Cohen, Albert .** 1966. 'Deviance and Control, Foundation of Modern Sociology Series', New Jersey : Prentice Hall.

40. **Cohen. A.K. :** 1955. 'Delinquent Boy, The Culture of The Gang', New York : The Free Press.

41. **Copper, D.** 1972. 'The Death of the Family', Penguin Books, Harmondsworth.

42. **Cressey, Danald, R.** 1966. 'The Prison : Studies in Institutional Organisations and Change', New York.

43. **David Matza .** 1964. 'Delinqnency and Drift', New York : John Wiley & Sons Inc.

44. **Durkheim, E.** 1951. 'Suicide' translated by **John A. Spaulding and George Simpson**, Illinois, Glencoe, The Free Press.

45. **Durkheim, E. C.** 1964. 'Rules of Sociological Method', New York, The Free Press.

46. **Dukes and Margaret Hay .1949.** 'Children of Today and Tomorrow', George Allen & Unwin, London.

47. **Edwards, S. M.** 1924. Crime in India, London.

48. **Elliott, M. and Merril, F.** 1950. ' Social Disorganisation (3rd ed.)', New York : Harper and Bros.

49. **Ellingston, John R.** 1948. 'Protecting Our Children from Criminal Careers', New York, Prentice Hall.

50. **Ferguson, T.** 1952. 'The Young Deliquent in His Social Setting', A Glasgow Study.

51. **Ellingston, John R.** 1948. 'Protecting Our Children from Criminal Careers', New York, Prentice Hall.

52. **Ford, Donold .** 1957. 'The Delinquent Child and Community', Constable Publishers, London.

53. **Glueck, Sheldon .** 1959. 'Problem of Delinquency', Boston , Haughton.

54. **Glueck, S.** 1962. 'Family Environment and Delinquency', London, Rutledge and Kegan Paul.

55. **Glueck and Glueck .**1934.**:** 'One Thousand Juvenile Delinquents', Cambridge : Harward University Press.

56. **Glueck, S. and Glueck, E. :** Unravelling Juvenile Delinquency, New York : The Common Wealth Fund, 1950.

57. **Glueck and Glueck :** Physique and Delinquency, New York : Harper Bros, 1956.

58. **Glueck and Glueck .** 1961. 'Delinquents and Non-delinquents in Perspective Cambridge , Harvard University Press.

59. **Gokhale, S.D.** 1969. 'Impact of Institutions on Juvenile Delinquents', United Asia Publications, Ltd. Bombay.

60. **Healy, W. and Bronner, A.** 1926. 'Delinquents and Criminals', New York : Macmillan & Co.

61. **Healy, W. and Bronner, A .** 1926. 'New Light on Delinquency and its Treatment', New York: Haven Yale University Press.

62. **Katja,Franko,Aas.** 2013.'Globlization and crime',University of Oslo,Norway,Sage Publication.

63. **Kusum. K.** 1979. 'Juvenile Delinquency', New Delhi : Radiant Publishers.

64. **Land, H. H.** 1927. 'Juvenile Court in united States', North Kerolina.

65. **Landis, Paul B .** 1959.'Social Problems', Chicago.

66. **Lau, H. H.** 1930. 'Juvenile Courts in the United States', Washington.

67. **Lavania, Shipra .** 2002. 'Jurenile Deliquency' , Rawat Publications, Jaipur.

68. **Lynd, E. M and Robert, S.** 1937 'Middletown in Transitions New York' : Harcourt Brace and Co.
69. **Manshardt, C.** 1939. 'The Delinquent Child in India', Bombay : Taraporewala.
70. **Matza, David .** 1914. 'Delinquency and Drift', New York , John Wiley.
71. **Mehon, Sugata .**2000. **'**Young Criminals, Crime and Punishment in Juvenile Delinquency', Vedams Books, Delhi. **McCord, W. and McCord, J.** 1959. 'Origin of Crime', New York, Columbia University Press.
72. **McDonfall, J. R. C.** 1940.'Crime is a Business', Stanford.
73. **Merton, R.** 1949. 'Social Theory and Social Structure', Ulinois, Free Press.
74. **Mishra, Mamtamay.** 2002. 'Juvenile Delinquency and the urban society' , A study of Jurenile Deliquents in Reform homes in Orissa, Anu Books, Merrut.
75. **Mohammad, Noor & Matin, Abdul :** 1995. 'Juvenile Deliquency' . 'A Sociological Study of young offenders in Haryana', Ashish Publishing House, Delhi.
76. **Morris, T.** 1958. 'The Criminal Area', London : Routledge and Kegan Paul.
77. **Newcomb, T.M.** 1950. 'Social Psychology', New York , Dryden.

78. **Neumayer, Martin H .** 1947. 'Delinquency in a Changing Society', New York.
79. **Neumayer, Martin H.** 1961. 'Juvenile Delinquency', New York.
80. **Nye, F. I.** 1958. 'Family Relationship and Delinquent Behaviour', NewYorkJohn, Wiley&Sons.
81. **Padmaja, K.** 2000. **'**Juvenile Deliquency', ICFAI Univ. Press, Hyderabad.
82. **Parsons, Talcott .** 1937. 'The Social System',
83. **Pillat, Devdas and Kapadia. K. M.** 1971. 'Young Run-Away', Bombay , Popular Prakashan.
84. **Rao, S. Venugopal .** 1967. 'Facets of Crime in India', New Delhi : Allied Publishers Pvt. Ltd.
85. **Reckless, W.C.** 1940. 'Criminal Behaviour', New York ,McGraw Hill.
86. **Reckless, W.C.** 1956. 'Handbook of Practical Suggestions for the treatment of Adult and Juvenile offender', Govt. of India.
87. **Reckless, W.C.** 1961. 'The Crime Problem', New York , Appleton Century Crofts.
88. **Robinson, S. M.** 1960. 'Juvenile Delinquency', New York , Holt Rinehart & Winston.
89. **Ruttonsha, G.N.** 'Juvenile Delinquency and Destitution in Poona'.

90. **Sandhu, T. H. & Wolfganj, M.** 1964. 'The Measurement of Delinquency', New York : John Wiley.
91. **Seth, Hansa .** 1961. **'**Juvenile Delinquency in an Indian Settings', Bombay, Popular Book Depot.
92. **Sethna, M.J.** 1952. 'Society and The Crimainal', Leaders Press Ltd, Bombay.
93. **Shanmugam, T. E.** 1979. 'Juvenile Delinquency', Madras ,University of Madras.
94. **Sharma, D.D.** 1966. 'Young Delinquents in India', Printwell, Jaipur.
95. **Sharma, R.S.** 1998. **'**Treatment of Juvenile Deliquents in Schools', Omsons Publication, New Delhi,
96. **Sharma, Bharti** .1990.Juvenile Delinquents and their social culture (case studies), Uppal publication House, New Delhi.
97. **Shaw, C.R. and Mckay, H. C.** 1945. 'Juvenile Delinquency and Urban Areas', Chicago, Univ. of Chicago Press.
98. **Sheldon and Glueck.** 1934. 'One Thousand Juvenile Delinquents', Cambridge.
99. **Sheldon and Glueck .** 1950. 'Unrebelling Juvenile Delinquency', New York Harper Bros.
100. **Singh, R.S.** 1948. 'Juvenile Delinquency in India'.
101. **Srivastava, S. S.** 1963. 'Juvenile Vagrancy', Bombay : Asia Pub. Bouse.

102. **Sutherland, E. H.** 1966. 'Principles of Criminology', New York , J. B. Lippincott Co.
103. **Taft, D.R.** 1966. 'Criminology' (3rd ed.), Macmillan, New York.
104. **Tannenbaum, Frank .** 1938. 'Crime and Community',
105. **Tappan, P. W.** 1949. 'Juvenile Delinquency', New York, McGraw Hill Book Company.
106. **Trojanowicz, Robert C.** 1978. **'**Juvenile Delinqnency', Concept and Control (2nd ed.), Eglewood Cliff, New Jersey : Prentice Hall Inc.
107. **Verma, S. C.** 1969. 'The Young Delinquent' , A Sociological Enquiry, Lucknow , Pustak Kendra.
108. **Whyte, W.C.** 'Street-Corner Society', Chicago , University of Chicago, 1955.
109. **Wolfgang, M.E. '**1962. The Sociology of Crime and Delinquency', New York , John Wiley.
110. **Yvone,Jewkes**.2010. 'Media and Crime' University of Leicester, U.K. Sage Publication.
111. **Young, P.V.** 1949. 'Scientific Social Surveys and Research', New York.

ARTICLES andJOURNALS .

ARTICLES.

1. **Amati, B. N.** 1984. "Juvenile Delinquency and Habit Pettern", The Indian Journal of Social Work, Vol. XLIV, No. 4, Jan.
2. **Amati, B. N.** 1975. 'Juvenile Delinquency : A Sociological Survey', Social Welfare, April .
3. **Bowlby, J.** 1952. "Maternal Care and Mental Health", Geneva, W.H.O., Monograph No. 2.
4. **Gibbons, T.C.M.** 1981."Trends in Juvenile Delinquency W.H.O, Geneva.
5. **Kethineni, Shesha& Klosky, Tricia .** 2005. "Jurenie Justice and Due Process rights of children in India and the United States, International Criminal Justice Review, Vo.15, No.2, 131-146,.
6. **Miller, Walter .** 1958. "Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency", Journal of Social Issues, No. 3.
7. **Nagla, B.K.** 1981."The Juvenile Delinquent in Society", Indian Journal of Criminology, Vol. IX, No.1, Jan.

8. **Narula, Uma.**1968.**:** "Broken Houses ", Social Welfare, Jan.
9. **Singh, Bir** .1979."Child Delinquency: Causes and Remedies", Social Welfare, Vol. XXVI, No.4, July .
10. **Shukla, K.S.** 1982. "Delinquency Control: The Institutional Strategy", The Indian Journal of Social work, No .43.
11. **Thilagaraj. R.** 1983. "Parent-Child Relationship and Juvenile Delinquency" Social Defense, Vol. XIX, No. 3, July.

JOURNALS.

1. **Economic & Political Weekly. EPW, Research Foundation. Mumbai.**
2. **Indian Journal of criminology, chepauk, Chennai.**
3. **India journal of social work.**
4. **Sociological Bulletin. 'Indian Sociological Society', New Delhi.**
5. **The Indian Journal of Legal Studies. Rajasthan Granthghar, Jodhpur.**
6. **Rajasthan Sociological Bulletin. 'Rajasthan Sociological Association's, Rajasthan, Jaipur.**

Adenwalla, Maharukh. 2006. 'Child protection and juvenile justice

system for juvenile in conflict with law'. (Childline India Foundation,

Mumbai,) (NHRC) .

BAGULIA, A M. 2006. 'Child and crime', SBS Pub.& Distributors, New

Delhi.

BHAKHRY, Savita. 2006. 'Children in India and their rights'. (National

Human Rights Commission, New Delhi.) (NHRC)

BRANDT, David. 2006 .'Delinquency, development, and social policy'. Yale

University Press, London.